लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[छटा सत्र
Sixth Session]

5th Lok Sabha

खंड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XX contains Nos. 1 to 10

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

अंक 9, शुक्रवार, 24 नवम्बर, 1972/3 अग्रहायण, 1894 (शक)
No. 9, Friday, November 24, 1972/Agrahayana 3, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		1—20
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
161. करों की बकाया राशि	Arrears of Taxes	1—9
163. चालू वर्ष के दौरान निर्यात में वृद्धि	Increase in Exports during Current Year...	9—12
165. शेयरों के सौदे के बारे में वांचू समिति की सिफारिश	Wanchoo Committee Recommendation regarding Share Dealings ...	13—15
171. चौथी योजना में पर्यटन विकास सम्बन्ध में देश में प्राप्त किये गये लक्ष्य	Targets achieved for the development of Tourism in the country during Fourth Plan ...	15—16
174. भारत और मिस्र के बीच व्यापार करार	Trade Agreements between India and Egypt ...	17—18
175. भारत में निजी कारोबार को अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का आश्वासन	Commitments by International Finance Corporation to Private Business to India ...	18—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		20—138
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
162. मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर काम कर रहे मध्य प्रदेश के मैकेनिकल इंजीनियर	Mechanical Engineers from Madhya Pradesh working on deputation in Central Public Sector Establishments in the State ...	20—21

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
164. विविध व्यय आदेश का रद्द किया जाना	Abolition of Miscellaneous Charges Order ...	21
166. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की दिल्ली और नई दिल्ली की स्थानीय शाखाओं में की गई अनियमितताएं	Irregularities Committed in Local Branches of Delhi and New Delhi of State Bank of Bikaner and Jaipur ...	21—22
167. चिट फंडों में रुपया लगाकर आयकर का अपवंचन करना	Evasion of Income Tax by Investment in Chit Funds ...	22—23
168. एशिया '72 मेले के दौरान पर्यटक केन्द्रों में आवास समस्या को हल करने के लिए कार्यवाही	Steps to meet Accommodation problem at Tourist Centres during Asia 72 Fair ...	23—24
169. यूरोपीय साझा बाजार में भारत के प्रवेश से समाजवादी देशों के साथ उसके व्यापार पर प्रभाव	Effect of India's entry into ECM on Trade with Socialist Countries ...	24
170. इथियोपियन एयरलाइन्स को भारत होते हुए चीन जाने की अनुमति	Permission to Ethiopian Airlines to Fly to China Via India ...	24—25
172. सरकार के प्रशासकीय व्यय में वृद्धि	Increase in Administrative Expenditure of Government ...	25
173. पटसन मिलों की स्थापना	Setting up of Jute Mills	26
176. रेणुसागर पावर कम्पनी लिमिटेड द्वारा भारी विद्युत संयंत्र और मशीनरी की खरीद	Purchase of Electrical Plant and Machinery by Renusagar Power Company Limited ...	26
177. विमान यातायात में हुई वृद्धि का सामना करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े में वृद्धि की योजना	Plan to augment Indian Airlines Fleet to meet the Growth in Air Traffic ...	26—27
178. भारत-इराकी व्यापार समझौता	Indo-Iraq Trade Agreement	27
179. गुजरात में तस्करी की घटनाएं	Incidents of Smuggling in Gujarat	27—28

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
180. पटसन उद्योग को दी गई वित्तीय राहत	Fiscal Relief given to Jute Industry	28
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
1601. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को रियायतें	Concessions to Public Sector Undertakings ...	28—29
1602. मैसूर में रेशम के कीड़े पालने के उद्योग में सुधार की योजना	Scheme to Improve Sericulture Industry in Mysore ...	29—30
1603. केन्द्रीय रेशम कीट उद्योग तथा प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर में किये गये अनुसंधान	Researches made in Central Institute of Sericulture and Training, Mysore ...	30—31
1604. जीवन बीमा निगम द्वारा अतिरिक्त प्रीमियम का लिया जाना	Collection of Extra Premium by LIC	31—32
1605. ओवरड्राफ्ट की राशि का भुगतान न करने वाले राज्य	States that have not cleared Overdrafts ...	32
1606. सरकारी कार्यालयों तथा सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को दिये जाने वाले मकान किराया भत्ते की दरों में भिन्नता	Difference in rates of House Rent Allowance given to employees working in Government Offices and Public Undertakings ...	32—33
1607. पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा खरीदे गए तथा बेकार पड़े मारल एलीवेटर	Marrel Elevators purchased by the Ministry of Tourism and Civil Aviation lying idle ...	33—34
1608. मध्य प्रदेश और बिहार में कपड़े के नए मिल खोलना	Proposal to open New Textile Mills in Madhya Pradesh and Bihar ...	34
1609. ब्याज की रियायती दर लेने की योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को दी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance provided to Adivasi Area of Madhya Pradesh under the Scheme of concessional rate of interest ...	34—35
1610. दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट	Fall in value of Indian Rupee in the countries of South East Asia ...	35

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1611.	कोचीन हवाई अड्डे पर एवरो विमान को क्षति	Damage to Avro Aircraft at Cochin Airport ...	36
1612.	1971-72 के वित्तीय वर्ष में भारत सरकार को विश्व बैंक से प्राप्त अनुदान तथा ऋण	Grant and Loan Received from the World Bank by the Government of India during the Financial year 1971-72 ...	36
1613.	मध्य प्रदेश में विमान टैक्सी सेवा	Air Taxi service in Madhya Pradesh ...	36
1614.	भोपाल, इन्दौर तथा ग्वालियर से विलम्ब से भरी गई तथा रद्द की गई इंडियन एयर लाइन्स की उड़ानें	Delayed and cancelled flights of Indian Airlines from Bhopal, Indore and Gwalior ...	37
1615.	रूस, चीन तथा जापान में भारतीय पर्यटक केन्द्रों की संख्या	Number of Indian Tourist centres in Soviet Union, China and Japan ...	37
1616.	मध्य प्रदेश में तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled goods in Madhya Pradesh ...	37—38
1617.	इण्डियन टोबाको डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड की निबन्धात्मक तथा एकाधिकारवादी प्रक्रियाएं	Restrictive and Monopolistic Practices of Indian Tobacco Co. Ltd.	38
1618.	आंध्र प्रदेश में कृषि उत्पादन के लिए बैंकों द्वारा किसानों को दी गई वित्तीय सहायता	Financial assistance given by Banks to Farmers for agricultural production in Andhra Pradesh ...	38—39
1619.	विदेशी विनियोक्ताओं द्वारा शेयरों की बिक्री	Sale of Shares by Foreign Investors ...	39—40
1620.	संसद् सदस्यों द्वारा अतिरिक्त महानियंत्रक रक्षा लेखा को लिखे गए पत्र	Members' Letters addressed to the Additional Controller General of Defence Accounts ...	40
1621.	औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के पास पड़े अनिर्णीत आवेदन पत्र	Pending Applications with Industrial Reconstruction Corporation ...	40

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1622. भारतीय चलचित्र निर्यात परिषद् के विरुद्ध फिल्म प्रोडयूसर्स गिल्ड के आरोप	Film Producers' Guild's allegations against Indian Motion Pictures Export Council ...	41
1623. चुने हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिए योजना आयोग द्वारा स्थापित समिति का प्रतिवेदन	Report of the Committee set up by Planning Commission to review the working of Selected Public Sector undertakings...	41—42
1624. ब्लिट्स "आई० ए० एस० स्कटल आई० पी० ए० टु ग्रेब पावर" शीर्षक से प्रकाशित लेख	Article to Blitz Entitled "IAS Scuttle IPA to Grab Power" ...	42
1625. मुईर मिल्स, कानपुर के अधिकृत नियंत्रक और उसके सम्बन्धियों के निवास स्थानों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के छापे	Raids by CBI on the residence of Authorised Controller, Muir Mills, Kanpur and his relatives ...	43
1626. बिड़ला कम्पनी समूह द्वारा एकाधिकार आयोग को जानकारी प्रस्तुत करने से इंकार	Refusal of Birla Group of Companies to furnish information to Monopolies Commission ...	43—44
1627. भारत में फोर्ड फाउंडेशन के अधिकार में इमारतें	Building occupied by Ford Foundation in India ...	44
1628. विदेशी नियंत्रण वाली कम्पनियों का उत्पादन और लाभ	Production and Profits of Foreign controlled Companies ...	44
1629. हरियाणा राज्य से अमरीकी पीस कोर के स्वयंसेवकों का निकाला जाना	Expulsion of US Peace Corps volunteers from Haryana State ...	45
1630. बम्बई केबल कम्पनी द्वारा पालिथिलीन पाउडर घोटाला	Polythylene Powder scandal by Bombay Cable Company ...	45—46
1631. सरकारी उपक्रमों के चेयरमैनों की नियुक्ति	Appointment of Chairman of Government concerns ...	46
1632. भारत में 'अमरीकी पीस कोर आर्गेनाइजेशन' को बन्द करना	Winding up of US peace Corps Organisation in India ...	47

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1633.	दक्षिणी कोरिया को लौह-अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to South Korea ...	47
1634.	कच्चे काजू के वितरण के बारे में केरल के श्रम मंत्री का वक्तव्य	Statement by Kerala Labour Minister Regarding distribution of Raw Cashew Nuts ...	48
1635.	केबल कम्पनी द्वारा लाभ कमाया जाना	Profiteering by Cable Co.	48
1636.	स्टेट बैंक आफ इंडिया के मुख्य खजान्ची श्री वेदप्रकाश मलहोत्रा को अवकाश प्रदान करना	Grant of leave to Shri V. P. Malhotra Chief Cashier of SBI ...	48—49
1637.	राष्ट्रीयकृत बैंकों में लिपिकों तथा सहायकों की भर्ती हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	Procedure followed regarding Recruitment of Clerks and Assistants in Nationalised Banks ...	49
1638.	सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के लिए एक स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना	Setting up of an independent appellate Tribunal for Customs and Central Excise ...	49—50
1639.	विदेशों द्वारा रेलवे माल डिब्बों के लिए अनुरोध	Request from foreign Countries for Railway Wagons ...	50—51
1640.	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से रेलवे माल डिब्बों का निर्यात	Export of Railway Wagons through STC...	51
1641.	सरकारी उद्योग धन्धों द्वारा घाटा उठाया जाना	Losses being suffered by Public Sector Undertakings ...	51—52
1642.	घाटे पर चल रहे सरकारी उद्योग-धंधे	Public Undertakings running at loss ...	52
1643.	सरकारी उपक्रमों के लिए प्रबन्धक	Managers for Public Undertakings	52—53
1644.	औद्योगिक फर्मों के बारे में ऋण को इक्विटी शेयरों में बदलना	Conversion of loan into equity in respect of Industrial Concerns ...	53

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos		
1645. सरकारी उद्योगों के लिए मितव्ययता उपाय	Economy measures for Public Sector Undertakings ...	53—54
1646. सरकारी उद्योगों में पूंजी लगाना	Investment in Public Sector Undertakings...	54—55
1647. अमरीकन पीस कोर के स्वयंसेवकों की तथाकथित अवांछनीय गतिविधियां	Alleged undesirable activities of American Peace Corps Volunteers ...	56
1649. औद्योगिक विकास बैंकों द्वारा बिहार में आदिवासियों को अग्रिम धन	Advance to Adivasis in Bihar by Industrial Development Banks ...	57
1650. सरकारी क्षेत्र के लिए योजना पूंजी-निवेश	Plan investment for Public Sector	57—58
1651. नियंत्रित कपड़े की बिक्री के बारे में मिलों का मार्गदर्शन	Guidelines to Mills regarding Sale of Controlled Cloth ...	58—59
1652. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्रबन्धक सेवा	Managerial Service for Public Sector undertakings ...	59
1653. औद्योगिक वित्त निगम द्वारा संस्था के अन्तर्नियमों में संशोधन की मांग	Request made by IFC to Amend Articles of Associations ...	60
1654. अमरीकी सहायता के बंद होने से औद्योगिक विकास पर प्रभाव	Effect of Suspension of U.S. Aid on Industrial Growth ...	60
1655. भारतीय टेलीविजन सैटों के निर्यात के लिए किये गये प्रयास	Efforts made for Export of Indian T.V. Sets ...	61
1657. जापान को निर्यात किये गये लौह अयस्क के मूल्य के बारे में विवाद	Dispute over Price of Iron Ore Exported to Japan ...	61
1658. बढ़िया और घटिया किस्मों के अयस्कों के निर्यात के लिए विदेशी मण्डियां	Foreign Markets for Export of High and Low Grade Ores ...	61—62

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos		
1659. खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा दूर पूर्व के देशों को भारतीय लौह अयस्क का निर्यात	Export of Indian Iron Ore to Far East Countries by MMTC ...	62
1660. मूल्यों के बारे में खनिज तथा धातु व्यापार निगम की नीति	Policy of MMTC regarding Prices ...	62
1661. भारतीय काजू निगम की दोषपूर्ण नीतियों के कारण काजू कारखानों का बन्द होना	Closure of Cashew Factories due to Defective Policies of CCI ...	63
1662. सरकारी उपक्रमों को हुआ लाभ	Profits by Public Sector Undertakings	64
1663. संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को अधिकार में लेना	Take over of Sick Textile Mills ...	64—65
1664. राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये निर्यात में वृद्धि	Increase in Exports by STC ...	65
1665. भारत और युगोस्लाविया के बीच व्यापार सम्बन्धी बातचीत	Indo-Yugoslav Trade Talks	65—66
1666. आयात में कमी	Decline in Imports	66
1667. भारत-ब्रिटेन व्यापार में वृद्धि	Rise in Indo UK Trade	67
1668. सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण में वृद्धि	Increase in Public Sector Bank Lending ...	67—68
1669. एशिया '72 के लिए महिला परिचारिकाओं (गर्ल गाइड) की भर्ती और प्रशिक्षण के प्रबन्ध	Arrangements for Recruitments for and Training of Girl Guides for Asia '72...	68
1670. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्यों को पुन: रोजगार	Re-employment of Members of Central Board of Excise and customs ...	68—69
1672. चमड़े के सामान के बारे में विदेशों द्वारा पूछताछ	Foreign Enquiries regarding Leather goods ...	69

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1673.	'प्रमुख बैंक योजना' के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधीन क्षेत्रों का विकास संभावनाओं सम्बन्धी अध्ययन	Study regarding development potentialities of the areas covered by Nationalised Banks under lead Bank Scheme ...	69—70
1674.	राजस्थान के लिए चौथी योजना में पर्यटन विकास हेतु कुल परिव्यय	Total outlay for Tourism Development during Fourth Plan for Rajasthan ...	70—71
1675.	'ट्राइस्टार' विमान खरीद का प्रस्ताव	Proposal to purchase TriStar Air Craft ...	71—72
1676.	इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया द्वारा इटली और मालदीव द्वीपसमूह के बीच 'हालीडे ट्रैफिक' अवकाश पर यात्री यातायात हथियाना	Holiday Traffic captured between Italy and Maldive Islands by Indian Airlines and Air India ...	72
1677.	सोवियत संघ तथा पूर्व-यूरोपीय देशों को सोंठ का निर्यात	Export of Ginger to Soviet Union and East European Countries ...	72—73
1678.	एक पृथक चाय संवर्द्धन एजेंसी बनाने का प्रस्ताव	Proposal to create a separate tea promotion Agency ...	73
1679.	सरकार की वित्त नीति	Fiscal policy of Government ...	73—74
1680.	हिमाचल प्रदेश को ऋण तथा अनुदान	Loans and Grants to Himachal Pradesh ...	74
1681.	वित्तमन्त्री का जापान का दौरा	Finance Minister's visit to Japan ...	74
1682.	ब्रिटेन द्वारा भारत को दी जाने वाली सहायता	Foreign Aid given to India from U.K. ...	74—75
1684.	हिन्दुस्तान एल्युमीनियम निगम	Hindustan Aluminium Corporation ...	75
1685.	विदेशी मुद्रा के बारे में घोटाला	Foreign Exchange Racket ...	75—76

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1686. कपड़े के कुल उत्पादन में से 15 प्रतिशत का निर्यात करने की अनिवार्यता	15 Percent Statutory export obligation on Cotton Textiles ...	76
1687. भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान द्वारा शिकायतें	Complaint from the Institute of Chartered Accountants ...	76—77
1688. जाम्बिया को पटसन का निर्यात	Export of Jute to Zambia	77
1689. गुजरात में तस्करी की घटनाएं	Incidents of smuggling in Gujarat ...	77—78
1690. नए 'होटल आदेश' से दी गई छूट	Exemptions sanctioned from new 'Hotel Order' ...	78
1691. सभी सरकारी कर्मचारियों को बोनस दिये जाने की मांग	Demand made for payment of bonus to all Government employees ...	78—79
1692. सूडान को होने वाले निर्यात पर लगा प्रतिबन्ध हटाना	Lifting of ban on exports to Sudan ...	79
1693. तमिलनाडु में हथकरघा वस्त्रों का स्टाक जमा होना	Stocks of handloom accumulated in Tamil Nadu ...	79
1694. बेलजियम से ऋण के लिए समझौता	Agreement for Loan from Belgium ...	79—80
1695. कच्चे पटसन तथा कपास का समर्थन मूल्य	Support price of raw jute and cotton ...	80
1696. मैसूर नगर के निकट मण्डाकल्ली हवाई अड्डे के सुधार का प्रस्ताव	Proposal to improve airport at Mandakali near Mysore city ...	80
1697. चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहायता की कमी के कारण योजनाओं का अधूरा रहना	Non completion of schemes during the Fourth Five Year Plan for lack of Foreign Assistance ...	81
1698. राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए निदेशक मण्डल	Board of Directors for nationalised Banks ...	81

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1699. नई दिल्ली स्थित अकबर होटल में भरे पदों की संख्या	Number of posts filled in Akbar Hotel, New Delhi ...	81—82
1700. आयात और निर्यात में बढ़ता हुआ अन्तर	Increase in gap between imports and exports ...	82—83
1701. हंगरी के साथ व्यापार में वृद्धि	Increase in trade with Hungary ...	83
1702. पणजी में पर्यटन विकास परिषद् की बैठक	Meeting to Tourist Development Council Panaji ...	83—85
1703. गैर-सरकारी क्षेत्र के ऋणों का इक्वीटी में बदलना	Conversion of Loans to private sector into equity ...	85—86
1704. भारत-बंगला देश व्यापार में गिरावट	Decline in Indo-Bangadesh trade ...	86
1705. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघ द्वारा नई निर्यात सेवा	New export service by UNIDO ...	86—87
1706. तिरुपति हवाई अड्डे का कार्यकरण	Functioning of Tirupathi Airport ...	87
1707. पटना स्थित 'हरिमंदिर' का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	Development of 'Harimandir' in Patna as a Tourist Centre ...	87—88
1708. बिहार में बहुत से व्यक्तियों के विरुद्ध आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income tax against individuals in Bihar ...	88
1709. बिहार में कार्य कर रही पंजीकृत कम्पनियां	Registered Companies functioning in Bihar ...	88
1710. आयकर विभाग में चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए लोअर डिवीजन क्लर्कों के पदों का आरक्षण	Reservation of Jobs of LDCs. in Income tax Department for Class IV Employees ...	88—89
1711. आयकर कर्मचारी संघ द्वारा पारित प्रस्ताव	Resolution passed by Income Tax Employees Federation ...	89

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos		
1713. विकासशील देशों के सामने आनेवाली ऋण सेवा सम्बन्धी कठिनाइयों के बारे में विश्व बैंक की चेतावनी	Warning by World Bank regarding Debt Service difficulties to Developing Countries ...	90
1714. त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किये गये इण्डियन एयर लाइन्स के उच्चाधिकारी	High ups in Indian Airlines forced to resign ...	90—91
1715. इण्डियन एयरलाइन्स के अधिकारियों की एसोसियेशन द्वारा संयुक्त परिषद् की बैठक का बहिष्कार	Joint Council meeting boycotted by the Officers' Association of Indian Airlines ...	91
1716. विदेश व्यापार में सरकारी एजेन्सियों का कार्य	Role of Public Sector Agencies in Foreign Trade ...	91—92
1718. ऋणों को इक्वीटी में परिवर्तित करने के उपबन्ध वाली धारा का सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा लागू किया जाना	Introduction of Covertibility clause by Public Financial institutions to convert loans into equity ...	92
1719. औद्योगिक विकास योजना का बनाया जाना	Formulation of Industrial Development Scheme ...	93—94
1720. प्रत्यक्ष करों की बकाया राशि	Arrears of Direct Taxes	94
1721. देश की विभिन्न बीमा कम्पनियों में फाइलों का गायब होना	Misplacing of files in various Insurance Companies in the country ...	94
1723. राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित वस्तुओं से कमाया गया लाभ	Profit earned on Imported articles by STC ...	95—96
1724. गत तीन महीनों में इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया के दुर्घटनाग्रस्त हुए विमानों की संख्या	Number of Planes of Indian Airlines and Air India involved in Accidents during the Last three Months ...	96
1725. देश के 'फाइव स्टार होटलों' का भारतीयों द्वारा प्रयोग	Indian Occupancy of 'Five Star Hotels' in the country ...	97

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Noss		
1726. राजस्थान की ओर बकाया ऋण	Loan outstanding against Rajasthan	97—98
1727. विदेशों में भारतीय जूतों की मांग	Demands for Indian Shoes in Foreign Countries ...	98
1728. मोटे कपड़े की निम्नतम मात्रा का उत्पादन	Production of Minimum quantity of coarse cloth ...	98—99
1729. इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों की उड़ानों के पुनर्निर्धारण के कारण जनता को हुई असुविधा	Inconvenience caused to public due to Re-scheduled Flights to Indian Airlines ...	99
1730. मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे	Foreign Tours by Ministers and Officials...	99—100
1731. राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् की मध्यवर्षीय आर्थिक समीक्षा के निष्कर्ष	Findings of Mid year Economic Review of NCAER ...	100—101
1732. चीन के साथ फिर से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना	Renewals of Trade Relations with China...	101—102
1733. कलकत्ता हवाई अड्डे के महत्त्व को पुन: स्थापित करने के लिए बनाई गई योजना	Steps formulate to restore importance of Calcutta Airport ...	102
1734. भारत पर विदेशी ऋण	India's Foreign Debt	103
1735. अमरीका को वस्तुएँ निर्यात करने सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम	Crash Programme for Exports to USA ...	103
1736. मंजूरशुदा यात्रा एजेन्टों को निर्यात उद्योग का अंग मानने सम्बन्धी पर्यटन विकास परिषद् की सिफारिशें	Recommendations of Tourist Development Council regarding Recognition of approved Travel Agents as Part of Export Industry ...	104
1738. राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखायें खोलना	Opening of new Branches of Nationalised Banks ...	104

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos		
1739. पांचवीं योजना के दौरान पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु सरकारी क्षेत्र में बहुत-से होटलों के निर्माण का प्रस्ताव	Proposal to construct a Chain of Public Sector Hotels for the Promotion of Tourism during Fifth Plan ...	105
1740. राष्ट्रीय शब्दों का अपने नाम में प्रयोग करने वाली विदेशी कम्पनियों के नाम	Names of Foreign concerns using National words in their names ...	105
1741. इस्पात के आयात की प्रक्रिया	Procedure for Importing Steel ...	105—106
1742. भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए विदेशी मुद्रा का नियतन	Allocation of Foreign Exchange for ICS Officers ...	106—107
1743. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन के ऋणों के लिए करार	Agreements for Credits from International Development Association ...	107—108
1744. राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Farmers from Nationalised Banks ...	108—109
1745. दिल्ली में होटलों के निर्माण के लिए भूमि का आवंटन	Allotment of Land for Construction of Hotels in Delhi ...	109
1746. विश्व बैंक से ऋण	Loan from World Bank ...	109—110
1747. राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलना	Opening of New Branches of Nationalised Banks ...	110
1748. कोचीन से नारियल जटा, कॉफ़ी और काजू के निर्यात में कमी	Decline in Export of Coir Yarn, Coffee and Cashew from Cochin ...	110
1749. भारत-मिस्र-यूगोस्लाविया करार से लाभ	Benefits From India-Egypt-Yugoslavia Agreement ...	110
1750. एयर इण्डिया द्वारा कुछ देशों की राजधानियों को कम किराये पर उड़ानें करने का प्रस्ताव	Proposal to operate Flights at Reduced Rates to certain World Capitals by Air India ...	111
1751. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में विकासशील राष्ट्रों को शक्तियां देने की मांग	Demand for share of power for developing Nations in International Monetary Fund ...	111—112

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1752. स्टेट बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली के वरिष्ठ कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Senior Staff of SBI New Delhi...	112
1753. यूरोपियन आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश का ब्रिटेन से भारत को मिलने वाली सहायता पर पड़ने वाला प्रभाव	Impact of Britain's Entry into European Economic Community on her aid to India ...	112
1754. सिनेमा उद्योगों पर कर	Taxes on Cinema Industry	113
1755. भारत तथा नेपाल के बीच व्यापार की संभावना	Indo-Nepalese Trade Prospects ...	113—114
1756. सामान्य बीमा का एकमात्र निगम बनाने के बारे में अखिल भारतीय सामान्य बीमा कर्मचारियों की मांग	Demand made by All India General Insurence Employees re. Formation of Single Corporation of General Insurance ...	114
1757. जापानी धागे की तस्करी	Smuggling of Japanese Thread ...	114—115
1758. पांचवीं पंचवर्षीय योजना में एक नये अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करने की योजना	Scheme to Construct one more International Airport during Fifth Plan ...	115
1959. मैसर्स मारुति कम्पनी लिमिटेड के अंश	Shares of M/s Maruit Limited ...	115
1760. जर्मन जनवादी गणतंत्र से आया व्यापार प्रतिनिधि मंडल	Trade Delegation from GDR ...	115—116
1761. भारतीय पूंजी-निवेश केन्द्र द्वारा सर्वेक्षण	Survey by Indian Investment Centre ...	116—117
1762. दिल्ली स्थित आयकर आयुक्त के कार्यालय में काम कर रहे कर्मचारी	Staff working in the Office of Commissioner Income Tax, Delhi ...	117—118

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1763. आयात-निर्यात मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में निम्न श्रेणी लिपिकों, प्रवर श्रेणी लिपिकों तथा आशुलिपिकों के रिक्त पदों को भरना	Filling Vacant Posts of LDC, UDC and Stenographers in Office of CCI & E ...	118
1764. एयर इण्डिया तथा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा नये विमान खरीदने का अनुरोध	Request from Air India and Indian Airlines for Acquiring New Planes ...	119
1765. बनारसी, कांजीपुरम साड़ियों की श्रीलंका को तस्करी	Smuggling of Banarasi, Kanjipuram Saris to Ceylon ...	119
1766. कराधान से अतिरिक्त संसाधन जुटाया जाना	Mobilisation of Additional Resources from Taxation ...	120
1767. विदेशी सहायता का उपयोग	Utilisation of Foreign Aid ...	120
1768. केरल सरकार का कच्चे काजू के लिए अनुरोध	Kerala Government's request for Raw Cashew Nuts ...	120—121
1769. राज्यों को 'सन्स आफ दी सोयल' (उसी क्षेत्र के लोग) मांग के बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मार्गदर्शी निदेश	Guidelines for Public Sector undertakings on States Demand 'Sons of the Soil'...	121
1770. केरल में वेली से कोवलम तक मैरीन ड्राईव का प्रस्ताव	Proposal for Marine Drive from Veli to Koyalam, Kerala ...	121—122
1771. नागर विमानन विभाग में हवाई अड्डा सहायक अधिकारियों को रात्रि भत्ता	Night Duty Allowance to Assistant Aerodrome Officers in Civil Aviation Department ...	122
1772. रबड़ की काश्त के लिए केरल को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Kerala for Rubber Cultivation ...	122—123
1773. सूती धागे पर मूल्य नियंत्रण	Price Control on Cotton Yarn ...	123
1774. विकासशील देशों पर मुद्रा संकट का प्रभाव	Effect of Monetary Crisis on Developing Countries ...	123—124
1775. चौथा और पांचवां वित्त आयोग	Fourth and Fifth Finance Commission ...	124

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos		
1776. भारतीय तथा विदेशी मंडियों में सोने का मूल्य तथा भारतीय अर्थ व्यवस्था पर उसका प्रभाव	Price of Gold in Indian and Foreign Markets and its Impact on Indian Economy ...	124—125
1777. पांचवीं योजना में पर्यटन के विकास के लिए बिहार में आरम्भ किये जाने वाले कार्यक्रम	Programme proposed to be undertaken in Bihar for Development of Tourism during Fifth Plan ...	125
1778. आयकर की बकाया राशि	Arrears of Outstanding Income Tax ...	125—126
1779. भारत में सबसे अधिक धनी व्यक्ति	Wealthiest Individuals in India ...	126
1780. मोटर गाड़ी के पुर्जों के निर्यात संवर्धन हेतु सोवियत संघ भेजा गया शिष्टमंडल	Delegation to USSR to promote Export of automobile ancillaries ...	126—127
1781. हंगरी तथा चेकोस्लोवाकिया द्वारा अधिमान देने की सामान्य व्यवस्था का लागू किया जाना	Introduction of GSF by Hungary and Czechoslovakia ...	127
1782. हथकरघा बुनकरों का शिष्ट-मंडल	Delegation of Handloom Weavers ...	128
1783. भारत को पुनः अमरीकी सहायता मिलना	Resumption of US Aid to India ...	129
1784. विदेशी फिल्मों के आयात के लिए राज्य व्यापार निगम को दिये गये लाइसेंसों की संख्या	Number of Licences issued to STC for the import of foreign films ...	129—130
1785. कलकत्ता तथा बम्बई में मैट्रो सिनेमा घरों की बिक्री	Sale of Metro Cinema Houses in Calcutta and Bombay ...	130
1786. कलकत्ता पत्तन से बोरियों आदि का निर्यात	Gunny Exports from Calcutta Port	130
1787. आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax	131

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos		
1788. केरल में थेक्काडी पर्यटन केन्द्र पर एक छोटा हवाई अड्डा बनाने के लिए केरल सरकार का अनुरोध	Request from Kerala Government to set up a Small Air Landing port at Thekkadi Tourist centre in Kerala ...	131—132
1789. कोचीन (केरल) के निकट एडाकाथुवायाल में हवाई अड्डे का निर्माण	Airport at Edakkattuvayal near Cochin (Kerala) ...	132
1790. केरल में बेक्कल फोर्ट और एझीमलाई को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करना	Development of Tourist Centres in Bekkal Fort and Ezhimalai in Kerala ...	132
1791. विदेशी बैंकों में व्यक्तियों और फर्मों के खाते	Accounts of Individual and Firms in Foreign Banks ...	133
1792. आयात व्यापार में सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों की भूमिका	Role of Public Sector Agencies in Import Trade ...	133—134
1793. निर्यात गृहों की समीक्षा	Review of Export Houses ...	134—135
1794. भारतीय मध्यस्थ निर्णय परिषद् को सौंपे गये वाणिज्यिक विवाद	Commercial Disputes referred to Indian Council of Arbitration ...	135—136
1795. विनियम दरों में उतार-चढ़ाव के लिए निर्यातकों को बीमा सुविधा	Insurance against Fluctuations in exchange Rates to Exporters ...	136
1796. निर्यात सम्बन्धी आंकड़े संकलित करने के तरीके में परिवर्तन	Changes in method of Compilation of Export Statistics ...	136
1797. गुलाबी बाग, दिल्ली में अवैध टकसाल का पता चलना	Mint uncovered in Gulabi Bagh, Delhi ...	136—137
1798. न्यूनतम आय वाले व्यक्तियों से वसूल किया गया आयकर	Income tax collected from persons having Minimum Income ...	137—138
1800. राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों में जाली कर्मचारी	Dummy Employees in the Nationalised Insurance Companies ...	138

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos		
गुजरात में देना बैंक की शाखाओं में धन के दुर्विनियोग के बारे में 11 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1954 के सम्बन्ध में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Statement correcting answers to U.S.B. 1954 dated 11-8-1972 re : Misappropriation of Money in branches of Dena Bank of Gujarat ...	138—139
अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	139—147
आन्ध्र प्रदेश में मुल्की नियम विरोधी आन्दोलनकारियों द्वारा रेल स्टेशनों पर कब्जा कर लिए जाने और रेल सम्पत्ति को क्षति पहुंचाये जाने का समाचार	Reported capture of Railway stations and damage to Railway property by anti-Mulki rules agitators in Andhra Pradesh ...	139
श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri Bishwanarayan Shastri ...	139
श्री टी० ए० पाई	Shri T. A. Pai ...	140
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table ...	147—149
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha ...	150
अखिल भारतीय सेवा विनियम (संरक्षण) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	All-India Services Regulations (Indemnity) Bill—As passed by Rajya Sabha ...	150
भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 83 और 90 के उत्तरों में शुद्धि करने वाले वक्तव्य	Statements correcting answer to S.Q. Nos. 83 and 90 re : Strike in Reserve Bank of India ...	150
सभा का कार्य	Business of the House ...	151
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1972-73	Supplementary Demands for Grants (General) 1972-73 ...	157
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	Shri Siddheshwar Prasad ...	157
श्री वीरेन्द्रसिंह राव	Shri Birender Singh Rao ...	157
श्री समर गुह	Shri Samar Guha ...	158

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Nawal Kishore Sharma ...	158
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—19वां प्रतिवेदन	Committee on private Members' Bills and Resolutions—Nineteenth Report ...	159
बेरोजगारी की समस्या के बारे में संकल्प	Resolution re. Problem of Unemployment...	159—174
श्रीमती माया राय	Shrimati Maya Ray ...	159
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee ...	160
श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami ...	161
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi ...	162
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan ...	163
डा० वी०के०आर० वर्दराज राव	Dr. V. K. R. Varadaraja Rao ...	165
श्री जे० माता गोडर	Shri J. Matha Gowder ...	168
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh ...	172
श्री वीरेन्द अग्रवाल	Shri Virendra Agrawal ...	173
श्री आर० डी० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare ...	174
आधे घण्टे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion ...	174
चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sugar Industry ...	174—180
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu ...	175
प्रो० शेर सिंह	Prof. Sher Singh ...	178
कार्य मंत्रणा समिति—19वां प्रतिवेदन	Business Advisory Committee—Nineteenth Report ...	180

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

24 नवम्बर, 1972 । 3 अग्रहायण, 1894 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
149	नीचे से पंक्ति 15, 'स्ता.टी.संख्या 3776 । 72' पढ़िये ।
157	नीचे से पंक्ति 12, सदस्य का नाम 'श्री वीरेन्द्र सिंह राव' पढ़िये ।

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 24 नवम्बर, 1972/3 अग्रहायण, 1894 (शक)

Friday, November 24, 1972/ Agrahayana 3, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

करों की बकाया राशि

*161. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अक्तूबर, 1972 के 'पैट्रियट' में 'टैक्स एरियर्स रीच रुपीज 1,000 क्रोर मार्क' (करों की बकाया राशि 1,000 करोड़ रुपये तक पहुंची) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) शीर्षक में एक सम्पादकीय गलती है। यह शीर्षक 'करों की बकाया रकम 1,000 करोड़ रु० तक पहुंची' की बजाय 'करों की वसूली 1,000 करोड़ रु० तक पहुंची' होना चाहिए था। यह स्वयं रिपोर्ट से भी स्पष्ट है जिसमें 1,000 करोड़ रु० का उल्लेख वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान आय-कर और निगम-कर की वसूली के लिए किया गया है। 31-3-1972 को शुद्ध बकाया की रकम 438·60 करोड़ रु० थी।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय द्वारा दिए गये उत्तर को देखते हुए मैं जानना चाहूंगा कि निगम क्षेत्र पर बकाया कर राशि की गत तीन वर्षों में कितनी वसूली हुई है और उक्त अवधि में उस क्षेत्र में करों की कितनी बकाया राशि थी ?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न 'पैट्रियट' में प्रकाशित समाचार से संबंधित है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : उस समाचार में निगमित क्षेत्र के करों की बकाया राशि और वसूली का उल्लेख है । उस समाचार में, जिसका मेरे प्रश्न में उल्लेख है, निगम क्षेत्र में करों की बकाया राशि का स्पष्ट उल्लेख है । मेरा अनुपूरक प्रश्न इस प्रश्न से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न में कहा गया है, "करों की बकाया राशि 1,000 करोड़ रुपये तक पहुंची" इसका मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : यह समाचार का शीर्षक है । मेरे पास समाचार है और मंत्री महोदय के पास भी यह समाचार होगा । उस समाचार में करों की बकाया राशि और वसूली का स्पष्ट उल्लेख है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप पूरे समाचार पर चर्चा करना चाहते हैं ? आप अलग से तथा विशिष्ट प्रश्न क्यों नहीं पूछते ? आप उस पर निर्भर क्यों रहते हैं ?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : समाचार में इसको महत्त्वपूर्ण बताया गया है·····

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आप यह समझते हैं परन्तु आप यह कहना नहीं चाहते कि आप इसे समझ गए हैं । मेरा कहना यह है, आपने करों की बकाया राशि 1,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की बात कही है और मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि यह गलत छपा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न में कहा गया है : "क्या सरकार का ध्यान 'पैट्रियट' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ।" शीर्षक कुछ गलत छपा है परन्तु प्रश्न में समाचार का उल्लेख है । शीर्षक के अन्तर्गत कर-वसूली के बारे में बहुत-सी बातें कही गई हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले प्रतिवेदन में कहा गया है कि करों की बकाया राशि की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है ··· (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रप्पन, आप स्वयं प्रश्न पूछें बजाय इसके कि आप पूछें कि 'क्या आपने वह समाचार पढ़ा है ?' और फिर प्रश्न करने लग जायँ ।

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य ने इसी तरह का प्रश्न पूछा है । यह बहुत कठिन बात है । मुझे करों की बकाया राशि के सम्पूर्ण विषय पर बताना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : वह विशिष्ट प्रश्न पूछ रहे हैं·····

श्री के० आर० गणेश : मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा । निगम क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में करों की बकाया राशि के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, मेरे पास 30-9-1971 को बकाया राशि के आंकड़े हैं । यह 5 लाख रुपये से अधिक हैं·····

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसा क्यों होता है ? वह पूरी जानकारी लेकर क्यों नहीं आते हैं ? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है जिसके बारे में देश को जानना चाहिए । बकाया राशि लगभग 1,000 करोड़ रुपये है और मंत्री महोदय कहते हैं कि उनके पास आंकड़े नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहले ही बोल रहे हैं । आप हस्तक्षेप क्यों करते हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न पूछने का सभा को अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं । कृपया इसमें हस्तक्षेप मत करिए ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मेरा प्रश्न यह है : सरकार गत तीन वर्षों के दौरान निगम क्षेत्र से करों की कितनी बकाया राशि वसूल कर सकी है और गत तीन वर्षों में उस क्षेत्र में करों की कितनी बकाया राशि है ?

श्री के० आर० गणेश : पहले मुझे इसे स्पष्ट कर देना चाहिए । माननीय सदस्य 1,000 करोड़ रुपये बकाया राशि के बारे में पूछ रहे थे । करों की बकाया राशि 1,000 करोड़ रुपये नहीं है । 1,000 करोड़ रुपये के करों की वसूली के बारे में है । 'पैट्रियट' में गलत शीर्षक दिया गया है। यह बकाया राशि केवल 438·60 करोड़ रुपये है। यह बकाया राशि है। यदि आप थोड़ा धैर्य रखें तो मैं आपको जानकारी दे सकता हूं क्योंकि यह एक जटिल प्रक्रिया है ।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि 438 करोड़ रुपये की कुल बकाया राशि में निगम क्षेत्र का अंश कितना है । मैंने उत्तर दिया था कि जहाँ तक नवीनतम आंकड़ों का सम्बन्ध है, निगम क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं । मेरे पास कुछ आंकड़े हैं··· (**व्यवधान**) ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप अपने धर्मपिताओं की बातें नहीं बताना चाहते हैं ?

श्री के० आर० गणेश : धर्मपिताओं की बात नहीं है ·· (**व्यवधान**) ।

Mr. Speaker : I cannot understand why he starts rebuking like this. No sooner the hon. Member enters, he starts this. I doubt whether he has a good sleep. Even a machine takes some time to get heated, but it is different in the case of the hon. Member.

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमें नींद नहीं आती है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए । वे आपको उत्तेजित करना चाहते हैं परन्तु आपको शान्त रहना चाहिए ।

श्री के० आर० गणेश : मैं शान्त हूं परन्तु वे इसका लाभ उठा रहे हैं । वे वातावरण को बिगाड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं । वे बात को समझना नहीं चाहते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप देश को बरबाद कर रहे हैं ।

श्री के० आर० गणेश : मैं कुछ आंकड़े दूँगा । चालू वर्ष में प्रत्यक्ष करों की वसूली की स्थिति इस प्रकार है :

अक्तूबर 1972 **तक**

आयकर	223 करोड़ रुपये
निगमित कर	243 " "
योग	466 " "

अध्यक्ष महोदय : यही बात वह पूछ रहे थे ।

श्री भागवत झा आजाद : अभी सभा में यह कहा गया था कि निगमित क्षेत्र के करों तथा अन्य करों को अलग नहीं रखा जाता है, परन्तु अब उन्होंने आंकड़े बताए हैं । ये हमेशा अलग रखे जाते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह एक गंभीर मामला है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आगे की कार्यवाही चलने से पूर्व क्या मैं आपसे एक अनुरोध कर सकता हूं ? मंत्री महोदय ने सभा को क्यों गुमराह किया है तथा इन तथ्यों को छिपाने का प्रयत्न क्यों किया है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि तथ्य उपलब्ध हैं परन्तु ऐसे नहीं हैं जैसे कि 'पैट्रियट' में छपे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे आपका विनिर्णय चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई विनिर्णय नहीं दिया जायेगा, कृपया बैठ जाइये । विनिर्णय की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय झूठ बोल रहे हैं । वे अपने धर्मपिताओं का बचाव कर रहे हैं ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : अभी भी मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है । उन्होंने वसूल किये गये करों के आंकड़े दिये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया दूसरा प्रश्न पूछिए !

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : जी नहीं, अभी पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं और अधिक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूँगा ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : आपने जिस प्रश्न को पूछने की अनुमति दी थी, अर्थात् निगम क्षेत्र में करों की बकाया राशि कितनी है, उसका उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया प्रश्न पूछिए ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : तब आप कहेंगे कि दूसरा प्रश्न नहीं किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आरम्भ में ही कहा है कि जहाँ तक आंकड़े अथवा वसूली का सम्बन्ध है, उनके पास ब्यौरा नहीं है परन्तु जहाँ तक करों की बकाया राशि का सम्बन्ध है उनके पास आंकड़े हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनके पास 1971 के आंकड़े हैं । वे 1971 के आंकड़े बता रहे थे जो सुनाई नहीं दे रहा था ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास वर्ष 1971 के आंकड़े हैं ?

श्री के० आर० गणेश : मैं इसको पढ़ रहा था ··(**व्यवधान**) ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम जानते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन होने जा रहा है । इसमें आपका काफी धन लगेगा···(**व्यवधान**) ।

श्री भागवत झा आजाद : ऐसा मत कहिए ।

अध्यक्ष महोदय : ये राजनीतिक बातें हैं । इन पर चर्चा करना उचित नहीं है ।

श्री के० आर० गणेश : मैंने करों की वसूली के कुछ आंकड़े दिए हैं । मैंने बताया है कि निगम और अन्य क्षेत्रों के नवीनतम आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं परन्तु मेरे पास 30 सितम्बर, 1971 तक के आंकड़े हैं । मैंने उन आंकड़ों के बारे में बताया है । करों की कुल बकाया राशि 182·48 करोड़ रुपये है जिसमें से निगम क्षेत्र की राशि 57·85 करोड़ रुपये और अन्य क्षेत्रों की राशि 124·63 करोड़ रुपये है ।

एक माननीय सदस्य : क्या यह संख्या लाखों में है अथवा करोड़ों में ?

श्री के० आर० गणेश : यह संख्या करोड़ों में है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : यह मेरा दूसरा प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले प्रश्न की भाँति दूसरा प्रश्न मत पूछिए ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : उन्होंने बताया है कि बकाया कर की राशि की वसूली की स्थिति में सुधार हुआ है । इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों में कितनी बकाया कर राशि को बट्टे खाते में डाल दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : आपके सभी प्रश्न अखबारी समाचारों पर आधारित होते हैं । आप इसी को अपने सभी प्रश्नों का विषय बनाते हैं । जो भी समाचार छपता है आप उसी पर प्रश्न पूछना आरम्भ कर देते हैं । आपको उस पर निर्भर रहने के बजाय सीधा अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहिए । मैं इस परम्परा को प्रोत्साहन नहीं दूँगा । आप सीधा प्रश्न पूछिए ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : श्रीमन्, क्या मैं अब सीधा प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरे साथ चालाकी से पेश मत आइये। मैं भविष्य में ऐसी परम्परा को प्रोत्साहित नहीं करूँगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने बताया है···

अध्यक्ष महोदय : आपने इस पर 20 मिनट ले लिए हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मुझे खेद है, मैंने पूछा था कि गत तीन वर्षों में बकाया करों की कितनी राशि बट्टेखाते में डाल दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : जब आपने समाचार का उल्लेख किया था तब उन्होंने बताया कि यह गलत शीर्षक है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या हम मंत्री महोदय के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं ?

Mr. Speaker : When a wrong question is put, there is no end to supplementaries.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The caption was wrong but the contents were not wrong. If it is to be dealt with in this manner, then no scope for supplementaries is left.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने की बजाय वे शीर्षक की बात करते हैं और कहते हैं कि करों की बकाया राशि 1000 करोड़ रुपये है। मंत्री महोदय का उत्तर 'नहीं' में है। उनका कहना है कि यह बकाया कर-राशि नहीं है अपितु करों की वसूली है। मेरे विचार में यह उत्तर पर्याप्त है। यदि माननीय सदस्य और अधिक जानकारी चाहते थे तो उन्हें उस पर अपना अलग प्रश्न भेजना चाहिए था। परन्तु अब वे शीर्षक पर निर्भर रहकर समाचार की प्रत्येक पंक्ति पर प्रश्न पूछ रहे हैं। यदि वे प्रत्येक पंक्ति पर मंत्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उनको मुख्य प्रश्न पर उन पंक्तियों का उल्लेख करना चाहिए न कि खड़े होकर उन पंक्तियों पर अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने यह नहीं कहा है कि समाचार गलत है, उन्होंने बताया है कि शीर्षक गलत है। उन्होंने यह नहीं बताया है कि समाचार गलत है। मंत्री महोदय द्वारा पहले ही दिए गए उत्तर के बारे में माननीय सदस्य अब प्रश्न पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : पूरक प्रश्न केवल शुद्धि के बारे में अथवा शीर्षक के बारे में है···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : समाचार का शीर्षक 'करों की बकाया राशि' है। हम केवल शीर्षक तक अपने-आपको सीमित नहीं रख सकते हैं। आप अजीब बात कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को विशिष्ट रूप से प्रश्न का नोटिस देना चाहिए था।

श्री सेझियान : श्री सी० के० चन्द्रप्पन द्वारा पूछा गया प्रश्न बिलकुल स्पष्ट है। इसमें पूछा गया है कि "क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अक्तूबर, 1972 के 'पैट्रियट' में टैक्स एरियर

रीच रुपीज 1,000 क्रोर मार्क' (करों की बकाया राशि 1,000 करोड़ रुपये तक पहुंची) शीर्षक के अन्तर्गत समाचार की ओर दिलाया गया है।" मंत्री महोदय शीर्षक के बारे में परेशान नहीं हैं अपितु वे समाचार में करों की बकाया राशि के समाचार से परेशान हैं। अतएव उनका प्रश्न शीर्षक के बारे में न होकर करों की बकाया राशि से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने बताया है कि शीर्षक गलत है और यह बकाया राशि न होकर कर की वसूली है। इस वक्तव्य से प्रश्न समाप्त हो जाना चाहिए।

माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछकर इसको अब समाप्त करें।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मेरा प्रश्न यह है। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि कर वसूली की स्थिति में सुधार हुआ है और करों की बकाया राशि पहले की अपेक्षा बहुत कम है, अतएव मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस अवधि में कितनी राशि को बट्टेखाते में डाला है क्योंकि ऐसा करके भी वे करों की कम बकाया राशि दिखा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय इस बात को जानते हैं तो वे उत्तर दे सकते हैं। उनको इस प्रकार तैयार होकर आना चाहिए मानो वह परीक्षा देने जा रहे हों।

श्री के० आर० गणेश : मैं एक बात कहना चाहता हूं...

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको गलत नहीं बता रहा हूं...

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं...

अध्यक्ष महोदय : तब वे अपनी बात कहें। मैं दूसरा प्रश्न पूछने की अभी अनुमति नहीं दूंगा। कृपया वे अपनी बात कहें और जो सूचना उनके पास है वह माननीय सदस्य को बताएँ।

श्री के० आर० गणेश : श्रीमन्, आपने कहा है कि मुझे तैयार होकर आना चाहिए। मैं तैयार होकर आया हूं। बट्टेखाते में डाले गए वास्तविक धनराशि के बारे में पूछे गए उनके प्रश्न के उत्तर के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि कर निर्धारितियों के 9730 मामलों को बट्टेखाते में डाला गया जिनकी राशि 2.38 करोड़ रुपये थी...

श्री ज्योतिर्मय बसु : निगम क्षेत्र में यह राशि कितनी है ?

श्री के० आर० गणेश : कृपया मुझे प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। वर्ष 1970-71 में 13,662 मामलों को बट्टेखाते में डाला गया जिनकी राशि लगभग 5 करोड़ रुपये थी, वर्ष 1971-72 में 13,776 मामलों को बट्टेखाते में डाला गया जिनकी राशि 4 करोड़ रुपये से अधिक थी। मैं इन मामलों में इन्हें बट्टेखाते में डालने के कारणों को बता सकता हूं...

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमने यह प्रश्न नहीं पूछा है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हमने यह सूचना नहीं माँगी है तब वे क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं ?

श्री के० आर० गणेश : बिना इसके उत्तर पूरा नहीं होगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय सदस्य ने केवल आंकड़े पूछे हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में दावा किया है कि करों की वसूली की स्थिति में सुधार हुआ है । क्या मैं जान सकता हूं कि वे अपने वक्तव्य की पुष्टि कैसे करते हैं जबकि उनके पास पिछले वर्षों के आंकड़े नहीं हैं ? क्या वह बता सकते हैं कि पिछले वर्ष कर की बकाया राशि कितनी थी जिसके साथ तुलना करके वह कह सकते हैं कि इसमें सुधार हुआ है अथवा सुधार केवल बट्टेखाते के कारण ही हुआ है ?

श्री के० आर० गणेश : मैं माननीय सदस्य को वर्ष 1967-68 से लेकर 1971-72 तक वसूल की गई राशि की जानकारी दूंगा, वर्ष 1967-68 में कर वसूली 636.40 करोड़ रुपये थी ।

श्री भागवत झा आजाद : केवल वसूल की गई कुल राशि ?

श्री के० आर० गणेश : मैं कुल वसूली के बारे में बता रहा हूं । यदि एक पृथक प्रश्न पूछा जाय तो मैं प्रतिशतता भी बता सकता हूं । वर्ष 1967-68 में कर वसूली 636.40 करोड़ रुपये थी । 1968-69 में 678.24 करोड़ रुपये तथा 1970-71 में 839.4 करोड़ रुपये और 1971-72 में 1,002.57 करोड़ रुपये ।

श्री भागवत झा आजाद : इसका कोई अर्थ नहीं है । कुछ करोड़ और बताने का कोई मतलब नहीं । इस बात को जानने के लिए कि क्या कोई सुधार हुआ है या नहीं, हमें जानना चाहिए कि कर की कुल बकाया राशि की तुलना में इसका क्या अनुपात है ?

श्री रामगोपाल रेड्डी : कर की बकाया राशि को बट्टेखाते में डालने का आधार क्या है ?

श्री के० आर० गणेश : ये आधार हैं : जब कर निर्धारिती आस्तियाँ छोड़े बिना मर जाते हैं तो निर्धारिती कम्पनियों का दिवाला निकल जाता है; निर्धारिती दिवालिया हो जाता है; निर्धारिती का पता नहीं चलता है, निर्धारिती भारत छोड़कर चले जाते हैं; निर्धारितियों के पास कुर्की योग्य आस्तियां नहीं होती हैं ; फिर, निर्धारितियों के साथ समझौते के फलस्वरूप राशियों को बट्टेखाते में डाल दिया जाता है ; और दोहरी मांगों, गलत मांगों, सुरक्षात्मक आदि मांगों जैसी उत्तरकालीन जानकारी के आधार पर अदेय पायी जाने वाली माँगों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही किया जाता है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : ऐसे निर्धारितियों की संख्या कितनी है जिनसे पांच वर्ष से भी अधिक समय से वसूली नहीं की गयी है ? क्या सरकार ऐसे निर्धारितियों के नाम बताने वाली एक सूची सभा-पटल पर रखेगी ?

श्री के० आर० गणेश : यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उसे सभा-पटल पर रख सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । हमने इस पर आधा घण्टा खर्च कर दिया है ।

चालू वर्ष के दौरान निर्यात में वृद्धि

*163. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में निर्यात बढ़ा है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) निर्यात में यह वृद्धि बनाए रखने के लिए क्या उपाय सोचे गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) 1972-73 के प्रथम पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त) के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि के निर्यातों की अपेक्षा पुर्ननिर्यात सहित निर्यातों में 116.5 करोड़ रु० की वृद्धि हुई थी ।

(ग) निर्यातों को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं : विदेशी बाजारों का पता लगाना, निर्यात बेशियों का सृजन और निर्यात उत्पादन में वृद्धि करना सतत कार्यक्रम हैं । निर्यातों की प्रवृत्तियों पर पूर्ण निगरानी रखी जाती है और जैसे ही और जब भी आवश्यकता होती है, समुचित कार्यवाही की जाती है ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या निर्यात की इस वृद्धि में बंगलादेश को किया गया निर्यात भी शामिल है ?

श्री एल० एन० मिश्र : जी हां । बंगलादेश को किया गया निर्यात भी उसमें शामिल है, और भी अन्य कई देश हैं जिनको हमारे निर्यात में वृद्धि हुई है ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : यह विदेशी मुद्रा का अर्जन नहीं है ।

श्री एल० एन० मिश्र : बंगलादेश के साथ हमारा व्यापार दुर्लभ-मुद्रा के आधार पर है । केवल बात यह है कि हमने उनको 200 करोड़ रुपये का ऋण पहले दिया है और 25 करोड़ रुपये का बाद में । बंगलादेश को हम अपने निर्यात योग्य फालतू माल का निर्यात करते हैं । इसलिए, बंगलादेश को किये जाने वाले निर्यात का इसी में उल्लेख करना होगा । यह एक बाहरी देश है और सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न है । यह ठीक है कि यह ऋण के आधार पर है लेकिन हम यह कैसे कह सकते हैं कि यह निर्यात नहीं है । अगर हम इन वस्तुओं का बंगलादेश को निर्यात न करते तो हमने इनका निर्यात अन्य देशों को किया होता जिनसे इनके लिए मांग है । पूर्वी यूरोपीय देशों तथा एशिया के कुछ विकासशील देशों को इनका निर्यात करने की बजाय हमने बंगलादेश को इनका निर्यात किया है । कोई नकद भुगतान नहीं किया जाता क्योंकि जैसा मैंने कहा हमने उनको ऋण दिया है । यह ऋण मार्च अथवा अप्रैल में दिया गया था । अधिक-से-अधिक आप यह कह सकते हैं कि यह ऋण के आधार पर है ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : मंत्री महोदय कहते हैं कि अगर हमने बंगलादेश को निर्यात न किया होता तो अन्य देशों को करते और विदेशी मुद्रा अर्जित होती। वे कौनसी वस्तुएं हैं जिनका वे अन्य देशों को निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करते ? दूसरे, क्या किये गये मदवार निर्यात में उसकी प्रतिशतता, मात्रा तथा अन्तर्ग्रस्त राशि में वृद्धि हुई है ? क्या वे तत्सम्बन्धी ब्यौरा दे सकते हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैं कुल निर्यात के बारे में मूल प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं। उसी अवधि में गत वर्ष की तुलना में, कुल 116 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। जिन मदों के निर्यात में वृद्धि हुई है उनका विवरण दे सकता हूं। बंगलादेश के बारे में आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। अगर माननीय सदस्य जानना ही चाहते हैं तो मैं बाद में बता सकता हूं। जिन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है वे हैं : काजू की गिरी, इंजीनियरी का सामान, कमाया हुआ चमड़ा तथा खालें, तैयार चमड़ा, मछली, खली, मोती तथा मूल्यवान पत्थर, सूती कपड़े, सूती धागे आदि।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : देशों के नाम नहीं बताये गये हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : देश कोई भी हो सकते हैं—पूर्वी यूरोपीय देश, एशिया अथवा लैटिन अमरीका के विकासशील देश। यह बात आर्डरों पर निर्भर करती है।

अध्यक्ष महोदय : आप यह जानकारी बाद में दे सकते हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : बंगलादेश सम्बन्धी जानकारी मैं सभा-पटल पर रख दूंगा।

श्री सोमचन्द सोलंकी : मैं जानना चाहता हूं कि गैर-पारम्परिक वस्तुओं के निर्यात की प्रतिशतता कितनी है तथा क्या सरकार उत्पादन हेतु देशी क्षमता का विस्तार कर रही है ?

श्री एल० एन० मिश्र : गैर-पारम्परिक मदों के बारे में सूक्ष्म आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। आज प्रातः मैंने कागजात देखे और पाया कि लगभग 20 प्रतिशत निर्यात गैर-पारम्परिक मदों का था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है ? रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया के आंकड़े क्या हैं और आपके मंत्रालय के आंकड़ों की तुलना में ये कैसे हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जो आंकड़े बता रहा हूं वे हमारे मंत्रालय के आंकड़े हैं। मेरे पास रिजर्व बैंक के आंकड़े नहीं हैं। अगर इनमें कोई अन्तर है तो श्री बसु से मेरा अनुरोध है कि वे मुझे बता दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अगर वे ऐसा कहते हैं कि विदेश व्यापार जैसे इतने बड़े मंत्रालय के पास ये आंकड़े नहीं हैं तो वे टालने का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि इन आंकड़ों में बड़ा अन्तर है··· **(व्यवधान)** रिजर्व बैंक ने सही आंकड़े दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे कुछ पूछ रहे हैं और वे बड़ी नम्रता के साथ अपनी अनवगतता प्रकट करते हुए आपसे जानकारी देने के लिए कह रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं कहता हूं कि वे इससे अवगत हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति देता हूं कि जो अन्तर है उसे आप अभी उनको बता दें। यदि आप मंत्री महोदय से अति मानव होने की आशा रखते हैं तो आप भी यह कार्य अभी कर सकते हैं। कृपया अन्तर अभी उनको बतावें···

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं बता दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप यह कह रहे हैं कि उनको इसका ज्ञान है। आप ही उनको अन्तर क्यों नहीं बता देते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आज दोपहर बाद मैं उनको बता दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वे भी दोपहर बाद बता देंगे। मैं आपके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं बता रहा हूं कि इन आंकड़ों में पर्याप्त अन्तर है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस सम्बन्ध में अपनी स्मृति पर भरोसा नहीं कर सकते तो उनसे क्यों पूछ रहे हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे कर-दाता की कीमत पर एक बड़ा सचिवालय बनाये हुए हैं। आप ऐसा सुझाव मुझे कैसे दे सकते हैं ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या रिजर्व बैंक के आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं ? यह एक अजीब बात हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं जानना चाहता हूं कि रुपयों में भुगतान करने वाले देशों तथा डालर में भुगतान करने वाले देशों को कितने मूल्य का निर्यात किया गया तथा उसमें किस अनुपात में वृद्धि हुई ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैं श्री ज्योतिर्मय बसु के प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं परन्तु एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गत वर्ष रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार हमारे निर्यात में 5 से 6 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। विश्व बैंक के भी यही आंकड़े थे। अतः किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं था। कुछ लोग हमारे निर्यात आंकड़ों से सहमत नहीं हैं, परन्तु हमारे आर्थिक परामर्शदाता ने हमें यही परामर्श दिया है कि बंगलादेश को निर्यात करना भी उतना ही लाभप्रद है, जितना कि किसी अन्य देश को।

पूर्व यूरोपीय देशों को हमारे निर्यात में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 1960-61 में समाजवादी देशों को हमारा निर्यात 8·7 प्रतिशत रहा। इस वर्ष हमारा निर्यात 20 प्रतिशत है। 10 वर्ष की अवधि में दुगने से भी अधिक हो गया है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या में भी परि-

वर्तन आया है। समाजवादी तथा विकासशील देशों को हमारे निर्यात में वृद्धि हो रही है, विकसित देशों को हमारे निर्यात में कमी आयी है।

श्रीमती मायाराय : क्या मंत्री महोदय, यदि उनके पास आंकड़े उपलब्ध हैं तो हमें यह बतायेंगे कि बंगला देश को किये गये निर्यात में पश्चिम-बंगाल से कितना निर्यात किया गया है ?

श्री एल० एन० मिश्र : मेरे पास राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या निर्माण के आंकड़ों में बंगला देश को निर्यात किया गया खाद्यान्न भी सम्मिलित है ?

श्री एल० एन० मिश्र : खाद्यान्नों की कुछ मात्रा सहायता के रूप में दी जाती है और कुछ बेची जाती है। बेचा जाने वाला खाद्यान्न निर्यात के आंकड़ों में सम्मिलित है।

Shri Bibhuti Mishra : Our export goods were being smuggled to Nepal. We have concluded a trade agreement with Nepal. May I know the extent to which smuggling to Nepal has been checked ?

Shri L. N. Mishra : It is difficult to say about the quantum of smuggling in the past as also the extent to which it has been checked now. I would like to point out as the Hon. Member hails from that part of the country, that inspite of the treaty, jute is still being smuggled into Nepal.

मुहम्मद खुदाबख्श : क्या निर्यात संवर्धन आयात लाइसेंसों के रूप में अभी भी प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं, यदि हां, तो क्या आयात नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत मंगाई जाने वाली वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ?

श्री एल० एन० मिश्र : इसके लिए आप कृपया लाल पुस्तक, जो प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होती है तथा सदन के ग्रंथालय में रखी हुई है, देख सकते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know the extent of profit or loss in our imports as compared to the goods we export to other countries ?

Shri L. N. Mishra : We have got separate figures for every year. Sometimes it is in deficit and sometimes it is in surplus. In the year 1968-69 our import was to the extent of 1909 crores of rupees whereas we exported goods to the tune of Rs. 1358 crores and thus there was a deficit of Rs. 551 crores. In the year 1969-70 we imported goods worth about 1583 crores of rupees whereas we exported to the extent of Rs. 1413 crores and thus the deficit was of Rs. 171 crores. In 1970-71 we made import worth Rs. 1634 crores as compared to the export of Rs. 1535 crores and thus the deficit was reduced from 551 crores to 99 crores. In 1971-72 we have imported goods of the value of Rs. 1812 crores and exported to the value of 1607 crores and thus suffered a deficit of Rs. 205 crores. But by the end of this September our import has been limited to Rs. 852 crores against the export of Rs. 916 crores and thus we have a surplus of Rs. 64 crores.

शेयरों के सौदे के बारे में वांचू समिति की सिफारिश

*165. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी वांचू समिति की यह सिफारिश स्वीकार करने का है कि कम्पनियों के शेयरों के सौदों का उल्लेख उनके सन्तुलन-पत्रों में होना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की आशा है; और

(ग) यह प्रस्ताव शेयरधारियों पर कब तक लागू किया जायगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) इस सम्बन्ध में वांचू समिति की सिफारिश यह है कि निवेश, महाजनी और वित्त कम्पनियों को छोड़कर अन्य कम्पनियों द्वारा शेयरों के सम्बन्ध में किए गए सौदों के परिणामों को उसी प्रकार माना जाना चाहिए जिस प्रकार कि सट्टा-व्यापार को माना जाता है । समिति की सिफारिश पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पी० एम० मेहता : क्या कम्पनी कार्य विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कम्पनियों द्वारा शेयरों के सौदों का विवरण उनके तुलन-पत्रों में देने से शेयरों के सौदों की अनियमिततायें रुक जायेंगी ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक करेगी ?

श्री के० आर० गणेश : कम्पनी कार्य विभाग इस प्रश्न पर विचार कर रहा है । सम्बद्ध मन्त्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति में भी यह प्रश्न उठाया गया था । यह प्रश्न अभी भी विचाराधीन है ।

श्री पी० एम० मेहता : क्या कम्पनी कार्य विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कम्पनियों द्वारा शेयरों के सौदों का उल्लेख उनके तुलनपत्रों में करने से शेयरों के सौदों सम्बन्धी अनियमितायें समाप्त हो जायेंगी ? मन्त्री महोदय हाँ, या नहीं में उत्तर दें ।

श्री के० आर० गणेश : हां, कम्पनी कार्य विभाग का यही मत है ।

श्री पी० एम० मेहता : क्या विभाग का विचार है कि इन प्रस्तावों को पूंजीनिवेश कम्पनियों पर भी लागू किया जाये क्योंकि ये कम्पनियां बड़े उद्योग गृहों की हैं और ऐसे सौदों के लिए ये उनके यन्त्रों के रूप में कार्य करती हैं ?

श्री के० आर० गणेश : जहां तक वांचू समिति की सिफारिशों का सम्बन्ध है, यह सिफारिश की गई है कि ये प्रस्ताव पूंजी निवेश कम्पनियों, बैंकिंग कम्पनियों तथा वित्तीय कम्पनियों पर लागू नहीं किये जाने चाहिएँ ।

श्री पी० एम० मेहता : विभाग का क्या मत है ?

श्री के० आर० गणेश : यदि आप कम्पनी कार्य विभाग का मत जानना चाहते हैं तो यह प्रश्न उसी विभाग से पूछा जा सकता है ।

श्री माधुर्य्य हालदार : वांचू समिति के दो प्रतिवेदन हैं—अन्तरिम तथा अन्तिम । मन्त्री महोदय ने एक प्रतिवेदन का संदर्भ दिया है । वांचू समिति के दूसरे प्रतिवेदन की सिफारिशों को कार्यरूप देने के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

श्री के० आर० गणेश : आपने वांचू समिति के दो प्रतिवेदनों के बारे में कहा है । यह बात यहां कई बार स्पष्ट की गई है । वांचू समिति का केवल एक ही प्रतिवेदन है, जो सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : दूसरे प्रतिवेदन की प्रामाणिक प्रति भी सदन के पटल पर प्रस्तुत की गयी थी ।

श्री के० आर० गणेश : वांचू समिति के अन्तिम प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत की गयी है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि यह अन्तिम प्रतिवेदन है तो अन्तरिम कहां है ? क्या मन्त्री महोदय इस बात से इन्कार करना चाहते हैं कि वांचू समिति ने अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ?

श्री के० आर० गणेश : माननीय वित्त मन्त्री ने सदन में घोषणा की थी कि वांचू समिति ने एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । सरकार ने अन्तरिम प्रतिवेदन पर विचार किया और उस पर कुछ निर्णय किये । यह बात सदन में बता दी गयी है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मन्त्री महोदय ने थोड़ी देर पहले कहा था कि समिति का केवल एक ही प्रतिवेदन है । अब वह कहते हैं कि प्रतिवेदन दो हैं । इन दोनों बातों में किस प्रकार समन्वय किया जा सकता है ।

श्री के० आर० गणेश : सभा-पटल पर केवल एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : शेयर सौदों का संदर्भ किस प्रतिवेदन में है ?

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि वह कौन-से प्रतिवेदन का संदर्भ दे रहे हैं । उन्होंने बताया है कि वित्त मन्त्री ने सदन में कोई घोषणा की थी । उन्होंने कौन-से प्रतिवेदन का उल्लेख किया था ?

श्री के० आर० गणेश : जैसा कि मैंने बताया है, वित्त मन्त्री ने बताया था कि समिति ने अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और सरकार ने उस पर कुछ निर्णय किये। सरकार ने अन्तरिम प्रतिवेदन को सदन के पटल पर प्रस्तुत करना उचित नहीं समझा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मन्त्री महोदय ने बताया है कि सदन के पटल पर केवल एक ही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। वास्तव में सदन के पटल पर दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। आप रिकार्ड देख सकते हैं। वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

चौथी योजना में पर्यटन विकास के सम्बन्ध में देश में प्राप्त किए गये लक्ष्य

*171. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चौथी पंचवर्षीय याजना के दौरान पर्यटन विकास के लिए निश्चित धनराशि वास्तव में खर्च की जा चुकी है तथा लक्ष्य प्राप्त कर लिए गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो लक्ष्यों को प्राप्त न करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) ऐसी आशा की जाती है कि कहीं-कहीं छोटी-मोटी कमी-बेशी को छोड़कर चौथी योजना-वधि में पर्यटन के विकास के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग तथा लक्ष्यों को अधिकांशतया पूरा कर लिया जायेगा ।

Shri Nawal Kishore Sharma : Sir, I wanted to know whether the targets fixed for the Fourth Plan have been achieved ? It has been replied that harring marginal shortfalls the targets will be achieved. In this context may I know in details the progress achieved regarding funds as well as in realizing the physical targets ?

डा० सरोजिनी महिषी : क्या आप राज्यवार आंकड़े चाहते हैं अथवा केन्द्र द्वारा व्यय की गई राशि का ब्यौरा ?

श्री नवलकिशोर शर्मा : जो भी आप बताना चाहें।

डा० सरोजिनी महिषी : पर्यटन राज्य का विषय है। भारत सरकार का पर्यटन विभाग उसमें पूँजीनिवेश करता है। भारतीय पर्यटन विकास निगम भी उसमें पूँजी लगाता है, राज्य सरकारें भी उसमें पूँजी लगाती हैं। हमें जो परिणाम उपलब्ध होता है, वह इन तीनों संगठनों के एक साथ मिलकर किये गये प्रयासों का परिणाम होता है। अतः क्या माननीय सदस्य यह सभी ब्यौरा चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप माननीय सदस्यों के लाभ के लिए कोई परिपत्र तैयार करें ।

श्री नवलकिशोर शर्मा : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न यह है कि कितनी धनराशि व्यय की गई तथा कितनी प्राप्त की गई । यह बताना सरल है कि कितनी धनराशि व्यय की गई परन्तु लक्ष्यों का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है ।

डा० सरोजिनी महिषी : हमने पर्यटन विभाग की ओर से $5\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की राशि व्यय की है और शेष राशि चौथी योजना की शेष अवधि में व्यय किये जाने की आशा है ।

Shri Nawal Kishore Sharma : I wanted to know the targets of the Plan during these three years. I had asked about it but did not get any reply. I want to know as to what has been your achievement during these years regarding the targets on which money was to be spent and all the tourists were to be attracted from the country as well as from abroad.

डा० सरोजिनी महिषी : वर्षवार, व्यय में छोटी-मोटी कमी रही हैं परन्तु गत तीन वर्षों में इन कमियों को पूरा कर लिया गया है ।

श्री नवलकिशोर शर्मा : कृपया विस्तार से बताइये ।

डा० सरोजिनी महिषी : प्रशासनात्मक विलम्ब तथा राज्य सरकारों द्वारा किये गये विलम्बों के कारण कुछ परियोजनायें पूरी नहीं होती थीं और शेष कार्य अगले वर्ष में पूरा करने के लिए रख दिया जाता था । गत तीन वर्षों के दौरान कार्य निष्पादन संतोषप्रद रहा है ।

श्री नवलकिशोर शर्मा : मेरा प्रश्न बिलकुल स्पष्ट है ।

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी प्रश्न के क्षेत्र से अधिक जानकारी देनी पड़ती है । जब ऐसा करने की अनुमति होती है तब जो कुछ बताया जाता है उस सभी को ग्रहण किया जाना चाहिए । यदि यह असम्भव है तब आप विरोध कर सकते हैं । आप सदैव ही मंत्री को कठिनाई में डालने का प्रयत्न न करें । मंत्री उत्तर देने के लिए हैं, उलझन में डालने के लिए नहीं ।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि दार्जिलिंग में टूरिस्ट लॉज का विस्तार करने तथा युवकों के लिए होस्टल बनाने के लिए केन्द्रीय निधि आवंटित की गई थी, और यदि हां, तो कितनी राशि आवंटित की गई थी और योजना को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ।

डा० सरोजिनी महिषी : इसके लिए अनुमानत: 10 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी । जैसा कि माननीय सदस्य को पता है, विलम्ब का कारण पश्चिमी बंगाल की वर्ष 1967-68 और 1969 की कठिनाइयाँ हैं । हम इस बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा स्थान के आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

भारत और मिस्र के बीच व्यापार करार

+

*174. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मिस्र के बीच वर्तमान व्यापार करारों के कारण दोनों देशों में व्यापार असन्तुलन पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारत तथा मिस्र के अरब गणराज्य के बीच चालू व्यापार करार, जो कि 1 अक्तूबर, 1972 से 30 सितम्बर, 1973 तक की अवधि के लिए है, में भारत से निर्यात तथा मिस्र से आयात दोनों ही क्रमश: 3.16 करोड़ रुपये के होने की व्यवस्था है । द्विपक्षीय व्यापार में अस्थायी असन्तुलन अपरिहार्य होते हैं । स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है और अपने निर्यातों को बनाये रखने की आवश्यकता का उचित ध्यान रखते हुए अधिक असन्तुलन को रोकने की दृष्टि से समय-समय पर समुचित उपाय किये जाते हैं । यदि किसी व्यापार योजना की समाप्ति पर कुछ असन्तुलन रहते हैं तो बाद के वर्ष के लिए संतुलित व्यापार योजना तैयार करने के लिए उन्हें आगे ले जाया जाता है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : विवरण में यह बताया गया है कि इस करार की अवधि में अथवा बाद के करारों के अन्तर्गत यदि काई असंतुलन हैं तो उनको दूर किया जाएगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस करार में जो समाप्त होने जा रहा है, वास्तव में कोई असंतुलन है ।

श्री ए० सी० जार्ज : कुछ असंतुलन था जिसकी 23 सितम्बर, 1972 में हुए करार में दिये गये उपायों में व्यवस्था की गई थी । इस करार में इस असंतुलन को दूर करने का उपबन्ध पहले ही किया गया है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या वह आंकड़े नहीं बता सकते ?

श्री ए० सी० जार्ज : मेरे विचार से वास्तविक आंकड़े देना लोकहित में नहीं होगा ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : गणना महीनेवार की जाती है अथवा वर्ष में एक बार या दो बार ?

श्री ए० सी० जार्ज : असंतुलन की त्रैमासिक गणना की जाती है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह नहीं समझ पाया कि इसमें ऐसी कौन-सी बात है जो लोक-हित में नहीं होगी ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसी जानकारी देना लोकहित के प्रतिकूल नहीं है । सभा में ऐसी जानकारी दी जाती रही है । एक देश के बारे में ही यह अपवाद क्यों रखा जाय ?

श्री ए० सी० जार्ज : चूँकि दोनों देशों के बीच बड़े नाजुक मामले पर बातचीत हुई थी, अत: मैंने सोचा···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : करार हो चुका है । इस समय कोई बातचीत नहीं की जा रही है । क्या मंत्री महोदय का यह आशय है कि बातचीत अभी हो रही है ? संसद को यह जानकारी पाने का अधिकार है, इसमें लोकहित सम्बन्धी कोई बात नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह क्या बात है कि मंत्री महोदय को विश्वसनीय समझा जाता है तथा हमें अविश्वसनीय समझा जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय···

श्री ए० सी० जार्ज : मैं आंकड़े दे सकता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : जब लोकहित का प्रश्न है तो आपको पहली जानकारी भी देनी होगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपके विनिर्णय पर प्रसन्न हूँ ।

श्री ए० सी० जार्ज : यदि आप इसकी अनुमति देते हैं···

अध्यक्ष महोदय : इसमें लोकहित सम्बन्धी कोई बात नहीं है ।

श्री ए० सी० जार्ज : यदि आपका यह विनिर्णय है तो मैं आंकड़े प्रस्तुत करता हूँ । बकाया राशि 6·90 करोड़ रुपया है ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : संयुक्त अरब गणराज्य के साथ हुए हमारे द्विपक्षीय व्यापार करारों के मामले में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हम अब भी वहाँ से रुई का आयात कर रहे हैं, यदि हां, तो कितने मूल्य की रुई का आयात किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस समय असंगत है ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : द्विपक्षीय व्यापार करार में रुई का आयात भी सम्मिलित है । मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या हम अब भी रुई का आयात कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता । इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

भारत में निजी कारोबार को अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का आश्वासन

+

*175. **श्री पी० गंगा देव** :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने लगातार दूसरे वर्ष 1971-72 के दौरान भारत को

कोई आश्वासन नहीं दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे पहले वित्त निगम ने भारत में निजी कारोबार को कुल 420 लाख डालर के आश्वासन दिये थे; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1971-72 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा कोई आश्वासन न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए राजी है। इसके कारोबार के सीमित रहने का कारण इसके वित्त की लागत तथा ठोस प्रस्तावों का होना है जिनके लिए निगम निवेश कर सके।

श्री पी० गंगादेव : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या भारत का निजी क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से सहायता लेने का अनिच्छुक है। चाहे वह सीमित ही क्यों न हो ; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री के० आर० गणेश : अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ब्याज आदि अधिक लेता है। इसीलिए उससे सहायता लेने में रुचि नहीं रखते।

श्री पी० गंगादेव : गत दो वर्षों में किन मुख्य क्षेत्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से सहायता प्राप्त की ?

श्री के० आर० गणेश : अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम ने जिन विभिन्न कम्पनियों में पूँजी लगाई है उनकी सूची मेरे पास है तथा मैं इसे सभा-पटल पर रख सकता हूँ।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में संकट तथा कुछ देशों में गैर-सरकारी उद्यमों के राष्ट्रीयकरण के कारण गैर-सरकारी पूँजी निवेशकर्ताओं के लिए वर्ष 1971-72 का समय कठिन रहा ? क्या यह भी सच है कि उसी प्रतिवेदन में कहा गया है कि "कुछ देशों में गैर-सरकारी उद्यमों को प्रोत्साहन नहीं मिलता ?" यदि हां, तो क्या गत दो वर्षों में कोई सहायता न लिये जाने का यही कारण है ?

श्री के० आर० गणेश : जैसा कि मैं पहले संकेत दे चुका हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता महंगी पड़ती है तथा चूँकि अन्य संस्थानों से सहायता उपलब्ध है इसीलिए इस देश में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से सहायता नहीं ली जाती। इसके अतिरिक्त हमें आई० डी० बी० से आसान शर्तों पर ऋण मिला है। जापान, ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी से द्विपक्षीय ऋण उपलब्ध है।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने राष्ट्रीयकरण के बारे में किया है। निस्संदेह कुछ विदेशी एजेंसियों की ऐसी राय हो सकती है। किन्तु हमारे देश की नीति उन्हीं आर्थिक लक्ष्यों और नीतियों के आधार पर निर्धारित की जाएगी जो हम निर्धारित कर चुके हैं।

श्री समर गुह : क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार के माध्यम से आवेदन-पत्र देने पड़ते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से ऋण लेने के लिए सरकार ने यह शर्त लगाई है ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सरकार के पास कितने प्रार्थना-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ?

श्री के० आर० गणेश : मैं उनकी संख्या बता सकता हूँ। यदि कोई आवेदन-पत्र पड़े हैं, तो मैं उनके आंकड़े प्रस्तुत कर दूँगा।

श्री समर गुह : प्रश्न के पहले भाग का क्या उत्तर है ?

श्री के० आर० गणेश : सरकार के माध्यम से आवेदन-पत्र देना आवश्यक नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Mechanical Engineers from Madhya Pradesh Working on Deputation in Central Public Sector Establishments in the State

*162. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of Mechanical Engineers of Madhya Pradesh taken on deputation in the Central Public Sector Establishments located in the State during the last three years and the percentage thereof in those establishments ; and

(b) the action being taken by the Central Government to appoint on deputation Mechanical Engineers of Madhya Pradesh in the public sector establishments in greater number ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) Government do not maintain information regarding the number of Mechanical Engineers or other officers belonging to diffierent States employed in the Central Government undertakings. Government consider that it would not be in the interest of national integration to collect such information.

2. In any case, the recruitment policy for Public Enterprises in general, including those situated in Madhya Pradesh is designed to ensure that the local population gets due share in the employment potential generated in the public sector undertakings, particularly in the lower posts ; it is stipulated at the same time that the recruitment for the middle level and for the senior posts will be made on an All-India basis, taking into account merit and qualifications. In order to enforce the accepted policy of giving preference to local people

in regard to appointment in the lower posts, instructions have been issued to the public sector undertakings to recruit their staff against posts carrying a basic salary of not more than Rs. 500/- p.m. only through National Employment Service. Other sources of recruitment for such posts are to be tapped only if Employment Exchanges issue "non-availability certificate."

3. It is also a fact that one of the essential ingredients of the personnel policies of the Central Government enterprises is to reduce their dependence on deputationists for manning posts under them. As regards deputationists from Central Government services to Central Government undertakings, the policy is that they will have to exercise an option, either to get themselves permanently absorbed in the enterprises where they are working or to revert to their parent cadres. within specified time limits. Subject to the overriding consideration of the need for reducing dependence on the services of deputationists, the Central Government undertakings located in Madhya Pradesh State place indents on the Madhya Pradesh State Government for the services of deputationist—Mechanical Engineers from that Government, as and when necessary.

विविध व्यय आदेश का रद्द किया जाना

*164. **श्री गिरिधर गोमांगो** :
श्री वी० मायावन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने विविध व्यय आदेश को रद्द करने का सुझाव दिया है जिसके अन्तर्गत विदेश यात्रा करने वाले विमान-यात्रियों को बस या रेल से की जाने वाली यात्रा के लिए व्यय दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो किस उद्देश्य को लेकर यह सुझाव दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं, लेकिन इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई की जा रही है कि एयर लाइनों (हवाई कम्पनियों) द्वारा विविध व्यय आदेश संबंधित विनियमों के अनुसार ही जारी किए जाएं ताकि सैर-सपाटे के मिले-जुले (पैकेज) पर्यटनों आदि की लागत के किसी भाग की पूर्ति करने के लिए, इस सुविधा के सम्भाव्य दुरुपयोग को रोका जा सके क्योंकि विविध व्यय आदेश जारी करने का आशय इसकी पूर्ति करना नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की दिल्ली और नई दिल्ली की स्थानीय शाखाओं में की गयी अनियमितताएं

*166. **श्री भोला मांझी** :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया के अधिकारियों और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के

इन्स्पैक्टरों ने स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की दिल्ली और नई दिल्ली की स्थानीय शाखाओं में हुई धोखाधड़ी, जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं के आरोपों की जांच की थी; और

(ख) यदि हां, तो जांच के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

यह सूचना मिली है कि भारतीय स्टेट बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के जालसाजी के तीन मामलों—जिनमें एक चांदनी-चौक शाखा का था और दो मामले नई दिल्ली शाखा के थे तथा चांदनीचौक, नई दिल्ली और न्यू रोहतक रोड स्थित शाखाओं—के कार्य में कुछ अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट भी लगभग उसी प्रकार की है ।

जहाँ जक चांदनीचौक शाखा में जालसाजी का सम्बन्ध है, बैंक ने स्थानीय पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज करवायी थी और संघटक फर्म के विरुद्ध फौजदारी का एक मामला विचाराधीन है । बैंक सम्बद्ध फर्म के विरुद्ध एक दीवानी मुक़दमा दायर करने के लिए भी कदम उठा रहा है । बैंक ने सूचना दी है कि सम्बद्ध कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई फौजदारी मामले का निर्णय होने तक के लिए रोक ली गयी है । नयी दिल्ली शाखा में जालसाजी के दो मामलों के सम्बन्ध में बैंक ने सूचना दी है कि एक मामले के सम्बन्ध में पुलिस की अपराध शाखा के पास शिकायत दर्ज करवा दी गयी थी और फौजदारी का मामला न्यायालय में विचाराधीन है । जाल-साजी के दूसरे मामले के सम्बन्ध में सम्बद्ध कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर ली गयी है ।

बैंक ने यह भी सूचना दी है कि वह सम्भव सीमा तक न्यू रोहतक रोड शाखा में लघु उद्योगों से सम्बन्धित विभिन्न खातों के सम्बन्ध में बकाया रकमों को वसूल करने के लिए कदम उठा रहा है । रिपोर्ट में बतायी गयी अन्य अनियमितताओं के बारे में बैंक ने यह कहा है कि वह उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई कर रहा है ।

चिट फंडों में रुपया लगाकर आयकर का अपवंचन करना

*167. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **वित्त** मंत्री 18 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2604 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में कौन-कौन-सी चिट फंड कम्पनियाँ चल रही हैं ;

(ख) क्या उनको पता है कि ये कम्पनियाँ तथा ग्राहक चिट की राशि की नीलामी के

परिणामस्वरूप भारी मुनाफा कमाते हैं परन्तु उन पर आयकर लागू नहीं होता और आयकर की अदायगी नहीं की जा रही है ;

(ग) क्या इन चिट फंडों के रूप में काले धन का काफी मात्रा में निवेश किया जा रहा है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन चिट फंडों में निवेश के परिणामस्वरूप आयकर के अपवंचन की जांच करने तथा यदि आवश्यक हो तो कानून में संशोधन करने हेतु उचित कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में चल रही सभी चिट फंड कम्पनियों के नाम प्राप्त किये जा रहे हैं और उन्हें सदन की मेज पर रख दिया जाएगा । तथापि, इस प्रकार की कम्पनियों की, जिनका कर-निर्धारण दिल्ली में किया जाता है, एक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०**-3785/72]

(ख) चिट फंड कम्पनियों तथा अंशदानकर्त्ताओं द्वारा अर्जित लाभ पर कर लगाया जाता है । जहां कहीं कर-अपवंचन किये जाने का संदेह होता है वहां जांच पड़ताल की जाती है ।

(ग) चिट फंडों में लेखा-बाह्य धन का निवेश किये जाने के कुछ उदाहरण जानकारी में आये हैं और उन पर कर लगाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई है ।

(घ) इस मामले में, चिट फंड कम्पनियों तथा उनमें निवेश करने वाले व्यक्तियों अथवा ऐसी कम्पनियों की चिटों में अंशदान करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में कर-निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही के दौरान जांच-पड़ताल की जा रही है । इसके लिए आयकर कानून में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है ।

एशिया '72 मेले के दौरान पर्यटक केन्द्रों में आवास समस्या को हल करने के लिए कार्यवाही

*168. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया 72 मेले के दौरान पर्यटक केन्द्रों में आवास समस्या को हल करने के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम उठाए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) देश भर में पर्यटन केन्द्रों पर अच्छे होटल आवास की सामान्यतया कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने होटलों में पूंजी विनियोजन के लिए निजी क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहनों की घोषणा

की है तथा इसके सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योगों द्वारा भी होटल निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया है। जहां तक दिल्ली में आयोजित 'एशिया 72' मेले में आने वाले दर्शकों के लिए आवास की समस्या का सम्बन्ध है, कस्तूरबागांधी मार्ग और टैगोर रोड के होस्टलों में खान-पान प्रबन्ध से युक्त एवं पूर्णतया सज्जित 64 सिंगल रूम वाले और 64 डबल रूम वाले अपार्टमेंट उपलब्ध कराये गये हैं। 94 असज्जित क्वार्टरों की व्यवस्था करके सस्ते आवास की व्यवस्था भी की गयी है। इनके अतिरिक्त मेले के अधिकारियों को 300 निजी गृहों से 'पेइंग गेस्ट' आवास के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं।

Effect of India's entry into E.C.M. on Trade with Socialist countries

*169. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Shrikrishen Agrawal :

Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether the prospects of India's entry into the European Common Market have increased recently ;

(b) if so, whether this would have any adverse effect on India's trade with the Socialist countries ; and

(c) If so, whether any steps have been taken by Government to resolve this problem ?

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra) : (a) There has never been any proposal for India's entry into the European Common Market.

(b) and (c) Do not arise.

इथियोपियन एयरलाइन्स को भारत होते हुए चीन जाने की अनुमति

*170. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**
श्री अरविन्द नेताम :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इथियोपियन एयरलाइन्स को बम्बई में यातायात से सम्बन्धित अधिकार देकर भारत से होकर चीन जाने की अनुमति दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इथियोपियन एयरलाइन्स को ऐसी सुविधाएं देने के बदले भारत को कौनसे लाभ प्राप्त हुए हैं ;

(ग) क्या कुछ अन्य देशों ने भी भारत से अनुरोध किया है कि वह उनकी राष्ट्रीय एयरलाइन्स को भारत से होकर चीन जाने की अनुमति प्रदान करे ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) : जी, हां।

(ख) भारत की नामज़द विमान कम्पनी को अदिस अबाबा से अफ्रीका महाद्वीप के स्थानों के लिए, हिन्द महासागर में द्वीपों के लिए, तथा वापिस भारतीय केन्द्रों के लिए विमान सेवाओं के परिचालन का अधिकार प्रदान किया गया है। सेवायें दक्षिणावर्त (क्लाकवाइज़) अथवा वामावर्त (एंटी-क्लाकवाइज़) किसी भी दिशा में परिचालित की जा सकती हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत और स्विट्ज़रलैण्ड के बीच नई दिल्ली में अगस्त, 1972 में हुई अन्तर्सरकारी वार्ताओं के दौरान स्विस शिष्टमण्डल ने स्विस-एयर के लिए भारत से होकर चीन के लिए उड़ान के अधिकार का निवेदन किया था। आवेदन की जाँच की जा रही है।

सरकार के प्रशासकीय व्यय में वृद्धि

*172. **श्री धर्म राव अफजलपुरकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के प्रशासकीय व्यय में गत दो वर्षों की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रशासकीय व्यय में मितव्ययिता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) प्रशासनिक व्यय के लिए वर्ष 1972-73 के बजट अनुमानों में की गयी व्यवस्था, 1970-71 के इसी निमित्त हुए व्यय और 1971-72 के संशोधित अनुमानों के आंकड़ों के मुकाबले, कुछ वृद्धि दर्शाती है। ऐसा मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से हुआ है—

(1) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त अंतरिम सहायता।

(2) हमारी सीमाओं पर सतत बनी हुई तनाव की स्थिति के कारण अतिरिक्त व्यय।

(3) कर्मचारियों को दी गयी सामान्य वार्षिक वृद्धि।

(ख) सरकार के प्रशासनिक व्यय में बचत करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई उपाय किये गये हैं। जो महत्त्वपूर्ण उपाय किये गये हैं, उनमें से कुछ ये हैं : वेतनमानों में संशोधन पर प्रतिबंध, कुछ श्रेणी के पदों पर भरती के लिए आंशिक प्रतिबंध, गैर-योजना पक्ष में नये पद बनाने पर रोक, सफेदी कराने, विदेश यात्रा, टेलीफोनों और स्टाफकारों के उपयोग पर प्रतिबन्ध, साज-सामान, सजावट की वस्तुएं और आयात की हुई कारों की खरीद पर रोक, यात्रा भत्तों में कटौती, कर्मचारी निरीक्षण अध्ययनों में तीव्रता और खाली पदों पर भरती नहीं करना तथा साथ ही आकस्मिक व्यय, सत्कार तथा बधाई-पत्रों के मुद्रण आदि पर होने वाले व्यय की व्यवस्था में कमी करके अनुत्पादनशील मदों पर होने वाले व्यय पर प्रतिबन्ध लगाना।

मितव्ययिता उपाय एक सतत प्रक्रिया होने से सरकार का ध्यान इस ओर बराबर लगा रहता है।

पटसन मिलों की स्थापना

*173. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**
श्री दशरथ देव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में सरकारी पटसन मिलें स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ये मिलें किन राज्यों में स्थापित की जायेंगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेणुसागर पावर कम्पनी लिमिटेड द्वारा भारी विद्युत संयंत्र और मशीनरी की खरीद

*176. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दाल्को की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी 'रेणुसागर पावर कम्पनी लिमिटेड' (जो बिड़ला की फर्म है) ने 1966-67 के दौरान तथा इसके पश्चात् आई० जी० ई०, अमरीका से कई करोड़ रुपये के मूल्य का विद्युत् संयंत्र तथा मशीनें खरीदी थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ठेके की शर्तों के अनुसार मैसर्स ट्रैडर्स इन्टरनेशनल वाशिंगटन डी० सी० अमरीका (बिड़ला की ही एक फर्म) की खरीद पर कमीशन लेने का अधिकार था ;

(ग) क्या बिड़ला फर्मों ने मैसर्स बिरला ए० जी० जैड० जी० बी० नाम के स्विटजरलैण्ड स्थित अपने कार्यालय को खरीद कमीशन का दोहरा भुगतान किया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) जी, हां ।

(ख), (ग) और (घ) प्रवर्तन प्राधिकारी मामले की जांच-पड़ताल कर रहे हैं । जांच-पड़ताल के दौरान, न्यायालयों द्वारा कुछ कागजात सील कर दिये गये हैं और प्रवर्तन प्राधिकारियों ने जो अपील दायर की है वह उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है ।

विमान यातायात में हुई वृद्धि का सामना करने के लिए इण्डियन एयरलाइन्स के बेड़े में वृद्धि की योजना

*177. **श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र :**
श्री एम० कत्तामुतु :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना की अवधि में देश में विमान यातायात में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ;

(ख) यातायात में अपेक्षित वृद्धि का सामना करने के लिए इण्डियन एयरलाइन्स को और कितने विमान लेने पड़ेंगे ;

(ग) क्या पांचवीं योजना की अवधि में यातायात में वृद्धि का मुकाबला करने के लिए इण्डियन एयरलाइन्स के बेड़े में वृद्धि की कोई योजना बनाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) इण्डियन एयरलाइन्स का प्रबन्धक-वर्ग आवश्यक अध्ययन कर रहा है तथा अपने पांचवीं योजना के प्रस्ताव तैयार कर रहा है ।

भारत-इराकी व्यापार समझौता

*178. **श्री मान सिंह भौरा :**
श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इराक का निकट भविष्य में किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का विचार है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों में कोई बातचीत हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकाला है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) भारत तथा इराक के बीच एक व्यापार करार पहले ही 24 सितम्बर, 1971 से विद्यमान है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

गुजरात में तस्करी की घटनाएं

*179. **श्री वेकारिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 महीनों में गुजरात राज्य में सोने और घड़ियों की तस्करी की कितनी घटनाओं का पता लगा ; और

(ख) तस्करी के उस माल का मूल्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पिछले छः महीनों में गुजरात राज्य में तस्कर-आयात किये गये सोने को पकड़ने के कुल 25 मामले और तस्कर-आयात की गयी घड़ियों को पकड़ने के 85 मामले हुए ।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित तस्कर-आयात के मामलों में ग्रस्त माल का मूल्य लगभग 2,94,000 रु० (सोना) और 3,85,000 रु० (घड़ियाँ) है ।

पटसन उद्योग को दी गई वित्तीय राहत

*180. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग को निर्यात शुक्ल में 400 रुपये प्रति टन की कमी करके जो वित्तीय राहत दी गयी थी उस पर इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन ने 1 नवम्बर, 1972 को सन्तोष व्यक्त किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या कृत्रिम रेशे से प्रतियोगिता का सामना करने हेतु पटसन मिलों ने कोई राहत मांगी थी ; और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) इस मामले में इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन ने सरकार को कोई लिखित अभ्यावेदन नहीं दिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) उद्योग ऐसी राहत के लिए अनुरोध करता रहा है और प्राइमरी कालीन स्तरों पर 400 रु० प्रति म० टन निर्यात शुल्क घटाते समय इन अनुरोधों का ध्यान में रखा गया था ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को रियायतें

1601. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हाल में कोई रियायतें दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) शायद माननीय सदस्य सरकार द्वारा सरकारी उद्यमों को हाल ही में दी गयी उन रियायतों की ओर संकेत कर रहे हैं जो खरीद और मूल्य संबंधी प्राथमिकता प्रदान किये जाने तथा ऋण संबंधी देनदारियों में राहत दिये जाने के रूप में दी गयी हैं ।

सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों में, जो सरकारी नीति के व्यापक आधार पर स्थापित किये गये हैं, संस्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से सरकार इस बात से सहमत हो गयी है कि किस्म तथा सिपुर्दगी संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकारी खरीद अभिकरणों को सरकारी उद्यमों को ज्यादा-से-ज्यादा 10 प्रतिशत तक की मूल्य संबंधी प्राथमिकता

प्रदान करनी चाहिए। जिन मामलों में पूर्तिकर्त्ता सरकारी उद्यमों द्वारा 10 प्रतिशत से ज्यादा मूल्य संबंधी प्राथमिकता की अपेक्षा की गयी हो क्रय करने वाले सरकारी प्राधिकारी को शर्तें बातचीत से तय कर लेनी चाहिए और यदि उचित समय में समझौता न हो सके, तो उस मामले को सरकार के निर्णय के लिए सौंप दिया जाना चाहिए। ये रियायतें स्थायी नहीं होंगी और उद्यमों से यही आशा की जाती है कि वे अपनी लागत कम करेंगे।

कुछ कम्पनियों में, जिनमें उनकी भारी ऋण सम्बन्धी देनदारियों के कारण उनके प्रवर्तन में रुकावट पैदा हुई है, किन्तु अनुमान के अनुसार जिन कम्पनियों को अपना कार्य सुधारने की समुचित संभावनाएँ नजर आ रही हैं, उनका सरकार ने ब्याज-मुक्त ऋण देने और विशिष्ट अवधियों तक ऋण की किस्तों की वापसी अदायगी से छूट देने का अधिकार भी दे दिया है। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चय किया गया है कि बस्ती के पूँजी परिव्यय की वित्तपूर्ति सामान्य पूँजी से की जाएगी और ऋणों से नहीं।

मैसूर में रेशम के कीड़े पालने के उद्योग में सुधार की योजना

1602. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में रेशम के कीड़े पालने के उद्योग में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न योजनाएं क्या हैं ;

(ख) 1972-73 में उक्त प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई ;

(ग) क्या 1971-72 में आवंटित राशि का पूरी तरह प्रयोग कर लिया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) मैसूर में रेशम उत्पादन उद्योग के विकास के लिए उन्नीस योजनाएं स्वीकृत की गई थीं। ये योजनाएं खाद्य पौधों, रेशम कीट पालन, बीज संगठन, विपणन तथा सहयोग, गवेषणा, प्रशिक्षण तथा विविध कार्यों से सम्बन्धित हैं।

(ख) 45 लाख रु०।

(ग) जी नहीं।

(घ) 1971-72 के लिए आवंटित पूरी राशि का उपयाग नहीं किया गया क्योंकि--

(i) कतिपय पद जान-बूझकर रिक्त रखे गये थे क्योंकि जिन योजनाओं में उन्हें रखा गया था, वे लक्ष्य-च्युत हो गई थीं ;

(ii) 'ऋण तथा अग्रिम राशियां' शीर्षक के अन्तर्गत मामूली बचत हुई। मार्च 1972 में किफायत संबंधी एक आदेश द्वारा ऋणों की मंजूरी पर रोक लगा दी गई।

(iii) पूंजीगत निर्माण कार्यों के लिए आवंटित राशि पूरी तरह उपयोग में नहीं लाई गई ।

केन्द्रीय रेशम कीट उद्योग तथा प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर में किये गये अनुसंधान

1603. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रेशम कीट उद्योग तथा प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर (सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ सेरीकल्चर एण्ड ट्रेनिंग) में अब तक क्या अनुसंधान-कार्य किये गये हैं ;

(ख) क्या उनमें से किसी को प्रयोग में लाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुसंधानों और उनके सम्बन्ध में प्राप्त परिणामों का उल्लेख नीचे किया जाता है :

(1) खुले रूप में परागणित पेड़ों की संख्या में से छाँटकर कन्व-1 व कन्व-2 नाम की दो महत्वपूर्ण किस्मों का विकास किया गया है जिनमें से कन्व-2 विशेष रूप से लोकप्रिय है क्योंकि वह स्थानीय किस्म की तुलना में 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत अधिक उपज देता है । सिंचाई और खाद डालने का इस पर काफी अच्छा असर पड़ता है जिससे कि रेशम के कीड़ों के पोषण हेतु इससे वढ़िया किस्म के पत्ते उपलब्ध होते हैं ।

(2) यह सिद्ध हो गया है कि सुनिश्चित सिंचाई और केवल नाइट्रोजन के ही भारी मात्रा में निषेचन किये जाने से यह संभव है कि प्रति हैक्टर 3000 कि० ग्रा० की औसत उपज को वढ़ाकर 15000 कि० ग्रा० किया जा सकता है । इससे लाभ केवल उपज वढ़ाने के सम्बन्ध में ही नहीं होता है बल्कि इस प्रकार की गहन खेती के अन्तर्गत शहतूत के बागों से अच्छी किस्म के पत्ते भी प्राप्त होते हैं ।

(3) रेशम के कीड़ों के पौषणिक शरीर विज्ञान के सम्बन्ध में व्यावहारिक दृष्टिकोण से काफी अनुसंधान किया गया है ।

(4) रेशम कीट कोया फसलों के अविच्छिन्न तथा अधिकतम उत्पादन को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ पोषण के उन्नत तरीकों का विकास किया गया है ।

(5) एक द्रुत-प्रभावी कार्यक्रम के अन्तर्गत नई उन्नत नसलों का विकास करने के लिए प्रजन्न प्रयोग किये गये और बड़ी संख्या में नई नसलों का विकास किया गया है और इन नई नसलों के सम्बन्धों में समुचित संकर समुच्चय निर्धारित किये गये हैं ।

इस समय उद्योग में प्रयुक्त हो रही संकर नसल के मुकाबले नई नसलों से 30 प्रतिशत अधिक उपज प्राप्त हुई है ।

(6) यह पहली बार सफलतापूर्वक सिद्ध कर लिया गया है कि द्विचक्रीय संकर समुच्चयों का पोषण मैसूर राज्य में किया जा सकता है । द्विचक्रीय संकर किस्मों से रेशम का उत्पादन ज्यादा मात्रा में होता है । इसके अलावा, द्विचक्रीय कच्चे रेशम की क्वालिटी काफी अच्छी होती है और अन्तर्राष्ट्रीय ग्रेड की होती है ।

इन अनुसंधानों के सम्बन्ध में परीक्षणों के फलस्वरूप निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए :

(1) मैसूर राज्य में शहतूती कच्चे रेशम का उत्पादन 1966 में 10.94 लाख कि० ग्रा० से बढ़कर 1971 में 18.10 लाख कि० ग्रा० हो गया ।

(2) बुवाई और कटाई के नये तरीके अपनाने से शहतूत के पत्तों के प्रति हैक्टर उत्पादन में वर्षायुक्त क्षेत्रों में 3000 कि० ग्रा० से 4000 कि० ग्रा० तक और सिंचाई के क्षेत्रों में 17000 कि० ग्रा० से 21000 कि० ग्रा० तक की वृद्धि हुई ।

(3) रीलिंग कोयों की प्रति हैक्टर उपज 1966-67 में 244 कि० ग्रा० से बढ़कर 1970-71 में 333 कि० ग्रा० हो गयी ।

(4) रीलिंग कोयों का उत्पादन, प्रति 100 रोग-मुक्त अण्डों पर, 1966-67 में 21.50 कि० ग्रा० से बढ़कर 1970-71 में 26.5 कि० ग्रा० हो गया ।

(5) द्विचक्रीय बीज कोयों से 20 रु० से 25 रु० प्रति हजार तक की कीमत मिली जबकि स्थानीय किस्म के बीज कोयों से 10 रु० से 12 रु० प्रति हजार तक की कीमत मिलती है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा अतिरिक्त प्रीमियम का लिया जाना

1604. **श्री एस० एम० सिद्दय्या :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-से व्यवसाय हैं जिनको अधिक जोखिम वाले समझा जाता था और जिस कारण भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उनके लिए अतिरिक्त प्रीमियम लिया जाता था ;

(ख) यह अतिरिक्त प्रीमियम लेना कबसे बन्द कर दिया गया है ; और

(ग) क्या पहले से लिया गया अतिरिक्त प्रीमियम आगे लिए जाने वाले प्रीमियमों के विरुद्ध जमा कर दिया जायगा अथवा बीमा करने वालों को वापस कर दिया जायगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) प्रायः उन व्यवसायों में स्थित व्यक्तियों के सम्बन्ध में अतिरिक्त प्रीमियम लिया जाता है जिनमें (1) दुर्घटना की अतिरिक्त जोखिम रहती

हो, (2) धूल, धुएं आदि के वातावरण में काम करने के कारण अतिरिक्त स्वास्थ्य जोखिम रहती हो, (3) अस्वस्थकारी परिस्थितियों में काम करने के कारण अतिरिक्त जोखिम रहती हो।

(ख) तथा (ग) जिन व्यवसायों के सम्बन्ध में, आजीवन बीमा सीमित भुगतान की तथा सावधि बीमा योजना की जिन पालिसियों की प्रति हजार बीमाकृत राशि पर 4 रुपये तक अतिरिक्त प्रीमियम लिया जाता था, वह 1 दिसम्बर, 1970 से बन्द कर दिया गया है। उक्त विवरण की जो पालिसियाँ 1 दिसम्बर 1970 को चालू थीं उन पर 1 दिसम्बर, 1970 के बाद कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं लिया जाता है और जो कोई रकम अतिरिक्त चुका दी गई होगी उसकी दावों के निपटान के समय वापसी कर दी जायगी।

ओवरड्राफ्ट की राशि का भुगतान न करने वाले राज्य

1605. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने ओवरड्राफ्ट की राशि का भुगतान नहीं किया है और 1 नवम्बर, 1972 को प्रत्येक राज्य की ओर ओवरड्राफ्ट की कितनी राशि बकाया थी ; और

(ख) ओवरड्राफ्ट की राशि पूरी करने के लिए क्या प्रबन्ध अथवा समायोजन किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सभी राज्यों ने अपने-अपने ओवरड्राफ्ट चुका दिये हैं। 1 नवम्बर, 1972 को किसी राज्य के पास भारतीय रिजर्व बैंक से लिया गया ओवरड्राफ्ट बाकी नहीं था।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सरकारी कार्यालयों तथा सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को दिए जाने वाले मकान किराया भत्ते की दरों में भिन्नता

1606. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उनके वेतन का 15 प्रतिशत मकान किराया भत्ते के रूप में दिया जाता है और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को दिया जाने वाला मकान किराया भत्ता उनके ग्रेड के अधिकतम का 30 प्रतिशत है ;

(ख) यदि हां, तो मकान किराया भत्ते की भेदभाव पैदा करने वाली ऐसी दरें निर्धारित करने का आधार क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस असमानता को दूर करने की वांछनीयता के बारे में विचार किया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को क श्रेणी के नगरों में मकान किराया भत्ते के रूप में उनके मूल वेतन (महंगाई वेतन सहित) का 15 प्रतिशत दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों द्वारा क श्रेणी के नगरों में अपने कर्मचारियों को दिया जाने वाला मकान किराया भत्ता कुछ शर्तों के साथ बहुत से मामलों में 15 प्रतिशत से अधिक होता है। सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार क श्रेणी के मुख्य नगर दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ते की दर की अधिकतम सीमा उनके मूल वेतन का 25 प्रतिशत है ; बम्बई में तदनुरूप अधिकतम सीमा 30 प्रतिशत है।

दिल्ली में मकान किराए की सामान्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सितम्बर, 1971 में उद्यमों के लिए दिल्ली में अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने और प्रत्येक कर्मचारी के वेतनमान के अधिकतम के आधार पर भत्ते का हिसाब लगाने की भी अनुमति दे दी थी। लेकिन मितव्ययता के उपाय के रूप में अब दिसम्बर 1971 से इन आदेशों को अमान्य कर दिया गया है।

(ख) सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्ते, जिनमें मकान किराया भत्ता भी शामिल है, सामान्यतः समय समय पर बैठाए जाने वाले वेतन आयोगों की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के आधार पर दिये जाते हैं। लेकिन सरकारी उद्यमों के मामले में कई बातों पर विचार करने के बाद, जिनमें वे प्रथाएं भी शामिल हैं जो उद्योग और वाणिज्य में मान्य हैं, ये भत्ते स्वयं उद्यमों के द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

(ग) तीसरा वेतन आयोग इस समय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की परिलब्धियों के वर्तमान ढांचे की जांच-पड़ताल कर रहा है, जिसमें मकान किराया भत्ता भी शामिल है और सरकार उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है।

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा खरीदे गए तथा बेकार पड़े मारल एलीवेटर

1607. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 21.32 लाख की लागत से, जिसमें 60 प्रतिशत विदेशी मुद्रा थी, मारल एलीवेटर खरीदे थे ;

(ख) क्या इन एलीवेटरों को विभिन्न हवाई अड्डों पर अब खानपान डिवीजन द्वारा प्रयोग किया जा रहा है और उनमें से कुछ अभी भी बेकार पड़े हैं जबकि इनको कुछ समय पूर्व खरीदा गया था ;

(ग) क्या इन एलीवेटरों को खानपान डिवीजन द्वारा प्रयोग के लिए खरीदा गया था और यदि नहीं, तो इनको मूलतः किन प्रयोजनों हेतु खरीदा गया था और इनको अब उस प्रयोजन

हेतु, जिसके लिए इनको खरीदा गया था, प्रयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने इनकी खरीद के औचित्य का पता लगाने के लिए कोई जाँच कराई है और क्या इस बात का पता लगाया गया था कि इनको देश में से ही प्राप्त किया जा सकता था ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इण्डियन एयरलाइन्स ने 1966 में 21.32 लाख रुपये की लागत पर 6 मैरल एलिवेटरों का एक आर्डर दिया था जिसमें 12.34 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा का अंश भी सम्मिलित था। ये एलिवेटर अप्रैल और जून, 1967 में प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) ये एलिवेटर कारपोरेशन के केबिन और केटरिंग विभाग द्वारा प्रयोग के लिए थे तथा उस विभाग द्वारा इन का प्रयोग भी किया जा रहा है।

(घ) इण्डियन एयरलाइन्स ने इस उपकरण की खरीद के औचित्य की जांच की है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यद्यपि कुछ एलिवेटरों की आवश्यकता थी, सारे-के-सारे एलिवेटरों की उस समय खरीद को उचित सिद्ध नहीं किया जा सकता।

ऐसा प्रतीत होता है कि कारपोरेशन द्वारा अपेक्षित स्वरूप-परिमाण वाले स्वदेशी उपकरण उपलब्ध नहीं थे।

मध्य प्रदेश और बिहार में कपड़े के नए मिल खोलना

1608. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में कपड़े के नये मिल खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ब्याज की रियायती दर लेने की योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को दी गयी वित्तीय सहायता

1609. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों तथा कृषि अथवा सहायक गतिविधियों का उत्पादों के परिष्करण, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों में साधारण स्केल पर काम कर रहे लोगों से ब्याज की रियायती दर लेने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में दी गयी वित्तीय सहायता की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) 25 मार्च, 1972 को मैंने सदन के पटल पर नीति सम्बन्धी जो वक्तव्य रखा था उसके अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने ऋणकर्त्ताओं के कुछ वर्गों के लिए रियायती ब्याज दर की योजना चलानी शुरू कर दी है। उक्त योजना इस समय प्रायोगिक दौर में है और इस योजना से औरों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को भी लाभ होगा। ब्याज की रियायती दर 4 प्रतिशत रखी गयी है। उक्त योजना का उद्देश्य उत्पादक प्रयासों में लगे हुए कार्यकर्त्ताओं में से कमजोर कार्यकर्त्ताओं को सहायता देना है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ब्याज की रियायती दर पर कर्ज लेने के हकदार व्यक्तियों के लिए आय की अधिकतम सीमा देहाती क्षेत्रों में प्रति परिवार 1200 रुपये प्रतिवर्ष और शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार 2000 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित की गयी है। भूमि की जोतों के अनुसार वे ऋणकर्त्ता ही रियायती दर का लाभ उठाने के हकदार होंगे जिनके पास एक एकड़ से कम सिंचित क्षेत्र अथवा $2\frac{1}{2}$ एकड़ से कम की शुष्क जोत होगी। इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण की राशि प्रति ऋणकर्त्ता, कार्यचालन पूंजी के लिए 500 रुपये और सावधिक ऋण के लिए 2500/- रुपये से अधिक नहीं होगी। प्रायोगिक दौर में बैंक इस योजना को केवल चुने हुए जिलों में ही चलायेंगे। मध्य प्रदेश में योजना संचालन के प्रायोगिक दौर के लिए कुछ ऐसे जिले चुन लिए गये हैं जिनमें जन-जातियों का आधिक्य है।

दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट

1610. **श्री वयालार रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 नवम्बर, 1972 के 'स्टेट्समैन' में 'रुपी ड्राप्स फरदर इन ईस्ट एशिया' (पूर्वी एशिया में रुपये के मूल्य में और गिरावट) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार इस समाचार में उल्लिखित राय से सहमत नही है। इस समाचार का आधार वे अनधिकृत दरें हैं जिनका सम्बन्ध उन लेन-देनों से है जो विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करके किये जाते हैं। ये लेन-देन इक्का-दुक्का और छुट-फुट होते हैं इसलिए संभव है कि अनधिकृत दरें समय-समय पर और स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न हों और ये दरें रुपये के वास्तविक मूल्य की द्योतक नहीं होतीं। विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में देश के सभी अधिकृत लेन-देन, उन दरों पर किए जाते हैं जो भारत सरकार की 20 दिसम्बर, 1971 की अधिसूचना में निर्धारित 5.2721 पौंड प्रति 100 रुपये की केन्द्रीय दर से 2.25 प्रतिशत ऊपर अथवा नीचे की अनुभूत सीमाओं के अन्तर्गत हों।

कोचीन हवाई अड्डे पर एवरो विमान की क्षति

1611. **श्री वयालार रवि** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री कोचीन हवाई अड्डे पर दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुए एवरो विमान के बारे में 11 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1866 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच कार्य इस बीच पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) रिपोर्ट के शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है ।

Grant and loan received from the World Bank by the Government of India during the financial year 1971-72

1612. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the grant and loan received by Government from the World Bank during the financial year of 1971-72 are in Dollars or Sterling ;

(b) the parity rate or the floating rate thereof ; and

(c) whether the loan received at parity rate has proved quite expensive ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) The Credits and Loans received by the Government from the World Bank and the International Development Association, a soft-lending affiliate of the World Bank, are designated in Dollar equivalent but are actually available to finance the imports from all the member countries of the World Bank and IDA. Some of the credits are also mainly for local currency financing. Conversion of the dollar equivalent of the amounts disbursed in the countries of origin of goods and services is done at the exchange rates prevailing at the time of disbursement.

(c) No, Sir.

Air-Taxi service in Madhya Pradesh

1613. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have sought permission for introducing an air-taxi service in the State ; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken by the Central Government thereon ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No such request appears to have been received by the Department of Civil Aviation.

(b) Does not arise.

Delayed and cancelled flights of Indian Airlines from Bhopal, Indore and Gwalior

1614. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of delayed flights of Indian Airlines from Bhopal, Indore and Gwalior together with the period of delay involved during the last one year ;

(b) the number of flights cancelled after passengers were made to wait for hours and the time gap between the announcement of cancellation and the time of actual flight ; and

(c) the reasons for delay in and cancellation of flights ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c) A statement giving the requisite information is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—3786/72].

Number of Indian Tourist Centres in Soviet Union, China and Japan

1615. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of Indian Tourist Centres in Soviet Union, China and Japan ;

(b) the number of Indians working in those Centres ; and

(c) the number of Tourists who came to India during the last three years from those countries ; yearwise ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :

(a) Japan — one (in Tokyo)
Soviet Union, China — Nil

(b) Three.

(c) Number of Tourists

Year	From Soviet Union	From China	From Japan
1969	2,935	—	8,352
1970	2,874	—	9,432
1971	3,522	—	11,618

Seizure of smuggled goods in Madhya Pradesh

1616. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of places in Madhya Pradesh where smuggled goods have been seized during the last six months ;

(b) the action being taken by Government in this regard ; and

(c) the total amount of revenues earned by government from the sale and disposal of such smuggled goods during the last two years ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) In Madhya Pradesh smuggled goods were seized in the following towns during the last six months (May, 1972 to October, 1972) —

(1) Indore (2) Jabalpur (3) Gwalior (4) Bhopal (5) Ujjain (6) Raipur (7) Bilaspur (8) Balaghat (9) Rewa (10) Harda (11) Katni (12) Mandla (13) Khandwa (14) Ratlam (15) Neemuch and (16) Vidisha.

(b) Action under the provisions of Customs Act, 1962 is in progress. Usual preventive and anti-smuggling measures are being taken to prevent smuggling.

(c) Information is being collected.

इंडिया तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड की निर्बन्धात्मक तथा एकाधिकारवादी प्रक्रियाएं

1617. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री इंडिया टोबैको कम्पनी लिमिटेड तथा वजीर सुल्तान टोबैको कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध तथाकथित निर्बन्धात्मक तथा एकाधिकारवादी व्यापार-प्रक्रिया के बारे में 25 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3399 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकारवादी व्यापार-प्रक्रिया आयोग द्वारा की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जांच-पड़ताल निदेशक ने, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग द्वारा निर्देशित परिवादों पर, अभी अपनी प्राथमिक जांच-पड़ताल पूर्ण नहीं की है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

आन्ध्र प्रदेश में कृषि उत्पादन के लिए बैंकों द्वारा किसानों को दी गयी वित्तीय सहायता

1618. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में 31 अगस्त, 1972 तक गत तीन वर्षों में स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा राष्ट्रीय बैंकों सहित सहकारी तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा फसल ऋण के रूप में कृषि उत्पादन हेतु किसानों को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है ; और

(ख) छोटे तथा बड़े किसानों को दिये गये ऋणों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है और यदि किसी व्यक्तिगत किसान अथवा किसी संस्था को ऋण दिया गया है तो उसकी अधिकतम सीमा कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को दिये गये कृषि ऋणों के उपलब्ध आंकड़े इस प्रकार हैं :

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(करोड़ रुपयों में)

दिसम्बर, 1970 के अन्त में बकाया रकम	दिसम्बर, 1971 के अन्त में बकाया रकम
33.71	38.49

सहकारी संस्थाएं

1969-70 (जुलाई-जून) के दौरान दिये गये ऋणों की रकम	1970-71 (जुलाई-जून) के दौरान दिये गये ऋणों की रकम
47.20	48.56

(ख) जहां तक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का सम्बन्ध है पूछे गये ढंग से राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

अलग-अलग मामलों में ऋण की मात्रा के सम्बन्ध में पहले से कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। किसान को दिये जाने वाले ऋण की सीमा, जोत के आकार, फसल के स्वरूप आदि, ऋण के प्रयोजन और विशिष्ट निवेश की आय देने की क्षमता का ध्यान रखते हुए, ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं के आधार पर निश्चित की जाती है। सहकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में ऋण लेने वाले सदस्य द्वारा शेयर पूंजी में दिया गया अंशदान भी ऋण की सीमा निर्धारित करने का एक अन्य आधार होता है।

विदेशी विनियोक्ताओं द्वारा शेयरों की बिक्री

1619. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में पेंट कम्पनी में विदेशी विनियोक्ता कम्पनी में अपने समूचे शेयरों को भारतीय विनियोक्ताओं को भारत में देय कम कीमत पर बेच रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के, बिहार के आरा नामक स्थान के एक श्री एस० पी० सिन्हा के पश्चिम बंगाल स्थित जेन्सन एण्ड

निकल्सन (इंडिया) लिमिटेड द्वारा कम्पनी के दस-दस रुपये के 1,96,083 सामान्य शेयर खरीदने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो जेन्सन एण्ड निकल्सन ग्रुप लिमिटेड, ग्रेट ब्रिटेन के पास है। प्रस्तावित बिक्री मूल्य प्रति शेयर 1.75 रुपया है। रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, उक्त ब्रिटिश कम्पनी के पास उस भारतीय कम्पनी के दस-दस रुपये के 2,48,083 सामान्य शेयर (चुकता पूंजी का 62 प्रतिशत) थे, जिनमें से उसने 52,000 शेयर 1971 में, मैसर्स होएख्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बम्बई, नामक एक भारतीय कम्पनी के हाथ बेच दिये थे। श्री सिन्हा ने भारतीय रिजर्व बैंक के पास इस आशय का एक आवेदन पत्र भेजा है कि उक्त 52,000 शेयर भी उन्हें हस्तान्तरित कर दिये जायें। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

Members' letters addressed to the Additional Controller General of Defence Accounts

1620. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of letters addressed to the Additional Controller General of Defence Accounts by the Members of Parliament during the last one year ; and

(b) the reasons for not replying to the said letters ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) One.

(b) Does not arise, as the letter was replied to promptly.

औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के पास पड़े अनिर्णीत आवेदन-पत्र

1621. **श्री सत्यचरण बेसरा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के पास बहुत-से आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत हैं और उन पर कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1972 के अन्त में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा प्राप्त 380 प्रार्थना-पत्रों में से, 203 प्रार्थना-पत्र निपटाये जा चुके थे, 3 अन्तिम निर्णय किये जाने के लिए तैयार थे, 22 के सम्बन्ध में अध्ययन किया जा रहा था और 152 प्रार्थना-पत्र क्रमशः अध्ययन किये जाने के लिए शेष थे। औद्योगिक कम्पनियों से प्राप्त प्रत्येक प्रार्थना-पत्र की, वर्तमान वित्तीय स्थिति, वर्तमान प्रबन्ध व्यवस्था, भावी सक्षमता की सम्भावना, उत्पाद-मिश्र, भावी प्रबन्ध व्यवस्था आधुनिकीकरण की योजनाओं आदि जैसे विविध पहलुओं और सम्बद्ध तथ्यों की दृष्टि से जांच करने में काफी समय लगता है। इसके अतिरिक्त, थोड़े कर्मचारियों सहित निगम की स्थापना केवल अप्रैल, 1971 में की गयी थी और उसे परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए बाजार में उपलब्ध परामर्शदाताओं और व्यवसायिकों की सेवाओं पर निर्भर करना पड़ता था।

भारतीय चलचित्र निर्यात परिषद् के विरुद्ध फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड के आरोप

1622. **श्री के० बालदण्डायुतम** :
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड तथा परिषद् ने भारतीय चलचित्र निर्यात परिषद् के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो लगाये गये आरोप गया हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन आरोपों की कोई जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) अखिल भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर्स कौंसिल, बम्बई ने, जिसका फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड आफ इंडिया एक सदस्य है, भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के कार्यकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है ।

(ग) तथा (घ) मामले की जांच की जा रही है ।

चुने हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिए योजना आयोग द्वारा स्थापित समिति का प्रतिवेदन

1623. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुने हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण का विस्तृत पुनर्विलोकन करने के लिए योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गयी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार के निर्णय क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में स्थापित की गयी सरकारी उद्यमों की कार्यवाही समिति ने अब तक सरकार को 7 संयंत्रों के बारे में रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं ; समिति ने कुछ अन्य एककों की जांच भी पूरी कर ली है और उसे अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही सरकार को प्रस्तुत करने की सम्भावना है ।

(ख) और (ग) समिति द्वारा की गई तथा सरकार द्वारा स्वीकार की गयी कुछ मुख्य सिफारिशें ये हैं—

(i) प्रबन्ध तथा तकनीकी सेवाओं को सुदृढ़ बनाना ;

(ii) संगठनात्मक ढाँचे में परिवर्तन तथा निगम और संयंत्र स्तर पर कर्मचारियों की व्यवस्था करना ;

(iii) औद्योगिक सम्बन्धों, कर्मचारी प्रबन्ध, प्रेरण शक्ति में सुधार ;

(iv) अनुरक्षण सामग्री प्रबन्ध, उत्पादन आयोजना तथा नियंत्रण में सुधार ;

(v) तोलन संबंधी कुछ सुविधाओं की व्यवस्था ;

(vi) कुछ प्रक्रियाओं में काम करने वाली सामग्री में परिवर्तन ;

(vii) एक ही प्रकार के कामों में लगे हुए निगमों में अधिक एकीकरण ;

(viii) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये समयबद्ध कार्य-आयोजना ।

ब्लिट्स "आई० ए० एस० स्कटल आई० आई० पी० ए० टु ग्रैव पावर" शीर्षक से प्रकाशित लेख

1624. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 सितम्बर, 1972 के ब्लिट्ज में 'आई० ए० एस० स्कटल आई० आई० पी० ए० टु ग्रैव पावर' शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) ब्लिट्ज में 'आई० ए० एस० स्कटल आई० आई० पी० ए० टु ग्रैव पावर' शीर्षक से प्रकाशित लेख सरकार ने देखा है । स्पष्टत: संकेत शिक्षा संकाय के कुछ सदस्यों द्वारा, इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष की हैसियत में प्रधान मंत्री को पेश किये गये ज्ञापन की ओर है । शिक्षा संकाय के सदस्यों से कोई ज्ञापन सरकार को नहीं मिला है ।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमीनिस्ट्रेशन, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत एक पंजीकृत स्वायत्त संगठन है और इसलिए सरकार इस इंस्टीट्यूट के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करती है । फिर भी इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष की हैसियत से प्रधान मंत्री ने इंस्टीट्यूट के चेयरमैन को सुझाव दिया है कि पब्लिक एडमीनिस्ट्रेशन की समस्याओं के किसी विज्ञ व्यक्ति को कहा जाय कि वह इंस्टीट्यूट के संगठन और कार्यक्रमों में ऐसे आवश्यक परिवर्तन सुझावे, जिससे यह इंस्टीट्यूट उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सके जिनके लिए इसकी स्थापना की गयी थी, क्योंकि प्रधान मंत्री का खयाल है कि इस बात की विवेचनात्मक ढंग से जांच की जानी चाहिए कि क्या करने से यह इंस्टीट्यूट इसकी उच्च अपेक्षाओं के अनुसार कार्य कर सके ।

म्यूर मिल्स, कानपुर के अधिकृत नियंत्रक और उसके सम्बन्धियों के निवास स्थानों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के छापे

1625. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने म्यूर मिल्स, कानपुर के अधिकृत नियंत्रक के निवास स्थान पर और बम्बई, कलकत्ता, पटना, दिल्ली और वाराणसी तथा अन्य कई स्थानों पर छापे मारे थे, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस मिल को दिये गये 2 करोड़ रुपये के ऋण के अधिकांश भाग का विनियोजन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) म्यूर मिल्स, कानपुर के भूतपूर्व प्राधिकृत नियंत्रक के विरुद्ध अभिकथित भ्रष्टाचार से सम्बन्धित एक मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 26-8-72 को उनके घर की तलाशी ली थी । परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि बम्बई, कलकत्ता, पटना, दिल्ली और वाराणसी तथा कई अन्य स्थानों पर उनके सम्बन्धियों के घरों पर भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे मारे गये ।

(ख) म्यूर मिल को राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम ने क्रमश: 32.30 लाख रु० तथा 21.85 लाख रु० के ऋण दिये हैं, लेकिन इन निधियों के किसी प्रकार के दुर्विनियोजन की कोई रिपोर्ट नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बिड़ला कम्पनी समूह द्वारा एकाधिकार आयोग को जानकारी प्रस्तुत करने से इंकार

1626. **श्री दिनेश जोरदर** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला कम्पनी समूह ने एकाधिकार आयोग को सिरपुर पेपर मिल्स तथा ओरियंट पेपर मिल्स से सम्बन्धित जानकारी देने से इंकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) सिरपुर पेपर मिल्स लिमिटेड और ओरियन्ट पेपर मिल्स लिमिटेड ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के कुछ अभिलेखों/रिकार्ड जो उसमें केसोराम

इण्डस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड के एक नव उपक्रम की स्थापनार्थ एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत प्रस्तुत करने को निर्देशित करते हुए आदेश को लिखित याचिका द्वारा चुनौती दी है और न्यायालय ने उस लिखित याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि न्यायालय लिखित याचिका में उठाये गये कानून के प्रश्न पर न हस्तक्षेप कर सकता है और न अपनी राय दे सकता है ; एवं याचिका कर्त्ता को यह विनिर्देश आयोग के समक्ष उठाने चाहिए ।

भारत में फोर्ड फाउंडेशन के अधिकार में इमारतें

1627. **श्री वयालर रवि :**

श्री शशि भूषण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में फोर्ड फाउंडेशन ने भारत में कुल कितनी इमारतें किराये पर ली हैं ;

(ख) उनमें से कितनी इमारतें सरकारी अधिकारियों तथा सैनिक अधिकारियों की हैं ; और

(ग) उन्होंने इस अवधि में कितने मकान खाली किए हैं तथा अभी उनके अधिकार में कुल कितने मकान हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) चौदह ;

(ख) एक ।

(ग) फोर्ड फाउंडेशन ने पिछले तीन वर्षों में 58 मकान खाली किए हैं । फाउंडेशन के कब्जे में इस समय 38 मकान हैं ।

विदेशी नियंत्रण वाली कम्पनियों का उत्पादन और लाभ

1628. **श्री गदाधरा साहा** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में वर्ष वार विदेशी नियंत्रण वाली कम्पनियों की भारत में कुल परिसम्पत्तियां, उत्पादन और कुल लाभ क्या हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 591 के अन्तर्गत परिभाषित, भारत में विदेशी कम्पनियों की कुल परिसम्पत्ति, व्यापारावर्त और कुल लाभ का मूल्य पिछले तीन वर्षों में निम्न प्रकार है—

(करोड़ रुपयों में)

	1968-69	1969-70	1970-71
1.* भारत में परिसम्पत्ति	12,34.2	14,11.5	14,68.6
2.* व्यापारावर्त/बिक्री	12,58.2	15,35.6	18,88.2
3.* कुल लाभ	33.2	39.9	52.0

*31.3.1972 तक 541 कार्यरत कम्पनियों में 522 से सम्बन्धित । शेष 19 कम्पनियाँ केवल विश्व लेखे रखती हैं और अपनी भारत में व्यापारिक कम्पनियों से सम्बन्धित अलग से लेखे नहीं रखतीं ।

हरियाणा राज्य से अमरीकी पीस कोर के स्वयंसेवकों का निकाला जाना

1629. **श्री तेजा सिंह स्वतंत्र :**
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने अपने राज्य से अमरीकी पीस कोर के स्वयंसेवकों को निकाल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कोई अन्य राज्य भी अमरीकी पीस कोर की सेवाओं को समाप्त करना चाहता है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) मार्च, 1972 में हरियाणा सरकार ने भारत सरकार से, उस राज्य से अमरीकी शान्ति दल के स्वयंसेवकों को वापस बुलाने के लिए अनुरोध किया था ।

(ख) हरियाणा सरकार ने यह महसूस किया था कि अब इन स्वयंसेवकों की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(ग) केरल सरकार ने 1967 में अमरीकी शान्ति दल के स्वयंसेवकों को वापस बुलाने के लिए अनुरोध किया था और पश्चिम बंगाल सरकार ने 1969 में ऐसे स्वयंसेवकों के लिए सभी विचाराधीन मांगों को रद्द किए जाने का अनुरोध किया था ।

बम्बई केबल कम्पनी द्वारा पालिथिलीन पाउडर घोटाला

1630. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से बम्बई में एक प्राइवेट केबल कम्पनी द्वारा अधिकृत 2200 मीटरी टन पालिथीलीन पाउडर के निपटान सम्बन्धी करोड़ों रुपये के घोटाले में एक भूतपूर्व मंत्री तथा कुछ उच्च पदाधिकारियों का हाथ होना बताया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय को क्या-क्या अवरोध प्राप्त हुए हैं ;

(ग) इस मामले में शामिल प्रत्येक पार्टी का नाम तथा विवरण क्या है ; और

(घ) क्या किसी जांच-कार्यवाही के लिए आदेश दिये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ केबल कम्पनियों ने पालिथीलीन पाउडर का आयात किया था और उन्होंने या तो स्वयं उसका प्रयोग किये बिना उसे वेच दिया या अपनी

सामान्य आवश्यकताओं के अधिक मात्रा में उसका आयात किया या ऐसी वस्तुओं के निर्माण के लिए उसका प्रयोग किया जो उनको जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों के अधीन अनुमत नहीं थे।

(ग) निम्नलिखित 5 फर्में इसमें अन्तर्ग्रस्त बताई जाती हैं—

(1) मैसर्स एशियन केबल कारपोरेशन लि०।

(2) मैसर्स ओरियेंटल पावर केबल्स लि०।

(3) मैसर्स मोती इलेक्ट्रिक वर्क्स प्रा० लि०।

(4) मैसर्स शमशेर स्टर्लिंग कारपोरेशन, बम्बई।

(5) मैसर्स हैनले केबल्स, बम्बई।

ये सभी फर्में केबल तथा तारों के निर्माता हैं।

(घ) जांच पूरी हो चुकी है।

सरकारी उपक्रमों के चेयरमैनों की नियुक्ति

1631. **श्री प्रबोध चन्द** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय रुई निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन आदि जैसे महत्त्वपूर्ण सरकारी उपक्रमों के चेयरमैन-पद के लिए क्या-क्या योग्यताएं निर्धारित हैं ; और

(ख) जो व्यक्ति इस समय इन पदों पर आसीन हैं क्या उनके पास उक्त योग्यताएं हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अध्यक्ष पदों पर नियुक्त किये जाने के लिए निश्चित योग्यता का निर्धारित किया जाना न तो व्यावहारिक है और न ही वांछनीय है। इन पदों के लिए, किसी कार्य सम्बन्धी विशिष्ट ज्ञान की उपलब्धि के बजाय, ऊँचे दर्जे की प्रबन्ध सम्बन्धी योग्यता का होना बहुत आवश्यक है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पूर्णकालिक अध्यक्षों के पदों पर जो नियुक्तियाँ की जाती हैं, वे सामान्यतया सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा तैयार की गयी नामिकाओं में से ही की जाती हैं। ये नामिकाएं उन लोगों को शामिल करके तैयार की जाती हैं, जो अपने को सरकारी क्षेत्र की सेवा के लिये पेश करते हैं। इन सूचियों को समुचित छानबीन के बाद तथा नामिका विषयक चुनाव बोर्ड के द्वारा, जिसमें सरकार के चार सचिव और सरकारी क्षेत्र के चार मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, वैयक्तिक साक्षात्कार कर लेने के बाद तैयार किया जाता है। नामिका में दर्ज व्यक्ति प्रबन्ध सम्बन्धी ऊँचे अनुभव वाले व्यक्ति होते हैं, जो सरकारी उद्यमों के पदाधिकारियों, औद्योगिक प्रबन्ध निकाय, गैर सरकारी उद्यमों के प्रबन्धकों तथा सरकारी सेवाओं में से लिये जाते हैं। जहाँ तक सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अंशकालिक अध्यक्षों का सम्बन्ध है, सरकार अधिक व्यापक क्षेत्र से उन लोगों को चुनती है, जिनकी सम्बद्ध क्षेत्रों में रुचि है और जो सरकारी क्षेत्र की विचारधारा के प्रति निष्ठावान हैं।

भारत में अमरीकी 'पीस कोर आर्गेनाईजेशन' को बन्द करना

1632. **श्री शशिभूषण :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ राज्य सरकारों ने 'अमरीकी पीस कोर आर्गेनाईजेशन' के स्वयंसेवकों द्वारा वहां उत्पन्न की गयी विषम स्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कोर के स्वयंसेवकों को निकाल देने का अपना निर्णय केन्द्रीय सरकार को बताया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उनकी तोड़-फोड़ की गतिविधियों को, जो कि देश के लिए खतरनाक हैं, ध्यान में रखते हुए देश में 'अमरीकी पीस कोर आर्गेनाईजेशन' को बन्द करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं।

दक्षिण कोरिया को लौह अयस्क का निर्यात

1633. **श्री बनमाली पटनायक :**
श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से लौह अयस्क के निर्यात के लिए दक्षिणी कोरिया से कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) लौह अयस्क का निर्यात करने के लिए विदेशी बाजार प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं और क्या कोई परिणाम निकला है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां । दक्षिण कोरिया के साथ एक दीर्घावधि करार किया गया है जिसके अन्तर्गत फरवरी, 1973 से दिसम्बर 1977, की अवधि के दौरान प्रदीप तथा हल्दिया पत्तनों के माध्यम से 11.4 लाख टन बराजमदा लौह अयस्क की सप्लाई की जायेगी । करार की वही शर्तें हैं जो इस क्षेत्र में स्थित अन्य देशों के निर्यातों पर लागू होती हैं ।

(ग) नये बाजारों का पता लगाने के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं । इन प्रयासों के परिणामस्वरूप लौह अयस्क निर्यात करने हेतु ताइवान का एक नया बाजार प्राप्त किया गया है । खनन, परिवहन तथा पत्तन क्षेत्रों में आन्तरिक अवरोधों को दूर करने के लिये उपाय किये जा रहे हैं । इन उपायों के परिणाम निकलने में अभी कुछ समय लगेगा ।

कच्चे काजू के वितरण के बारे में केरल के श्रम मंत्री का वक्तव्य

1634. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 सितम्बर, 1972 को त्रिवेन्द्रम में हुए प्रेस सम्मेलन में केरल के श्रम मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है (जैसा कि जनयुगोम 'विवलोन', दिनांक 1 अक्तूबर, 1972 में प्रकाशित हुआ था) जिसमें कहा गया है कि उन्होंने कच्चे काजू के वितरण के मामले में भारतीय काजू निगम की नीति की आलोचना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारतीय काजू निगम द्वारा आयातित कच्चे काजू के वितरण से सम्बन्धित वर्तमान प्रबन्धों में कुछ संशोधन करने के सुझावों के समाचार के बारे में सरकार को सूचना मिल गई है। राष्ट्रीय आधार पर न्यायोचित वितरण के प्रबन्धों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह विषय संवीक्षाधीन है।

केबल कम्पनी द्वारा लाभ कमाया जाना

1635. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 20 अगस्त, 1972 के 'इकानामिक टाइम्स' बम्बई में 'प्रोफीटियरिंग बाई केबल कम्पनी—हाई-अप इन्वोल्वमेंट अलैज्ड' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) 'इकानामिक टाइम्स' में उल्लिखित मात्रा से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह लेख मैसर्स ओरियन्टल पावर केबल कं० के बारे में है। आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी द्वारा आयातित कम घनत्व वाले पोलिथिलीन मोल्डिंग पाउडर की लगभग 2000 मे० टन की अतिरिक्त मात्रा को अन्य वास्तविक प्रयोक्ताओं को आगे दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। इसको वास्तविक प्रयोक्ताओं को दिये जाने के लिए आदेश पूर्णतः 'कोई लाभ नहीं' के आधार पर दिया जायेगा।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया के मुख्य खजान्ची श्री वेदप्रकाश मलहोत्रा को अवकाश प्रदान करना

1636. **श्री मधु दंडवते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इण्डिया, पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच, के मुख्य खजान्ची श्री वेदप्रकाश

मल्होत्रा, जिनका 'नागरवाला 65-लाख का मामला' में हाथ था, को जबरदस्ती छुट्टी पर भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह कब से अवकाश पर है ; और

(ग) क्या नौकरी से त्यागपत्र देने हेतु उन पर दबाव डालने के लिए कोई प्रयास किये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) जी हां, श्री वी० पी० मल्होत्रा 25-5-1971 से मुअत्तिल हैं। अगस्त/सितम्बर, 1972 में उन्हें 20 दिन की छुट्टी उनकी पुत्री के विवाह के सम्बन्ध में मंजूर की गयी थी। स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि श्री वी० पी० मल्होत्रा के विरुद्ध शुरू की गयी अनुशासनात्मक कार्रवाई के परिणामस्वरूप उन्हें 10 नवम्बर, 1972 से बैंक की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में लिपिकों तथा सहायकों की भर्ती हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

1637. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् राष्ट्रीयकृत बैंकों में निक्षेपों तथा सहायक की भर्ती सम्बंधी नीति में कोई परिवर्तन हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त परिवर्तन का स्वरूप क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी भर्ती के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकरण के बाद 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में कतिपय विशिष्ट वर्गों, अर्थात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों तथा भूतपूर्व सैनिकों आदि के लिए, पदों का कुछ प्रतिशत भाग सुरक्षित कर दिया गया है। इन वर्गों के लिए, आयु/योग्यता/योग्यता सम्बन्धी स्तरों में ढील दे दी गयी है। किन्तु लिपिक वर्ग के पदों पर इन उम्मीदवारों की भर्ती लिखित परीक्षा तथा इंटरव्यू की प्रक्रिया के आधार पर ही होगी।

सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के लिए एक स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना

1638. **श्री के० मालन्ना** :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अक्तूबर, 1972 के 'फाइनान्सियल एक्सप्रेस' में छपे अखिल भारतीय आयातकर्त्ता संघ के अध्यक्ष श्री आर० सी० शाह के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया

है जिसमें सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क दोनों ही के लिए एक स्वतन्त्र अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) जी हां। वास्तव में श्री आर० सी० शाह ने पहले एक विस्तृत पत्र भेजा था, जिसमें एक ऐसे स्वतन्त्र अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए जोर दिया गया था। श्री शाह से प्राप्त इस पत्र की सरकार द्वारा बड़े ध्यानपूर्वक जांच की गयी थी। सरकार ने देखा कि अपीलों तथा नजरसानी की दरख्वास्तों, दोनों की सुनवाई के लिए एक स्वतन्त्र प्रणाली की पहले ही व्यवस्था की गयी थी। इस प्रश्न पर भी विचार किया गया कि वस्तुओं पर शुल्क लगाने संबंधी कार्यवाही करने में शीघ्र निर्णय लेने अनिवार्य होंगे। अतः सरकार का विचार है कि अपीलीय तथा नजरसानी की दरख्वास्त संबंधी संशोधित प्रणाली का, जो संयोग से, उन पर होने वाले व्यय को भी कम रखेगी, निष्पक्ष परीक्षण होना चाहिए।

विदेशों द्वारा रेलवे मालडिब्बों के लिए अनुरोध

1639. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बाहर के कुछ देशों से रेलवे मालडिब्बों के निर्यात के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है, और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं तथा उनको कितने मालडिब्बों की सप्लाई की जानी है ;

(ख) क्या भुगतान विदेशी मुद्रा में होगा अथवा रुपयों में ; और

(ग) क्या सरकार विदेशों को मालडिब्बों का निर्यात करने की स्थिति में है जबकि स्वयं देश को आवश्यकता पूरी नहीं होती है और यदि हां, तो सरकार का विचार माल-डिब्बों के मामले में देश की तथा विदेशों की मांगों को कैसे पूरा करने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां। निम्नोक्त निर्यात आदेश विभिन्न देशों से प्रत्येक के सामने किये गये ब्यौरे सहित, प्राप्त हो चुके हैं और निष्पादित किये जा रहे हैं।

	देश का नाम	वैगनों की संख्या
1.	पोलैण्ड	500
2.	ईरान	492
3.	श्रीलंका	40
4.	इराक	45
5.	यूगोस्लाविया	3,600

ऊपर क्रमांक (1) तथा (5) में किये गये निर्यात आदेशों को छोड़कर, जिन्हें द्विपक्षीय व्यापार प्रबन्धों के अन्तर्गत निष्पादित किया जा रहा है, भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में किया जाना है।

(ग) स्वदेशी आवश्यकताओं तथा निर्यात आदेशों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता विद्यमान है।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से रेलवे मालडिब्बों का निर्यात

1640. **श्री डी० वी० चन्द्रगौड़** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे मालडिब्बों का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारत का वैगन उद्योग सुविकसित है और वैगनों के निर्यात की बड़ी गुंजाइश है। तथापि, इसके लिए संगठित प्रयासों, अनुवर्ती कार्यवाही तथा वैगन बनाने वालों/निर्यातकों के बीच अस्वस्थ प्रतियोगिता और अन्य कदाचारों को दूर करने की आवश्यकता है। चूँकि परियोजना तथा उपस्कर निगम ने इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया था, इसलिए इसे सबसे अधिक उपयुक्त मार्गीकरण अभिकरण समझा गया। अतः रेल वैगनों के निर्यात, परियोजना तथा उपस्कर निगम के माध्यम से मार्गीकृत किये गये हैं।

Losses being suffered by Public Sector Undertakings

1641. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the names of public sector undertakings running in loss continuously for the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The audited accounts of all the Central Government enterprises for the year 1971-72 have not yet been received. Based on the audited accounts received and the provisional information available in respect of others, the following 22 enterprises, including 2 dealing with promotional and developmental activities, have incurred losses during the last three years :

1. Hindustan Steel Ltd.
2. Heavy Engineering Corporation Ltd.
3. Mining and Allied Machinery Corporation Limited.
4. Praga Tools Ltd.
5. National Instruments Ltd.
6. Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.
7. Triveni Structurals Ltd.
8. Neyveli Lignite Corporation Ltd.
9. National Mineral Development Corporation Ltd.
10. Pyrites, Phosphates and Chemicals Ltd.

11. Hindustan Photofilms Mfg. Co. Ltd.
12. Central Road Transport Corpn. Ltd.
13. National Projects Construction Corporation Ltd.
14. Central Inland Water Transport Corporation Ltd.
15. Central Fisheries Corporation Ltd.
16. Fertilisers and Chemicals Travancore Ltd.
17. Hindustan Zinc Ltd.
18. Indian Consortium for Power Projects Ltd.
19. Bharat Heavy Plate and Vessels Ltd.
20. Tannery and Footwear Corporation of India Ltd.
21. Rehabilitation Industries Corporation Ltd.
22. National Small Industries Corporation Ltd.

Public Undertakings running at loss

1642. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of Finance be pleased to state the number of undertakings functioning in the public sector and the number of the undertakings which are running at a loss ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The final audited accounts of all the enterprises for the year 1971-72 are not yet available. According to available information, of the 98 enterprises that were in existence as at the end of 1971-72, about 31 undertakings are likely to have incurred losses in the year 1971-72, excluding those under construction and 60 enterprises have earned profits excluding Life Insurance Corporation of India. The position may undergo some minor change after all audited reports are available.

सरकारी उपक्रमों के लिए प्रबन्धक

1643. **श्री के० लक्कप्पा** :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को सरकार के निर्णय के अनुसार परस्पर एक-दूसरे उद्यम से प्रतिभावान प्रबन्धकीय व्यक्तियों को छोड़ने की अनुमति दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय की रूपरेखा क्या है ?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश, : (क) और (ख) सम्भवत: माननीय सदस्यों का संकेत सरकार के इस निश्चय की ओर है कि सरकारी क्षेत्र में, एक उद्यम में

काम कर रहे प्रबन्धक पदाधिकारियों की नियुक्ति दूसरे उद्यम के प्रबन्धक पदों पर करने के लिए निजी गोपनीय बातचीत की अनुमति दी जाएगी। उपर्युक्त प्रावधान के संदर्भ में इस बात की व्यवस्था भी की गयी है कि इस प्रकार की बातचीत की अनुमति केवल उन्हीं व्यक्तियों के सम्बन्ध में होगी, जो सरकार द्वारा उच्च पदों, या उच्च से नीचे के पदों के लिए स्वीकृत नामिकाओं में से किसी नामिका में हों। इन निश्चयों का उद्देश्य यह है कि सरकारी क्षेत्र परिवार के भीतर प्रबन्धक पदाधिकारी एक जगह से दूसरी जगह अधिक आ-जा सकें, ताकि कुल मिलाकर सारे क्षेत्र को उपलब्ध प्रबन्ध प्रतिभा का लाभ मिल सके। इन निश्चयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप सरकारी उद्यमों ने किसी गम्भीर कठिनाई का उल्लेख नहीं किया है।

औद्योगिक फर्मों के बारे में ऋण को इक्विटी शेयरों में बदलना

1644. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम ने उन 34 औद्योगिक फर्मों के लिए, जिनको चालू वर्ष में रुपये तथा पौण्ड मुद्रा में ऋण दिये थे, यह शर्त रखी है कि ऋण की पूंजी को इक्विटी शेयरों में निगम की इच्छा पर ही बदला जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में औद्योगिक परियोजनाओं को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गयी;

(ग) गत वर्ष कितनी सहायता दी गयी; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें औद्योगिक वित्त निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाएं स्थापित की गयीं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां। 1971-72 (जुलाई-जून) में, निगम ने 34 औद्योगिक कम्पनियों को इस शर्त पर रुपया और पौण्ड स्टर्लिंग ऋण स्वीकार किये कि उसे अपने विवेक से ऋण का एक भाग सामान्य हिस्सा पूंजी में परिवर्तित करने का अधिकार होगा जिसके लिए सम्बद्ध ऋण-करार में व्यवस्था है।

(ख) से (घ) 1970-71 (जुलाई-जून) और 1971-72 (जुलाई-जून) के वर्षों में निगम द्वारा स्वीकृत (सकल) तथा वितरित राज्यवार कुल वित्तीय सहायता सम्बद्ध विवरण में दी गयी है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3787/72]**

Economy Measures for Public Sector Undertakings

1645. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the steps proposed to be taken to effect economy in the public sector undertakings while formulating the Fifth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : Government have taken various measures to effect economy in the public sector undertakings both at the planning and the operational stages. At the planning stage, steps to improve project preparation have been taken for more reliable estimates of project costs, production costs, construction schedule, demand, optimum utilisation of resources etc. Detailed guidelines for this purpose have been prepared in the Planning Commission's Manual on Feasibility Studies. A Public Investment Board has also been constituted to improve project scrutiny and expedite investment decisions. Steps to monitor the implementation of projects and for taking timely remedial measures for better control over project costs and time schedules have also been taken.

At the operational stage a continuous review over performance is maintained with a view to reducing costs, improving productivity and attaining higher levels of performance. Such review covers areas of production planning and control, adoption of scientific materials, management techniques and reduction of inventories, better industrial relations and managerial performance etc.

These measures are expected to avoid unnecessary expenditure on projects and maximise returns on investments made in public sector undertakings.

Investment in Public Sector Undertakings

1646. **Shri Hari Singh** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the capital invested in the public sector undertakings in the various States ; and

(b) whether an imbalance has been created on account of non-adoption of uniform criteria by the public financial institutions for all the States and if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) A Statement giving the information is attached.

(b) No Sir. Capital needed by public sector undertakings is entirely provided—in respect of both equity and loan—by Government.

As regards overall development, Government are aware of differences in the development of regions and it is their declared policy to correct such imbalances to the extent possible. To this end, the appropriate public financial institutions extend long-term assistance and concessional financial assistance to small and medium scale industries established in backward areas. However, where techno-economic considerations dictate the distribution of investment, as for example in a capital intensive industry like steel, the location of a plant carries with it an indivisible lump investment as apart of the decision on location.

Statement

Value of property (gross block) held by Central Government industrial and commercial undertakings in different States as on 31st March 1971.

(Rs. in crores)

1.	2.
Andhra Pradesh	113.8
Assam	78.5
Bihar	928.9
Delhi	19.1
Gujarat	155.4
Haryana	7.8
Himachal Pradesh	0.3
Kerala	126 0
Madhya Pradesh	579.9
Maharashtra	I30.8
Mysore	100.7
Orissa	470.8
Punjab	34.7
Rajasthan	41.1
Tamil Nadu	329.5
Uttar Pradesh	161.6
West Bengal	473.7
Unallocated*	564.9
Total :	4317.5

*Includes mainly :

(1) Rs. 345 crores being the value of aircrafts, ships etc. not assignable in any particular State ; and

(2) Rs. 212 crores being the value of other miscellaneous assets like exploration equipments, storage installation, etc. statewise figures for which are not readily available.

अमरीकन पीस कोर के स्वयंसेवकों की तथाकथित अवांछनीय गतिविधियाँ

1647. **श्री समर मुखर्जी :**
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में, राज्यवार, अभी भी काम कर रहे अमरीकन पीस कोर के स्वयंसेवकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने पीस कोर के स्वयंसेवकों को वापस बुलाये जाने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि इनमें से कुछ स्वयंसेवक अवांछनीय गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त हैं; और यदि हैं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 142 एक विवरण संलग्न है जिसमें पहली नवम्बर, 1972 की स्थिति के अनुसार अमरीकी शान्ति दल के स्वयंसेवकों का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) हरियाणा ।

(घ) जी, नहीं । यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

विवरण

पहली नवम्बर, 1972 की स्थिति के अनुसार अमरीकी शान्ति दल के स्वयंसेवकों का राज्यवार ब्यौरा :

1.	आंध्र प्रदेश	19
2.	बिहार	5
3.	हरियाणा	2
4.	मध्य प्रदेश	22
5.	महाराष्ट्र	15
6.	मैसूर	13
7.	उड़ीसा	15
8.	पंजाब	22
9.	राजस्थान	18
10.	तमिलनाडु	4
11.	उत्तर प्रदेश	5
12.	संघीय राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़	2
	जोड़ :	142

Advance to Adivasis in Bihar by Industrial Development Banks

1649. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount advanced to Adivasis in Bihar by the Industrial Development Bank during 1971-72 ; and

(b) the amount advanced to private sector industries in Bihar during the said period ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) During the financial year 1971-72, the Industrial Development Bank of India sanctioned and disbursed financial assistance of all types amounting to Rs. 12.8 crores and Rs. 1.6 crores respectively to the industrial concerns located in Hazaribagh, Singhbum, Dhanbad and Darbhanga districts of Bihar. Though under its charter the Development Bank is empowered to render the financial assistance only to industrial concerns and not to individuals or communities, the projects assisted will be contributing to the further industrial development of the State including the areas inhibited by Adivasis.

सरकारी क्षेत्र के लिए योजना पूंजी निवेश

1650. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश सम्बन्धी प्रस्तावों की छानबीन शीघ्र करने के लिए तथा उनके अनुमोदनार्थ एक उच्च शक्ति प्राप्त विशेष बोर्ड स्थापित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन होंगे तथा उसके निदेश-पद क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।
(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकारी निवेश बोर्ड का गठन इस प्रकार है—

सचिव (व्यय) वित्त मन्त्रालय	अध्यक्ष
सचिव (आर्थिक कार्य विभाग) वित्त मन्त्रालय	सदस्य

सचिव योजना आयोग	सदस्य
सचिव औद्योगिक विकास	,,
प्रधान मन्त्री के सचिव (डाक्टर पी० एन० धर)	,,
सरकारी निवेश के प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रशासकीय मन्त्रालय के सचिव	,,

सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों/उपक्रमों में एक करोड़ रुपये की राशि तक के सभी प्रस्तावों पर बोर्ड द्वारा विचार किया जायगा। उक्त बोर्ड विभागीय उपक्रमों में निवेश के प्रस्तावों पर भी विचार करेगा यदि उनमें किये जाने वाले निवेश की राशि एक करोड़ रुपये या उससे अधिक की होगी। संयुक्त क्षेत्र में निवेश के उन प्रस्तावों, जिनमें 1 करोड़ या उससे अधिक रकम का सरकारी प्रत्यक्ष पूँजी निवेश अन्तर्ग्रस्त है (सभी सरकारी वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर), पर भी इस बोर्ड द्वारा विचार किया जायगा। रेल मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के निवेश प्रस्ताव सरकारी निवेश बोर्ड की परिधि से बाहर होंगे।

बोर्ड के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :

(क) परियोजना के निर्माण के दौर पर किसी निवेश प्रस्ताव की उन स्थूल रूपरेखाओं की जांच करना जिनके आधार पर सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्णय किया जायगा;

(ख) सरकारी निवेश के उन प्रस्तावों पर निवेश सम्बन्धी निर्णय लेना जो माल के उत्पादन और सेवाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में हों।

(ग) लागत अनुमानों में संशोधन के उन प्रस्तावों पर विचार करना जो निवेश सम्बन्धी निर्णय लेते समय स्वीकार किये गये अनुमानों से बढ़ जायँ।

नियन्त्रित कपड़े की बिक्री के बारे में मिलों का मार्गदर्शन

1651. **श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :**
श्री वी० मायावन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़े की नियंत्रित किस्म की बिक्री के बारे में मिलों को कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन पर मिलों की क्या प्रतिक्रिया है और इस बात को निश्चित करने के लिए कि मिलों द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उचित पालन किया जाये, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) मिलों को आदेश दिया गया है कि वस्त्र आयुक्त के विशिष्ट निदेशनों के अन्तर्गत ऐसा करने के सिवाय, किसी प्रकार के नियंत्रित कपड़े की सुपुर्दगी न दें। वस्त्र आयुक्त प्रत्येक मिल द्वारा तैयार कपड़े के 10 प्रतिशत की बिक्री, उनकी अपनी खुदरा दुकानों के माध्यम से करने के सम्बन्ध में विशिष्ट हिदायतें जारी करता है। विहित माध्यमों द्वारा शेष कपड़े के वितरण के आदेश भी वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी किये जाते हैं।

(ग) नियंत्रित कपड़े के वितरण से संबंधित संशोधित प्रक्रिया का मिलों ने अभी तक कोई विरोध नहीं किया है। इस कपड़े के विक्रय से सम्बन्धित अपने आदेशों के अनुपालन पर वस्त्र आयुक्त कड़ी निगरानी रख रहा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्रबन्धक सेवा

1652. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धक पदों के लिए एक अखिल भारतीय सेवा बनाने की वांछनीयता के बारे में विचार किया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में योग्य प्रबन्धकों की कमी को पूरा करने के लिए औद्योगिक प्रबन्ध पूल को पुनः आरम्भ करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के सभी उपक्रमों के लिए सामान्य प्रबन्ध संवर्ग की वांछनीयता की जांच-पड़ताल की गयी है परन्तु इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया जिसका मुख्य कारण यह है कि इससे अलग-अलग उद्यमों की कार्यचालन सम्बन्धी स्वायत्तता कम हो जायगी। इसलिए सरकारी उद्यमों को स्वयं अपने प्रबन्ध सम्बन्धी संवर्ग बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। सरकारी उद्यमों में ऐसे सदृश प्रबन्ध सम्बन्धी संवर्ग का विकास करने को प्रोत्साहन देने के लिए जो उपाय किये गये हैं उनमें सरकारी सेवाओं से आने वाले प्रतिनियुक्त व्यक्तियों पर इन उद्यमों की निर्भरता में कमी करने का निर्णय, कुशल व्यक्तियों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए उपयुक्त भर्ती और सेवा नियम बनाना, प्रबन्ध सम्बन्धी उपयुक्त प्रशिक्षण देना, वैज्ञानिक प्रबन्ध विकास कार्यक्रम को अपनाना, प्रबन्ध सम्बन्धी मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करना, कार्य आवर्तन आदि शामिल हैं। 1959-1960 में प्रारम्भिक भर्ती के बाद औद्योगिक प्रबन्ध समूह संवर्ग में और भर्ती करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा संस्थान के अन्तर्नियमों में संशोधन की मांग

1653. **श्री एम० कन्तामुत्तु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त निगम ने अपने संस्था के अन्तर्नियमों में संशोधन की सरकार से मांग की है ताकि वह प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों को भी ऋण दे सके ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 के द्वारा एक सांविधिक निगम के रूप में स्थापित किया गया था और इसलिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निगमित कम्पनी के रूप में इसकी कोई अन्तर्नियमावली नहीं है । फिर भी निगम ने अपने कानून में कतिपय संशोधन करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है, जिनमें एक ऐसा संशोधन भी शामिल है जिससे निगम निजी लिमिटेड कम्पनियों को वित्तीय सहायता दे सकेगा । इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

अमरीकी सहायता के बंद होने से औद्योगिक विकास पर प्रभाव

1654. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में आश्वासन दी गई अमरीकी सहायता के बंद हो जाने अथवा न मिलने से देश के औद्योगिक विकास पर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) पहले से योजनाबद्ध किये गए औद्योगिक विकास को बनाए रखने के लिए अपेक्षित सहायता के वैकल्पिक स्रोतों को ढूँढ़ने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी नहीं । अमरीकी सहायता के विलम्बन अथवा उसके उपलब्ध न होने के कारण, चाल वर्ष में देश में औद्योगिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ग) अमरीकी सहायता का विलम्बन होने के परिणामस्वरूप, संयुक्त राज्य अमेरिका से मंगाये जाने वाले कच्चे माल के सम्बन्ध में अदायगियां मुक्त विदेशी मुद्रा में की जानी होती हैं । उन अपरिहार्य वस्तुओं के आयात के लिए, जो रुपया क्षेत्रों से अथवा उन देशों से, जहाँ से ऋण उपलब्ध है, प्राप्त नहीं हो सकतीं, विदेशी मुद्रा दे दी जाती है । देश के अन्दर उत्पादन में वृद्धि करने और आयात-प्रतिस्थापन के काम को तेज बनाने के लिए भी कदम उठाये गये हैं । सरकार ने इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की है कि अमरीकी सहायता के विलम्बन के कारण, अर्थ-व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

भारतीय टैलीविजन सैटों के निर्यात के लिए किये गये प्रयास

1655. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा बनाये गये टैलीविजन सैटों के निर्यात के मामले में कोई प्रयास किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो किये गये प्रयासों का लेखा-जोखा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारत में टैलीविजन सैटों का उत्पादन अभी तक ऐसे स्तर पर आरम्भ नहीं हुआ है कि सम्बन्धित निर्माता उनका निर्यात विपणन कर सकें ।

जापान को निर्यात किए गए लौह अयस्क के मूल्य के बारे में विवाद

1657. **श्री राज राजसिंह देव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान को पहले ही निर्यात किये जा चुके लौह अयस्क के मूल्य निर्धारण के मामले में उस देश से कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो विवाद की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या जापान सरकार अतिरिक्त राशि का भुगतान करने को सहमत हो गई है और यदि नहीं, तो राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 25 दिसम्बर, 1971 को अमरीकी डालर के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप लौह अयस्क के निर्यातक जापानी स्टील मिल इंडस्ट्री से लौह अयस्क की कीमतों में वृद्धि के लिए बराबर बातचीत कर रहे हैं ।

बढ़िया और घटिया किस्मों के अयस्कों के निर्यात के लिए विदेशी मण्डियाँ

1658. **श्री के० मालन्ना** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा कमाने के लिए बढ़िया और घटिया किस्मों के अयस्कों के लिए विदेशी मण्डियां खोजने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) 1972-73 और 1973-74 में इनके निर्यात से विदेशी मुद्रा की कितनी आय होने की आशा है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) उच्च तथा निम्न कोटि के अयस्कों के लिए नए बाजार ढूंढ़ने हेतु किये गए सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत से अयस्कों के खरीदारों की सूची में दक्षिण कोरिया तथा ताइवान का नाम जोड़ दिया गया है ।

(ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान इन अयस्कों के निर्यात के फलस्वरूप क्रमश: लगभग 145 करोड़ रु० तथा 155 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा दूर-पूर्व के देशों को भारतीय लौह-अयस्क का निर्यात

1659. **श्री मुहम्मद शरीफ** :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा दूर-पूर्व के देशों को भारतीय लौह-अयस्क का निर्यात करने के लिए, किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जापान, दक्षिण कोरिया तथा ताईवान को क्रमश: लगभग 620 लाख मे० टन, 11.4 लाख मे० टन तथा 11.6 लाख मे० टन लौह अयस्क की सप्लाई करने के लिए कई दीर्घावधि संविदाएं सम्पन्न की गयी हैं । इन संविदाओं के संबंध में सुपुर्दगी की अवधि 1972 से 1978 तक है । संविदाएं सामान्यत: स्वीकृत शर्तों पर आधारित हैं ।

मूल्यों के बारे में खनिज तथा धातु व्यापार निगम की नीति

1660. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई मैट्ल एक्सचेंज के अध्यक्ष ने यह मांग की है कि प्रत्येक तिमाही के लिए मूल्य निर्धारण तथा इसके लाभांश और सेवा प्रभारों के आधार के बारे में खनिज तथा धातु व्यापार निगम की नीति शीघ्रता से तथा स्पष्ट रूप से घोषित की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय काजू निगम की दोषपूर्ण नीतियों के कारण काजू कारखानों का बन्द होना

1661. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :
श्री ए० के० गोपालन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय काजू निगम की कच्चे काजू वितरित करने सम्बन्धी दोषपूर्ण नीतियों के परिणामस्वरूप केवल केरल काजू विकास निगम के कारखाने बन्द हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय काजू निगम काजू का वितरण किस आधार पर कर रहा है ;

(ग) क्या सरकार भारतीय काजू निगम की वर्तमान नीति बदलेगी ; और

(घ) क्या सरकार को केरल सरकार से इस आशय का कोई ज्ञापन मिला है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) इस समय भारतीय काजू निगम द्वारा निर्यात-अभिमुख उद्योग को आयातित कच्चे काजू का वितरण निम्न-लिखित के सम्बन्ध में परिकलित निम्नतम मात्राओं के आधार पर किया जाता है—

(i) 1968-69 में सर्वाधिक आयात और मार्गीकरण से पूर्व 1970 में यथानुपात आधार ।

(ii) 1968-69 में सर्वाधिक निर्यात और मार्गीकरण से पूर्व 1970 में यथा अनुपात ।

(iii) एकक की साधित करने की क्षमता । यह नीति, सभी हितों से परामर्श करने के बाद मतैक्य के आधार पर बनाई गई थी ।

2. केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से भारतीय काजू निगम द्वारा आयातित कच्चे काजू के विद्यमान वितरण व्यवस्था में कुछ संशोधन करने का अनुरोध किया है और केरल राज्य काजू विकास निगम के अन्तर्गत कारखानों के लिए कच्चे काजू की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से कहा है । केरल सरकार के सुझावों को ध्यान में रखा जा रहा है और साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर न्यायोचित वितरण की व्यवस्था हो ।

3. भारतीय काजू निगम के यथासंभव अधिक कच्चे काजू के आयात हेतु पुरजोर प्रयत्न किये जाने के बावजूद भी, उपलब्ध पूर्तियां तथा उद्योग की वास्तविक आवश्यकताओं के बीच काफी अन्तर रह रहा है और कुछ कारखानों का वर्ष में कुछ समय के लिए बंद रहना अपरिहार्य हो गया है । फिर भी भारतीय काजू निगम के कार्य के पहले वर्ष के दौरान अपेक्षतया अधिक संगठित आयात तथा वितरण प्रणाली के परिणामस्वरूप काजू का निर्यात बढ़कर रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया है ।

सरकारी उपक्रमों को हुआ लाभ

1662. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अब तक सरकारी उपक्रमों में कुल कितनी पूँजी लगाई गई है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में इन उपक्रमों को प्रति वर्ष कितना लाभ हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1971-72 के लेखा-परीक्षित लेखे अभी सब उद्यमों से प्राप्त नहीं हुए हैं। लेखा परीक्षित लेखों पर आधारित पूरी सूचना के बल पर वर्ष 1970-71 के लिए ही उपलब्ध है। वर्ष 1970-71 के अन्त तक केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों में किए गए कुल पूँजी निवेश (सामान्य पूँजी और ऋण) की रकम 4682 करोड़ रुपये थी। इन उपक्रमों (भारतीय जीवन बीमा निगम और निर्माणाधीन उपक्रमों को छोड़कर) के पिछले तीन वर्षों के सम्पूर्ण कार्यचालन परिणाम इस प्रकार थे —

	1970-71		1969-70		1968-69	
	वास्तविक लाभ	**वास्तविक हानि**	**वास्तविक लाभ**	**वास्तविक हानि**	**वास्तविक लाभ**	**वास्तविक हानि**
						(करोड़ रुपयों में)
	74.91	78.28	70.97	75.85	66.23	93.90
	(50)	(37)	(48)	(33)	(42)	(31)
सम्पूर्ण वास्तविक हानि	3.37		4.88		27.67	
	(87)		(81)		(73)	

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े उपक्रमों की संख्या प्रदर्शित करते हैं।

संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को अधिकार में लेना

1663. **श्री गिरिधर गोमांगो :**
श्री वी० मायावन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में 46 संकटग्रस्त कपड़ा मिलों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में अभी भी कितनी मिलें संकटग्रस्त हैं तथा उन्हें अपने अधिकार में न लेने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) संकटग्रस्त वस्त्र उपक्रम (प्रबन्ध-ग्रहण) अध्यादेश, 1972 में अन्तर्विष्ट 'संकट-ग्रस्त वस्त्र उपक्रम' की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले, देश के 46 वस्त्र मिलों का प्रबन्ध सरकार द्वारा ग्रहण किया जा चुका है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा किए गए निर्यात में वृद्धि

1664. **श्री गिरिधर गोमांगो** :
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के प्रथम छः मास में राज्य व्यापार निगम द्वारा किए गए निर्यात में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इन छः मास में कितना शुद्ध लाभ हुआ ; और

(ग) कुल कितने मूल्य का माल निर्यात किया गया और किस-किस देश को ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) 3.02 करोड़ रु० (अनन्तिम) ।

(ग) अप्रैल-सितम्बर, 1972 के दौरान 38 करोड़ रु० के मूल्य का माल निम्नोक्त देशों को भेजा गया —

आस्ट्रेलिया, बंगला देश, बुल्गेरिया, बर्मा, कनाडा, श्रीलंका, चैकोस्लोवाकिया, फ्रांस, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, कीनिया, कुवैत, मोज़ामबीक, न्यूजीलैंड, उत्तर कोरिया, फारस की खाड़ी, फिलीपीन, पोलैंड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, सूडान, स्विटजरलैंड, ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका, सोवियत संघ, पश्चिम जर्मनी तथा अन्य ।

भारत और यूगोस्लाविया के बीच व्यापार सम्बन्धी बातचीत

1665. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1972 में भारत और यूगोस्लाविया के बीच व्यापार-वार्ता हुई थी ;

(ख) क्या कोई अन्तिम करार हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) जो करार किये गये, वे निम्न प्रकार हैं —

(1) दोनों देशों के बीच वर्तमान रुपया व्यापार तथा भुगतान करार 31-12-1972 को समाप्त हो जायेगा ।

(2) 1 जनवरी, 1973 से, भारत तथा यूगोस्लाविया के बीच व्यापार तथा भुगतान संबंधी सभी लेन-देन मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में किये जायेंगे ।

(3) दोनों सरकारों के बीच एक नया व्यापार करार किया जायेगा जो 1-1-1973 से लागू होगा ।

(4) दोनों देशों के बीच सभी बकाया रुपया-ऋणों का दोनों सरकारों के मध्य समायोजन किया जायेगा ।

आयात में कमी

1666. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार गत पांच महीनों में निर्यात में वृद्धि हुई है और आयात में कमी ;

(ख) यदि हां, तो आयात में कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) आयात में कितनी कमी हुई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अंतिम पाँच महीने अर्थात् अप्रैल से अगस्त, 1972 तक की अवधि के अनुसार, जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, निर्यातों में वृद्धि हुई और आयात कम हुए ।

(ख) अप्रैल से अगस्त, 1972 की अवधि के लिए आयात के विस्तृत वस्तुवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अतः विभिन्न वस्तुओं के आयातों में गिरावट के कारणों के संबंध में कोई विशिष्ट निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं है ।

(ग) अप्रैल से अगस्त 1971 की अवधि के दौरान हुए आयातों की तुलना में अप्रैल से अगस्त, 1972 के दौरान आयातों में 64.51 करोड़ रु० तक कमी हुई है ।

भारत-ब्रिटेन व्यापार में वृद्धि

1667. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-ब्रिटेन व्यापार में लगातार वृद्धि होती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने मूल्य का व्यापार हुआ ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत तथा ब्रिटेन के बीच हुए व्यापार के आंकड़े निम्नलिखित हैं —

(लाख रु० में)

वर्ष	ब्रिटेन से भारत में आयात	भारत से ब्रिटेन को निर्यात	व्यापार संतुलन
1969-70	10259	16507	+6248
1970-71	12676	17044	+4368
1971-72	21686	16870	−4816

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण में वृद्धि

1668. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् $2\frac{1}{2}$ वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को दिये गये ऋण में 220 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ; और

(ख) जून, 1969 में और अक्तूबर, 1972 में इस वर्ग को कुल कितना ऋण दिया गया था ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : आलोच्य अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों अर्थात् कृषि, लघु उद्योगों, सड़क परिवहन चालकों, खुदरा व्यापार और छोटे व्यापार व्यवसायियों व आत्म नियोजित व्यक्तियों और शिक्षा के लिए दिये गये बकाया अग्रिमों में 120 प्रतिशत की वृद्धि हुई (220 प्रतिशत की नहीं) ।

जून, 1969 और जून, 1972 के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इन वर्गों को दिये गये बकाया अग्रिमों की राशि क्रमशः 438.50 करोड़ रुपये और 1066.70† करोड़ रुपये थी ।

एशिया '72 के लिए महिला परिचारिकाओं (गर्ल गाइड) की भर्ती और प्रशिक्षण के प्रबन्ध

1669. **श्री भोला मांझी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया '72 के लिए महिला परिचारिकाओं की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए सरकार ने कोई प्रबन्ध किये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) एशियाई मेला संगठन ने केन्द्रीय रूप से गर्ल गाइडों की भर्ती का प्रबन्ध करने, उनके लिए प्रशिक्षण का सामान्य पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने और मेले में भाग लेने वालों को उनकी सेवाएं उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया । यह योजना संतोषजनक रूप से क्रियान्वित की गई है । गर्ल गाइडों की भर्ती खुले विज्ञापन द्वारा आवेदन-पत्र मांगने के बाद की गई थी । 707 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया गया जिनमें से 292 अभ्यर्थी चुने गये । चुनी गई सभी गर्ल गाइडों को (26 को छोड़ कर जो काम पर नहीं आईं) 16 दिन की अवधि के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ा । मेले में भाग लेने वालों द्वारा गर्ल गाइडों को जो वेतन तथा भत्ते दिये जाते हैं वे भी एक समान हैं । प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रतिमास 350 रु० वेतन तथा भत्ते दिये गये और गर्ल गाइडों के रूप में उनकी पोस्टिंग होने के दौरान उन्हें 750 रु० प्रति मास मिलेंगे ।

केंद्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड के सदस्यों को पुनः रोजगार

1670. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड के कुछ ऐसे सदस्यों के सेवा काल में वृद्धि की जा रही है अथवा उन्हें पुनः रोजगार दिया जा रहा है जिन्हें 1972-73 में सेवानिवृत्त होना था ; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनमें से उन सदस्यों की संख्या कितनी है जिन्हें, उनकी पुनः नियुक्ति अथवा निवृत्ति की दिशा में पहली कार्यवाही के रूप में, निवृत्तिपूर्व छुट्टी देने से इन्कार कर दिया गया है ;

(ग) क्या बोर्ड के सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी पुनः रोजगार दिया जा रहा है ; यदि हां, तो किन पदों पर तथा कितने समय के लिए ; और

†यह अन्तिम तिथि है जिस तक आंकड़े उपलब्ध हैं ।

(घ) क्या जिन पदों को ऐसे अधिकारियों को दिया जा रहा है जिनका सेवा-काल समाप्त हो गया है। उन पर नियुक्त करने के लिए केन्द्रीय सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क की नियमित सेवा में उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) केवल एक मामला है अर्थात् सदस्य, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क का, जो 16 नवम्बर 1972 के दोपहर बाद से सेवानिवृत्त हुआ है और जिसको विशेष कार्याधिकारी के तौर पर लगाने के प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) कोई नहीं।

(ग) ऐसा कोई मामला नहीं है।

(घ) ऊपर (क) में उल्लिखित अधिकारी, केंद्रीय उत्पादन-शुल्क स्व-निर्धारण पर निकासी कार्यविधि (समीक्षा) समिति पर गत वर्ष समिति के बनाये जाने के समय से विभागीय प्रतिनिधि रहा है। समिति को अपनी रिपोर्ट 30 सितम्बर, 1973 तक पेश कर देनी है और यह महसूस किया गया था कि समिति पर उसी वरिष्ठ अधिकारी का प्रतिनिधित्व चालू रखने में स्पष्टतः सुविधा रहेगी।

चमड़े के सामान के बारे में विदेशों द्वारा पूछताछ

1672. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में चर्म उत्पादों के निर्यात में काफी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और क्यों ; और

(ग) क्या चर्म उत्पादों के बारे में विदेशों से 290 पत्र पूछताछ के लिए प्राप्त हुए हैं ; और यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तैयार चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुओं की निर्यात संवर्धन परिषद्, कानपुर, को चमडे से बनी वस्तुओं के बारे में विदेशों से 1970-71 के दौरान 224 पूछताछें तथा 1971-72 के दौरान 290 पूछताछें प्राप्त हुईं। इन पूछताछों पर शीघ्र ही कार्यवाही की गई तथा परिषद् के सदस्यों को भेज दी गईं। सरकार को उन पूछताछों के बारे में कोई जानकारी नहीं है जो कि निर्यात सदनों तथा व्यक्तिगत निर्यातकों द्वारा सीधे ही प्राप्त हुई हों।

प्रमुख बैंक योजना' के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधीन क्षेत्रों की विकास सम्भावनाओं सम्बन्धी अध्ययन

1673. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख बैंक योजना के अन्तर्गत, राष्ट्रीयकृत बैंकों को उनके अधीन क्षेत्रों की

विकास संभावनाओं का अध्ययन करने, धन वितरित करने की विधि खोजने और अपने क्षेत्र में सहायक की भूमिका निभाने के लिए पहल करनी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों ने अपनी यह जिम्मेदारी निभाने में कहां तक सफलता पाई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को बैंकिंग कारोबार के सम्बन्ध में क्षमताओं का अध्ययन करना पड़ता है ताकि उत्पादन और वितरण की सक्षम योजनाओं के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान कर सकें।

(ख) बैंक नेतृत्व संबंधी अपनी जिम्मेदारी को काफी संतोषजनक ढंग से निभाने के लिए कदम उठाते रहे हैं।

राजस्थान के लिए चौथी योजना में पर्यटन विकास हेतु कुल परिव्यय

1674. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के लिए चौथी योजना में पर्यटन विकास हेतु कुल परिव्यय कितना है और विकास-कार्यक्रम की क्या विशेषता है ;

(ख) क्या इस कार्यक्रम पर कार्य समयानुसार चल रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राजस्थान में केन्द्रीय क्षेत्र में चौथी योजना में सम्मिलित की गयी पर्यटन स्कीमें।

पर्यटन विभाग

स्कीमें	योजना विनिधान
1	2
	(लाख रुपयों में)
1. भरतपुर में विश्राम गृह	14.49
2. भरतपुर में एक मिनी बस की सप्लाई	0.41
3. सारिस्का वन्य जीवशरण-स्थान का विद्युतीकरण	3.18

स्कीमें	योजना विनिधान
4. सारिस्का वन्य जीव शरण-स्थान पर एक मिनी बस की व्यवस्था	0.41
5. सारिस्का वन्य जीव शरण-स्थान पर प्राकृतिक दृश्य योजना	0.05
6. जैमलसेर में पर्यटक बंगला	5.00
7. रणकपुर में बिजली की सप्लाई	0.85
8. रणकपुर में पर्यटक बंगला	1.00 (3 लाख रुपये का व्यय पांचवी योजना में किया जाएगा)
9. जयपुर में स्वागत केन्द्र	12.25
10. जयपुर में युवा होस्टल	4.36
11. जयपुर में शिविर-स्थल	1.00
कुल	43.00

भारत पर्यटन विकास निगम

1. उदयपुर में लक्ष्मी विलास पैलेस होटल का विस्तार	25.00
2. जयपुर में परिवहन यूनिट	1.50
3. उदयपुर में परिवहन यूनिट	1.00
कुल	27.50

'ट्राइस्टार' विमान की खरीद का प्रस्ताव

1675. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'ट्राइस्टार' विमान की बिक्री सम्वर्द्धन यात्रा पर हाल में भारत लाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस विमान की क्षमता क्या है तथा इसमें कितना ईंधन जलता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे विमान खरीदने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कितने विमान खरीदे जाएंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विमान में सीट-व्यवस्था (कनफिग्युरेशन) के अनुरूप 256 से 400 यात्रियों की क्षमता है। तथापि जो विमान प्रदर्शन के लिए भारत लाया गया था उसमें पूर्ण रूप से पर्यटकों के लिए ही की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत 376 सीटों की क्षमता थी और इसमें प्रति उड़ान घण्टे में औसतन 7760 किलोग्राम ईंधन लगने की सूचना दी गई है।

(ग) और (घ) फिलहाल इस प्रकार के विमान को खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया द्वारा इटली और मालदीव द्वीपसमूह के बीच हालीडे ट्रैफिक अवकाश पर यात्री यातायात हथियाना

1676. **श्री नवलकिशोर शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के स्थान पर इटली और मालदीव द्वीपसमूह के बीच यात्रा करने वाले अवकाश पर यात्री क्वांटाश और एयर सीलोन का प्रयोग करने लगे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस चुनौती का सामना करने के लिए इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ;

(ग) क्या इन दोनों हवाई कम्पनियों ने सरकार से इस कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी हानि हुई है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) एयर इण्डिया को मिलान स्थित हमारे पर्यटन अधिकारी से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें सुझाव दिया गया था कि इण्डियन एयरलाइन्स के सहयोग से वे इटली के पर्यटकों के समूहों को इटली से मालदीव द्वीपसमूह तक ला सकते हैं। क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एयरलाइन्स इन द्वीपसमूहों के लिए परिचालन नहीं करती, अत: इसमें त्रिवेन्द्रम् से माले तक इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा किरायों पर विशेष शटलों का परिचालन करना सम्मिलित हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप लगभग छ: लाख रुपये की हानि संभावित है। इण्डियन एयरलाइन्स ने प्रत्याशित हानि की पूर्ति के लिए सरकार से उपदान का अनुरोध किया। यह स्वीकार्य नहीं था।

सोवियत संघ तथा पूर्व-यूरोपीय देशों को सोंठ का निर्यात

1677. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** :
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ का विचार मिजोराम से केन्द्रीय सरकार द्वारा 1500 टन सोंठ खरीदने का है ;

(ख) क्या अन्य पूर्व-यूरोपीय अनेक देशों ने भी सोंठ में गहरी रुचि दिखाई है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं, मांग की मात्रा क्या है तथा इस व्यापार से कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की आशा है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सोवियत संघ द्वारा 1500 मे० टन सोंठ की प्रस्तावित खरीद के सम्बन्ध में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है । तथापि, सोवियत संघ ने जनवरी से सितम्बर 1972 की अवधि में भारत से 150 मे० टन अदरक का आयात किया है ।

(ख) तथा (ग) पूर्व यूरोपीय देश, प्रति वर्ष उनके साथ हुए द्विपक्षीय रुपया व्यापार प्रबन्धों के अन्तर्गत, भारत से अदरक का आयात करते हैं । जनवरी-सितम्बर 1972 के दौरान सोवियत संघ, चैकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड तथा पूर्व जर्मन ने भारत से 13 लाख रु० मूल्य का लगभग 369 मे० टन अदरक खरीदा है ।

एक पृथक चाय सम्वर्द्धन एजेंसी बनाने का प्रस्ताव

1678. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टी एसोसिएशन तथा यूनाइटिड प्लांटर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया ने संयुक्त रूप से यह मांग की है कि एक पृथक चाय सम्वर्द्धन एजेन्सी बनाई जाए ; और

(ख) यदि हां, तो उनके प्रस्ताव पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

सरकार की वित्त-नीति

1679. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय निर्माता संघ ने सरकार से चालू आय में से पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी वित्त-नीति को नया रूप देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार का ध्यान, 10 सितम्बर, 1972 के 'द फाइनेन्शियल एक्सप्रेस' में अखिल भारतीय निर्माता संघ के अध्यक्ष के भाषण के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जो उन्होंने मद्रास में संघ की केन्द्रीय समिति की पहली त्रैमासिक बैठक में दिया था और जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि चालू आय

में से पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय नीति को नया रूप दिया जाना चाहिए। किन्तु संघ की ओर से इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

हिमाचल प्रदेश को ऋण तथा अनुदान

1680. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 में केन्द्रीय सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को गैर-योजना परियोजनाओं के लिए ऋणों, अनुदानों तथा अन्य प्रकार की सहायता के रूप में कुल कितनी राशि प्रदान की गई ; और

(ख) वे विभिन्न शीर्षक कौन से हैं जिनके अन्तर्गत ये ऋण तथा सहायता दी गई हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान हिमाचल प्रदेश को विशिष्ट परियोजनाओं के लिए कोई आयोजना-भिन्न सहायता नहीं दी गई है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वित्त मंत्री का जापान का दौरा

1681. **श्री पी० गंगादेव** :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टोक्यो के हाल के दौरे के दौरान उन्होंने जापान के प्रधान मंत्री से बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा हुई तथा उसका परिणाम क्या निकला ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) दोनों देशों के बीच राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्धों के बारे में मोटे तौर पर बातचीत हुई थी और विचारों का आदान-प्रदान किया गया था।

ब्रिटेन द्वारा भारत को दी जाने वाली सहायता

1682. **श्री पी० गंगादेव** :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन द्वारा भारत को सबसे अधिक सहायता दी जाती है ;

(ख) सन् 1972-73 के लिए ब्रिटेन ने भारत को कुल कितनी राशि के ऋण का वादा किया है ;

(ग) क्या यह ऋण ब्याज मुक्त होगा ; और

(घ) कितनी किश्तों में इस ऋण की अदायगी की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जून, 1972 में भारत सहायता संघ की बैठक में ब्रिटेन ने वर्ष 1972-73 के लिए 6.3 करोड़ पौंड (119.50 करोड़ रुपये) की सहायता देने का वचन दिया था ।

(ग) जी, हां ।

(घ) यह ऋण 25 वर्षों की अवधि में, जिसमें 7 वर्ष की प्रारम्भिक रियायती अवधि भी शामिल है, 36 छमाही किश्तों में चुकाया जाना है ।

हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम निगम

1684. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'हिन्दलको' में, जो बिरलाओं के नियन्त्रणाधीन एक फर्म है, मुख्य शेयरधारी कौन-कौन हैं और प्रत्येक के पास कितने प्रतिशत शेयर हैं ; और

(ख) क्या रेणुसागर पावर कं० लिमिटेड 'हिन्दलको' की सम्पूर्ण रूप से निजी सहायक कम्पनी है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) मैसर्स हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड की साम्य पूंजी के 20 मुख्य अंशधारियों के नाम और उनमें से प्रत्येक के द्वारा 19.5.1972 तक सूत्रधारित अंशों की प्रतिशत संलग्न विवरण में दिये जाते हैं ।

(ख) कम्पनी के 31-12-71 तक के तुलन-पत्र के अनुसार मैसर्स रेणुसागर पावर कम्पनी लिमिटेड की सम्पूर्ण पूंजी, सूत्रधारित कम्पनी हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड और उसके नामितों द्वारा धारित है ।

विदेशी मुद्रा के बारे में घोटाला

1685. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'हिन्दलको' और इसकी सहायक कम्पनी 'रेणुसागर पावर कम्पनी' 1966-67 और उसके बाद **आई०** जी० ई० अमरीका से करोड़ों रुपये के संयन्त्र और मशीनें खरीदने से सम्बन्धित विदेशी मुद्रा के गम्भीर प्रकार के घोटाले में फंसी हुई थी ;

(ख) क्या यह भी कहा गया है कि बिरला विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करके अपने वाशिंगटन और स्विटजरलैण्ड स्थित कार्यालयों में दोहरे कमीशन की राशियां जमा कराने में सफल हो गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का एक उच्च शक्तिप्राप्त आयोग से पूरी जांच कराने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) प्रवर्तन प्राधिकारी मामले की जांच-पड़ताल कर रहे हैं । जांच-पड़ताल के दौरान, न्यायालयों द्वारा कुछ कागजात सील कर दिये गये हैं और प्रवर्तन प्राधिकारियों ने जो अपील दायर की है वह उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है ।

कपड़े के कुल उत्पादन में से 15 प्रतिशत का निर्यात करने की अनिवार्यता

1686. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह योजना त्याग दी है जिसके अन्तर्गत सूती कपड़ा उद्योग पर उत्पादन का 15 प्रतिशत अनिवार्य रूप से निर्यात करने की व्यवस्था की जाने वाली थी; और

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) उद्योग के अन्दर मतैक्य से स्वैच्छिक आधार पर एक योजना बनाई गई है जिसके अन्तर्गत इण्डियन कॉटन मिल्स फैडरेशन ने प्रत्येक मिली-जुली मिल से 1973 में अपने उत्पादन का 15 प्रतिशत निर्यात करने के लिए कहा है । सूती वस्त्र उद्योग पर कानूनी निर्यात दायित्व लगाने के बारे में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व योजना के कार्यकरण पर ध्यान रखने की आवश्यकता है ।

भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेंट संस्थान द्वारा शिकायत

1687. **श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेंट संस्थान ने यह शिकायत की है कि कम्पनी कार्य विभाग चार्टर्ड एकाउण्टेंटों के व्यवसाय पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले मामलों में संस्थान से परामर्श नहीं लेता है ;

(ख) क्या संस्थान ने किन्हीं विशिष्ट उदाहरणों का उल्लेख किया है जिसमें कोई परामर्श नहीं किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमन् ! निर्देशित दो दृष्टान्त ये हैं :—

(1) लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति से सम्बन्धित कम्पनी (संशोधन) विधेयक 1972 में दिये गये उपबन्ध 2 विभाग द्वारा अभिव्यक्त यह विचार कि जब एक शाख-प्राप्त लेखाकार फर्म को एक कम्पनी का लेखा-परीक्षक नियुक्त किया जाये तो उसकी लेखा-परीक्षित रिपोर्ट पर केवल फर्म का नाम ही नहीं बल्कि सहयोगी के हस्ताक्षर भी किये जाने चाहिए।

(ग) प्रथम निर्देश, विधायिनी नीति निर्माण से एवं द्वित्तीय, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 229 की व्याख्या से, सम्बन्धित है। संस्थान से प्रत्युपायवाद के लिए आहूत वस्तु-स्थिति की बावत, संभाव्य मात्रा तक परामर्श किया गया था, एवं जहाँ तक कम्पनी अधिनियम के संशोधन से सम्बन्ध है, सरकार ने लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति से सम्बन्धित, सम्पूर्ण सम्बद्ध दृष्टिकोणों की पूर्ण परीक्षा कर ली है। अतः कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों की व्याख्या में, संस्थान से परामर्श का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

जाम्बिया को पटसन का निर्यात

1688. **श्री भान सिंह भौंरा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जाम्बिया को 6,000 टन भारतीय पटसन का निर्यात करने का है ;

(ख) क्या हमारे राष्ट्रपति की यात्रा के बाद जाम्बिया के साथ हमारे व्यापार सम्बन्ध सुदृढ़ हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो जाम्बिया के साथ नए व्यापार सम्बन्धों की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) हमारे राष्ट्रपति की यात्रा के परिणामस्वरूप जाम्बिया के साथ आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ़ करने की अनेक प्रस्थापनाओं पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ग) गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात, आद्योपांत परियोजनाओं के निर्यात तथा तकनीकी सहयोग पर अपेक्षाकृत अधिक जोर देने की व्यवस्था है।

गुजरात में तस्करी की घटनाएँ

1689. **श्री बेकारिया** :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सीमाशुल्क अधिकारियों के पास तटवर्ती क्षेत्र में तस्कर व्यापार को रोकने के लिए गाड़ियों और आवश्यक उपकरणों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ग) गुजरात राज्य में सीमाशुल्क कार्यालयों के पास वाहन तथा अन्य आवश्यक उपकरण पहले ही उपलब्ध हैं। हाल में अतिरिक्त वाहनों की मंजूरी भी दी गई है। स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है और सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध करने के लिए आवश्यक उपाय किये जाते हैं।

नए 'होटल-आदेश' से दी गई छूट

1690. **श्री बी० के० दासचौधरी** :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा में होटल-बिलों के भुगतान सम्बन्धी नए होटल-आदेश से कोई छूट कुछ विदेशों के राष्ट्रिकों को दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या-क्या हैं और क्यों ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। निम्न-लिखित देशों के राष्ट्रिकों को होटल के बिलों का भारतीय रुपयों में भुगतान करने की अनुमति है—

(i) बुल्गारिया, चैकोस्लोवाकिया, जर्मन गणराज्य, हंगरी, उत्तरी कोरिया, पौलैंड, रूमानिया, रूस तथा युगोस्लाविया।

(ii) नेपाल, सिक्किम तथा भूटान।

प्रथम वर्ग में उल्लिखित देशों के साथ भारत ने द्विपक्षीय करार किये हैं जिनके अनुसार व्यापार तथा अन्य भुगतान अविनिमेय (नॉन कन्वर्टिबल) रुपयों में किये जाते हैं। जहाँ तक नेपाल, सिक्किम तथा भूटान का सम्बन्ध है उनसे विनिमेय (कन्वर्टिबल) मुद्राओं में भुगतान की मांग करना संभव नहीं है।

सभी सरकारी कर्मचारियों को बोनस दिये जाने की मांग

1691. **श्री बी० के० दासचौधरी** :
श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सभी सरकारी कर्मचारियों को बोनस दिये जाने की मांग पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने, बोनस संदाय अधिनियम 1965 के अन्तर्गत प्रवर्तमान स्थिति को फिल-हाल बनाये रखने का फैसला किया है।

सूडान को होने वाले निर्यात पर लगा प्रतिबन्ध हटाना

1692. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ समय पूर्व सूडान को निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया था ;

(ख) क्या इसे अब हटा लिया गया है ; और

(ग) क्या यह प्रतिबन्ध हटाने से पूर्व सूडान सरकार के साथ कोई समझौता हुआ था; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**—3788/72]

तमिलनाडु में हथकरघा वस्त्रों का स्टाक जमा होना

1693. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में हथकरघा वस्त्रों के भारी स्टाक जमा हो गए हैं;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र से इन्हें निकालने के लिए विशेष सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) यह मामला जुलाई, 1972 में वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में नियुक्त किये गए हथकरघा तथा शक्ति चालित करघा सम्बन्धी कार्यवाही दल को पूरी तरह से जाँच करने के लिए भेज दिया गया है।

बेलजियम से ऋण के लिए समझौता

1694. **श्री अरविन्द नेताम** :
श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बैलजियम ने हाल में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें बेलजियम द्वारा भारत को परियोजना-बाह्य ऋण देने की व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) 354·5 लाख रुपये (22·5 करोड़ बेल्जियन फ्रांक) के ऋण के ब्याज की दर 2 प्रतिशत वार्षिक है और यह ऋण 30 वर्ष की अवधि में चुकाया जाना है, जिसमें 10 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है। इस ऋण में ऋण राहत की 111·50 लाख रुपये की राशि भी शामिल है। 243 लाख रुपये की बाकी राशि बेल्जियम-मूल की वस्तुओं और सेवाओं के आयात के लिए उपलब्ध है।

कच्चे पटसन तथा कपास का समर्थन मूल्य

1695. **श्री अरविन्द नेताम :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कच्चे पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या सरकार कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कच्ची पटसन के सम्बन्ध में न्यूनतम समर्थन कीमत का पुनरीक्षण आरम्भ किया जा चुका है।

(ख) जी हां ।

(ग) यथासंभव शीघ्र ।

मैसूर नगर के निकट अण्डाकल्ली हवाई अड्डे के सुधार का प्रस्ताव

1696. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर नगर के निकट अण्डाकल्ली स्थित हवाई अड्डे का सुधार किये जाने का प्रस्ताव है जिससे वहां एवरो फोक्कर फ्रेंडशिप तथा अन्य विमान उतर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Non-completion of schemes during the Fourth Five Year Plan for lack of foreign assistance

1697. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether some schemes which were to be completed during the Fourth Five Year Plan could not be completed due to lack of foreign assistance ; and

(b) if so, whether those schemes are proposed to be included in the Fifth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The Fourth Five-Year Plan is currently being implemented. Such schemes as may have encountered resource and other constraints may take a longer time to complete.

(b) The Fifth Five-Year Plan is under formulation. It is too early to specif y schemes which would be included in the Plan.

Board of Directors for Nationalised Banks

1698. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have appointed Directors on the Board of Directors of Nationalised Banks ;

(b) if so, the names and qualifications thereof ; and

(c) whether any of the Directors so appointed belong to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) The first Boards of Directors of nationalised banks constituted on 18th July, 1970, under Section 7(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 have been functioning. These Boards are to continue till new Boards of Directors are constituted in accordance with Clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Hon'ble Member presumably has in mind the new Boards of Directors. These are expected to be constituted shortly.

(b) and (c) The required particulars will be laid on the Table of the House as soon as the new Boards of Directors are constituted.

Number of posts filled in Akbar Hotel, New Delhi

1699. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of posts filled in Akbar Hotel, New Delhi, indicating the class-wise break-up thereof ; and

(b) the number of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been appointed against the said posts together with their class-wise break-up ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) Posts in Akbar Hotel are not classified on the pattern of government service. However, on the basis of the consolidated salary of the officials concerned, the position would be as follows—

	Number of posts filled	No. of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates appointed	
		Scheduled Castes	Scheduled Tribes
Class I	4	—	—
Class II	11	—	—
Class III	305	36	3
Class IV	—	—	—

Increase in gap between Imports and Exports

1700. **Shri Shri Krishna Agrawal :**
Shri Mahadeepak Singh Shakya :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the gap between imports and exports has been increasing since 1969-70 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the present position and the steps being taken by Government to increase the export ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) to (c) The gap in India's foreign trade was considerably reduced from Rs 550.76 crores in 1968-69 to Rs. 168.82 crores in 1969-70 and further to Rs. 90.04 crores in 1970-71. This has been due mainly to substantial decline in imports of foodgrains and partly to improvement in our exports. During 1971-72, however, because of marked increase in imports especially of steel, cotton raw, mineral oils, fertilizers, machinery, etc., the gap widened again to Rs. 205.41 crores. This trend has since been reversed and India had a surplus balance of Rs. 55.82 crores in the first five months (April-August) of 1972-73 as compared with the adverse balance of Rs. 125.16 crores during the corresponding period of last year.

The table below gives figures of India's overall balance of trade since 1968-69 :

(Rs. Crores)

Year	Imports	Exports incl. re-exports	Balance of Trade
1968-69	1908.63	1357.87	— 550.76
1969-70	1582.10	1413.28	— 168.21
1970-71	1634.20	1535.16	— 99.04
1971-72	1812.02	1606.61	— 205.41
Aprl-Aug. 1971	764.96	639.80	— 125.16
Aprl-Aug. 1972	700.45	756.27	+ 55.82

All possible efforts are being made to increase exports. The steps taken by the Government include supply of imported raw materials through the replenishment licences schemes, removal of capacity constraints, abolition or reduction of export duties, grant of draw-back of import and excise duties, improved supply of scarce raw materials, etc. A close watch is maintained on the trends of exports and appropriate action to promote exports is taken as and when the need arises.

हंगरी के साथ व्यापार में वृद्धि

1701. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972-73 और 1973-74 के दौरान भारत और हंगरी के बीच व्यापार में वृद्धि होने की कोई सम्भावना है ;

(ख) क्या दोनों देशों में इस बीच कोई नया करार हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं तथा कुल बिक्री में कितनी वार्षिक वृद्धि होने की संभावना है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) भारत सरकार तथा हंगरी जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच, पांच वर्षों (1971-75) की अवधि के लिए वैध, वर्तमान व्यापार तथा भुगतान करार पर 3 मार्च, 1971 को बुडापेस्ट में हस्ताक्षर हुए थे। इस करार की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। जहां तक इस करार की मुख्य-मुख्य बातों का सम्बन्ध है, 28 मार्च, 1972 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1362 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

करार पर हस्ताक्षर करते समय यह आशा थी कि करार की वैधता की अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार के परिमाण में 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि होगी।

पणजी में पर्यटन विकास परिषद् की बैठक

1702. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1972 में पर्यटन विकास परिषद् की पणजी में बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा चर्चा का क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या परिषद् ने सरकार से कुछ सिफारिशें की हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क)जी, हां। पर्यटन विकास परिषद् ने अपनी 15वीं बैठक पणजी, गोवा, में 23 से 26 अक्तूबर तक आयोजित की।

(ख) से (घ) बैठक में भाग लेने वाले परिषद् के सदस्यों की सूची संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 3789/72] परिषद् के विचार-विमर्श को परिषद् द्वारा पारित 32 प्रस्तावों में मूर्त रूप दिया गया है जिनमें पर्यटन के विकास तथा अभिवृद्धि के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिशें की गयी हैं। मोटे तौर पर इन सिफारिशों के अन्तर्गत ये विषय आते हैं :

1. एक ही स्थान पर कर ले लेने (सिंगल प्वाइण्ट टैक्सेशन) के आधार पर पर्यटक वाहनों का अन्तर्राज्यीय आवागमन।
2. सड़कों का विकास तथा रास्ते पर की सुविधाओं, शिविर सुविधाओं, आदि की व्यवस्था।
3. अन्तर्देशीय जल परिवहन तथा नियमित पोतविहारों (क्रुजेज) का आयोजन जिनमें समुद्री यात्राएं भी सम्मिलित हैं।
4. रेलवेज तथा उनका पर्यटन के विकास में योगदान।
5. इण्डियन एयरलाइन्स का पर्यटन में योगदान।
6. विमान क्षेत्र विकास।
7. पर्यटक टैक्सियों पर नियंत्रण।
8. नये होटलों तथा मोटलों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन—होटल विकास ऋण योजना।
9. होटलों के लिए प्रशिक्षित कार्मिक।
10. राज्य वित्त निगमों द्वारा होटल उद्योग की वित्तीय सहायता तथा राज्य सरकार द्वारा ऋणों के व्याज पर उपदान प्रदान करना।
11. रेस्तरां तथा भारतीय पाक-प्रणाली तथा मनोरंजन का विकास।
12. अवर्गीकृत होटलों के ऊपर सरकारी नियंत्रण।
13. राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव शरणस्थलों का उचित प्रवन्ध।
14. वन्यजीव पर्यटन की अभिवृद्धि।
15. सांस्कृतिक पर्यटन।
16. तीर्थयात्रा पर्यटन।
17. पर्यटकों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम।

18. क्रीड़ाओं, विशेषकर तैराकी तथा गोल्फ का पर्यटकीय आकर्षणों के रूप में विकास तथा मोटरबोटों और वाटर-स्कीइंग उपस्कर का आयात ।

19. पाँचवीं पंचवर्षीय योजना केन्द्रीय, राज्य तथा निजी क्षेत्र ।

20. राज्य पर्यटन विभागों का गठन तथा पर्यटन कार्मिकों का प्रशिक्षण ।

21. स्थानीय निकायों का योगदान ।

22. परिसीमित/निषिद्ध क्षेत्रों के लिए परमिटों की समाप्ति ।

23. सम्मेलन (कन्वेन्शन) तथा मेलापर्यटन ।

24. यात्रा अभिकर्ताओं का योगदान ।

25. पर्यटन प्रचार के लिए चित्र ।

26. पर्यटन साहित्य ।

27. भारतीय भाषाओं में पर्यटन साहित्य ।

28. पर्यटन प्रकाशनों सम्बन्धी सूचना ।

29. अभिप्रेरणात्मक प्रचार ।

30. विषय-सम्बन्धी प्रचार (थिपैटिक पब्लिसिटी) ।

31. क्षेत्रीय प्रचार ।

32. पर्यटन शिक्षा ।

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा सरकारी और निजी क्षेत्रों की विभिन्न एजेन्सियां इन सिफारिशों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित हैं । सरकार आशा करती है कि ये सिफारिशें इन एजेंसियों द्वारा अधिकतम संभव सीमा तक क्रियान्वित की जाएँगी ।

गैर सरकारी क्षेत्र के ऋणों का इक्विटी में बदलना

1703. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक गैर सरकारी क्षेत्र की फर्मों के ऐसे कितने मामले हैं जिन में ऋणों को इक्विटी में बदला गया है ; और

(ख) कितने ऋण सम्बंधी करारों में ऋणों को इक्विटी में बदलने की धारायें दी गयी हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अखिल भारतीय सरकारी सावधिक वित्तीय संस्थानों से सारवान सहायता पाने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के ऋणों को सामान्य शेयरों में रूपान्तरित करने के सरकार के निर्णय के अनुसार यह व्यवस्था है कि इस प्रकार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मामले में, संस्थाओं को सामान्य रूप से एक खंड शामिल कर लेना

चाहिए जिसके द्वारा उनको वह वैकल्पिक अधिकार मिल जाय जिससे वे दिये गये सारे ऋण को या उसके एक भाग को या खरीदे गये ऋणपत्रों को भविष्य में सामान्य शेयरों के रूप में बदल सकें। संस्थाओं ने उपयुक्त मामलों में रूपान्तरण संबंधी खण्ड शामिल करना शुरू कर दिया है। चूंकि अभी तक वह समय नहीं आया है जिसमें वैकल्पिक अधिकार का प्रयोग किया जा सके इसलिए नयी नीति के अन्तर्गत ऋणों/ऋणपत्रों सम्बन्धी सहायता का सामान्य शेयरों में वास्तविक रूपान्तरण किसी भी मामले में नहीं हो सका है।

(ख) कुल मिलाकर अब तक, वित्तीय संस्थाओं ने 137 ऋण संबंधी और 41 ऋणपत्र निगम करारों के सम्बन्ध में ऋण तथा ऋणपत्र सम्बन्धी सहायता के एक भाग को सामान्य शेयर पूंजी के रूप में रूपान्तरित किये जाने की शर्तों को दर्ज किया है।

भारत-बंगला देश व्यापार में गिरावट

1704. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बंगला देश व्यापार में गिरावट आयी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और उसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) शायद माननीय सदस्य का अभिप्राय सीमित भुगतान करार के अन्तर्गत भारत-बंगला देश व्यापार से है, जिसके अन्तर्गत दोनों देशों के विशेष हित की वस्तुओं में प्रत्येक पक्ष द्वारा 25 करोड़ रु० की सीमा तक का संतुलित व्यापार करने की व्यवस्था है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सीमित भुगतान करार के अन्तर्गत की गयी संविदाओं से पता चलता है कि भारत से बंगला देश को होने वाले निर्यात, बंगला देश से भारत को होने वाले निर्यातों की अपेक्षा अधिक होंगे। मध्यावधि पुनरीक्षण के दौरान यह पता चला कि इसका मुख्य कारण यह है कि जबकि कोयला और सीमेन्ट जैसी अनिवार्य चीजों की बंगला देश में शीघ्र आवश्यकता थी और उन्हें तत्काल ही प्राप्त किया जाना था, तो अपर्याप्त परिवहन सुविधाओं और अन्य संस्थागत कठिनाइयों के कारण बंगला देश से भारत को होने वाले निर्यातों में बाधा उपस्थित हो गई थी। पूर्तियों की उपलब्धता में कमी भी बंगला देश से आयातों के स्तर में कमी का एक कारण है।

2. इस स्तर पर पहले ही यह बता देना कठिन है कि चालू व्यापार-वर्ष 27 मार्च, 1973 के अन्त तक सीमित भुगतान करार के अन्तर्गत वास्तविक आयात और निर्यात कितना होगा। मध्यावधि पुनरीक्षण के आधार पर यह आशा की जाती है कि जैसे ही परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा और निर्यात में संस्थागत कठिनाइयों पर काबू पा लिया जाएगा, वैसे ही बंगला देश से होने वाले निर्यातों में वृद्धि होगी और निर्यातों और आयातों के बीच सन्तुलन आ जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघ द्वारा नई निर्यात सेवा

1705. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघ ने भारत पूंजीनिवेश केन्द्र के सहयोग से

नई निर्यात संवर्धन सेवा की व्यवस्था की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी नहीं। तथापि भारतीय पूंजीनिवेश केन्द्र, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, नई दिल्ली में तृतीय एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघटन द्वारा अपने मंडप में आरम्भ किए गए औद्योगिक संवर्धन कार्य के सम्बन्ध में यूनिडो से सहयोग कर रहा है। इस कार्य का उद्देश्य विकासशील देशों में औद्योगिक विकास करने के लिए व्यापारियों में सम्पर्क बढ़ाना है। अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक संवर्धन सेवा के माध्यम से निर्मित माल के निर्यात की भी सुविधा दी जाती है।

तिरुपति हवाई अड्डे का कार्यकरण

1706. **श्री एम० एम० जोजफ :**
श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुपति हवाई अड्डे को प्रयोग में लाया जाने लगा है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) निकट भविष्य में देश में स्थापित किये जाने वाले नए हवाई अड्डों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 7-11-1972।

(ग) बारापानी (शिलांग) का हवाई अड्डा 1973 के अन्त तक बनकर तैयार हो जाने की आशा है।

Development of 'Harimandir' in Patna as a Tourist Centre

1707. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether a proposal has been received by Government from 'Shri Takhat Harimandir' located in Patna city in regard to the development of 'Hari Mandir', the birthplace of Guru Gobind Singh, as a tourist centre ;

(b) if so, the gist thereof ; and

(c) the reaction of Government in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No proposal in this regard appears to have been received recently from 'Shri Takhat Harimandir'.

(b) and (c) Do not arise.

Arrears of Income Tax against individuals in Bihar

1708. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total amount of arrears of Income-tax outstanding in Bihar State ;

(b) the names of persons against whom arrears of Income-tax of Rs.5 lakh or above are outstanding ; and

(c) the action being taken by Government to realise the arrears ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The net arrears of Income-tax outstanding in the charge of Commissioner of Income-tax, Bihar, Patna as on 31-3-1972 amounted to Rs. 11.26 crores.

(b) and (c) The requisite particulars as on 31-3-1972 are being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

बिहार में कार्य कर रही पंजीकृत कम्पनियां

1709. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कार्य कर रही पंजीकृत कम्पनियों की कुल कितनी संख्या है ; और

(ख) उनमें से ऐसी कम्पनियों की वार्षिक संख्या कितनी है जिन्होंने स्वयं को गत तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत कराया है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) 31 मार्च, 1972 तक बिहार राज्य में, कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत, हिस्सों द्वारा सीमित, चार सौ छप्पन कम्पनियां कार्यरत थीं। इनमें से 18 का 1969-70 के मध्य, 29 का 1970-71 के मध्य, एवं 41 का 1971-72 के मध्य पंजीकरण हुआ था।

आयकर विभाग में चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए लोअर डिवीजन क्लर्कों के पदों का आरक्षण

1710. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भर्ती नियमों में यह व्यवस्था की है कि आयकर विभाग के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए लोअर डिवीजन क्लर्कों के कैडर में 10 प्रतिशत पदों को आरक्षित किया जाय ;

(ख) क्या दिल्ली के आयकर आयुक्त के अधीन कार्य कर रहे चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की लोअर डिवीजन क्लर्कों के पदों पर नियुक्ति के लिए जून, 1971 से कोई भर्ती/परीक्षा नहीं की गई ;

(ग) क्या दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ, नई दिल्ली शीघ्र परीक्षा लिए जाने की मांग करता रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ ने भरती परीक्षा के लिए निवेदन किया था और संघ को इस बात का आश्वासन दिया गया था कि परीक्षा चालू भरती-वर्ष में ली जायेगी ।

(घ) श्रेणी IV के कर्मचारियों की अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर नियुक्ति के लिए पिछली भरती परीक्षा दिसम्बर, 1970 में हुई थी और अर्हताप्राप्त चार उम्मीदवारों का एक पेनल बनाया गया । इन चारों उम्मीदवारों के लिए फरवरी-मार्च, 1971 के दौरान नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया । श्रेणी IV के कर्मचारियों में से अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में पदोन्नति के नियम संशोधनाधीन थे तथा संशोधित नियम 16-9-72 को अधिसूचित किये गये । श्रेणी IV के कर्मचारियों की अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में पदोन्नति के लिए दूसरी भरती-परीक्षा 6 तथा 7 दिसम्बर, 1972 को लेने का विचार है ।

आयकर कर्मचारी संघ द्वारा पारित प्रस्ताव

1711. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर कर्मचारी संघ ने जयपुर तथा बंगलौर में क्रमशः मई, 1970 तथा सितम्बर, 1971 में आयोजित हुए अपने वार्षिक सम्मेलनों में पारित विभिन्न प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका सारांश क्या है ; और

(ग) सरकार की उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) आयकर कर्मचारी संघ से इस प्रकार के कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं । लेकिन, वित्त मंत्रालय विभागीय परिषद् की समय-समय पर होने वाली बैठकों में अथवा लिखित ज्ञापनों के द्वारा समय-समय पर संघ द्वारा मांगें उठाई जाती हैं । इन पर मंत्रालय द्वारा बाकायदा विचार किया जाता है । चूँकि प्रस्तावों की कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है, अतः उसका सार अथवा सरकार की प्रतिक्रिया बताना सम्भव नहीं है ।

विकासशील देशों के सामने आने वाली ऋण सेवा सम्बन्धी कठिनाइयों के बारे में विश्व बैंक की चेतावनी

1713. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत सहित विकासशील देशों को चेतावनी दी है कि यदि उनकी निर्यात आय में तीव्रगति से प्रगति नहीं होती है तो उनके सामने ऋण सेवा सम्बन्धी गम्भीर कठिनाइयां आयेंगी ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में विश्व बैंक से कोई सूचना प्राप्त हुई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा ऋण सेवा सम्बन्धी भारत के वे वर्तमान दायित्व क्या हैं जिनके वर्ष 1972-73 तथा वर्ष 1973-74 के दौरान परिपक्व हो जाने की आशा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) विश्व बैंक के गवर्नरों की 1971 की वार्षिक बैठक में विश्व बैंक के अध्यक्ष ने अपने भाषण में यह कहा था कि विकासशील देशों को उनके बढ़ते हुए ऋण सम्बन्धी दायित्व को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा के अपने साधनों में एक वर्ष में 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करनी होगी और इस वृद्धि का मुख्य भाग निर्यात में वृद्धि करके प्राप्त करना होगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सभी विकासशील देश समग्र रूप से निर्यात विस्तार में इतनी अधिक वृद्धि निर्मित उत्पादों के निर्यात में बहुत तेजी से वृद्धि करके ही प्राप्त कर सकते है। इस संदर्भ में, उन्होंने अधिक विकसित देशों और कम विकसित देशों अर्थात् दोनों से अनुरोध किया कि वे एक-दूसरे के साथ व्यापार को बढ़ाएं। अधिक विकसित देशों को चाहिए कि वे श्रम-प्रधान उत्पादों का अपेक्षाकृत पूरे तौर पर आयात किए जाने की अनुमति दें तथा कम विकसित देशों को चाहिए कि वे आयात प्रतिस्थापन को अधिक न अपनाएं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की दिशा में प्रयास सरकार स्वयं निर्यात-प्रोत्साहन और आयात-प्रतिस्थापन अर्थात् दोनों पर ही जोर देती रही है। 1972-73 और 1973-74 के दौरान प्रति वर्ष ऋण-परिशोधन संबंधी दायित्वों की रकम लगभग 68 करोड़ डालर बैठती है।

त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किये गये इण्डियन एयरलाइन्स के उच्चाधिकारी

1714. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स में कुछ उच्चाधिकारी त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइन्स के अधिकारियों की एसोसियेशन द्वारा संयुक्त परिषद् की बैठक का बहिष्कार

1715. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के अधिकारियों की एसोसियेशन ने हाल में हुई संयुक्त परिषद् की बैठक का बहिष्कार किया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस मामले में प्रबन्धकों ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 31-10-1972 को हुई संयुक्त परिषद् की बैठक में इण्डियन एयरलाइन्स के अधिकारियों के संघ ने भाग नहीं लिया था।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स के प्रबन्धक-वर्ग को इस मामले में संघ से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

विदेश व्यापार में सरकारी एजेन्सियों का कार्य

1716. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 सितम्बर, 1972 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में 'बेहतर निर्यात नीति का अनुरोध' (प्ली फार बैटर एक्सपोर्ट पालिसी) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित भारतीय निर्यात संगठन संघ के अध्यक्ष श्री पी० ए० नारीवाला की टिप्पणी की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों का बढ़ता हुआ रोल आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से न्यायोचित है। सरकारी क्षेत्र के निगमों के व्यापक सामाजिक उद्देश्य का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य यह सुनिश्चित करना रहा है कि उत्पादकों को समुचित तथा न्यायसंगत प्रतिलाभ मिलने की गारंटी रहे तथा दलालों अथवा बिचौलियों द्वारा उनके शोषण को रोका जा सके।

अनुभव से पता चला है कि राज्य अभिकरण, प्रतियोगी कीमतों पर कच्चा माल तथा अन्य माल, अधिकाधिक दक्षता से आयात कर रहे हैं और उचित कीमतों पर वास्तविक उपभोक्ताओं

को उनकी सप्लाई कर रहे हैं। निर्यातों के संबंध में, राज्य संगठन, विदेशी खरीदारों से अच्छी कीमतें प्राप्त करने और क्वालिटी विशिष्टियों तथा सुपुर्दगी-कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न प्रकार के माल का निर्यात सुनिश्चित करने में समर्थ हैं।

सरकार की ये धारणाएं भी हैं कि अन्ततः निर्यातों में तभी वृद्धि हो सकती है यदि औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त प्रगति हो जिससे कि निर्यात के लिए अधिकाधिक माल बचना सुनिश्चित रहे और घरेलू उपभोग अथवा अनिवार्य निर्यातों के विषय में अल्पावधि आधार पर लागू किये जाने वाले कोई भी विनियामक उपाय सावधानीपूर्वक तथा विशिष्टतापूर्वक लागू किये जाने चाहिएं।

ऐसे मामलों में, जिनमें विभिन्न लाइसेंसिंग क्षेत्रों में निर्यात बाध्यताएं लगाई जाती हैं, इस दृष्टिकोण से सावधानी बरती जाती है कि वे यथासंभव यथार्थिक तथा व्यावहारिक हों। अतः निर्यातकों को समाप्त करने की धमकी देने का कोई सवाल नहीं है।

ऋणों को इक्विटी में परिवर्तन करने के उपबन्ध वाली धारा का सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा लागू किया जाना

1718. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों ने अपने ऋण संबंधी करारों में ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करने वाली धारा का सन्निवेश करने पर बल दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) औद्योगिक लाइसेंस नीति विषयक जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार, यह फैसला सरकार ने ही किया था कि उन सब मुख्य औद्योगिक परियोजनाओं के मामले में, जिनको अखिल भारतीय सरकारी दीर्घावधि वित्तीय संस्थाओं द्वारा काफी वित्तीय सहायता दी जाती है, संस्थाओं को सामान्यरूप से ऐसे खण्ड शामिल कर लेने चाहिएं जिनके द्वारा उनमें वह वैकल्पिक अधिकार निश्चित हो जाय जिससे औद्योगिक संस्थानों को दिये गये सारे ऋण या उसके एक अंश को भविष्य में संस्थाओं के सामान्य शेयरों के रूप में परिवर्तित कर सकें। तदनुसार जून, 1971 में इस सम्बन्ध में सरकार ने संस्थाओं को विस्तृत मार्गदर्शक हिदायतें जारी की थीं। उन मार्गदर्शक हिदायतों की एक प्रति लोक-सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3765 के उत्तर में 2 जुलाई, 1971 को सभा-पटल पर रख दी गयी थी। उसके अनुसार संस्थाओं ने, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दी जाने वाली ऋण सहायता के उपयुक्त मामलों में रूपांतरण सम्बन्धी खण्ड को दर्ज करना शुरू कर दिया है।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

Formulation of Industrial Development Scheme

1719. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any industrial development scheme with the assistance of Banks with a view to accelerating the pace of industrial development in under-developed and backward areas of the country ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) In granting assistance to industry, in general, the commercial banks normally provide working capital requirements only. However, since nationalisation, the public sector banks have been stepping up lending both long term and working capital, to the small scale industry and self-employed professional persons by granting assistance, more on the basis of financial and technical viability of the schemes rather than on the basis of security or financial standing of the borrowers, by progressive relaxation of security, margins etc. The Credit Guarantee Scheme under which losses within specified limits will be reimbursed by the Credit Guarantee Corporation to the extent of 75 per cent is also encouraging the banks to step up lending to the weaker sections of the society including the small scale industry and self-employed professional persons.

In regard to term loan assistance to industry in general by the long term public financial institutions viz., the Industrial Finance Corporation of India, the Industrial Development Bank of India and the Industrial Credit and Investment Corporation of India, it may be stated that at the initiative of Government, these institutions have announced schemes for extending financial assistance on concessional terms to small and medium scale industries established in the backward districts/areas, identified by the Planning Commission, in different States and Union Territories. Under the scheme, direct loans to industrial units will be extended at a concessional rate of interest of 7 per cent (as against the normal rate of interest of $8\frac{1}{2}$ per cent). Other concessions offered include the extention of the initial grace period for repayment of loans from the normal period of three years to five years, longer payment period of 15-10 years (as against normal repayment period of 10-15 years) and reduction in the commitment charge on the undrawn balance of the loan. In underwriting of shares and debentures, the institutions would charge a lower underwriting commission, and may in addition, subscribe relatively heavily to the share capital of projects in backward areas. The usual terms pertaining to the promoter's contribution in relation to the cost of the project and margin for loans may also be relaxed.

The Industrial Development Bank of India may also bear the cost of consultancy services to prepare feasibility reports for the entrepreneurs initially, subject to reimbursement later when the project reaches the profitability stage. The various concessions announced would normally be available for projects where the total project cost does not exceed Rs. 1 crore. The Central Government have also formulated a scheme for giving 10 per-cent outright grant or subsidy to new small and medium scale units that may be established in selected districts/areas.

Besides the concessional schemes, the Industrial Development Bank of India has undertaken surveys for identifying the industrial potential of backward regions. It also refinances loans granted by State Financial Corporations/Commercial Banks to small scale units covered under the Credit Guarantee Scheme at a special concessional rate. In order to provide technical consultancy services in the backward regions for the purpose of identifying project ideas, preparing preliminary feasibility studies and detailed projects supervision, the Development Bank has also set up one Technical Consultancy Service Centre at Cochin. Such centres may be established in other States also.

Arrears of Direct Taxes

1720. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of Finance be pleased to state the State-wise break-up of the outstanding amount of direct taxes as on the 31st March, 1972 ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The State-wise information relating to direct taxes is not available. However, such information is available according to the charges of Commissioners of Income-tax.

The particulars regarding the amount of outstanding gross and net arrears of Income tax as on the 31st March, 1972 are given in Annexure-A. [*Placed in Library. See* No. LT—3790/72].

The particulars regarding the gross amount outstanding relating to Wealth-tax, Gift-tax, Expenditure-tax and Estate Duty as on 31st March, 1972 are given in Annexure-B. [*Placed in Library. See* No. LT—3790/72].

Misplacing of files in various Insurance Companies in the Country

1721. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the files relating to policy holders are deliberately misplaced in the various Insurance Companies in the country ;

(b) whether no regular enquiry is made into the matter by Government ; and

(c) if so, the number of the Insurance Companies in which accounts files were found missing during 1971-72 and the action taken by Government ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c) No complaint regarding misplacement of files relating to policyholders have been received by Government after the management of insurers carrying on general insurance business was taken over. However, enquiries in this behalf are being made from the insurers and the information desired by the Hon'ble Member will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

Profit earned on Imported Articles by S.T.C.

1723. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the State Trading Corporation has earned more than 10 per cent profit on the sale of imported articles during the last three years ;

(b) if so, the names of such articles and the extent of profit earned ; and

(c) Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) and (b) A statement showing imported items on sale of which the State Trading Corporation earned more than 10 per cent profit in the last three years is attached.

(c) The margin of profit on various raw materials imported by the S.T.C. is fixed on the basis of the guidelines laid down by the Pricing Review Committee which has been set up under the Chairmanship of the Chief Controller of Imports and Exports and consists of Economic Adviser in the Ministry of Industrial Development, Development Commissioner (Small Scale Industries), Director General of Technical Development and representatives of the Department of Economic Affairs, Ministry of Foreign Trade, as members.

Statement

(I) Import Items on which trading profit of more than 10% was earned during 1969-70 and the amount of profit earned —

(Rs. in lakhs)

Item	Profit earned
(i) Agricultural products	808.79
(ii) General products	2.36
(iii) Chemicals	183.28

(II) Import items on which trading profit of more than 10% was earned during 1970-71 and the amount of profit earned —

(Rs. in lakhs)

Item	Profit earned
(i) Agricultural products	726.97
(ii) Chemicals	174.82
(iii) Engineering goods	2.57
(iv) Textile yarn	92.26

(III) Import items on which trading profit of more that 10% was earned during 1971-72 and the amount of profit earned.

(Rs. in lakhs)

Item	Profit earned
(i) Agricultural products	627.97
(ii) Chemicals	78.15
(iii) Drugs and Pharmaceuticals	117.58
(iv) Industrial products	51.67

Number of planes of Indian Airlines and Air India involved in accidents during the last three months

1724. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of planes belonging to the Indian Airlines and Air India which met with accidents during the last three months ; and

(b) the loss of life and property suffered as a result of these accidents ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) During the period 1st August, 1972 to date there has been no accident to any Air India aircraft. However, in the case of Indian Airlines, there was an accident on 11-8-1972 when their F-27 aircraft VT-DME crashed at Delhi Airport killing all four crew and fourteen passengers on board.

देश के 'फाइव स्टार होटलों' का भारतीयों द्वारा प्रयोग

1725. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी फाइव स्टार होटलों में लगभग 20 प्रतिशत रिहायशी स्थान सदैव ही खाली पड़े रहते हैं और स्थानों के आवंटन में सदैव ही विदेशी पर्यटकों को प्राथमिकता दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश के फाइव स्टार होटलों में कितने प्रतिशत स्थानों का भारतीयों ने प्रयोग किया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सामाजिक व अन्य परिस्थितियों के कारण स्वरूप 'लग्ज़री' होटलों में कुछ कमरे खाली अवश्य रहते हैं। अधिक-से-अधिक विदेशी मुद्रा कमाने की दृष्टि से सरकार चाहती है कि लग्ज़री होटलों में यथासंभव अधिक-से-अधिक कमरे विदेशियों द्वारा लिये जायें।

(ख) अनुमानतः लग्जरी होटलों के 30 प्रतिशत कमरे भारतीयों द्वारा लिए जाते हैं।

रुपयों में बिल के भुगतान की स्थिति में शुल्कदर में $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत की वृद्धि करने की योजना फिलहाल स्थगित कर दी गई है ।

राजस्थान की ओर बकाया ऋण

1726. **श्री नरेन्द्रकुमार सांघी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य की ओर से उसे केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण में अलग-अलग कुल कितना ऋण बकाया है ;

(ख) इस राज्य की वार्षिक आय की तुलना में इन ऋणों की प्रतिशतता क्या है ; तथा ऋण के वापस भुगतान तथा ब्याज के रूप में राज्य सरकार कितनी वार्षिक धनराशि दे रही है ; और

(ग) क्या राज्य के वर्तमान वित्तीय भार को सुगम करने के लिए केन्द्र का ऋण के वापस भुगतान की अवधि में छूट देने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 31 मार्च, 1971 की स्थिति के अनुसार सरकार राज्य के नाम केन्द्रीय ऋणों की 532 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी । राज्य सरकार के वित्तीय खातों के अनुसार, 31 मार्च, 1971 को राज्य सरकार के नाम विभिन्न केन्द्रीय वित्तीय तथा अन्य संस्थानों के निम्नलिखित ऋण बकाया थे :

		(करोड़ रुपयों में)
1.	भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि	2.15
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	9.23
3.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	2.12
4.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग	0·01
5.	केन्द्रीय भाण्डागार निगम	0.02
	जोड़ :	13.53

(ख) वर्ष 1970-71 के दौरान राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां इस प्रकार थीं :

		प्राप्तियां
		(करोड़ रुपये)
1.	**समेकित निधि**	
	(क) राजस्व	168.85
	(ख) सरकारी ऋण और ऋण तथा अग्रिम	336.68
2.	आकस्मिकता निधि (वास्तविक)	0.01
3.	सरकारी खाता (वास्तविक)	14.22
	जोड़ :	519.76

उपर्युक्त (क) में उल्लिखित बकाया ऋणों की रकम राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों का लगभग 105 प्रतिशत है। 1970-71 के दौरान राज्य सरकार ने केन्द्र को ऋणों के सम्बन्ध में 35.16 करोड़ रुपये की वापसी अदायगी की तथा ब्याज के रूप में 24.92 करोड़ रुपया अदा किया। राज्य सरकार ने उसी वर्ष स्वायत्तशासी निकायों को 71 लाख रुपये की वापसी अदायगी की और ब्याज के रूप में 69 लाख रुपया अदा किया।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को दिये गये ऋणों की वापसी अदायगी का मामला छठे वित्त आयोग को सौंप दिया गया है।

विदेशों में भारतीय जूतों की मांग

1727. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय जूतों की अच्छी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो भारत किन-किन देशों को जूतों का निर्यात कर रहा है ; और

(ग) इससे भारत को कितनी विदेशी मुद्रा की वार्षिक आय हो रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, जाम्बिया, संयुक्त अरब गणराज्य तथा नेपाल।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान जूतों के निर्यात (जिसमें कैनवस के जूते भी शामिल हैं) निम्नोक्त प्रकार थे—

1969-70 :	9.23 करोड़ रु०
1970-71 :	11.44 करोड़ रु०
1971-72 :	11.76 करोड़ रु०

मोटे कपड़े की निम्नतम मात्रा का उत्पादन

1728. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कुछ कपड़ा मिलों ने मोटे कपड़े की विनियमों के अन्तर्गत अपेक्षित निम्नतम मात्रा का उत्पादन नहीं किया ; और

(ख) यदि हां, तो उन कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1 जन, 1971 से

लागू योजना के अन्तर्गत प्रति तिमाही 1000 लाख वर्ग मीटर नियंत्रित कपड़े का उत्पादन करने की उद्योग की वचनबद्धता को पूरा किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों की उड़ानों के पुनर्निर्धारण के कारण जनता को हुई असुविधा

1729. **श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स की 15 जून, 1972 से लागू होने वाली उड़ानों की अनुसूची में, इस घोषणा के बावजूद कि पूर्व अनुसूची एक वर्ष तक लागू रहेगी जनता को बिना पूर्व सूचना दिये, 17 जुलाई को अचानक परिवर्तन कर दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा भविष्य में इस प्रकार के परिवर्तनों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । अन्य सैक्टरों के लिए विमान उपलब्ध कराने की दृष्टि से समयसारणी में परिवर्तन किया गया था । इण्डियन एयरलाइन्स अब अपनी समयावलि के मामले को स्थिरता प्रदान कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के प्रयत्न कर रहे हैं कि अल्प सूचना पर परिवर्तन न किये जायें ।

मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे

1730. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा की दृष्टि से मंत्रियों तथा अधिकारियों के विदेशों के दौरे काफी समय से बहुत महंगे पड़ रहे हैं और देश के अल्प संसाधनों पर भार प्रमाणित हो रहे हैं ;

(ख) इन दौरों की संख्या को घटाकर न्यूनतम करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ; और

(ग) चालू वर्ष में अब तक मंत्रियों तथा सरकारी अधिकारियों और सरकारी प्रतिनिधि-मंडलों के विदेशों के दौरों पर कितनी धनराशि व्यय की गई तथा विदेशी मुद्रा में यह राशि कितनी बनती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) विदेश जाने वाले प्रतिनिधि मण्डलों पर व्यय में यथासंभव अधिकतम बचत करने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान बराबर लगा ही रहता है । ऐसे प्रस्तावों के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए

कड़ी प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। सरकारी कर्मचारियों के मामलों में प्रस्तावों का अनुमोदन वरिष्ठ सचिवों की समिति द्वारा कराना पड़ता है और मन्त्रियों के मामलों में प्रस्तावों का अनुमोदन वित्त मंत्री/प्रधान मंत्री के स्तर पर कराना पड़ता है। कोई प्रतिनिधि मण्डल विदेश भेजने की आवश्यकता की कठोरतम कसौटी पर जाँच की जाती है, व्यय के अनुमानों की सूक्ष्म जांच की जाती है और उनको निम्नतम स्तर पर रखा जाता है।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन पटल पर रख दी जायगी।

राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् की मध्यवर्षीय आर्थिक समीक्षा के निष्कर्ष

1731. **श्री समर गुह :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रकाशित नवीनतम मध्यवर्षीय आर्थिक समीक्षा की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में उल्लिखित मुख्य तथ्य तथा निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) सरकार की उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया है और आधारभूत तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की उत्पादन दर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् की त्रैमासिक पत्रिका 'मार्जिन' के अक्टूबर, 1972 के अंक में 'भारतीय अर्थ-व्यवस्था की एक मध्यवर्षीय समीक्षा' शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ था।

(ख) इस लेख के मुख्य निष्कर्ष संक्षेप में इस प्रकार हैं—

इस वर्ष वर्षा के कम होने के कारण मूल्यों में वृद्धि हो गयी है और इसने एक मुख्य चुनौती का रूप धारण कर लिया है जिसका सामना सरकार को और जनता को करना है। सरकार को चाहिए कि वह मूल्यों को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक सूत्रबद्ध नीति को क्रियान्वित करे। इस नीति का एक आवश्यक अंग मुद्रा-उपलब्धि में होने वाली वृद्धि को कम करना होना चाहिए ; इसका दूसरा अंग, उत्पादक योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करना होना चाहिए और तीसरा अंग यह होना चाहिए कि दालों से भिन्न अनाजों के अतिरिक्त खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करने पर अधिक जोर दिया जाय। हालांकि इस बात की संभावना है कि कम वर्षा होने का प्रभाव उतना अनर्थकारी नहीं होगा जितना एक दशक पहले हो सकता था, फिर भी इस बात की आशंका है कि 1972-73 में अन्न का उत्पादन 1971-72 की अपेक्षा 20 से 30 लाख मेट्रिक टन

कम होगा। लेकिन हमारे पास काफी बड़ा संकट-निरोधक भंडार होने से और खेती के नये तरीकों के प्रसार के परिणामस्वरूप स्थिति पर काबू पाया जा सकता है।

इस वर्ष चीनी का उत्पादन इतना ही होगा कि उससे मांग की पूर्ति की जा सके ; उसमें से स्टाक को आगे के लिए सुरक्षित रखने अथवा निर्यात करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जहां तक कपास का सम्बन्ध है, अगले वर्ष उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में इसकी पूर्ति की जा सकेगी। जूट की स्थिति सन्तोषजनक बनी हुई है लेकिन तेलहन सम्बन्धी स्थिति पहले की तरह अब भी अनिश्चित है।

औद्योगिक उत्पादन के मामले में निस्सन्देह कुछ सुधार हुआ है ; जनवरी से अप्रैल, 1972 तक की अवधि में 1971 की उसी अवधि की तुलना में 7 प्रतिशत वृद्धि हुई लेकिन इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण सूती धागे और कपड़े के उत्पादन में वृद्धि होना है ; औद्योगिक क्षेत्र में अभी तक आश्वासनपूर्ण विकास का वातावरण नहीं बना है।

सबसे अन्तिम बात यह है कि अत्यावश्यक वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात करने की योजना अभी से बनायी जानी चाहिए, चाहे उसका असर वर्ष के शेष भाग की बजाय अगले वर्ष ही महसूस हो।

(ग) यद्यपि सरकार परिषद् के अध्ययन में किये गये मूल्यांकन से मोटे रूप में सहमत है, तथापि कुछ क्षेत्रों में उसका मत परिषद् के मत से मेल नहीं खाता। उदाहरण के लिए, औद्योगिक उत्पादन में जो सुधार हुआ है वह सूती कपड़े तक ही सीमित नहीं है अपितु काफी व्यापक है। फिर भी सरकार इस बात की आवश्यकता को स्वीकार करती है कि सभी क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए और उसने कई कदम उठाये भी हैं जैसे रबी के जोरदार कार्य-क्रम का क्रियान्वयन और तेलहनों के उत्पादन में वृद्धि के लिए 'पैकेज' दृष्टिकोण का अपनाया जाना। तोरिये और ताड़ के तेल के आयात का प्रबन्ध किया गया है। गन्ना-उत्पादकों और चीनी की मिलों, दोनों को प्रोत्साहन दिये गये हैं और चीनी का उत्पादन इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक हो रहा है। सरकार ने 3 अक्टूबर, 1972 को उन 54 महत्त्वपूर्ण उद्योगों की सूची में 11 और उद्योगों को शामिल करने की घोषणा की है, जिनके लिए जनवरी, 1972 में उदारता से लाइसेंस देने की नीति अपनाई गयी थी। इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के उत्पादन में हो रही कमी को रोकने के लिए, सरकार ने कुछ महीने पहले इस कम्पनी के प्रबन्ध को अपने हाथ में ले लिया था। बोकारो इस्पात कारखाने की एक धमन भट्टी को अक्टूबर, 1972 में चालू करके, इस कारखाने को चलाने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने हाल ही में 46 रोगी कपड़ा मिलों का प्रबन्ध भी अपने हाथ में ले लिया है। सरकार ने अर्थ-व्यवस्था के अन्दर नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्ति को कम करने के उपाय भी किये हैं और इस वर्ष के मंदी के मौसम में मुद्रा-उपलब्धि में हुई वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम थी।

चीन के साथ फिर से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना

1732. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन के साथ व्यापार तथा वाणिज्य सहित आर्थिक संबंधों को

पुन: आरम्भ करने के लिए कोई नये प्रयास किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रस्तावित रूपरेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए, जिनमें व्यापार सम्बन्ध भी शामिल हैं, सरकार ने अपनी इच्छा बराबर प्रकट की है । किन्तु चीन की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है ।

कलकत्ता हवाई अड्डे के महत्व को पुनः स्थापित करने के लिए बनाई गई योजना

1733. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में हुई परामर्शदात्री समिति की अन्तिम बैठक में कलकत्ता हवाई अड्डे के महत्त्व को पुनःस्थापित करने के मामले पर बातचीत हुई थी ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय से कोई बात की है ;

(ग) यदि हां, तो जिन मामलों पर बातचीत की गयी उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) कलकत्ता हवाई अड्डे के महत्त्व को पुनः स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने की योजना बनायी गयी अथवा विचार किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) पश्चिमी बंगाल के वाणिज्य, उद्योग तथा पर्यटन मंत्री श्री तरुण कान्ति घोष 27 जुलाई, 1972 को पर्यटन और नागर विमानन मंत्री से मिले तथा उनसे नागर विमानन तथा पर्यटन से सम्बन्धित मामलों पर बातचीत की जिनमें कलकत्ता विमान क्षेत्र की समस्याएं भी सम्मिलित थीं ।

(घ) सरकार कलकत्ता विमान क्षेत्र के महत्त्व को बनाए रखने की इच्छुक है । लगभग 2.5 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन तथा कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया है । एक एयरपोर्ट होटल का निर्माण किया जा रहा है ।

एयर इण्डिया ने कलकत्ता-बम्बई-काहिरा-जैनेवा-लन्दन मार्ग पर, कलकत्ता से प्रारम्भ होकर पश्चिम को जाने वाली एक उड़ान का परिचालन आरम्भ कर दिया है । इस उड़ान का परिचालन बोइंग-707 विमान से प्रत्येक शुक्रवार को किया जाता है ।

भारत का विदेशी ऋण

1734. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 तथा 1972 में विदेशी ऋणों पर कितना ब्याज अदा किया गया तथा 1972 की शेष अवधि और 1973 में भिन्न-भिन्न निकायों को कितना ब्याज अदा किया जाना है ; और

(ख) सभी विदेशी ऋणों की अदायगी और देश को आत्म-निर्भर बनाने का निर्धारित समय क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**—3791/72]

(ख) विदेशी ऋणों की वापसी-अदायगी का कार्यक्रम ऋणों की शर्तों पर निर्भर होता है । भारत को प्राप्त ऋणों का काफी बड़ा भाग नरम शर्तों पर प्राप्त हुआ है, जिसमें वापसी-अदायगी की अधिकतम अवधि 50 वर्ष की है । इस प्रकार, अब तक लिए गए ऋणों की वापसी-अदायगी इस अवधि में फैलाकर की जायेगी । इस सीमा तक आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का उद्देश्य, जिसमें शुद्ध सहायता बिल्कुल शून्य हो, अवश्यमेव इससे पहले पूरा हो जायेगा ।

अमरीका को वस्तुएँ निर्यात करने सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम

1735. **श्री एम० कत्तामुतु** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार विकास प्राधिकरण ने गत अप्रैल मास में अमरीका को वस्तुएं निर्यात करने का द्रुत कार्यक्रम चालू किया था ;

(ख) यदि हां, तो द्रुत कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) अब तक कितनी सफलता मिली है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) द्रुत प्रभावी कार्यक्रम का लक्ष्य भारत से अमरीका को चुने हुए 18 उत्पादों के निर्यातों को 1970-71 में लगभग 7·7 करोड़ रुपये के स्तर से 1972-73 में लगभग 22·3 करोड़ रुपये तथा 1974-75 में लगभग 51 करोड़ रुपये के स्तर तक बढ़ाना है ।

(ग) अप्रैल-सितम्बर, 1972 की अवधि के दौरान व्यापार विकास प्राधिकरण के ग्राहकों ने 9·5 करोड़ रुपये के मूल्य के निर्यात क्रयादेश प्राप्त किए जिनकी सुपुर्दगी 1972-73 में करनी है ।

मंजूरशुदा यात्रा एजेन्टों को निर्यात उद्योग का अंग मानने सम्बन्धी पर्यटन विकास परिषद की सिफारिशें

1736. **श्री एम० कत्तामुतु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विकास परिषद् ने सिफारिश की है कि केन्द्र द्वारा मंजूरशुदा यात्रा एजेन्टों को पूर्णतया निर्यात उद्योग का अंग माना जाये और अन्य निर्यात उद्योगों पर लागू सभी वित्तीय तथा कर सम्बन्धी लाभों को उन पर लागू किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। अक्तूबर, 1972 में पणजी, गोवा में हुई पर्यटन विकास परिषद् की 15वीं बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि "भारत सरकार द्वारा अनुमोदित यात्रा अभिकर्ताओं को 'निर्यात उद्योग' के एक अंग के रूप में पूर्ण मान्यता दी जाये तथा अन्य निर्यात उद्योगों पर लागू सभी वित्तीय तथा कर सम्बन्धी लाभ उन्हें भी दिये जायें।

(ख) सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएँ खोलना

1738. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 के आरम्भ के दस महीनों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की खोली गई नई शाखाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन बैंकों ने वर्ष 1972 के लिए देश में नई शाखाएँ खोलने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो खोली गई शाखाएँ निर्धारित लक्ष्य से कितनी कम हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 30-9-1972 तक की सूचना अनुबन्ध में दी गयी है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 3792/72]

(ख) और (ग) यद्यपि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इस प्रकार की शाखाएँ खोलने के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था लेकिन यह अनुमान लगाया गया था कि 1972 के कैलेण्डर वर्ष के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लगभग 1500 कार्यालय खोले जाएँगे। सितम्बर, 1972 की समाप्ति तक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 1052 कार्यालय खोले जा चुके थे और इस समय यह आशा है कि कुल मिलाकर पूर्वानुमान के अनुसार 1500 नये कार्यालय खोलने की सम्भावनाएँ बहुत हद तक पूरी हो जाएँगी।

पांचवीं योजना के दौरान पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु सरकारी क्षेत्र में बहुत-से होटलों के निर्माण का प्रस्ताव

1739. **श्री के० बालदण्डायुतम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु देश में सरकारी क्षेत्र के बहुत-से होटलों का निर्माण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कितने होटल बनाये जाएँगे और वे कहाँ-कहाँ पर होंगे ; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की अनुमानित लागत क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) पांचवीं योजना की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में होटलों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय शब्दों का अपने नाम में प्रयोग करने वाली विदेशी कम्पनियों के नाम

1740. **श्री शशि भूषण** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों की संख्या, नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है जिन्हें अपनी फर्मों में 'इण्डिया', 'हिन्दुस्तान' तथा 'नेशनल' जैसे अन्य शब्दों का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है; और

(ख) विदेशी फर्मों द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किए जाने की अनुमति किन कारणों से तथा किसके दबाव में दी गई है और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 591 में परिभाषित विदेशी कम्पनियाँ, उनके विनिगमन के देश में सम्बन्धित विदेशी कम्पनी पर लागू कानूनों के अन्तर्गत भारत से बाहर विनियमित कम्पनियाँ हैं। उनके मौलिक देश में इस प्रकार की विदेशी कम्पनियों के विनिगमन के लिए उनके नामों के साथ इण्डिया, हिन्दुस्तान एवं नेशनल जैसे शब्दों के जोड़ने के लिए भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की विदेशी कम्पनियाँ, यदि वे, कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग 11 के उपबन्धों का पालन करें, तो भारत में अपना व्यापार स्थापित कर सकती हैं।

इस्पात के आयात की प्रक्रिया

1741. **श्री बनमाली पटनायक** :
श्री राम सहाय पाण्डे :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के आयात की निर्धारित प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ; और

(ग) आयात लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्रों के शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) आयात नीति तैयार करते समय, विदेशी मुद्रा की प्राप्यता और आयात प्रतिस्थापन पर विशेष महत्त्व देना होता है । इसको देखते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन मदों के आयात बिना देश में काम चल सकता है अथवा जो मदें देश में ही उपलब्ध हैं, उनका कोई आयात न हो, कतिपय नियंत्रणों और प्रतिबन्धों का लगाया जाना आवश्यक हो जाता है । विदेशी मुद्रा की प्राप्यता और आयात प्रतिस्थापन के नियंत्रणों के आधार पर ही आवेदन-पत्रों के यथासंभव शीघ्रतापूर्वक निपटाने को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ संबंधित प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है । इस्पात मदों के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में किए गए विभिन्न सरलीकरणों के अलावा निर्यात उत्पादन के लिए और साथ ही वास्तविक प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्पात मदों की सामयिक पूर्ति को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित विशेष उपाय किए गए हैं—

(1) संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की इस्पात संबंधी एक विशेष समिति संवीक्षण करती है और अलग-अलग पार्टियों द्वारा इस्पात मदों के आयात हेतु और मार्गीकरण अभिकरणों के माध्यम से किए जाने वाले बल्क-आयातों के मामले में आयातित इस्पात के वितरण के लिए निर्वाधिता का कार्य करती है ।

(2) एक विशेष योजना के अन्तर्गत, आयातित इस्पात की सप्लाई पंजीकृत निर्यातकों को की जा रही है ताकि वे उन पुख्ता निर्यात आदेशों को पूरा कर सकें जिनके लिए स्वदेशी इस्पात की अपेक्षित मात्रा उपलब्ध नहीं है । इस योजना की प्रगति का नियमित रूप से पुनरीक्षण किया जाता है और अन्तर्ग्रस्त प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को सरल बनाने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ।

(3) प्राथमिकता वाली प्रमुख परियोजनाओं को पूरा करने के लिए गैर-सरकारी और साथ ही सरकारी क्षेत्रों—दोनों के वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा अपेक्षित दुर्लभ तथा सामरिक महत्त्व की इस्पात मदों की हाज़िर माल में से पूर्तियाँ करने के प्रयोजनार्थ हिन्दुस्तान स्टील लि० के अधीन एक इस्पात बैंक की स्थापना की गयी है । इस योजना का उद्देश्य समय की दृष्टि से प्राथमिकता मांगों और वास्तविक प्राप्यता का समायोजन करने में होने वाले विलम्बों को कम करने में सहायता देना है ।

भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए विदेशी मुद्रा का नियतन

1742. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को विदेशों में जाने पर चिकित्सा कराने के लिए विदेशी मुद्रा मिलती है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय सिविल सेवा के कितने अधिकारियों ने गत तीन वर्षों के दौरान यह सुविधा प्राप्त की है और उक्त प्रयोजन के लिए कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई है;

(ग) ये सुविधाएँ किन रोगों के लिए दी जाती हैं तथा कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी विदेशी मुद्रा ले सकता है इस सम्बन्ध में कोई सीमा निर्धारित है; और

(घ) चिकित्सा के लिए विदेशी मुद्रा बाहर जाने के सम्बन्ध में सामान्यतः क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) विदेशों में चिकित्सा कराने के प्रयोजन से, भारतीय सिविल सेवा (आई० सी० एस०) के अधिकारियों को विदेशी मुद्रा दिए जाने से सम्बद्ध कार्य-प्रणाली अथवा विदेशी मुद्रा पाने के हक के विषय में कोई विशिष्ट नीति निर्धारित नहीं हैं। विदेशों में इलाज के लिए विदेशी मुद्रा दिए जाने के लिए जो नीति अन्य लोगों के सम्बन्ध में लागू होती है वही भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों पर लागू होती है।

(घ) विदेशों में इलाज कराने के लिए विदेशी मुद्रा देने के सम्बन्ध में पहले ही प्रतिबन्धात्मक नीति अपनायी जाती है और विदेशी मुद्रा तभी दी जाती है जब चिकित्सा प्राधिकारी इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी कर देते हैं कि इस सम्बन्ध में भारत में चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं और भारत में उपलब्ध सर्वोत्तम चिकित्सा के बावजूद रोगी को कोई लाभ नहीं पहुँचा है और रोगी के स्वास्थ्य के हित में उसका विदेश में इलाज कराना जरूरी है। यद्यपि कुछ ऐसे मामलों का पता चला है जिनमें इस सुविधा का दुरुपयोग किया गया है और इनके बारे में विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गयी है लेकिन वर्तमान नीति ऐसी नहीं है जिसके कारण अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर जाती हो।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन से ऋणों के लिए करार

1743. **श्री राम सहाय पांडे** :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उद्योगों तथा नौवहन के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन से दो ऋणों के लिए करार किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) देश में उद्योगों के विकास में इससे कितनी सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) औद्योगिक आयातों तथा भारतीय नौवहन निगम द्वारा टैंकरों की खरीद के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ दो करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) औद्योगिक आयात ऋण 750 लाख डालर का है। इन पर केवल $\frac{3}{4}$ प्रतिशत की दर से सेवा-प्रभार लगता है और इनकी वापसी-अदायगी 50 वर्षों में की जानी है जिनमें 10 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है।

(ग) औद्योगिक आयात ऋण से, देश के कतिपय प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों में औद्योगिक एककों द्वारा क्षमता का और अधिक पूरी तरह से उपयोग करने के लिए कच्चा माल, संघटक तथा फालतू पुर्जे मंगवाने में सुविधा रहेगी। नौवहन ऋण से, भारतीय नौवहन निगम द्वारा भारतीय शोधनशालाओं को कच्चा तेल पहुँचाने के लिए तथा देश के अन्य उपभोक्ता केन्द्रों तक शोधित माल के लाने-ले जाने के लिए अशोधित तथा उत्पाद टैंकरों की खरीद में सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों को वित्तीय सहायता

1744. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों से छोटे किसानों को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है ;

(ख) क्या मैसूर और महाराष्ट्र से छोटे किसानों का एक प्रतिनिधि-मण्डल हाल ही में उनसे और प्रधान मंत्री से मिला था और उनको राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयाँ बताई थीं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में छोटे किसानों की कठिनाइयाँ दूर करने के लिए और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) यद्यपि सुधार की काफी गुंजाइश है, किन्तु यह कहना ठीक नहीं होगा कि छोटे किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। 5 एकड़ तक भूमि वाले किसानों के ऋण खातों की संख्या 1970 में 190754 से बढ़कर 1971 में 293478 हो गयी है। इस अवधि से, बकाया ऋणों की रकम 24·16 करोड़ रुपये से बढ़कर 30·85 करोड़ रुपये हो गयी है।

(ख) मैसूर या महाराष्ट्र से छोटे किसानों का ऐसा कोई प्रतिनिधि-मण्डल हाल में प्रधान मंत्री या वित्त मंत्री से नहीं मिला।

(ग) बैंकों की ऋण देने की नीति को जान-बूझकर सुरक्षा-प्रधान ऋण नीति से बदलकर उत्पादन-प्रधान ऋण-नीति बनाया गया है जिसका उद्देश्य छोटे किसानों को सुविधा प्रदान करना है। छोटे किसानों की सहायता को प्रोत्साहित करने और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उठाये गए अन्य कदमों में ये भी हैं—ऋण गारन्टी योजना, 1971 के अन्तर्गत बैंकों के लिए बीमे की सुविधा की व्यवस्था करना, छोटे किसानों, जिनमें बटाई पर खेती करने वाले भी शामिल हैं, के समूहों के लिए सामूहिक गारन्टी शुरू करना, विशिष्ट क्षेत्रों में एक एकड़ तक भूमि वाले किसानों के विशिष्ट वर्गों के लिए ब्याज की विभेदक दर लागू करना और देश के

विभिन्न भागों पर बैंकों और छोटा किसान विकास अभिकरण तथा सीमान्तिक किसान और कृषि श्रमिक अभिकरणों के बीच सक्रिय सम्बन्ध स्थापित करना । बैंकों ने अपने फार्मों को सरल बनाने और उन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में छापने के लिए कदम उठाए हैं । वे फार्म भरने में भी किसानों की सहायता करते हैं और उनके लाभ के लिए शुरू की गयी विभिन्न योजनाएँ भी उन्हें बताते हैं ।

दिल्ली में होटलों के निर्माण के लिए भूमि का आवंटन

1745. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण और आवास मंत्रालय ने दिल्ली में दो से पांच स्टार वाले होटलों के लिए अनेक भूमि-स्थल निश्चित किये हैं तथा उन स्थलों को होटल बनाने वालों को आवंटन हेतु उनके मंत्रालय को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त पार्टियों को उक्त स्थल आवंटित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) होटल निर्माण के लिए सम्बन्धित पार्टियों को उक्त भूमि का आवंटन करने सम्बन्धी मान-दण्ड क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) नई दिल्ली में कुछ स्थान होटलों के निर्माण के लिये आरक्षित करने का प्रस्ताव है । स्थानों की पट्टे पर देने के लिये शर्तें तैयार की जा रही हैं ।

विश्व बैंक से ऋण

1746. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को विश्व बैंक से उदार शर्तों पर ऋण प्राप्त होंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन के ऋणों को स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा भारत को कुल कितनी राशि का ऋण मिला है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारत को, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से, जो उदार शर्तों पर ऋण देने वाली विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था है, उदार शर्तों पर ऋण मिलता रहा है और मिलते रहने की सम्भावना है ।

(ख) और (ग) 1961 में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना के समय से लेकर भारत को इस संस्था से 193.10 करोड़ डालर तक के ऋण मिल चुके हैं । इन ऋणों की बकाया

रकमों पर 3/4 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार देना पड़ता है और ये 50 वर्षों में चुकाये जाते हैं जिसमें 10 वर्ष की रियायती अवधि शामिल है। ये ऋण कृषि, बिजली, रेलों, परिवहन और नौवहन, दूर संचार, उर्वरक और औद्योगिक विकास जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए लिये जाते हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलना

1747. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हर 42,000 व्यक्तियों के लिए एक बैंक खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) वर्ष 1972 में अब तक कितनी नई शाखाएं खोली गई हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) बैंकों की नयी शाखाएं खोलने के लिए अपनाये जाने वाले कई मानदण्डों में से एक मानदण्ड जनसंख्या का क्षेत्र भी होता है। सितम्बर 1972 के अन्त में देश में प्रत्येक बैंक कार्यालय द्वारा औसत जनसंख्या पहले ही 42,000 से नीचे थी।

(ख) जनवरी, 1972 से सितम्बर, 1972 की समाप्ति के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 1052 नये कार्यालय खोले गये।

कोचीन से नारियल जटा, कॉफी और काजू के निर्यात में कमी

1748. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन से नारियल जटा, कॉफी तथा काजू के निर्यात में काफी कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-मिस्र-यूगोस्लाविया करार से लाभ

1749. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि व्यापार संवर्द्धन तथा आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में भारत-मिस्र-यूगोस्लाविया करार से वर्ष 1967 से अब तक क्या-क्या लाभ हुए हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : इस करार के फलस्वरूप मिस्र तथा यूगोस्लाविया को भारत के निर्यातों में विस्तार तथा विविधीकरण हुआ है। अन्य आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग की संभाव्यताओं का पता लगाया जा रहा है।

एयर इंडिया द्वारा कुछ देशों की राजधानियों को कम किराये पर उड़ाने करने का प्रस्ताव

1750. **श्री वयालार रवि :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया का कुछ देशों की राजधानियों को कम किराये पर उड़ानें करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस योजना में किन-किन मार्गों को शामिल किया गया है और मार्गों का चयन किस सामान्य आधार पर किया गया है; और

(ग) इस सूची में मास्को को शामिल न करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) भारत और अन्य प्रमुख पर्यटकों के स्रोत स्वरूप देशों के बीच एयर इंडिया ने विभिन्न प्रोत्साही किरायों की व्यवस्था की है । यह लन्दन और अमस्टरडन के लिये चार्टर उड़ानों का परिचालन भी करती है ।

(ग) मास्को के लिए 'ग्रुप इंक्लूसिव टूरिस्ट फेअर्स' की व्यवस्था है। वर्तमान यातायात की दृष्टि से इसे पर्याप्त समझा जाता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में विकासशील राष्ट्रों को शक्तियां देने की मांग

1751. **श्री वयालार रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हाल में हुई एक बैठक में कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस समय विकसित राष्ट्रों के ही हितों का पोषण कर रहा है तथा क्या उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष में विकासशील देशों के लिए और अधिक शक्तियों की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस मांग के बारे में अन्य विकासशील तथा विकसित देशों की प्रक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) मैंने, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के गवर्नरों के बोर्ड की 1972 की वार्षिक बैठक में अपने भाषण के दौरान इस बात की ओर संकेत किया था कि उक्त निधि के निर्णयों में विकासशील देशों के प्रभाव में भारी असन्तुलन है और मैंने यह बात भी दोहरायी थी कि लम्बे अर्से में, अन्ततः इस भारी असन्तुलन से, विकसित और विकासशील देशों के बीच संतोषजनक ढंग से परस्पर सहयोग प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं मिलेगी । इसके अतिरिक्त मैंने यह आशा भी व्यक्त की थी कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार सम्बन्धी भावी बातचीत में कोटे के सापेक्ष हिस्से तथा मताधिकार और नियुक्त निदेशकों की प्रथा जैसे प्रश्नों पर भी विचार किया जायगा । इस विषय पर तथा

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली को सुधारने के उद्देश्य से अन्य सम्बद्ध विषयों पर, अभी हाल ही में गठित गवर्नरों की उस समिति में विचार-विमर्श किया जायगा जिसमें विकासशील और विकसित देशों के प्रतिनिधि हैं ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली के वरिष्ठ कर्मचारियों की हड़ताल

1752. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया के वरिष्ठ कर्मचारियों ने 3 अक्तूबर, 1972 को कोई हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त हड़ताल के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) दिल्ली संघीय राज्य क्षेत्र में स्टेट बैंक आफ इण्डिया के विभिन्न कार्यालयों में काम करने वाले अनेक पर्यवेक्षी कर्मचारी बैंक के कुछ अधिकारियों के तबादले के विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए, 3 अक्तूबर, 1972 को काम पर नहीं गये । अब आन्दोलन वापस ले लिया गया है । स्टेट बैंक आफ इंडिया सम्पूर्ण मामले पर अखिल भारतीय स्टेट बैंक आफ इण्डिया पर्यवेक्षी कर्मचारी संघ के साथ बातचीत कर रहा है, जो पर्यवेक्षी कर्मचारियों के लिए बैंक का मान्यता प्राप्त संघ है ।

यूरोपियन आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश का ब्रिटेन से भारत को मिलने वाली सहायता पर पड़ने वाला प्रभाव

1753. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपियन आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश से उससे भारत को मिलने वाली सहायता पर कुप्रभाव पड़ने की सम्भावना है;

(ख) यदि हाँ, तो किस सीमा तक;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में ब्रिटेन ने कोई आश्वासन दिये हैं और यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

सिनेमा उद्योगों पर कर

1754. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा सिनेमा उद्योग पर कितने प्रकार के कर लगाये जाते हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार इन करों को फिल्म उद्योग पर किस प्रकार वितरित करती है; और

(ग) फिल्म वित्त निगम और इस प्रयोजन के लिए केन्द्र द्वारा नियंत्रित अन्य ऐजेन्सियों द्वारा सिनेमा उद्योग से प्राप्त आय में से कितनी प्रतिशत आय राज्यवार अथवा क्षेत्रवार इस उद्योग को विकसित करने में दोबारा लगा दी जाती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) केन्द्र द्वारा 'सिनेमा उद्योग' पर इस तरह का कोई कर नहीं लगाया जाता । मनोरंजन कर राज्यों का विषय है । किन्तु सिनेमा उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान और उपकरणों पर जैसे उद्भासित और अनुद्भासित फिल्मों, सिनेमा के प्रोजेक्टरों और सिनेमा के कैमरों पर सीमा-शुल्क लगाया जाता है । इसी तरह इन वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क भी लगाया जाता है । उद्भासित फिल्मों पर लगाये जाने वाले उत्पादन शुल्क की दरें भिन्न-भिन्न होती हैं, क्योंकि वे इस बात पर निर्भर करती हैं कि क्या फिल्में काली और सफेद हैं या रंगीन हैं और उनके कितने 'प्रिंट' निकाले गए हैं ।

(ख) सिनेमा उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान और उपकरणों पर लगाये जाने वाले केन्द्रीय शुल्कों का कोई विशेष भाग इस उद्योग के लिए अलग से नहीं रखा जाता ।

(ग) पांचवें वित्त आयोग के पंचाट के अन्तर्गत सभी केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों के रूप में प्राप्त शुद्ध रकमों का 20 प्रतिशत जिसमें उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित शुल्क भी शामिल है, राज्यों को उक्त आयोग द्वारा निर्धारित उनके हिस्सों के रूप में दे दिया जाता है । इसके अलावा, प्राप्त राजस्व में से कोई विशिष्ट प्रतिशत राशि का प्रत्यक्ष रूप से अथवा फिल्म वित्त निगम अथवा किन्हीं अन्य केन्द्र-नियन्त्रित अभिकरणों के माध्यम से सिनेमा उद्योग के विकास के लिए अलग से नहीं रखी जाती ।

भारत तथा नेपाल के बीच व्यापार की संभावना

1755. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री भारत तथा नेपाल के बीच व्यापार की सम्भावना के सम्बन्ध में 16 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6320 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 तथा वर्ष 1968-69 की तुलना में वर्ष 1970-71 में नेपाल को निर्यात में कमी के लिए कौन-कौन सी बातें उत्तरदायी हैं ; और

(ख) वर्ष 1971-72 में कितने मूल्य का आयात किया गया और आगामी वर्षों में नेपाल की निर्यात तथा वहां से आयात की क्या सम्भावनाएं हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1970-71 में नेपाल को भारतीय निर्यातों में कमी का मुख्य कारण भारत-नेपाल व्यापार तथा पारवहन संधि (1960) की समाप्ति तथा अगस्त, 1971 में एक नई संधि संपन्न किये जाने के बीच एक समय अन्तराल का होना था। वर्ष 1971-72 के दौरान निर्यातों में ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति रही है जोकि 28.44 करोड़ रुपये के थे, जबकि 1968-69 में 25 करोड़ रुपये, 1969-70 में 27 करोड़ रुपये तथा 1970-71 में 24 करोड़ रुपये के निर्यात हुए थे।

(ख) वर्ष 1971-72 में नेपाल से 10.27 करोड़ रुपये के मूल्य के आयात किये गए। आशा की जाती है कि आगामी वर्षों में भारत-नेपाल व्यापार में वृद्धि का रुख रहेगा।

सामान्य बीमा का एकमात्र निगम बनाने के बारे में अखिल भारतीय सामान्य बीमा कर्मचारियों की मांग

1756. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा कर्मचारियों का अखिल भारतीय संघ, सामान्य बीमा उद्योग के लिए एकमात्र अखंड निगम गठित करने की मांग करता आ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) विविध बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के पारित होने से पहले उस मांग पर समुचित विचार किया गया था। उस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत का विविध बीमा निगम बनाने संबंधी तथा सारे भारत में विविध बीमा कारोबार चलाने के लिए, अंततोगत्वा, (निगम के अलावा) चार कम्पनियों का निर्माण करने के उद्देश्य से योजनाएं बनाने संबंधी व्यवस्था भी है।

Smuggling of Japanese Thread

1757. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether, as reported on page 5 of 'Nav Bharat Times' New Delhi dated the 30th September, 1972, Customs Department has unearthed a gang which was engaged in smuggling of Japanese thread ;

(b) if so, the number of persons arrested in this regard ; and

(c) the annual loss of foreign exchange suffered by Government on account of such smuggling ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The Customs authorities during the period 16-9-1972 to 1-10-1972 effected 5 seizures in Amritsar of synthetic yarn consisting of 1999 reels valued at Rs. 36,000/- at the market rate.

(b) Two persons have been arrested and released on bail by the Magistrate.

(c) It is not practicable to give a reliable estimate of the loss of foreign exchange suffered by the Government on account of such smuggling.

Scheme to Construct one more International Airport during Fifth Plan

1758. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri M. S. Sanjeevi Rao :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there is a scheme to construct one more international airport during the Fifth Plan ;

(b) if so, the location thereof and the expenditure likely to be incurred thereon ; and

(c) the time by which it would be completed and opened for traffic ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c) Government are considering the question of providing facilities at Srinagar, Dabolim and Trivandrum aerodromes so as to enable them to handle direct charter flights carrying foreign tourists.

Shares of M/s Maruti Limited

1759. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the persons/parties who hold more than 1000 shares of Maruti Limited ; and

(b) the amount of loans received by Maruti Limited from Government and Semi-Government financial institutions and banks, separately indicating the names thereof ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy): (a) As per the latest return of allotment of shares dated 7-8-72, the names of the shareholders holding more than 1000 equity shares of M/s. Maruti Limited, are giving in the Statement annexed. [*Placed in Library. See* No. LT—3793/72].

(b) The Company was registered under the Companies Act, 1956, on 4-6-1971 and its first Balance Sheet is not yet due. Audited figures of the amounts of loans obtained by the company from Government and Semi-Government financial institutions and banks are, therefore, not available.

Trade Delegation from G. D. R.

1760. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri E. V. Vikhe Patil :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether a delegation from G.D.R. visited India in October, 1972 ; and

(b) if so, the salient features of the discussions held with the delegation and the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) and (b) An official trade delegation from the German Democratic Republic visited India in October, 1972, for annual trade talks were held in New Delhi from 25th October to 2nd November, 1972. On the conclusion of these talks, a Trade Protocol for 1973 was signed on 2nd November, 1972. The Trade Protocol envisages at trade turnover of Rs. 690 million between the two countries during 1973.

Besides exports of various traditional commodities like deoiled cakes, cashew kernels, tea, coffee, cotton textiles, jute manufactures etc., a number of engineering and non-traditional items, including consumer goods, have been included for exports to the G.D.R. Some of these items are cotton ready-made garments, linoleum, shoes and chappals, leather goods and garments, sports goods, electrical motors and switch gears, hand-knitting machines, machine tools, wire ropes, aluminium cables, castings and forgings etc. Principal items of India's imports from the G.D.R. during 1973 will be printing machinery, steel and steel products, textile machinery, optical and scientific instruments, X-Ray films, cinematographic colour films, chemicals, muriate of potash (fertilizer grade), potassium chloride, etc.

भारतीय पूंजी-निवेश केन्द्र द्वारा सर्वेक्षण

1761. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पूंजी-निवेश केन्द्र ने कभी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के लिए कोई अध्ययन कार्य किया है, और यदि हां, तो उसके लिए कितना शुल्क प्राप्त किया ;

(ख) क्या उक्त शुल्क आर्थिक मामलों के विभाग को समर्पित कर दिया गया था, और यदि नहीं, तो उसका किस प्रकार उपयोग किया गया ; और

(ग) क्या यू०एस०ए०आई०डी० से 'टौय सर्वे' के लिए, जो कि उक्त केन्द्र द्वारा उक्त संगठन के लिए किया जा रहा है, बताया जाता है, शुल्क के रूप में अर्जित 4 लाख रुपये की राशि भारत सरकार के खाते में जमा करायी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय निवेश केन्द्र ने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के लिए अध्ययन का कोई काम हाथ में नहीं लिया। किन्तु अप्रैल 1970 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (अंकटाड) की ओर से प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रणालियों के अध्ययन का काम अपने हाथ में लिया था, जिसके लिए उसे शुल्क के रूप में 63,750 रुपये प्राप्त हुए थे। इस अध्ययन पर 48,363 रुपये खर्च हुए थे और परीक्षित लेखों के अनुसार 15,387 रुपये की बचत हुई थी। 1971-72 के लिए केन्द्र को दिये जाने वाले अनुदानों की रकम में बचत की यह राशि कम कर दी गई थी।

(ग) विदेश व्यापार मंत्रालय के अनुरोध पर अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने, भारतीय खिलौनों और साज-सज्जा सम्बन्धी वस्तुओं की निर्यात क्षमता के सर्वेक्षण के काम के लिए

नवम्बर, 1970 में भारतीय निवेश केन्द्र से बात की थी और इस काम के लिए अमरीकी अभिकरण ने कुल मिलाकर लगभग 4.69 लाख रुपये किस्तों में अदा करने थे। सर्वेक्षण का काम वास्तव में 1972 के प्रारम्भ में शुरू हुआ। अब तक अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से 2,89,640 रुपये की रकम प्राप्त हुई है जिसमें से सर्वेक्षण के काम पर खर्च किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण से सम्बन्धित आय तथा व्यय का हिसाब-किताब अलग रखा जा रहा है और थोड़े-से कर्मचारियों को छोड़कर, जिन्हें विशेष रूप में इस कार्य के लिए भर्ती किया गया है, सर्वेक्षण का काम केन्द्र के वर्तमान अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा ही किया जा रहा है। आशा है कि केन्द्र को इसमें बचत होगी और केन्द्र को दिए जाने वाले अनुदानों में उतनी ही कमी कर दी जायगी।

दिल्ली स्थित आयकर आयुक्त के कार्यालय में काम कर रहे कर्मचारी

1762. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1972 से 31 अक्तूबर, 1972 तक की अवधि में दिल्ली स्थित आयकर आयुक्त के कार्यालय के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में निम्न श्रेणी लिपिकों तथा आशुलिपिकों के रिक्त पदों की संख्या कितनी थी और उपरोक्त श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या उक्त रिक्त पदों के बारे में डिपार्टमेंट आफ पर्सोनल के सैन्ट्रल (सरप्लस स्टाफ) सैल को सूचित किया गया था, यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या उक्त रिक्त पदों को सैन्ट्रल (सरप्लस स्टाफ) सैल द्वारा उपलब्ध कराये गए कर्मचारियों से भरा गया था ; और

(घ) क्या उक्त विभाग ने सैल से इस आशय का 'कोई आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र' प्राप्त कर लिया था कि उक्त अवधि में उपरोक्त संवर्गों के लिए योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे और यदि हाँ तो ऐसा 'कोई आपत्ति नहीं प्रमाण-पत्र' सैल द्वारा किस तारीख को जारी किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 1 जुलाई, 1972 से 31 अक्तूबर, 1972 तक की अवधि में अवर श्रेणी लिपिक तथा आशुलिपिक के ग्रेड में खाली पड़े पदों की संख्या इस प्रकार थी --

अवर श्रेणी लिपिक	आशुलिपिक
20	27

इन दो ग्रेडों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित पद

इस प्रकार थे—

	अवर श्रेणी लिपिक	आशुलिपिक
अनुसूचित जाति	10	16
अनुसूचित जनजाति	10	8

(ख) जी, हां। अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में 18-2-1971 को 80 और 21-3-1972 को 9 रिक्त पद अधिसूचित किए गये थे। जहां तक आशुलिपिकों का प्रश्न है, 19-6-1972 को 19 और 5-7-1972 को 3 रिक्त पद अधिसूचित किए गए।

(ग) जी, हाँ। अंशतः केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल द्वारा भेजे गये कर्मचारियों द्वारा और अंशतः सीधी भरती के माध्यम से।

(घ) जी, हां। अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में रिक्त पदों को भरने के संबंध में केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल से 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' 22-2-1972 और 17-11-1972 को प्राप्त किए गये थे। आशुलिपिकों के संबंध में 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' 23-6-72 और 13-7-72 को प्राप्त किये गये थे।

आयात-निर्यात मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में निम्न श्रेणी लिपिकों, प्रवर श्रेणी लिपिकों तथा आशुलिपिकों के रिक्त पदों को भरना

1763. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1972 से 31 अक्तूबर, 1972 तक की अवधि में दिल्ली स्थित आयात-निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में निम्न श्रेणी लिपिकों, प्रवर श्रेणी लिपिकों तथा आशुलिपिकों के रिक्त पदों की संख्या कितनी थी ;

(ख) उक्त पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या कितनी थी ;

(ग) क्या उक्त रिक्त पदों के बारे में डिपार्टमेंट आफ पर्सोनल के सैन्ट्रल (सरप्लस स्टाफ) सैल को सूचित किया गया था ; यदि हां, तो क्या रिक्त पदों को सैन्ट्रल (सरप्लस स्टाफ) सैल द्वारा उपलब्ध कराये गए कर्मचारियों से भरा गया था ; और

(घ) क्या उक्त विभाग ने सैल से इस आशय का 'कोई आपत्ति नहीं प्रमाण-पत्र' ले लिया था कि सैन्ट्रल पूल में इस अवधि में उपरोक्त संवर्गों के लिए योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे और यदि हां, तो ऐसा 'कोई आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र' सैल द्वारा किस तारीख को जारी किया गया था ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कुछ नहीं।

(ख) से (घ) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Request from Air India and Indian Airlines for Acquiring New Planes

1764. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the Air India and Indian Airlines have made a request to the Central Government for acquiring new planes ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No proposals have been made yet.

(b) Does not arise.

Smuggling of Banarasi, Kanjipuram saris to Ceylon

1765. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether cases of smuggling of Banarasi, Kanjipuram saris and other commodities from India to Ceylon have come to the notice of Government ;

(b) if so, the value of goods seized by the Customs during the last two years ; and

(c) the measures adopted by Government to check such activities ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) No instance of smuggling of Banarasi or Kanjipuram sarees has come to the notice of the Government. However some articles like gold, Indian textiles, Radio parts, Plastic goods, Motor parts, Opium and some Indian currency in all valued about Rs. 5,60,000/- intented for smuggling from India to Ceylon have been seized, during the years 1970 and 1971.

(c) Several steps have been taken to strengthen the anti-smuggling measures such as augmentation of staff in the existing preventive units, setting up of new Divisions and Preventive Intelligence Units exclusively for anti-smuggling work and creation of a new Collectorate in the South for better co-ordination.

The anti-smuggling machinery has also been strenghthened by allotment of vessels, vehicles and other equipment.

Rewards are also given to public and junior Government officers for effective collection of information and meritorious services.

Frequent meetings are held between different enforcement agencies to ensure better co-ordination for mutual exchange of information.

A crash programme for training of officers engaged on anti-smuggling work has been introduced and the officers are receiving such training from time to time.

कराधान से अतिरिक्त संसाधन जुटाया जाना

1766. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के एक उपाय के रूप में प्रत्यक्ष कर लगाने का क्षेत्र बढ़ाने पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) सरकार मामले पर गौर कर रही है ।

विदेशी सहायता का उपयोग

1767. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी ऋणों की पुनः अदायगी के बढ़ते हुए भार के कारण हाल के वर्षों में आर्थिक विकास के लिए वास्तविक वित्तीय योगदान में उल्लेखनीय कमी हुई है ; और

(ख) विदेशी ऋणों की पुनः अदायगी करने में कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जैसाकि 1971-72 की 'आर्थिक समीक्षा' में बताया गया है, विदेशी सहायता के वचनों में कमी होने के परिणामस्वरूप, विदेशी सहायता के सवितरण में कमी हो जाने और वापसी अदायगी के बढ़ते हुए बोझ के कारण, हाल के वर्षों में आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता के वास्तविक योगदान में उल्लेखनीय कमी हो रही है ।

(ख) विदेशी ऋण अपनी-अपनी शर्तों की अवधियों के अनुसार चुकाए जाएंगे, जो कुछ मामलों में 50 वर्ष तक होती है ।

केरल सरकार का कच्चे काजू के लिए अनुरोध

1768. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह केरल में काजू के कारखानों की कच्चे काजुओं की समूची मांग को पूरा करे ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारतीय काजू निगम द्वारा आयातित कच्चे काजू के वितरण से संबंधित वर्तमान व्यवस्था में कुछ संशोधन

करने हेतु केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है और विशेष रूप से केरल राज्य काजू विकास निगम के अन्तर्गत फैक्टरियों के लिए कच्चे काजू की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा किए जाने की मांग की है। केरल सरकार के सुझावों को भी ध्यान में रखा जा रहा है और साथ ही सभी अन्य सम्बद्ध राज्यों में भी राष्ट्रीय आधार पर समान वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाता है।

राज्यों की 'सन्स आफ दी सोयल' (उसी क्षेत्र के लोग) मांग के बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मार्गदर्शी निर्देश

1769. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यमों के ब्यूरो ने कुछ राज्यों द्वारा की गई 'सन्स आफ दी सोयल' (उसी क्षेत्र के लोग) माँग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कोई मार्गदर्शी निर्देश जारी किये हैं;

(ख) उक्त मार्गदर्शी निर्देशों का स्वरूप तथा अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ऐसा करना राष्ट्रीय एकता परिषद की घोषणाओं के प्रतिकूल नहीं है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) शायद माननीय सदस्यों का संकेत सरकार द्वारा सरकारी उद्यमों को दी गयी उन हिदायतों की ओर है जो सरकार ने उन्हें अपने 500 रुपये प्रतिमास से अनधिक के मूल वेतन वाले पदों पर केवल राष्ट्रीय नियोजन सेवा की मार्फत कर्मचारियों की भरती करने और इस प्रकार के पदों के लिए अन्य स्रोतों से उसी दशा में भरती करने के लिए दी हैं जब नियोजन केन्द्र 'अनुपलब्धता प्रमाणपत्र' जारी कर दे। इन हिदायतों में यह भी कहा गया है कि सरकारी प्रतिष्ठानों में मध्यम स्तर के और वरिष्ठ पदों पर गुणों और योग्यताओं का ध्यान रखते हुए अखिल भारतीय स्तर पर भरती की जानी चाहिए।

केरल में वेली से कोवलम् तक मैरीन ड्राइव का प्रस्ताव

1770. **श्री इब्राहिम सुलेमान सेट :**
श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा वेली से कोवलम तक मैरीन ड्राइव के निर्माण हेतु पेश किये गये प्रस्ताव को अब स्वीकार कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कोवलम को एक महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र मानते हुए क्या भारत सरकार उक्त प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

नागर विमानन विभाग में हवाई अड्डा सहायक अधिकारियों को रात्रि भत्ता

1771. **श्री के० मालन्ना** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन विभाग में हवाई अड्डा सहायक अधिकारियों को, जब वे हवाई अड्डों पर लगातार 12 घण्टे तक रात के समय काम करते हैं, कोई रात्रि भत्ता नहीं दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) राज्याश्रित कर्मचारी होने के नाते सहायक विधान क्षेत्र अधिकारी समयोपरि भत्ते अथवा रात्रि कार्य भत्ते के अधिकारी नहीं होते। अन्य तकनीकी कर्मचारियों की भांति सप्ताह में उनसे 42 घण्टे से अधिक अवधि के लिये काम नहीं लिया जाता है। क्रम-सूची (रोस्टर) के अनुसार उन्हें रात्रि ड्यूटी पर लगाया जाता है जो कभी-कभी लगातार 12 घण्टे की होती है ताकि अधिकारियों की ड्यूटी का आरम्भ अथवा अन्त ऐसी कठिन घड़ी में न हो जिससे कि अधिकारियों को यातायात आदि के मामले में कठिनाई का सामना करना पड़े।

रबड़ की काश्त के लिए केरल को वित्तीय सहायता

1772. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** :
श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री रबड़ की काश्त के लिए केरल सरकार को वित्तीय सहायता के बारे में 22 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3032 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के दौरान रबड़ की काश्त के लिए केरल राज्य को वित्तीय सहायता देने के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) रबड़ के बागान लगाने के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्य सरकार को पहले दी गई 4.5

करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल राज्य सरकार को और वित्तीय सहायता देने का प्रश्न अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

सूती धागे पर मूल्य नियंत्रण

1773. **श्री बख्शी नायक** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सूती धागे पर मूल्य नियन्त्रण लागू करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस प्रस्तावित कार्यवाही पर उद्योग ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Effect of Monetary Crisis on Developing Countries

1774. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it has been stated in the Annual Report of International Monetary Fund that the International monetary crisis of 1971 and other factors will adversely affect the developing countries ; and

(b) if so, the details of the warning given therein and the preventive steps taken in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) The Annual Report of the I.M.F. for 1972 has assessed the effects of the 1971 currency realignment with respect to the reserves, debt and debt service and the trade of developing countries. The Fund's Annual Report states that while the overall value of the reserves of all countries increased by about 5 per cent because of the currency realignment, the increase (in items of U.S. dollars) in world price level of international transactions, would result in a net loss of 2.3 per cent in the real purchasing power of these reserves. As regards the effect of the currency realignment on the external debts of the developing countries, the revaluation of certain currencies has raised the U.S. dollar equivalent of most non-dollar debt or debt service payments. The increase in U.S. dollar prices resulting from the realignment tends to reduce in real terms both the dollar-denominated debt and the U.S. dollar equivalent of most other outstanding debt. The total of outstanding debt and the debt servicing of the developing countries has been estimated to have increased by about 4-5 per cent. The exchange rate decisions made by the developing countries in the context of the currency realignment resulted in an average effective depreciation of roughly $4\frac{1}{2}$ per cent vis-a-vis developed areas. The Annual Report of the I.M.F. had further stated that on the basis of reasonable, although uncertain, assumptions regarding price elasticities of demands for and supplies of goods traded by developing

countries, this depreciation may eventually bring about an expansion in the volume of developing countries' exports and a greater decline in the volume of their imports and a sizeable improvement in their trade balance.

Fourth and Fifth Finance Commission

1775. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of assistance allocated as grant to the various States by the Fourth and Fifth Finance Commission, separately ; and

(b) the share of taxes given to them by the Commission ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) A statement showing the amounts of grants-in-aid recommended by the Fourth and Fifth Finance Commissions to each State and the share of taxes and duties estimated by them as payable to each State on the basis of the recommendations made by them and the level of taxation at that time is placed below. [*Placed in Library. See* No. LT—3794/72].

Price of Gold in Indian and Foreign Markets and its Impact on Indian Economy

1776. **D. Laxminarayan Pandeya** :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the average price of gold as on 1st April, 1971 and as at present in the Indian and foreign markets ; and

(b) the reasons for price increase and the impact thereof on the Indian economy and foreign trade ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) The average prices of gold in Bombay, London, Zurich and Paris markets as at the end of each month since March, 1972 and as on 15th November, 1972 are set out in the annexed table.

(b) The increase in the free market price of gold is attributed partly to speculative influences and partly to factors affecting supply and demand of gold in the unofficial market. However, the official price of gold, on which depends the dollar parity of national currencies, continues to remain unchanged at U.S. dollar 38 per ounce. As such, the increase in the free market price of gold will have no impact either on India's economy or on her foreign trade.

Statement

Average Market Price of Gold

	Bombay Standard Gold (Rs. per 10 grams)	London	Zurich	Paris
			(U.S. dollars—per ounce)	
31-3-1972	202.05	48.45	48.42	49.47
28-4-1972	209.10	50.00	49.68	50.35
26-5-1972	230.17	57.05	N.A.	56.14
30-6-1972	233.58	64.75	64.75	65.39
28-7-1972	231.65	66.70	66.55	67.07
25-8-1972	241.30	67.40	67.30	68.42
29-9-1972	251.33	64.40	64.40	65.22
22-10-1972	246.35	64.62	64.62	64.39
15-11-1972	242.00	62.07	62.12	62.15

N.A. = Not Available.

Programme proposed to be undertaken in Bihar for Development of Tourism during Fifth Plan

1777. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state the salient features of the programme proposed to be undertaken in Bihar for tourism development during the Fifth Plan ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : It is too early to give an indication as the Tourism Plan has not yet been finalised.

Arrears of outstanding Income-tax

1778. Shri Shankar Dayal Singh :
Shri K. Suryanarayana :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total amount of Income-tax outstanding in the country at the end of the current financial year ; and

(b) the names of the defaulters against whom the largest amount of Income-tax is outstanding and the action being taken by Government to realize it ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The net arrears of Income-tax outstanding in the country as on 31-3-1972 amounted to Rs. 438.60 crores.

(b) The particulars regarding the assessees against whom net arrears of Income-tax exceeding Rs. one crore were outstanding as on 31-3-1972 and the action taken and being taken by Government to realise these arrears, are given in the Annexure. [*Placed in Library. See* No. LT—3795/72].

भारत में सबसे अधिक धनी व्यक्ति

1779. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि 28 अक्तूबर, 1972 के 'फाइनेन्शियल एक्सप्रेस' में समाचार है, क्या वर्ष 1970 में भारत में सबसे अधिक 10 धनी व्यक्तियों में से सत्तारूढ़ दल के एक केन्द्रीय मंत्री, एक राज्य मंत्री तथा कुछ संसद सदस्य थे; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ? और वर्ष 1971 के अन्त तक सबसे अधिक धनी व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) 23 अक्तूबर, 1972 की 'फाइनेन्शियल एक्सप्रेस' में प्रकाशित संवाद में स्पष्टतया उस विवरण-पत्र की ओर संकेत है, जिसमें उन व्यक्तियों की सूची है जिनका निर्धारित अथवा विवरणी में दिखाया गया धन 25 लाख रु० से अधिक था और जो 20-11-1970 को पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 1751 के लिए दिए गये आश्वासन के उत्तर में सदन की मेज पर रखा गया था। विवरण-पत्र में दिए गये 318 नामों में से पहले दस व्यक्तियों के नामों में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम शामिल नहीं है, जो केन्द्रीय मंत्री अथवा शासक दल का कोई सदस्य हो। जहां तक मालूम है, इन दस व्यक्तियों में से कोई भी राज्य मंत्री नहीं है। 1971 के अन्त में सबसे अधिक धनवान 10 व्यक्तियों के नामों के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

मोटर गाड़ी के पुर्जों के निर्यात संवर्धन हेतु सोवियत संघ भेजा गया शिष्टमण्डल

1780. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के साथ मोटरगाड़ी के पुर्जों का निर्यात बढ़ाने के प्रयत्न में सरकार ने 12 सदस्यों का एक शिष्टमण्डल सोवियत संघ भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो आगामी एक वर्ष के दौरान कितने मूल्य के मोटरगाड़ी के पुर्जे सोवियत संघ को निर्यात किये जायेंगे तथा इसके लिए उस देश से पहले से ही मिले निर्यात आर्डरों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ख) भारत से सोवियत संघ को मोटर गाड़ियों के अनुषंगी उत्पादों के निर्यात से सम्बन्धित तकनीकी मामलों पर बातचीत करने के लिए परियोजना तथा उपस्कर निगम, जो राज्य व्यापार निगम का एक सहायक

निगम है, के एक प्रतिनिधि के नेतृत्व में मोटर गाड़ियों का निर्माण करने वाले दस एककों के एक प्रतिनिधि मंडल ने अक्तूबर, 1972 में मास्को का दौरा किया । मामले पर आगे कार्यवाही की जा रही है। अभी तक कोई समझौता नहीं किया गया है ।

हंगरी तथा चेकोस्लोवाकिया द्वारा अधिमान देने की सामान्य व्यवस्था का लागू किया जाना

1781. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी तथा चैकोस्लोवाकिया ने भारत सहित विकासशील देशों से आयात करने के पक्ष में अधिमान देने की सामान्य व्यवस्था को लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त व्यवस्था की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) आगामी वर्षों के दौरान उक्त योजना के लागू होने से भारत के विदेश व्यापार पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और इस योजना से अधिकतम लाभ उठाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) विकासशील देशों का एक सुसंगठित आर्थिक संघ, जिससे आपस में सहमति से ऐसे अधिमान दिये जायें, गठित करने के लिए यदि कोई प्रयास किये जा रहे हैं तो वे क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ उत्पादों को छोड़कर, भारत सहित विकासशील देशों के निर्यात हित के उत्पादों पर अधिमान्यता के आधार पर लगभग 50 प्रतिशत की प्रशुल्क कटौतियां की जायेंगी ।

(ग) व्यापक प्रचार करने के वास्ते प्रेस तथा अन्य साधनों के माध्यम से सभी सम्भव उपाय किये गये हैं ताकि भारत द्वारा सर्वाधिक लाभ प्राप्त किये जा सकें। चूंकि दोनों योजनाएं 1972 में ही कार्यान्वित की गई हैं अतः भारत द्वारा अर्जित किये जाने वाले लाभों के विषय में अभी से कोई ठीक-ठीक पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता सिवाय इसके कि आगामी वर्षों में विशेषतः अपरम्परागत निर्मित वस्तुओं तथा अर्ध-निर्मित उत्पादों से पर्याप्त लाभ अर्जित किये जाने की सभावना है ।

(घ) गाट के तत्त्वावधान में 1967 में जिनेवा में विकासशील देशों की एक व्यापार वार्ता समिति स्थापित की गई थी । टैरिफ रियायतों के आदान-प्रदान हेतु विश्व आधार पर भारत ने 8 देशों अर्थात् ब्राजील, चिली, मैक्सिको, पेरू, फिलीपाइन्स, चीन, टर्की तथा ट्यूनीशिया के साथ वार्ताएं की हैं । अन्तःक्षेत्रीय स्तर पर भारत, व्यापार विस्तार तथा आर्थिक सहयोग सम्बन्धी भारत-मिस्र-युगोस्लाविया करार, जिस पर, 1967 में हस्ताक्षर हुए थे, का पहले से ही एक पक्षकार है । क्षेत्रीय स्तर भारत, इकार्फ के तत्त्वावधान में व्यापार उदारीकरण सम्बन्धी एक प्रयोग में पहले से ही भाग ले रहा है ।

हथकरघा बुनकरों का शिष्टमंडल

1782. **श्री डी० के० पंडा :**
श्री आर० पी० उलगनम्बी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हथकरघा संगठन के प्रतिनिधि इस वर्ष सितम्बर में प्रधान मंत्री से मिले थे तथा एक ज्ञापन दिया था जिसमें यह मांग की गई थी कि देश में हथकरघा उद्योग में संकट को टालने हेतु राहत के उपाय किये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या-क्या सही मांगें की थीं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) अखिल भारतीय हथकरघा संगठन द्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 1972 को प्रधान मंत्री को दिये गए अपने ज्ञापन में की गई मांगें और उनके संबन्ध में स्थिति नीचे दी जाती है—

मांगें : (1) बुनकर सहकारी समितियों को 10 पैसे प्रति रुपया की दर से तीन मास की विशेष रिबेट का दिया जाना ; और

(2) राहत बुनकर केन्द्रों का खोला जाना ।

स्थिति : हथकरघा उद्योग के विकास का सम्बन्ध मूलत: राज्य सरकारों से है और इस उद्योग के विकास की सभी स्कीमों को राज्य सरकारों द्वारा ही क्रियान्वित किया जाता है । अत: उपर्युक्त दोनों मामलों में मुख्य रूप से कार्यवाही राज्य सरकारों द्वारा ही की जाती है और इस प्रयोजन के लिए धनराशि की व्यवस्था संबन्धित राज्यों की वार्षिक योजनाओं हेतु निर्धारित विनियोगों में से की जाती है, विशेषत: क्योंकि सूखा राहत उपायों के लिए विभिन्न राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की गयी है । तथापि, इन दोनों मांगों के बारे में वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में जुलाई, 1972 में स्थापित हथकरघा तथा शक्ति-चालित करघा संबन्धी कार्यकारी दल को लिख दिया गया है और इन दोनों मांगों के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन जल्दी ही प्राप्त होने की आशा है ।

मांग : (3) रंगीन साड़ियों को हथकरघों हेतु आरक्षित करने के लिए एक अध्यादेश का जारी किया जाना ।

स्थिति : सरकार ने पहले ही शक्ति-चालित करघों द्वारा रंगीन साड़ियों के उत्पादन पर रोक लगा दी है । उत्पादन पर रोक लगाने संबन्धी आदेश कानूनी ही हैं । इसलिए, एक अध्यादेश का जारी किया जाना आवश्यक नहीं है ।

भारत को पुनः अमरीकी सहायता मिलना

1783. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने हाल ही के अमरीकी दौरे में उन्होंने भारत को अमरीकी सहायता पुनः जारी किये जाने तथा दोनों देशों के बीच सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा प्रकट की थी ; और

(ख) यदि हां, तो मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में मिलने वाले अमरीकी अधिकारियों की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) मैंने, अभी हाल की अपनी अमरीकी-यात्रा के दौरान, अमरीकी सहायता को फिर से चालू किये जाने के बारे में, अमरीकी अधिकारियों के साथ कोई बातचीत नहीं की । मैंने 27 सितम्बर, 1972 को, नेशनल प्रेस क्लब में दिये गये अपने भाषण में तथा श्री जान, एन० इर्विन, कार्यकारी विदेश मंत्री के शुभकामना भाषण के उत्तर में यह उल्लेख किया था कि हम एक-दूसरे के विचारों को अधिक गहराई से समझने और दोनों देशों के बीच परस्पर सम्बन्धों को सुधारने के लिए इच्छुक हैं ।

विदेशी फिल्मों के आयात के लिए राज्य व्यापार निगम को दिये गए लाइसेंसों की संख्या

1784. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 और 1972-73 में विदेशी फिल्मों के आयात के लिए राज्य व्यापार निगम को कितने लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) क्या अमरीका के मोशनपिक्चर एक्सपोर्ट एसोसिएशन के साथ हुए करार के 30 जून, 1971 को समाप्त हो जाने पर भी बम्बई तथा अन्य शहरों में कुछ अमरीकी फिल्में दिखाई जा रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के अवैध व्यापार के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1971-72 के दौरान राज्य व्यापार निगम के सोवियत संघ से फिल्मों का आयात करने के लिए एक लाइसेंस और वैस्ट इन्डीज से दो फिल्मों का आयात करने के लिए एक सीमाशुल्क निर्बाधिता परमिट दिये गए थे । 1972-73 के दौरान की विदेशी फिल्मों का आयात करने के लिए राज्य व्यापार निगम को कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है ।

(ख) 30-6-1971 की करार की समाप्ति के बाद अमरीका के मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट एसोसिएशन को सदस्य कम्पनियों द्वारा प्रदर्शन हेतु कुछ फिल्में रिलीज कर दी गई हैं । इन फिल्मों

का आयात उनके द्वारा या तो करार की अवधि के दौरान अथवा 30-6-1971 के बाद करार की अवधि समाप्त होने से पूर्व जारी किये गये वैध लाइसेंसों के आधार पर किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठते।

कलकत्ता तथा बम्बई में मैट्रो सिनेमाघरों की बिक्री

1785. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता तथा बम्बई स्थित मैट्रो सिनेमाघरों के अमरीकी मालिकों ने अमरीकी फिल्मों के आयात सम्बन्धी करार के समाप्त हो जाने के बाद इन सम्पत्तियों को बेच दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन पार्टियों को बेचे गए हैं ; और

(ग) क्या मैट्रो सिनेमाघरों के कर्मचारियों को छटनी तथा बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) सरकार को बम्बई तथा कलकत्ता के मैट्रो सिनेमाघरों की बिक्री के बारे में जानकारी नहीं है। इस प्रकार के सौदे के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता होगी, जिसके लिए अभी तक कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है।

कलकत्ता पतन से बोरियों आदि का निर्यात

1786. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचारपत्रों में छपे इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता पतन से बोरियों आदि के निर्यात के सम्बन्ध में अब भी कम मूल्य के बीजक बनाये जाते हैं ;

(ख) कलकत्ता लाइसेंस प्राप्त मापकों ने, जो माल के मापने/वजन करने के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसे कितने मामलों की सूचना दी है ; और

(ग) क्या ऐसी बातों का पता लगाने वाली व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Arrears of Income-tax

1787. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of arrears of Income-tax realised by Government during the last three years ;

(b) whether any scheme for initiating special measures is being considered to realise the Income-tax arrears ; and

(c) if so, the time by which it will be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The reduction in the amount of arrears of Income-tax as a result of appeal effects, adjustments and cash collections during the last three financial years is as under :—

(In crores of Rupees)

Financial year		Amount
1969-70	...	302.75
1970-71		328.45
1971-72	...	303.64

(b) and (c) The problem of realising the arrears of Income-tax is constantly engaging the attention of the Government. The recommendations of the Direct Taxes Enquiry Committee (The Wanchoo Committee), which include recommendations about arrears, are also under consideration and decision is likely to be taken soon.

केरल में थेकाडी पर्यटन केन्द्र पर एक छोटा हवाई अड्डा बनाने के लिए केरल सरकार का अनुरोध

1788. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में थेकाडी पर्यटन केन्द्र पर एक छोटा हवाई अड्डा बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो अनुरोध कब किया गया था ; और

(ग) इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) केरल सरकार से 10 अक्तूबर, 1972 का एक टैलिप्रिंटर संदेश प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या भारत सरकार की पर्यटकों के लाभ के लिए थेकाडी में एक हवाई-पट्टी के निर्माण के लिए कोई योजना है ।

(ग) एक उत्तर भेज दिया गया है जिसमें कहा गया है कि ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

कोचीन (केरल) के निकट एडाकाथुवायाल में हवाई अड्डे का निर्माण

1789. **श्री ए० के० गोपालन :**
श्री वयालार रवि :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन (केरल) के निकट एडाकाथुवायाल में हवाई अड्डा स्थापित करने की परियोजना में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) तकनीकी दल के प्रतिवेदन की मोटी-मोटी बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) कोचीन के निकट एडक्काट्टुवयल स्थल की उपयुक्तता का अन्तिम रूप से मूल्यांकन करने तथा अभिन्यास (ले-आउट) का निर्णय करने के लिए नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा एक स्थल चयन मण्डल का गठन किया जा रहा है, जिसमें नागर विमानन विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नौसेना तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। मण्डल के विचारणीय विषयों में आस-पास में उपलब्ध किसी अन्य स्थल की जांच करना भी सम्मिलित है।

केरल में बेक्कल फोर्ट और एझीपलाई को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करना

1790. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में बेक्कल फोर्ट और एझीमलाई को पर्यटन केन्द्रों के रूप में आसानी से विकसित किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन स्थानों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) सरकार को बेक्कल फोर्ट तथा एझीपलाई के आकर्षणों की जानकारी है। परन्तु, अन्य प्राथमिकताओं के कारण, पर्यटन विभाग का उनके विकास का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशी बैंकों में व्यक्तियों और फर्मों के खाते

1791. **श्री समर मुखर्जी :**
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी बैंकों में खाता रखने वाले व्यक्तियों और फर्मों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों और फर्मों के (देशवार) नाम क्या हैं ; और

(ग) रिजर्व बैंक ने हाल ही में कितने व्यक्तियों और फर्मों को विदेशी बैंकों में अपने खाते बन्द करने के लिए कहा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) 1130 व्यक्तियों और 187 फर्मों तथा कम्पनियों को विदेशों में विदेशी मुद्रा में खाते रखने की अनुमति दी गयी है । उनके नाम (देशवार) संलग्न विवरण में दिए गए हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 3796/72]

(ग) हाल ही में रिजर्व बैंक ने 67 व्यक्तियों और 17 फर्मों/कम्पनियों को अपने विदेशी मुद्रा खाते बन्द करने को कहा था ; इनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 3796/72]

आयात व्यापार में सरकारी क्षेत्र की एजेन्सियों की भूमिका

1792. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के आयात व्यापार में कार्यरत सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों के कार्य-क्षेत्र का विस्तार करने के लिए वर्ष 1971-72 में क्या उपाय किये गये ; और

(ख) ऐसी सरकारी एजेंसियों के नाम क्या हैं और इन उपायों के परिणाम-स्वरूप उनके माध्यम से किन वस्तुओं का आयात किया जाता है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) (1) 1971-72 के दौरान उन मदों की सूची में 51 अतिरिक्त मदें और शामिल की गई थीं, जिनका आयात सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के माध्यम से मार्गीकृत किया जाता है ।

(2) राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु वस्तु व्यापार निगम को वास्तविक प्रयोक्ताओं तथा पंजीकृत निर्यातकों के हाथ बिक्री हेतु कुछ कच्चे माल का विपुल मात्रा में आयात करने का प्रबन्ध करता था । औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र को भी और मजबूत बनाया गया ताकि वह एक इनडैंटिंग सदन के रूप में कार्य कर सके तथा विपुल मात्रा में आयात कर सके ।

(3) ऐसी व्यवस्था की गई है कि सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों से व्यापार तथा उद्योग के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पर्याप्त कच्चा माल हाजिर माल के रूप में उपलब्ध रहेगा ।

(4) राज्य व्यापार निगम/खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने निर्यातकों को वित्तीय सहायता, विपणन तथा सामान्य सेवाएँ प्रदान करके निर्यात प्रयास को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने विकासात्मक कार्यकलापों का और विस्तार किया ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—** 3797/72]

निर्यात गृहों की समीक्षा

1793. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात गृहों की योजना के अन्तर्गत जिन निर्यात गृहों को मान्यता दिये जाने का समय हो चुका है, उनके मंत्रालय द्वारा उन निर्यात गृहों की समीक्षा करने का क्या परिणाम निकला ; और

(ख) नकद सहायता की अदायगी में विलम्ब को दूर करने और चालू वर्ष के दौरान निर्यातकों को शुल्क-वापसी के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) निर्यात सदन योजना के अन्तर्गत जिन निर्यात सदनों की मान्यता का पुनरीक्षण 1971 में होना था, उनके पुनरीक्षण का परिणाम इस प्रकार है :

(1) जिन निर्यात सदनों की मान्यता को पुनर्नवीकरण किया गया उनकी संख्या	—	36
(2) जिन निर्यात सदनों की मान्यता समाप्त की गई उनकी संख्या	—	5
(3) जिन निर्यात सदनों के मामले अभी विचाराधीन हैं उनकी संख्या	—	9
		50

(ख) जून, 1972 में प्रयोगात्मक उपाय के रूप में नकद सहायता के भुगतान के लिए एक सरलीकृत प्रक्रिया लागू की गई थी और यह मार्च, 1973 तक लागू रहेगी । इस प्रक्रिया के अन्तर्गत, स्वीकार्य नकद सहायता के 75 प्रतिशत का भुगतान आवेदन पत्र की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर कर दिया जाता है बशर्ते कि प्रारम्भिक जांच पर यह पाया जाये कि सभी पहलुओं की दृष्टि से पूर्ण आवेदन-पत्र प्रक्रिया के अनुसार भेजे गए हैं । शेष 25 प्रतिशत का भुगतान पहली

किश्त के भुगतान से 90 दिन के भीतर कर दिया जाता है बशर्ते कि विस्तृत जांच के परिणाम-स्वरूप इनमें कोई कमी नहीं पाई जाती है।

उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें शुल्कों की वापसी अन्तर्ग्रस्त है और जिनमें सरकार द्वारा शुल्क की वापसी की राशि या दर निर्धारित की जाती है, उनका निबटारा सामान्यतः 6 से 8 सप्ताह तक की अवधि में कर दिया जाता है बशर्ते कि निर्यातक ने दावों के निपटाने हेतु अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये हों। सरकार द्वारा भी इन दावों की प्रगति पर निगरानी रखी जाती है और जहां असामान्य देरी देखी जाती है वहां उनके निपटान हेतु तुरन्त उपाय किये जाते हैं।

अन्य दावों के सम्बन्ध में जहां वापसी दरें अभी निश्चित होनी हैं लेकिन निर्यातकों ने वापसी के अनन्तिम दावे के अधीन माल का निर्यात कर लिया है, निर्यातकों ने दरें निश्चित करने के लिए अपेक्षित प्रारम्भिक आंकड़े भेजने में सामान्यतः काफी देर लगाई है जिसके परिणाम-स्वरूप उनकी जाँच-पड़ताल में विलम्ब हुआ है। जांच-पड़ताल में विलम्ब न होने देने के लिए पूर्व जांच पड़ताल के स्थान पर उन कम्पनियों के संबन्ध में, जिनको कानूनी लेखा परीक्षक रखना आवश्यक है, कानूनी लेखा परीक्षक के प्रमाणपत्र की योजना प्रयोग के तौर पर शुरू की गई है। वित्त मंत्रालय तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय से अधिकारियों का एक दल भी स्थल पर दरों को या वापसी की राशि को निश्चित करने के लिए बम्बई भेजा गया था। बकाया दावों के सम्बन्ध में कठिनाइयों को हल करने के लिए मुख्य पत्तनों पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों के अधिकारियों की समय-समय पर बैठकें भी बुलाई जाती हैं।

भारतीय मध्यस्थ निर्णय परिषद को सौंपे गये वाणिज्यिक विवाद

1794. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लगे व्यापारियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय मध्यस्थ-निर्णय परिषद् को कितने तथा किस प्रकार के वाणिज्यिक विवाद सौंपे गये ; और

(ख) अब तक कितने मामले निपटाये जा चुके हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) व्यापार संविदाओं का निष्पादन न करने या विवाचन पंचाटों का अनुपालन न करने के सम्बन्ध में 'भारतीय व्यापारियों के विरुद्ध विदेशी व्यापारियों से या विदेशी व्यापारियों के विरुद्ध भारतीय व्यापारियों से प्राप्त शिकायतों को' तय करने के लिए भारतीय विवाचन परिषद् को भेज दिया जाता है। गत तीन वर्षों में परिषद् को भेजी गई ऐसी शिकायतों को संख्या वर्षवार नीचे दी गई है—

1969-70 में भेजे गये विवादों की संख्या		...	13
1970-71	"	...	13
1971-72	"	...	18
1972-73 (अक्तूबर, 1972 तक)	"	...	6

1972-73 में इन सुलह कराने के मामलों के अलावा दो विवाचन मामले भी इस परिषद् को भेजे गये हैं।

(ख) 1965 में परिषद के स्थपित होने से अब तक, उसे प्राप्त कुल 130 शिकायतों में से उसने 125 शिकायतें निबटाई हैं। इस समय 5 शिकायतें निबटाने की विभिन्न अवस्थाओं में निलंबित पड़ी हुई हैं।

विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के लिए निर्यातकों को बीमा सुविधा

1795. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो निर्यातिक दीर्घावधि वितरण तथा स्थगित भुगतान के आधार पर माल बेचते हैं उनकी विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा के लिए बीमा करने की क्या व्यवस्था की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : इस समय रिजर्व बैंक पौंड स्टर्लिंग में वायदा खरीद सुरक्षा कुल 12 महीनों की अवधि के लिए प्रदान करता है। इस अवधि में एक या अधिक बार अवधि बढ़ाना भी शामिल है। रिजर्व बैंक प्राधिकृत व्यापारियों से अमरीकी डालर की 6 महीने तक सुपुर्दगी के आधार पर वायदा खरीदारियाँ कर रहा है।

निर्यात सम्बन्धी आंकड़े संकलित करने के तरीके में परिवर्तन

1796. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 1970 में निर्यात के आंकड़े संकलित करने के तरीके में क्या परिवर्तन किया गया था जिससे वर्ष 1971 के निर्यात के आंकड़ों की वर्ष 1970 के आंकड़ों के साथ तुलना असम्भव हो गयी है, जैसा कि इस मंत्रालय के 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 11 पर लिखा है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) नवम्बर, 1970 में किया गया परिवर्तन यह था कि आयात आंकड़े पहले तो वास्तविक पोत लदान के आधार पर पोत के प्रस्थान करने के पश्चात् अभिलिखित किये जाते थे और अब उस समय अभिलिखित किये जाते हैं जब कि सीमा शुल्क प्राधिकारी कम माल या रुक जाने वाले लदानों के लिए समायोजन की गुंजाइश रख कर पोत लदान बिलों को अनुमोदित कर देते हैं जिनका विवरण रिपोर्ट देने के महीने में प्राप्त होता है।

गुलाबी बाग, दिल्ली में अवैध टकसाल का पता चलना

1797. **श्री सतपाल कपूर** :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 अक्तूबर, 1972 को दिल्ली के गुलाबी बाग क्षेत्र में एक अवैध टकसाल का पता चला था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, उनके नाम क्या हैं, क्या सामान पकड़ा गया और गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) 28 अक्टूबर, 1972 को दिल्ली पुलिस ने, सब्जी मंडी थाने के क्षेत्र में खूबी राम नामक एक व्यक्ति की झुग्गी पर छापा मारा और 10 पैसे के जाली सिक्के ढालने के एक छोटे-से तरीके का पता लगाया। पुलिस ने तत्काल 10 पैसे के तीन सिक्के तथा 10 पैसे के प्रक्रियाधीन 4 सिक्के भी बरामद किये थे। इनके अतिरिक्त जाली सिक्के बनाने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले उपकरण अर्थात् एक चिमटा, दो कुल्हाड़े, दो छड़-वेलन (राड रौलर), एक लोहे का ठप्पा और कुछ कच्चे सामान जैसे तार, चूर्ण (पाउडर), ऐल्यूमीनियम के टुकड़े, रेत आदि भी बरामद किये गये थे और ये जब्त कर लिये गये थे। सम्बद्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था और सब्जी मंडी थाने में उसके खिलाफ फौजदारी का एक मामला दर्ज कर लिया है जिसकी संख्या एफ० आई० आर० 866 दिनांक 28 अक्तूबर, 1972 यू/एस 232/235 आई० पी० सी० है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

Income-tax collected from Persons having Minimum Income

1798. Shri Jagannathrao Joshi : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the percentage of Income-tax collected from assessees the lowest income bracket as compared to the total amount of Income-tax collected during the last year indicating the number of assessees in that bracket ; and

(b) the total expenditure incurred by Government in realising Income-tax from them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Information regarding the Income-tax collected from assessees in the lowest income bracket during the financial year 1971-72 is not available. However, this information for the year 1968-69 which is available on the basis of the All India Income-tax Statistics 1968 69 is as follows :

(1)	No of assessees in the lowest income bracket (individuals, HUFs, URFs, AOPs and companies assessed on income below Rs. 5000 and Registered firms assessed on income below Rs. 30,000) :	...	3,29,106
(2)	Income-tax collected from assessees in item (1) above :		Rs. 2,14,32(000)
(3)	Total Income-tax collected during the year :	...	Rs. 697,84,00(000)
(4)	Percentage of item (2) compared to item (3) :	...	00.307%

(b) Separate particulars of expenditure incurred for collecting taxes from assessees in different income slabs are not maintained. The total expenditure, however, relating to all the direct taxes for 1968-69 was Rs 13.67 crores.

राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों में जाली कर्मचारी

1800. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि राष्ट्रीयकृत सामान्य बीमा कम्पनियों के बड़े अधिकारी जाली कर्मचारी दिखा रहे हैं और उनका वेतन ले रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) विविध बीमा कम्पनियों में, फर्जी नियुक्तियों की परिपाटी विकास पक्ष में अवश्य चालू थी । परन्तु, राष्ट्रीयकरण के तुरन्त बाद, इस प्रकार की नियुक्तियों को समाप्त करने और अन्य मामलों में जहाँ बढ़े-चढ़े वेतनमानों में वेतन नियत थे उनको कम करने के लिए, अभिरक्षकों को कहा गया था । इसके परिणाम में अभिरक्षकों ने 1037 नियुक्तियों को समाप्त कर दिया और 80 विकास अधिकारियों/निरीक्षकों के वेतन कम कर दिये ।

गुजरात के देना बैंक की शाखाओं में धन के दुर्विनियोग के बारे में 11 अगस्त 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1954 के सम्बन्ध में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : गुजरात में देना बैंक की शाखाओं में रकम के गबन के सम्बन्ध में श्री खेमचन्द भाई चावड़ा के 11 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1954 का उत्तर देते हुए उत्तर के भाग (ख) में अन्य बातों के साथ-साथ मैंने यह कहा था कि चूँकि देना बैंक की मेहसाना शाखा के प्रबन्धक (मैनेजर) का पता-ठिकाना मालूम नहीं था इसलिए बैंक उसके नाम निलम्बन आदेश जारी नहीं कर सका है । इस मामले में बैंक से और पूछताछ करने पर यह पता चला है कि वास्तव में मेहसानाशाखा के प्रबन्धक को निलम्बन आदेश 15 जून, 1972 को ही दे दिया गया था । इसलिए पहले के अभिलेख में संशोधन करने के लिए आज मैं यह वक्तव्य दे रहा हूँ । पहले के उत्तर में जो असंगति हुई है उसके लिए मुझे खेद है ।

जब तक ठीक-ठीक सूचना प्राप्त की गयी तब तक संसद का वर्षाकालीन सत्र समाप्त हो चुका था और इसलिए यह वक्तव्य केवल इसी सत्र में दिया जा सकता था ।

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यान आकर्षण·····

कुछ माननीय सदस्य उठे (व्यवधान)

Mr. Speaker : How can I tell you daily that nothing should be raised before the Calling Attention ?

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : मैं मांग करता हूं कि हैदराबाद शहर में गोली चलाये जाने सम्बन्धी उस मामले की न्यायिक जांच की जाये जिसमें दो जानें चली गयी हैं । कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में होने के बावजूद भी सेना को क्यों बुलाया गया ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं । **(व्यवधान)**

श्री मल्लिकार्जुन : सेना को क्यों बुलाया गया ? यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि शान्ति-पूर्वक प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध गोलियों का प्रयोग किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ? कृपया बैठ जाइये ।

श्री मल्लिकार्जुन : यदि मुल्की कानून के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य का विभाजन होता है तो विभाजन कर दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ! कृपया बैठ जाइये ।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीम नगर) : जब पुलिस विवेकहीनता से लोगों पर गोली चला रही है और निर्दयता से उनकी हत्या कर रही है तो वे कैसे चुप बैठ सकते हैं ?

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मेरे मित्र आन्ध्र क्षेत्र में मारे गये व्यक्तियों के बारे में चिन्तित नहीं हैं । आन्ध्र क्षेत्र में सात व्यक्ति मारे गये । यदि वे उन भाग्यहीन लोगों के बारे में चिन्ता व्यक्त करते तो मैं उनकी भावनाओं की प्रशंसा करता ।

अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आन्ध्र प्रदेश में मुल्की नियम विरोधी आन्दोलनकारियों द्वारा रेल स्टेशनों पर कब्जा कर लिये जाने और रेल सम्पत्ति को क्षति पहुंचाये जाने का समाचार

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : श्रीमान्, मैं रेल मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"आन्ध्र प्रदेश के कुछ भागों में आन्दोलनकारियों द्वारा रेल स्टेशनों पर कब्जा कर लिए जाने और रेल सम्पत्ति को क्षति पहुंचाए जाने के समाचार ।

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मुल्की कानून विरोधी उपद्रव आन्ध्र प्रदेश के आन्ध्र क्षेत्र में 25-10-1972 से शुरू हुए। शुरू के उपद्रवों में छात्रों की भीड़ों द्वारा स्टेशनों पर गाड़ियां रोकी गयीं और डिब्बों पर नारे लिखे गये। उपद्रव का मुख्य क्षेत्र दक्षिण-मध्य रेलवे का विजयवाड़ा मंडल था जहां कि उपद्रव केन्द्रित थे। कुछ हद तक उपद्रव दक्षिण रेलवे के गुंतकल्लु और मद्रास मंडलों में तथा दक्षिण-मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद मंडल में भी हुए। बाद में यह कुछ हद तक दक्षिण-पूर्व रेलवे के वालतेरु मंडल में भी फैल गये। 25-10-1972 से 16-11-1972 तक मेल, एक्सप्रेस, सवारी और मालगाड़ियों को रोकने की 953 घटनाएं हुईं। गाड़ियां 5 मिनट से 345 मिनट तक रुकी रहीं।

जब उपद्रव तेज हुए और अराजकता बढ़ी तो स्टेशनों पर खतरे की जंजीर खींचे जाने और गाड़ियों को रोके जाने की जगह, खतरे की जंजीर खींचकर, होज़ पाइप काटकर और रेल पथ पर धरना देकर, गाड़ियों पर पथराव करके और डिब्बों की अन्दरूनी फिटिंग को नुकसान पहुंचाकर, इंजन से पानी बहाकर खंड के बीच में गाड़ियों को नाकारा करके, रेलवे स्टेशनों पर दूर संचार लाइनों को काटकर और केबिन तथा स्टेशनों के कर्मचारियों की ड्यूटी में बाधा डालकर-गाड़ियों को बीच खंड में रोका जाने लगा। उपद्रवियों ने रेलपथ पर पत्थर और पटरी के टुकड़े और पेड़ों के तने रखकर, सिगनल के तार काटकर, सिगनल उपस्कर को क्षति पहुंचाकर, समपारों से फाटक की चाबियां निकालकर, आगजनी करके जिसमें एक पुल पर लकड़ी के स्लीपरों को जलाना और एक एक्सप्रेस गाड़ी के डिब्बों में आग लगाने की कोशिश करना शामिल है—संरक्षा को संकट में डाल दिया।

17-11-1972 से उपद्रव उत्तरोत्तर बढ़ते गये और दक्षिण-मध्य रेलवे के अधिकाधिक स्टेशनों पर फैल गये ; इनका मुख्य केन्द्र विजयवाड़ा मंडल रहा। रेल-सम्पत्ति पर उसी तरह के हमले हुए जैसा कि ऊपर कहा गया है। लेकिन गाड़ियों की रुकावट और रेल सम्पत्ति की क्षति दिनों-दिन बढ़ती गयी।

21-11-1972 को उपद्रव चरम सीमा पर पहुंच गये। उस दिन दक्षिण-मध्य रेलवे के तेनाली और ओंगोल स्टेशनों पर और रेलवे के आडोनी स्टेशन पर भीड़ ने जबरदस्त हमले किए। इन तीनों स्टेशनों पर आगजनी और व्यापक क्षति हुई और पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसमें कई लोग मरे। 22-11-1972 को अशान्ति और बढ़ गयी है, विशेषकर दक्षिण-मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मंडल में और कई स्टेशन और केबिन जला दिये गये हैं। रिपोर्ट मिली है कि चलस्टाक और अचल परिसम्पत्ति, दोनों प्रकार की रेल सम्पत्ति को भारी नुकसान हुआ है। निडब्रोलू स्टेशन के एक रेलवे स्विचमैन की जान चली गयी क्योंकि भीड़ ने उस पर पेट्रोल छिड़ककर उसे भीषण रूप से जला दिया था। विभिन्न स्थानों पर अनेक रेल कर्मचारी घायल भी हुए हैं।

जब से उपद्रव शुरू हुए हैं तब से दक्षिण-मध्य रेलवे पर गाड़ी सेवाएं गंभीर रूप से दुष्प्रभावित हुई हैं। शुरू में बदमाशों की गतिविधि और रेल कर्मचारियों को दी जाने वाली धमकियों के बावजूद, रेलवे ने गाड़ियों को चालू रखने की भरसक कोशिश की। लेकिन जब उपद्रव बढ़ गये तो दुष्प्रभावित खंडों में उत्तरोत्तर गाड़ियों को रद्द करना पड़ा। 22-11-1972 से आन्ध्र प्रदेश की सीमाओं के भीतर दक्षिण-मध्य रेलवे की सभी गाड़ियों का आना-जाना रोक दिया गया

है। दक्षिण-मध्य रेलवे पर 26 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों, 85 सवारी गाड़ियों और 20 रेल कार सेवाओं को पूर्णतः या अंशतः रद्द कर दिया गया है।

25-10-1972 को, जब से उपद्रव शुरू हुए तब से दक्षिण-मध्य रेलवे का प्रशासन आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से बराबर निकट सम्पर्क बनाये हुए है। कानून और व्यवस्था का अनुरक्षण करना अनिवार्यतः राज्य सरकार का काम है। उपद्रवियों ने किसी रेलवे स्टेशन पर कब्जा नहीं किया जैसा कि संसद सदस्यों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण नोटिसों में कहा गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसी स्थिति हुई है जब भीड़ ने कतिपय स्टेशनों पर व्यापक क्षति पहुंचाकर रेल संचालन का काम पूरी तरह अस्त-व्यस्त और ठप्प कर दिया। ऐसे भी मामले हुए हैं जब भीड़ स्टेशन कार्यालयों और केबिनों में घुस गयी और कर्मचारियों से अपना काम बन्द कर देने और गाड़ियों को पास न करने के लिए कहा। स्टेशन के रिकार्ड, टिकट और उपस्कर जला दिए गए या उन्हें क्षति पहुंचायी गयी।

रेल सम्पत्ति और पारवहन में माल और पार्सलों को क्षति पहुंचने के फलस्वरूप जो प्रत्यक्ष हानि हुई, वह तो बहुत है ही ; इससे भी अधिक हानि न केवल प्रभावित क्षेत्र में बल्कि उत्तर और दक्षिण के बीच में भी संचलन बिगड़ जाने के कारण हुई। रेल-पथ की तोड़-फोड़ के 22 मामले, आगजनी के 30 मामले जिनमें एक डीजल रेल इंजन का जलाया जाना भी शामिल है, गाड़ियों पर पत्थर फेंकने के 36 मामले, मालगाड़ियों के लूटने के 6 मामले और 39 माल डिब्बों का माल जलाने और नष्ट करने के मामले हुए। 17 रेलवे स्टेशनों को भी क्षति पहुंचायी गयी है। रेल सम्पत्ति को क्षति की अनुमानित लागत, जिसमें चलस्टाक की क्षति भी शामिल है अभी तक मोटे तौर पर 43 लाख रुपये लगायी गई है और मार्गस्थ माल और पार्सलों को 10 लाख रु० की हानि होने का अनुमान है। इसके अलावा, अकेली दक्षिण मध्य रेलवे पर माल राजस्व के रूप में होने वाली हानि एक करोड़ रु० और यात्री राजस्व की हानि 25 लाख रु० होने का अनुमान है।

यद्यपि यह कल (23-11-72) तक का स्थूल अनुमान है, फिर भी जब तक दक्षिण-मध्य रेलवे पर स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, जिसमें कि कुछ दिन लग जायेंगे, तब तक लगातार होने वाली हानि को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए।

दक्षिण-मध्य रेलवे के अलावा, अन्य रेलों पर भी यातायात उठाने और उसकी ढुलाई के काम की हानि पहुंची है ; उपद्रवों के कारण दक्षिण-मध्य रेलवे को और उसके पार जाने वाले यात्री और माल यातायात दोनों की बुकिंग पर प्रतिबन्ध लगाने पड़े हैं। उपद्रवों के कारण माल की ढुलाई पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है और समूचे देश में भारी संख्या में माल डिब्बे रुके पड़े हैं। अनाज, इस्पात कारखानों को जाने वाले यातायात, कोयला और सीमेंट, जैसे अत्यावश्यक यातायात की ढुलाई भी सम्भव नहीं हो सकी है, अन्य विविध यातायात का तो कहना ही क्या है जो सामान्य तौर पर दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण को होता रहता है। यातायात और संचलन की स्थिति सामान्य हो जाने के बाद ही इन उपद्रवों के कारण होने वाली समूची हानि का वास्तविक अनुमान लगाया जा सकेगा। इतना अवश्य है कि नुकसान बहुत भारी हुआ है।

यात्री सेवा को सामान्य स्थिति पर लौटने में कम-से-कम एक हफ्ते से 10 दिन तक का समय और माल की ढुलाई को सामान्य स्थिति पर लौटने में एक पखवारे से 20 दिन तक का समय

लग जायेगा । यातायात की ढुलाई न कर सकने के कारण, जोकि अन्यथा कर दी गयी होती, अन्य रेलों को लगभग 8 लाख मीटरिक टन का नुकसान होगा जो राजस्व के रूप में लगभग 3 करोड़ रु० के बराबर है। यह उस प्रत्यक्ष हानि के अलावा है जो ऊपर कहे अनुसार दक्षिण-मध्य रेलवे को हुई है । इसलिए, इन उपद्रवों के कारण होने वाली हानि का परिणाम बहुत विशद है और यात्री जनता तथा उद्योग और व्यापार को जो गम्भीर असुविधा हुई और जिसके कारण देश के सामान्य आर्थिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा वह अलग ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : हम देखते हैं कि जब कभी आन्दोलन होते हैं तो आक्रमण का मुख्य लक्ष्य रेलवे बनती है । इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि आन्दोलनकारियों के उद्देश्य की पूर्ति में रेलवे ही बाधक है । रेलवे की सम्पत्ति नष्ट की जाती है । इस प्रकार रेलवे को बहुत वार्षिक हानि उठानी पड़ती है । इसके अलावा रेलवे सम्पत्ति की चोरी भी की जाती है । क्षतिपूर्ति के रूप में भी रेलवे को करोड़ों रुपयों का भुगतान करना पड़ता है । इस घाटे को पूरा करने के लिए रेल मंत्री किराये और भाड़े में वृद्धि करते हैं जिससे यात्रा करने वाली जनता पर बोझ बढ़ जाता है । इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय रेलवे सम्पत्ति को बचाने के लिए किन्हीं दण्डात्मक, शिक्षात्मक अथवा निषेधात्मक उपायों पर विचार कर रहे हैं ? क्योंकि कानून और व्यवस्था का मामला राज्य का विषय है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे सभी मुख्य मंत्रियों को विश्वास में लेकर इस राष्ट्रीय सम्पत्ति को बचाने के लिए मार्गोपाय खोजेंगे ? क्या कुछ वर्गों (सैक्शन्स) में रेलवे कर्मचारियों के सामने कुछ कठिनाइयाँ हैं और रेलवे कर्मचारियों, जो कुछ खतरे में हैं, के जीवन को बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री टी० ए० पाई : मेरा विचार रेलवे अधिनियम में कुछ संशोधन कराके रेलवे सम्पत्ति की क्षति को एक गम्भीर अपराध ठहराने का है और कुछ मामलों में ऐसे अपराध पर मृत्युदंड तक दिया जा सकेगा । मैं नहीं जानता कि केवल इससे लोग रुक जायेंगे । मैंने हर राज्य में देखा है कि आन्दोलन का कारण चाहे कुछ भी हो लोगों का रवैया ऐसा ही होता है और हमारे सामने केवल यही विकल्प होता है कि या तो गोली चलाओ अथवा सम्पत्ति को जलाने दो । अगर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है तो दोष सिद्ध करना कठिन हो जाता है । यह तभी सम्भव हो सकता है जब कि लोगों में नागरिक जागृति लायी जाये और राजनीतिक दलों के नेता भी जन-सम्पत्ति की सुरक्षा के उत्तरदायित्व को स्वीकार करें । हमारा जैसा गरीब देश ऐसी हानि को सहन करने की सामर्थ्य नहीं रखता । जब हमारे देश में कोई विकास कार्य होता है या कोई नई रेल लाइन बिछाई जाती हैं तो कई लोगों को लाभ पहुंचता है लेकिन इस विकास कार्य के लिए उन्हीं लोगों से मुआवजे के रूप में कुछ भी एकत्र नहीं किया जा सकता । आन्दोलनकारियों द्वारा जब कभी जन-सम्पत्ति को नष्ट किया जाता है और तब उसके लिए लोगों पर जब सामूहिक जुर्माना किया जाता है तो लोग उसका विरोध करते हैं और उसे अनुचित ठहराते हैं । हमें इस बात का भी फैसला करना चाहिए कि क्या रेलवे सम्पत्ति को इस प्रकार नष्ट करना उचित है ? मेरी समझ में नहीं आता कि रेलवे कर्मचारियों को क्यों दंडित किया जाता है । अपनी ड्यूटी पर डटे कर्मचारी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का जघन्य कार्य करना कहां तक उचित है । हरेक की रक्षा करना हमारे लिए कहां तक सम्भव हो सकता है क्योंकि पुलिस कर्मचारियों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता है । इस स्थिति को ठीक करना सम्पूर्ण राष्ट्र का उत्तरदायित्व है, इस प्रकार जन-सम्पत्ति को नष्ट करने वाले उपद्रवियों के विरुद्ध कुछ दण्डात्मक उपाय करने के बारे में हमें निर्णय करना चाहिए ।

जहाँ तक इन कुकृत्यों से प्रभावित व्यक्तियों का सम्बन्ध है, हमें उनकी यथासंभव हर संभव सहायता करनी चाहिए । इस विशिष्ट मामले में हमारे लोगों ने उसकी विधवा से, उसको सहायता देने हेतु, सम्पर्क स्थापित किया, उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं । उन्हें मैट्रिक तक पढ़ाने का उत्तरदायित्व हम ले रहे हैं, जनरल मैनेजर ने उसे एक हजार रुपये मंजूर किये थे, मैंने उस राशि को दुगुना करने के लिए कहा है । रेलवे मंत्री की राहत निधि से मैं उसे 5000 रुपये मंजूर कर रहा हूं ।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : I wanted to know about the responsibility being taken by Railways with regard to railwaymen who have lost their life and the hon. Minister has already replied to that. But the question is not like this that why public show anger against Railways ? Since independance we have been misleading people. This wrong practice started after the murder of Mahatma Gandhi when the murdering of opponents and setting fire to their homes was started. It has made a good place in the minds of people. I have not come across a simple leader who has condemned it. When something becomes a precedent it is always repeated. I hold the ruling party responsible for this. People have got the impression that if they can get something that is only through violence.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Does he want that the person who has murdered Gandhiji should be garlanded ?

Shri Jagannathrao Joshi : I am worried about my country. The law of the land is there to take its own course. We cannot encourage people to take the law into their own hands.

The Question of Mulki Rules is not a new one. Public property is being damaged due to Party fightings. The Prime Minister had stated in 1972 elections that she would maintain Mulki Rights but today the Government are keeping quite. We are still prisoners of indicision. Shri Pai has assured that normalcy will be restored in 15 days. Till today these incidents have taken place in Andhra Region. When the concerned people knew that Government are doing nothing for them, their reaction started in Hyderabad. We ourselves instigate people for violence. Therefore, I request that decisions should be taken on the basis of certain principles.

May I know the measures by Railway Minister to protect the railwaymen ? He has stated in his statement that no station has been captured. I want to know whether Chirala station on Vijayawada—Teynali Section has not been captured ? What measures have been taken by the Government with regard to providing protection to trains, passengers and Government workers ?

श्री टी० ए० पाई : उनको पकड़ने का यह अर्थ नहीं है कि उन्हें कैद किया गया है । लोगों द्वारा इस विध्वंसक कार्य को बहादुरी का कार्य कहा गया है, उन्होंने इसे पकड़ना इसलिए कहा है क्योंकि यह उतना रोमांटिक लगता है । मेरे विचार से उनको गुण्डागर्दी करने वाले लोगों के घेरे से बचाया गया है । श्री जोशी जी ने कहा है कि उनको ऐसी विनाशकारी घटनाएं अच्छी

नहीं लगतीं लेकिन आखिर में उन्होंने यह भी कहा है कि जब लोगों को क्रोध आता है तो उनका यह अधिकार है कि वे जन-सम्पत्ति पर आक्रमण करें।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : मैंने ऐसा नहीं कहा है। ऐसी स्थिति सत्तारूढ़ दल द्वारा पैदा की जाती है क्योंकि वह समय पर निर्णय नहीं लेती और लोगों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

श्री टी० ए० पाई : यही केवल एक उदाहरण नहीं है। गत दो महीनों में विद्यार्थियों द्वारा जो कुछ किया गया था वह क्या ठीक है। ऐसा मालूम पड़ता है कि रेलवे सम्पत्ति ही केवल मात्र उनका लक्ष्य है। मैं उनके क्रोध की बात को तब मानूँगा जब वे स्वयं अपने घरों में आग लगा दें। वे अपने घरों को आग नहीं लगाना चाहते। वे केवल रेलवे सम्पत्ति को जलाना चाहते हैं। इस प्रकार के व्यवहार का कोई भी दल समर्थन नहीं करेगा। सब तक सभी दल इस प्रकार के विनाशक कार्यों की भर्त्सना नहीं करेंगे तब तक ये चीजें जारी रहेंगी। आखिरी कुछ दिनों में हमें कई टिकटों के पैसे वापस करने पड़े और कई स्थानों पर अनेक यात्री रुके रह गये। मैंने एक गाड़ी की, जो रायचूर से होकर दक्षिण को जा रही जी, दिशा बदलने का प्रयत्न किया।

मैंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया कि 10 दिन में सामान्य स्थिति हो जायेगी। मैं सदन से तथा उन सदस्यों से, जिन्होंने इस मामले पर अपने विचार व्यक्त किये हैं, निवेदन करता हूं कि इस कार्यवाही से लोगों को संतोष होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमाँड हार्बर) : झा वालास नामक ब्रिटिश कम्पनी विदेशी मुद्रा के विनियमों का उल्लंघन कर धन विदेश भेज रही है। इसमें 3 करोड़ 24 लाख रुपये का मामला है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : मैंने आपकी अनुमति मांगी थी·····

Mr. Speaker : If there is any irregularity in that it would come under Election petition.

Shri Shyamnanden Mishra : My submission is that if a Minister goes and says :

I have come with all the resources of the Government of India to support a particular candidate ; I have come with all the Consolidated Fund of India. Then, you would ask us to go to the court or seek the protection of the Election Commissioner....

Mr. Speaker : When I was leader of the opposition the Ministers used to say in election campaigns to get machines and tube wells sunk from them.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : भारत सरकार के वित्त मंत्री ने चुनाव में कहा कि हम श्रीमती नन्दिनी सत्पथी का पूरी शक्ति से समर्थन करेंगे।

Mr. Speaker : Are they debarred ? They have been doing it since the very beginning.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मंत्री लोग अपने सभी क्रिया-कलापों के लिए हमारे प्रति उत्तरदायी नहीं हैं । हम काम-रोको प्रस्ताव रखना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को उठाने का यह सही स्थान नहीं है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आपके कथन पर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या मंत्रीगण अपने कथनों एवं कृत्यों के लिए इस सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं ।

Mr. Speaker : I am not there to decide any matter which can be decided by the Election Commissioner.

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : जब सभा सत्र में है तो वह मंत्री के किसी भी वक्तव्य पर, जो संविधान के विरुद्ध है, आपत्ति कर सकती है ।

Mr. Speaker : What has the Speaker to do with it ?

श्री एच० एन० मुखर्जी : मंत्री महोदय से पूछिए ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप किसी मंत्री के व्यवहार से असन्तुष्ट हैं तो प्रक्रिया में उसके लिए उपाय निहित हैं । मंत्रियों को भी चुनावों में भाग लेने का उतना ही अधिकार है जितना दल के अन्य सदस्यों को ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : बेशक सरकार दल की है तो भी यह सरकार का उपयोग दलीय उद्देश्यों के लिये नहीं किया जा सकता ।

Mr. Speaker : Please do not involve me in these affairs.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । यदि आप समझते हैं कि किसी मंत्री का आचरण कदाचार पूर्ण है, तो उनके विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव रखा जा सकता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आप उसे स्वीकार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आपको उसके लिए पर्याप्त कारण बताने होंगे ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : क्या यह किसी भी मंत्री के लिए उपयुक्त है कि वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में कैसा भी वक्तव्य दे दे ।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : He does not have any proof.

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया मेरी बात सुनिए !

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वित्त मंत्री का इस प्रकार का कदाचार एक गम्भीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रक्रिया के अधीन ही कोई प्रस्ताव रख सकते हैं ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : जब भी किसी मंत्री के विरुद्ध कोई बात होती है तो आप हमें उसके विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव लाने को उत्तेजित क्यों करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : तो क्या मैं किसी मंत्री की बिना किसी प्रस्ताव के निन्दा कर सकता हूं ।

प्रो० मधु दंडवते : उनके विकास कार्य में आश्वासन से श्रीमती नन्दिनी सत्पथी की स्थिति दृढ़ हो गई है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है ।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीम नगर) : मुल्की नियमों के बारे में घोषणा में देरी के कारण कई व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आपको लिखा था । क्या आप मुझे सुनेंगे, अथवा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप किसी मंत्री के आचरण से असंतुष्ट हैं तो विधिवत निन्दा प्रस्ताव रख सकते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह एक विशेष मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं देता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने अन्य व्यक्तियों को अनुमति दी है । मेरे साथ भेदभाव बरता जा रहा है । क्या आप मुझे नियम संख्या 372 के अन्तर्गत बोलने की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

श्री पीलू मोदी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्त मंत्री के अप्रजातांत्रिक तरीके की निन्दा की जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए पूर्व सूचना देना जरूरी है ।

श्री पीलू मोदी : पीछे जब श्री राजबहादुर ने प्रस्ताव रखा था तब मैंने कहा था कि उन्हें आपको लिखित सूचना देनी चाहिए परन्तु आपने कहा था कि इसकी आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए विशेष नियम हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने पहले ही लिखित नोटिस दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी प्रतिवेदन—केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यिक) भाग 1—प्रस्तावना की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०**—3777/72]

(2) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुए वर्ष सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**—3775/72]

(3) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और प्रबन्ध अन्तरण) (संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1239 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०**—3782/72]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1862 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) सा० का० नि० 1133, जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 सितम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 453 (ङ) और 454 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अक्तूबर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का० आ० 3739, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर, 1972 में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 457 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 1371, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०**—3781/72]

(5) वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1971 की धारा 51 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) सा० का० नि० 1014, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त, 1972 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा० का० नि० 406 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अन्तर्देशीय विमान यात्रा कर (संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 अक्तूबर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 442 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०**—3783/72]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) सा० का० नि० 418 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 419 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 429 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 अक्तूबर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 1285, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 अक्तूबर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 1321, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 अक्तूबर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० का० नि० 1373, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०**—3780/72]

कम्पनी कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) एकाधिकारी और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) एकाधिकारी और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (माल का वर्गीकरण) संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1008 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा० का० नि० 1009, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें दिनांक 17 जून, 1972 को अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 748 का शुद्धि पत्र दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०**—3779/72]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 637 को उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 443 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 अक्तूबर, 1972 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०**—3778/72]

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय पटसन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां, सभा-पटल पर रखता हूँ। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०**—3866/72]

संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री शंकरा नन्द) : मैं लोकसभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ :

चौथी लोक सभा

(1) विवरण संख्या 26	छठा सत्र, 1968
(2) विवरण संख्या 25	सातवां सत्र, 1969
(3) विवरण संख्या 24	आठवां सत्र, 1969
(4) विवरण संख्या 22	नौवां सत्र, 1969
(5) विवरण संख्या 25	दसवां सत्र, 1970
(6) विवरण संख्या 16	ग्यारहवां सत्र, 1970
(7) विवरण संख्या 15	बारहवां सत्र, 1970

पांचवी लोक सभा

(8) विवरण संख्या 8-क	पहला सत्र, 1971
(9) विवरण संख्या 16	दूसरा सत्र, 1971

(10) विवरण संख्या 8 तीसरा सत्र, 1972

(11) विवरण संख्या 6 चौथा सत्र, 1972

(12) विवरण संख्या 7 चौथा सत्र, 1972

(13) विवरण पांचवां सत्र, 1972

[**ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०**—3784/72]

———

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा 22 नवम्बर, 1972 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 15 नवम्बर, 1972 को पास किये गये चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम-कल्याण निधि विधेयक, 1972 से बिना किसी संशोधन के सहमति हुई है ।

(दो) कि राज्य सभा ने 21 नवम्बर, 1972 को हुई अपनी बैठक में अखिल भारतीय सेवा विनियम (संरक्षण) विधेयक, 1972 पास कर दिया है ।

———

अखिल भारतीय सेवा विनियम (संरक्षण) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में
ALL INDIA SERVICES REGULATIONS (INDEMNITY) BILL—AS PASSED BY RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में अखिल भारतीय सेवा विनियम (संरक्षण) विधेयक 1972 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

———

भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 83 और 90 के उत्तरों में शुद्धि करने वाले वक्तव्य
STATEMENTS CORRECTING ANSWERS TO S.Q. NOs. 83 AND 90 *RE*, STRIKE IN RESERVE BANK OF INDIA, BOMBAY

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : भारतीय रिजर्व बैंक में हड़ताल के सम्बन्ध में 4-8-1972 के तारांकित प्रश्न की संख्या 83 और 90 का उत्तर देते हुए मैंने यह कहा था कि

भारतीय रिजर्व बैंक और उसके भायकुला तथा फोर्ट-स्थित अधीनस्थ कार्यालयों में तृतीय श्रेणी के 750 कर्मचारी हड़ताल पर चले गये थे। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 750 के बजाय 4750 होनी चाहिए थी। उक्त भूल भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग विभाग को सम्बद्ध प्रश्न के लिए सूचना देते हुए टेलेक्स संदेश भेजते समय हुई थी। इसलिए अभिलेख में संशोधन करने के लिए मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं। पहले के उत्तर में जो असंगति हुई थी उसके लिए मुझे खेद है।

भारतीय रिजर्व बैंक और उसके भायकुला और फोर्ट स्थित सम्बद्ध कार्यालयों के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या से सम्बद्ध आंकड़ों में भूल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विभाग को टेलेक्स सन्देश भेजने में हुई थी। जब तक गलती का पता चला और भारतीय रिजर्व बैंक से ठीक-ठीक आंकड़ों की पुष्टि हुई थी, तब तक संसद का वर्षाकालीन सत्र समाप्त हो चुका था। इस-लिए उक्त भूल को चालू सत्र में सुधारा जा रहा है।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : सोमवार, 27 नवम्बर, 1972 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा :—

1. (i) 1972-73 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर आगे चर्चा तथा मतदान।
   (ii) 1970-71 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।
   (iii) विमानवहन विधेयक, 1972 (विचार तथा पास करना)।
   (iv) भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के 1 जुलाई, 1969 से 30 जून, 1970 तक की अवधि सम्बन्धी बारहवें प्रतिवेदन पर चर्चा।

2. (i) अखिल भारतीय सेवा विनियम (संरक्षण) विधेयक, 1972, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में। (विचार तथा पास करना)
   (ii) शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 1972, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में (विचार तथा पास करना)।

3. शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री द्वारा एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा।

4. (i) बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1972 के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प पर चर्चा।

   (ii) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1972 (विचार तथा पास करना)।

5. श्री प्रसन्नभाई मेहता तथा अन्य सदस्यों द्वारा सोमवार, 27 नवम्बर, 1972 को मध्याह्न पश्चात् 3 बजे एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर देश में विद्युत की निरन्तर कमी पर चर्चा ।

6. श्री ज्योतिर्मय बसु तथा अन्य सदस्यों द्वारा मंगलवार, 28 नवम्बर, 1972 को मध्याह्न पश्चात् 3 बजे एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर 1972 के मानसून के दौरान देश में बाढ़ और तूफान से हुई क्षति पर चर्चा ।

7. श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़ और अन्य सदस्यों द्वारा गुरुवार, 30 नवम्बर, 1972 को मध्याह्न पश्चात् 3 बजे एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर देश में खाद्य स्थिति पर चर्चा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आपको पहले ही लिखा है ।

अध्यक्ष महोदय : जिस क्रम से सदस्यों ने नाम दिये हैं उसी से उन्हें पुकारा जायेगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप संसदीय कार्य मंत्री को कहें कि वह श्रम मंत्री से इस महत्त्वपूर्ण मामले पर वक्तव्य देने के लिए कहें ?

उन्होंने यू० एन० आई० में श्रमिक विवाद पर वक्तव्य देने का वचन दिया था ।

जालन्धर में सभी कार्यरत पत्रकार हड़ताल पर हैं । श्रम मंत्री अथवा उपश्रम मंत्री इन पर वक्तव्य दें ।

औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में जो विधेयक राज्य सभा में लाया गया है वह उचित नहीं है। मंत्री महोदय को उसे नहीं लाना चाहिए ।

उड़ीसा में दूसरे सदन के लिए उप-चुनावों में श्री बीजू पटनायक तथा उनके साथियों के कृत्य निन्दनीय रहे हैं ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : कटक में उप-चुनाव में वित्त मंत्री के हस्तक्षेप पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। चुनाव अभियानों में यह अच्छी प्रक्रिया नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय मंत्री महोदय के वक्तव्य पर ही बोलें ।

श्री समर गुह : दिल्ली विश्वविद्यालय में हड़ताल जारी है । चार छात्रों के निकाले जाने तथा 60 छात्रों की गिरफ्तारी के समाचार आये हैं । ऐसी स्थिति में शिक्षा मंत्री को स्वतः ही वक्तव्य देना चाहिए था । उन्हें वक्तव्य देने के लिए कहा जाय ।

तीसरी बात·····

अध्यक्ष महोदय : इतनी सारी बातें एक सप्ताह में कैसे ली जा सकती हैं ।

श्री समर गुह : शिमला समझौते के पश्चात् श्री भुट्टो परस्पर विरोधी वक्तव्य देते रहे हैं। मैं इस मामले पर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कटक की घटनाओं के बारे में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

मैं आपका ध्यान श्री राजबहादुर के वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस पत्र के परिचालित किये जाने पर आश्चर्य है।

अध्यक्ष महोदय : यह सदन में पढ़ा गया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस पर हस्ताक्षर नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इन बातों की चिन्ता छोड़ दीजिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमें पत्रादि श्री शकधर के हस्ताक्षरों में आपके आदेश से मिलते हैं। ऐसा लगता है कि यह श्री राजबहादुर के कार्यालय ने वितरित किया है।

अध्यक्ष महोदय : वह इसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने अपने छह वर्ष के लोक सभा के कार्यकाल में बिना हस्ताक्षर के पत्र नहीं प्राप्त किया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसमें कहा गया है :

आपकी अनुमति से मैं 27 नवम्बर, 1972 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के सरकारी कार्य की घोषणा करता हूँ·····"

श्री राजबहादुर : यह वक्तव्य मैंने सदन में दिया था।

अध्यक्ष महोदय : इसमें क्या गलती है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह गलत है ; यह मामला कार्य-मंत्रणा समिति या अनियत दिन वाले प्रस्ताव सम्बन्धी समिति के समक्ष नहीं रखा गया है।

Mr. Speaker : It is a daily headache. It appears that hon'ble Minister has included some of the items which were not selected.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने 20 प्रस्ताव भेजे थे और उनमें से मैं चुन सकता हूँ। मंत्री महोदय अपनी इच्छानुसार कैसे कोई प्रस्ताव रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस बारे में कुछ गड़बड़ हुई है। इसको साइक्लोस्टाइल किसने करवाया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : जब कोई विवरण तैयार किया जाता है तो उसकी प्रतिलिपियां तैयार करने के लिए हमें कहा जाता है। अत: मैंने अनुदेशों का पालन किया है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ ऐसे विषय सम्मिलित किये गये हैं जिन पर कार्य-मंत्रणा समिति में चर्चा नहीं की गई थी। इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : कोई प्रस्ताव किसी सदस्य विशेष के नाम में रखा गया है परन्तु सम्बन्धित सदस्य को उसकी कोई जानकारी नहीं है, इसमें विद्युत की कमी पर चर्चा करने सम्बन्धी एक विषय सम्मिलित किया गया है। परन्तु गत सत्र में और इस सत्र में भी कई रूपों में इस विषय पर चर्चा की जा चुकी है। अत: मेरे विचार में इस विषय पर और चर्चा करने का कोई लाभ नहीं होगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : क्या मंत्री महोदय कार्य मंत्रणा समिति के परामर्श के बिना किसी विषय का चुनाव कर सकते हैं ? जब हमें किसी विषय पर चर्चा करने के लिए आपको पहले नोटिस देना पड़ता है तो मंत्री महोदय को भी आपको पहले से नोटिस देना चाहिए। यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री प्रसन्नभाई मेहता (भावनगर) : विद्युत की कमी के बारे में चर्चा मेरे नाम में है। परन्तु मेरे नाम में अन्य प्रस्ताव भी हैं। मुझे अपनी इच्छानुसार विषय चुनने की आजादी होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि छात्र-असन्तोष सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा की जाये।

श्री समर गुह (कन्टाई) : प्रश्न यह है कि किन विषयों को प्राथमिकता दी जाये। प्राथमिकता देने के लिए पहले से परामर्श किया जाना आवश्यक है। कुछ ऐसे विषय चुन लिये गये हैं जिन में सदस्यों को कोई रुचि नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार किसी संकल्प को सरकारी सूची में सम्मिलित करना चाहती है तो उसके लिए अलग प्रक्रिया है। जहां तक इस प्रकार के प्रस्तावों का सम्बन्ध है हम ऐसे विषयों पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा करते हैं कि उनको क्या प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह कैसे हुआ ?

श्री राजबहादुर : नियम 184 और 193 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। लोक सभा के बुलेटिन में आप द्वारा स्वीकृत सभी प्रस्तावों को सम्मिलित किया जाता है। 10 नवम्बर के बुलेटिन भाग 2—सूची संख्या 1 और 16 नवम्बर के बुलेटिन— भाग 2 में अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत अनियत दिन वाले प्रस्ताव सम्मिलित हैं। ये प्रस्ताव जैसे-जैसे प्राप्त हुए हैं, स्वीकार किये गये हैं। महोदय, आपको पता है कि मुझे मंत्रियों की सुविधा का भी ध्यान रखना होता है कि वह किसी विषय का कब उत्तर दे सकते हैं। यह कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है। जब आपने अनियत दिन वाले प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी तब यह बताना मेरा कर्त्तव्य है कि उस विषय पर कब चर्चा की जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात का निर्णय कार्य मंत्रणा समिति करती है कि किन विषयों पर चर्चा की जायेगी, मंत्री महोदय नहीं।

श्री राजबहादुर : इस सम्बन्ध में नियम बिल्कुल स्पष्ट है। आप इस मामले पर कार्य-मंत्रणा समिति में चर्चा कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

श्री सेझियान (कुम्बकोंणम) : संसदीय कार्य मंत्री ने असाधारण प्रक्रिया का अनुसरण किया है। आपने इन प्रस्तावों की स्वीकृति दे दी थी परन्तु उन पर सभा में चर्चा नहीं की जा रही है। आपकी स्वीकृति के बाद आपका या कार्य मंत्रणा समिति का काम समय नियत करना है।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मंत्री महोदय ने जिस बुलेटिन का उल्लेख किया है, उसमें मेरे नाम में चार प्रस्ताव हैं, जिनमें से मंत्री महोदय ने विद्युत की कमी सम्बन्धी प्रस्ताव को चुना है।

श्री राजबहादुर : नियमों के अनुसार सरकार स्वविवेक से काम कर सकती है। मुझे सम्बद्ध मंत्री को सूचित करना होता है और समय नियत करना होता है।

अध्यक्ष महोदय : सामान्य प्रक्रिया यह है कि जो भी अनियत दिन वाले प्रस्ताव भेजे जायें या सदस्यों द्वारा सभा में मांग की जाये, मैं मंत्री महोदय से एक वक्तव्य देने के लिए नोट कर लेने को कहता हूँ। अथवा उन्हें कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। वह भी नोट कर लेते हैं और हम भी कर लेते हैं। फिर स्थिति यह है कि कोई भी प्रस्ताव अध्यक्ष की स्वीकृति के बिना सभा में या कार्य-सूची में नहीं लाया जा सकता। परन्तु मैं बहुत से मामलों की स्वीकृति दे देता हूँ परन्तु उन सब पर सभा में चर्चा नहीं की जा सकती। निःसंदेह प्रक्रिया के अनुसार वे स्वीकार्य होते हैं। अध्यक्ष उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकता। यदि मैं 100 प्रस्तावों की स्वीकृति दे देता हूँ तो उन सब पर सभा में चर्चा नहीं की जा सकती। उनको कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखा जाता है। वे उनमें से 5 या 10 अथवा 15 प्रस्ताव इसलिए चुन लेते हैं कि वे उन पर चर्चा करेंगे, यह सामान्य प्रक्रिया है।

इस मामले में श्री प्रसन्नभाई मेहता के नाम में 6 प्रस्ताव हैं। मंत्री महोदय ने उनमें से एक को चुन लिया है। यदि वह माननीय सदस्य के साथ परामर्श कर लेते तो बेहतर होता। मंत्री महोदय को उनके साथ बात करके हमारे साथ भी परामर्श कर लेना चाहिए था। मैं कोई भी प्रस्ताव कार्य मंत्रणा समिति का सभापति होने के नाते स्वीकार करता हूँ, अध्यक्ष के नाते नहीं।

इन्द्रजीत गुप्त : उनको अवज्ञा का दोषी ठहराया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अच्छे व्यक्ति हैं परन्तु कभी-कभी गुमराह हो जाते हैं। अब वह इस बात पर सहमत हो गये हैं कि वह समस्त सूची कार्य मंत्रणा समिति को वापस भेज देंगे।

यदि आपको सुविधा हो तो हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज चार बजे बुला लेते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 4·30 बजे म० प० पर।

अध्यक्ष महोदय : यह सप्ताह का अन्त है और हमें और भी कुछ काम हैं। अत: मेरे विचार में 4 बजे का समय ठीक रहेगा।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हाँ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जहां तक मेरे नाम का सम्बन्ध है, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। मेरा नाम उन सदस्यों में शामिल किया गया है जो बालयोगेश्वर से मिलने गये थे। मेरा नाम श्री एस० एन० मिश्र के साथ मिला दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : नामों के बारे में कुछ भ्रम था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कल जब इस मामले को उठाया गया था तो उपाध्यक्ष ने निर्णय किया था कि सरकार पता लगायेगी और उस बाधा के बारे में वक्तव्य देगी जो राजस्व सम्बन्धी गुप्तचरों द्वारा बालयोगेश्वर की पूछताछ में कुछ संसद सदस्यों तथा अन्य लोगों द्वारा डाली गई थी।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे संसद सदस्य ने मुझे सूचित किया है कि वह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहते हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैंने कहा था कि हमें इस बात का पता लगा है और हम इसकी जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपको जो कुछ पता चले आप अन्य लोगों को भी बतायें।

श्री के० आर० गणेश : अभी जांच की जा रही है। इसलिए इस सम्बन्ध में कोई जानकारी तत्काल नहीं दी जा सकती।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि जब सरकार को कोई जानकारी मिलेगी, वह सभा को बतायेंगे, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब वे कुछ बताने की स्थिति में होंगे तो अवश्य बतायेंगे।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Thirty Minutes past fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 34 मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at thirty four minutes past fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।]
[**Mr. Deputy Speaker** in the Chair.]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर पुन: चर्चा शुरू करेंगे···

श्री समर गुह (कंटाई) : **आनन्द बाजार पत्रिका** और **हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड** के वितरण के बारे में जो कुछ हुआ मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। सरकार ने इन पत्रों के वितरण पर रोक लगायी है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इससे कैसे सम्बन्धित हैं?

श्री समर गुह : यह संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों से हनन का प्रश्न है। इन पत्रों के वितरण पर क्यों रोक लगायी गयी ? सरकार को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अपनी बात कह दी है। अब उन्हें बैठ जाना चाहिए।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1972-73
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1972-73

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : Yesterday, I was stating that several changes have been made in the management of Heavy Electricals Bhopal. We hope this plant to run in profit from the next year. The Heavy Electricals at Bhopal, Hardwar or Hyderabad are manufacturing all types of electrical equipments which otherwise had to be imported from abroad. With a view to co-ordinate the activities of various Ministries and State Governments concerned with the industrial development, we have taken some steps in convening the meetings of officers both of State and Central Government. Industrial growth rate has risen to 7.6 per cent from 1.7 per cent last year.

I request the House to approve the supplementary demands.

श्री सुरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : पहली मांग रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित है। हमें प्रशासन से लापरवाही देखकर दुख होता है। सेना के कैन्टीन स्टोर विभाग में कुछ गड़बड़ है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस बात की जांच की थी और 37 हज़ार रुपये के लगभग की लागत का माल कम पाया था और एक असैनिक अधिकारी को बरखास्त किया गया। उसके विरुद्ध कार्यवाही भी की गई। परन्तु एक सैनिक अधिकारी को जो सभी वाउचरों पर हस्ताक्षर करने के लिए ज़िम्मेदार था, उसे सेवा-निवृत्ति की अनुमति दे दी गई जबकि इस विषय की जांच अभी की जा रही थी। यदि सेवा अधिनियम के अन्तर्गत एक सैनिक अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती है तो उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ? यह सुविधापूर्वक किया जा सकता था। यह एक गम्भीर मामला था।

जोरदार कृषि कार्यक्रम के लिए राज्य सरकारों को छोटी सिंचाई योजनाएँ कार्यान्वित करने के लिए और उर्वरक खरीदने के लिए अनुदान तथा ऋण देने हेतु 250 करोड़ रुपये की मांग की गई है। चौथी योजना के दौरान सरकार द्वारा करोड़ों रुपये खर्च करने के पश्चात् क्या मंत्री

महोदय वास्तव में आशा करते हैं कि केवल 250 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग से कृषि उत्पादन में और वृद्धि होगी ? मुझे विश्वास है कि इस धन का दुरुपयोग होगा ।

जिन लोगों ने अपने नलकूप लगवाये हैं उन्हें बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । उन्हें अपनी मोटरें चलाने के लिए दिन में मुश्किल से एक घंटे के लिए बिजली मिलती है । लाइनें बन्द रहती हैं लेकिन उन्हें न्यूनतम उपभोग गारन्टी के अनुसार भुगतान करना पड़ता है । जब सरकार बिजली नहीं देती है तो किसानों को इस प्रकार न्यूनतम भुगतान करने के लिए विवश क्यों किया जाता है ?

किसानों से ब्याज की अत्यधिक दर अर्थात् 9 प्रतिशत ली जाती है जबकि उद्योगपतियों से सरकार $1\frac{1}{2}$ अथवा $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वसूल करती है । जब तक ब्याज की यह दर कम नहीं की जाती, तब तक किसान इन ऋणों का उपयोग नहीं कर सकते ।

सूखे का हरियाणा में महेन्द्रगढ़ पर सब से अधिक प्रभाव पड़ा है । चारे के लिए 25 प्रतिशत सहायता देने की एक योजना है परन्तु ठेकेदार दिल्ली के बड़े-बड़े व्यापारियों को हरियाणा में चारा सप्लाई करने के लिए नियुक्त करते आ रहे हैं । इस आर्थिक सहायता को ठेकेदार हड़प जायेंगे । अतः हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के तौर पर जो भी धन दिया जाए, वह सिर्फ किसानों को दिया जाना चाहिए । जब तक सरकार किसानों को कोई आर्थिक सहायता नहीं देती है, तब तक इससे कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री समर गुह (कंटाई) : बारह चौक नदी घाटी विकास योजना पश्चिम बंगाल के कंटाई उपमंडल के लिए अत्यावश्यक है । यह योजना राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी है परन्तु इसे अभी आरम्भ नहीं किया गया है । हम सिंचाई मंत्री से इस योजना को शुरू करने का अनुरोध करते आये हैं, जिस पर केवल 34 लाख रुपये खर्च होंगे । कन्टाई उपमंडल पश्चिम बंगाल के उस भाग का खलिहान है । यदि इसे बाढ़ का खतरा न हो तो यह इतने अधिक खाद्यान्न का उत्पादन कर सकता है कि जिससे हमारे राज्य में खाद्यान्न की कमी पूरी हो जायेगी ।

इस क्षेत्र से लोग काफी निराश हो चुके हैं । यदि उनके लिए कुछ नहीं किया गया तो वह किसी प्रकार का आन्दोलन आरम्भ कर देंगे । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस वर्ष के दौरान जब खाद्यान्न के उत्पादन के लिए एक जोरदार कार्यक्रम तैयार किया जाये, जिसके लिए सरकार इतना धन खर्च कर रही है, तो उन्हें इस छोटी योजना के लिए भी कार्यवाही करनी चाहिए जिससे हमारी जनता का केवल बाढ़ से ही बचाव नहीं होगा अपितु खाद्यान्न का उत्पादन भी बढ़ेगा ।

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa) : I want to draw your attention towards the deteriorating condition of my State. Rajasthan has continuously been hit by the draught for the last 5-7 years. 23 districts out of 26 districts of Rajasthan are under the grip of draught, resulting in shortage of water, fodder and foodgrairs.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण सोमवार को जारी रखें ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 19वां प्रतिवेदन

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS—NINETEENTH REPORT

श्री जे० माता गौडर (नीलगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 19वें प्रतिवेदन से, जो 22 नवम्बर, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 19वें प्रतिवेदन से, जो 22 नवम्बर, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

———

बेरोजगारी की समस्या के बारे में संकल्प—(जारी)

RESOLUTION *RE* : PROBLEM OF UNEMPLOYMENT—(Contd.)

श्रीमती माया राय (रायगंज) : पिछली बार बोलते समय ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगारी का जिक्र करते हुए मैंने कहा था कि इसके लिए हमें अपनी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना होगा।

हमें अपने औद्योगिक उत्पादन में 8 प्रतिशत तक वृद्धि करनी चाहिए तथा अपने निर्यात व्यापार पर अधिक ध्यान देना चाहिए। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के पश्चिमी तट तथा तमिल नाडू के दक्षिणी तट पर बनाए जा रहे तीन अबाध व्यापार पत्तनों पर स्थित उद्योगों में समस्त माल निर्यात के लिए बनाया जाना चाहिए। इसके लिए विदेशी तथा देशी दोनों उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाये। जहां तक सम्भव हो इन उद्योगों में भारतीय मजदूर तथा जानकारी का उपयोग किया जाये। पूंजी लगाने वालों को सरकार की ओर से निश्चित किया गया उचित लाभ अर्जित करने की अनुमति होनी चाहिए तथा शेष लाभ भारत में ही रहना चाहिए तथा ये उद्योग केवल भारत के ही लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करें। इसी विचार को अबाध व्यापार क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है। इस प्रकार हम विश्व बाजार में भारतीय माल का बाजार बना सकेंगे और लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर सकेंगे।

हमारे पास अपने देश में बड़ी प्रतिभा और जनशक्ति है। उसका उचित उपयोग कर हम क्या से क्या कर सकते हैं। ऐसा हम अवश्य कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"इस सभा की, केन्द्रीय सरकार के बेरोजगारी को समाप्त करने के प्रयत्नों की प्रशंसा करते हुए, राय है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से देश की बेरोजगारी की भयानक समस्या के समाधान हेतु एक समयबद्ध और चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करे तथा इस समस्या के समाधान के लिए तुरन्त रचनात्मक और ठोस पग उठाये ।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : क्योंकि संकल्प सत्ताधारी दल के सदस्य की ओर से आया है इससे यह पता चलता है कि देश में बेरोजगारी की समस्या वास्तव में उग्र है। पर इस दिशा में सरकार ने मात्र वायदों के और कुछ नहीं किया है। यहां तक कि देश में वास्तव में कितने लोग बेकार हैं इसका भी सही-सही अनुमान नहीं लगाया गया है। रोजगार दफ्तरों के रजिस्टरों से कुछ अनुमान लगता है पर वह भी सही नहीं है क्योंकि प्रत्येक बेरोजगार वहां अपना नाम दर्ज नहीं कराता। फिर वहां भी बेरोजगारों की संख्या 1970 के 40.69 लाख की तुलना में 1972 में बढ़ कर 64.57 लाख हो गई है। अर्थात् 25 लाख की वृद्धि। यह परिणाम है क्रान्तिकारी सरकार के नेतृत्व का। इन बेरोजगार लोगों में से 3,54,460 स्नातक हैं जिनके पास इंजीनियरिंग, चिकित्सा आदि की डिग्रियाँ हैं तथा 39,081 स्नातकोत्तर व्यक्ति हैं। यह एक आश्चर्य की बात है कि 1971 में केवल 42,000 स्नातकों को रोजगार दिलाया गया तथा 5,505 स्नातकोत्तर उम्मीदवारों को। यह आंकड़े सरकारी हैं। अकेले पश्चिम बंगाल में 280 लाख लोग बेकार हैं। मात्र 17000 जगहों के लिए वहाँ $12\frac{1}{2}$ लाख आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं। इससे स्वयं ही अनुमान लग जाता है कि देश में रोजगार की क्या स्थिति है।

देश में प्रतिवर्ष जितने लड़के स्नातक का प्रमाणपत्र लेकर निकलते हैं सरकार उससे कहीं कम रोजगार के स्थान बनाती है। वे जूता पालिश करके, अपना खून बेचकर आजीविका चला रहे हैं।

देश के 50 प्रतिशत लोग गरीबी की स्थिति में रह रहे हैं। कुपोषण और गरीबी की चक्की में पिसकर उनका स्वास्थ्य गिर रहा है तथा यह देश लूलों-लँगड़ों का देश बनता जा रहा है।

यह शत-प्रतिशत सरकार की असफलता है। चुनाव के समय वायदे करने से काम नहीं चलता। देखना यह चाहिए वास्तव में कितने लोगों को रोजगार मिला। हम सरकार से यही जानना चाहते हैं कि चौथी योजना में उसने कितने लोगों को रोजगार दिया।

सरकार के अधिकतर कार्यक्रम तदर्थ होते हैं। पर अब इनसे काम चलने वाला नहीं है। समस्या का स्थायी हल निकाला जाना चाहिए। हम सरकार से इस सम्बन्ध में स्पष्ट और सही-सही उत्तर चाहते हैं कि इस दिशा में अब तक क्या किया गया है, भविष्य में क्या किया जायेगा तथा इस समस्या को कब तक हल किया जा सकेगा।

यदि सरकार काम करने के इच्छुक इन युवकों को काम नहीं दे सकती तो तुरन्त बेरोजगारी बीमा चालू करे। संसार के अधिकतर देशों में यह व्यवस्था है, समाजवादी देशों में ही नहीं वरन् पूंजीवादी देशों में भी यह व्यवस्था लागू है।

अतः जब वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को नहीं बदला जाता, जब तक गैर-सरकारी हाथों से उत्पादन को सरकार द्वारा अपने हाथ में नहीं लिया जाता तब तक रोजगार के अवसर नहीं बढ़ाये जा सकते । क्योंकि हम देख रहे हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने के अवसरों में काफी कमी आई है ।

इस समस्या के हल के लिए तुरन्त और कारगर कदम उठाए जाने चाहिएं । युवक और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते ।

लघु और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि इनमें अधिक लोगों को खपाया जा सकता है । जापान में इन उद्योगों में 70 प्रतिशत लोग लगे हैं जबकि हमारे यहाँ 50 प्रतिशत । अतः हमें नगरों और ग्रामों दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : आज भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बेरोजगारी है और हमें इसका सामना उसी दृढ़ता से करना है जिस दृढ़ता से हमने विदेशी आक्रमण का सामना किया है ।

युवकों के मन में अपने भविष्य के बारे में विद्यमान अनिश्चिन्तता के कारण उनमें असंतोष व्याप्त है और देश में चारों ओर छात्रों के आन्दोलन चल रहे हैं ।

पूर्व वक्ता ने इस समस्या को एक राजनीतिक रूप देना चाहा हैं । इस प्रकार के व्यवहार से समस्या नहीं सुलझ सकती और न ही दूसरे देशों का अन्धानुकरण करने से । हमारे देश की अपनी समस्याएं हैं और हमें उन्हें अपने देश की स्थिति के अनुरूप ही सुलझाना है ।

उद्योगों के बजाय हमें कृषि की ओर ध्यान अधिक देना चाहिए । हमें सामान्य शिक्षा के बजाय चयनात्मक और नियंत्रित शिक्षा देनी चाहिए । इसके अतिरिक्त जब तक हमें बेरोजगारों की संख्या का पता नहीं चलेगा तब तक हम कोई उपाय नहीं कर सकते । शिक्षा का अर्थ है आजीविका कमाना, यदि वह ही न कमा पाये तो उस शिक्षा का क्या लाभ । तो क्या हमने जीविका को सुनिश्चित करने वाली शिक्षा देने की दिशा में कोई प्रयत्न किया है ? मेरा अपना अनुभव है कि इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किए गए हैं ।

हमें उद्योगों का अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए । इस कार्य में सभी मजदूर संघों को सरकार का हाथ बँटाना चाहिए । हमें कृषि और लघु उद्योगों के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए तथा पिछड़े प्रदेशों के आर्थिक विकास के लिए वहाँ यातायात के साधन तथा उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए ।

सरकार को 500 रुपये तक वेतनमान के पदों पर स्थानीय लोगों को नियुक्त करने की नीति का पालन करना चाहिए । क्योंकि इसके अभाव में स्थानीय लोगों में असंतोष फैलता है ।

समय-समय पर देश के युवकों को बड़े-बड़े आश्वासन दिए गये हैं, पर उन्हें पूरा करने की दिशा में कुछ नहीं किया गया । यदि इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो हमारे अच्छे दिन आने वाले नहीं है ।

Shri Nageshwar Dwivedi (Machhlishahar) : The problem of unemployment has taken an acute shape in the country. Educated and uneducated, both, categories of people are the victims of this constantly increasing menace. Although the Government have adopted several measures and set up industries to provide employment opportunities, still the number of unemployed people on live registers of the Employment Exchanges goes on increasing continuously. This has resulted in allround unrest and disappointment among the countrymen and it appears that we have committed some basic mistake in tackling this problem. The menace of unemployment has also been the root cause of many crimes, vices and misdeeds. No doubt, there has been a grave need of setting up industries and factories on a large scale, but due attention has not yet been paid towards the agricultural field, with the result that even the farmers and agricultural labour have started roaming about in and around the cities and towns to secure petty jobs, thus causing still further increase in the number of unemployed people.

Our defective educational system which, obviously, is capable of producing only the clerks, has been adding fuel to the fire, because under this educational system, our countrymen are found quite unfit for either taking up agricultural work or the industrial activities. They are fit only for clerical jobs in the offices. Even the agricultural graduates are not capable of taking up agricultural assignments and so they have to seek clerical jobs. The Engineering graduates are not inclined to set up industrial units. That is the real cause. My point is that arrangements should be made to provide education according to the inclination and taste and capabilities of the individuals concerned, and that too in such a way that the individual is encouraged to take up that very assignment for which he has acquired education and training, rather than running after petty jobs in other unproductive fields. So, there is a need for extensive education and purposeful and practically productive educational system providing opportunities for the education according to the taste and inclination of the student, in the respective fields.

This measure can go a long way to help minimising the intensity of the unemployment problem.

Then there is a lot of disparity and imbalance in regard to employment opportunities. In some families several members are adequately employed whereas in many other families none gets a job despite their being capable of doing a job quite proficiently. As for example, a very large number of poor people in the villages do want and have the capability to work in the fields but they have no lands and thus no opportunities to utilise their labour and capability. So, we have to look into it very considerately. We should ensure work for everybody. It is unfortunate that we could not ensure that as yet and that is why we see unrest, agitations and disappointment everywhere. This aspect has to be given deep and thorough consideration.

The working of employment offices at District level has not been honest and up to the mark. Whereas the people with certain influence can secure jobs, the innocent and honest job seekers continue to live on the register and none cares the least for them. Proper vigilance and strictness should be ensured in these offices and these offices should be set

up at Block level also, since the unemployment menace prevails more in small villages, where poor farmers and agricultural labourers get work during only a few months of the year and for the rest they remain absolutely jobless. Even after independance, no adequate attention has been paid to provide them with some small scale industries, crafts etc.

The setting up of big mechanised industries and factories has also resulted in rendering quite a large number of our craftsmen, artisans and other workers jobless.

We have, therefore, to survey thoroughly the actual needs of the people and provide them with the opportunities of work. People in the villages used to do quite a number of small crafts but now they do not get the necessary raw material for those works and so they remain jobless.

I am not against opening big factories or setting up big industries, particularly for such jobs which save hard labour and time ; but nothing should be done which may result in rendering the people jobless and thus meal-less.

It is good that they are providing work to the labourers by absorbing them in development works of roads etc. More development works can be taken up to help this cause. Besides, power projects and road construction projects would also help in fighting the unemployment problem.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : यद्यपि मैं श्रीमती माया रे का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यह संकल्प पेश किया तथा हमें इस समस्या पर यहां चर्चा करने का अवसर मिला। परन्तु मैं उनके इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं कि सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए बहुत प्रयास किये हैं तथा किन्हीं कारणों से यह समस्या दूर नहीं हो सकी।

बेरोजगार की समस्या को हल करने के बारे में विभिन्न लोगों के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हैं। शिव सेना वाले चाहते हैं कि स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता देने से यह मुश्किल हल हो सकती हैं। मुल्की नियमों के उपलक्ष में भी आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में कैसी जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है। परन्तु मैं इन दृष्टिकोणों को सही नहीं मानता। यह समस्या तो बहुत गहन है और इसके लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था में ही आधारभूत परिवर्तन करने होंगे।

मंत्री महोदय ने कहा कि बेरोज़गारी संबंधी सही आंकड़े न मिलने से भी इस समस्या के हल होने में बाधा पड़ रही है। जब हमने अपनी योजनाएं 21 वर्ष पूर्व सन् 1951 में आरंभ की थीं तो उस समय देश में बेरोजगारों की संख्या 33 लाख थी परन्तु आज चौथी योजना के अन्त तक बेरोज़गारों की संख्या 6 करोड़ तथा कम-रोज़गार प्राप्त लोगों की संख्या 30 करोड़ बताई गई है। ये आंकड़े केन्द्रीय रोज़गार निदेशालय ने दिये हैं।

[**श्री आर० डी० भण्डारे** पीठासीन हुए।
Shri R. D. Bhandare in the Chair.]

मैं मानता हूं कि मंत्री महोदय इस विकट समस्या को किसी जादू की छड़ी की सहायता से एक दिन में हल नहीं कर सकते ; परन्तु प्रश्न यह है कि क्या सरकार पूंजीवाद को पनपने देने

वाली अपनी नीतियों में कोई परिवर्तन करने जा रही है ? आज हमारे देश में काफी औद्योगिक संसाधन हैं, जन-शक्ति है, परन्तु सामाजिक प्रगति प्राप्त करने हेतु इन संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए समुचित नीतियां नहीं हैं। माना कि गत 25 वर्षों में हमने काफी धन अर्जित किया है परन्तु वह सब कुछ ही लोगों की जेबों में चला गया। इसी कारण यह समस्या हल नहीं हो सकी। अमरीका को भी पूँजीवादियों का स्वर्ग कहा जाता है परन्तु वहां भी 55 लाख लोग बेरोज़गार हैं। जबकि रूस और चीन में बेरोज़गारी नहीं है। निष्कर्ष यह निकलता है कि वस्तुतः पूँजीवाद तथा पूंजीवादी आर्थिक विकास ही इस समस्या का मूल कारण है। हमने अपनी योजनाओं पर भारी धनराशियां खर्च की हैं परन्तु उनके परिणामस्वरूप देश में पूँजीवादियों तथा एकाधिकारवादियों को ही लाभ पहुंचा है और वे लोग अधिकाधिक लाभ कमाते जा रहे हैं। अतः जब तक देश में पूंजीवाद रहेगा तब तक बेरोज़गारी की समस्या हल नहीं हो सकती।

मैं यह तर्क नहीं मानता कि जनसंख्या में वृद्धि से बेरोज़गारी बढ़ती है। रोज़गार के अवसरों तथा जनसंख्या वृद्धि की परस्पर कोई तुलना नहीं। यह प्रतियोगिता या होड़ के आर्थिक विकास की दर तथा बेरोज़गारी के बीच होती है। अतः बेरोज़गारी की समस्या को हल करने के लिए हमें अपने आर्थिक विकास की दर बढ़ानी होगी। इसे कम-से-कम 8 प्रतिशत या इससे अधिक करना होगा।

अब प्रश्न यह है कि उक्त विकास दर कैसे प्राप्त की जाये ? वैसे तो आगामी योजना संबंधी अग्रिम विवरण से भी हमें यह प्रतीत नहीं होता कि हम इसमें निर्धारित विकास दर की प्राप्ति कर सकेंगे। सरकार अब तक के अपने सभी प्रयासों में विफल रही है और अपनी त्रुटिपूर्ण आर्थिक नीतियों के कारण आगे भी ऐसा ही होने की आशंका है। वस्तुतः हमें पूंजी निवेश के लिए स्रोतों की खोज करनी चाहिए। सरकार लोगों पर कर लगा रही है तथा घाटे की अर्थ-व्यवस्था करके स्वयं और अधिक कठिनाइयों में फंस रही है। यह अनुचित है। हमारे देश की आधी से अधिक जनसंख्या गरीबी से भी नीचे के स्तर का जीवन बिता रही है, ऊपर से बेरोज़गारी की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। हमारे राष्ट्रपति ने भी बताया है कि इस योजना के अन्त तक हमारे यहां 10 करोड़ लोग बेरोज़गार रहेंगे।

अब समस्या यह है कि पूंजी-निवेश के स्रोत क्या हों ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विमुद्रीकरण करके 7000 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करेगी ? काले धन की जो गुप्त समानान्तर अर्थ व्यवस्था चल रही है उसमें हर वर्ष 1200 करोड़ रुपये की वृद्धि हो रही है। क्या सरकार इसे रोक नहीं सकती तथा क्या वे एकाधिकारी ग्रहों को समाप्त नहीं कर सकती ? तथा क्या वे विदेशी एकाधिकार वाद को समाप्त नहीं कर सकती ? इसके लिए सरकार को एक सर्वथा नई नीति बनानी होगी और एक नये ढंग से पूंजी-निवेश के संसाधन जुटाने होंगे।

केरल में वहां की विधान सभा ने सर्वसम्मति से 186 करोड़ रुपये का एक कार्यक्रम पेश किया है जिससे कि राज्य में बेरोज़गारी की समस्या को बढ़ने से रोका जा सके। सभी राजनैतिक दलों ने इस कार्यक्रम का समर्थन किया है। राज्य सरकार ने केन्द्र से इसके लिए 30 करोड़ रुपये मांगे थे, परन्तु केन्द्र ने कह दिया कि उसके पास धन नहीं है। जब सरकार पैसा नहीं दे सकती तो फिर

वह स्वाधीनता के पश्चात् जन्मी उस पीढ़ी के प्रति क्यों सहानुभूति प्रकट कर रही है जो हताश और निराश होकर गुमराह होती जा रही है। ये तो मगरमच्छ के आंसू हैं।

यदि सरकार सचमुच ही बेरोज़गारी की समस्या हल करना चाहती है तो उसे अपना आर्थिक दृष्टिकोण बदलना होगा तथा भूमि सुधार संबंधी योजनाओं को युद्ध स्तर पर प्राथमिकता देकर क्रियान्वित करना होगा, भूमिहीन लोगों में भूमि का वितरण करना होगा। ये उपाय निश्चय ही बेरोज़गारी की समस्या को हल करने में कारामद सिद्ध होंगे।

यदि बेरोज़गारी की समस्या हल नहीं हुई तो निश्चय ही देश में असन्तोष पैदा होगा तथा कुछ लोग इस स्थिति से अनुचित लाभ भी उठायेंगे। हर स्थान पर केवल स्थानीय लोगों की ही रोजगार देने की मांगें बल पकड़ेंगी जिसके फलस्वरूप देश की अखण्डता नष्ट होगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी मांगों को संरक्षण प्रदान करेगी।

बेरोज़गारी से केवल आर्थिक संकट ही पैदा नहीं होंगे बल्कि इससे हमारे समाज को भी खतरा पैदा होगा। देश का भविष्य अंधकारमय होता जायेगा। सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। देश की युवा पीढ़ी इस बढ़ती हुई बेरोज़गारी को तमाशाई बनकर देखती नहीं रह जायेगी। 17 नवम्बर को भारतीय युवक महासंघ ने देश-व्यापी आन्दोलन चलाया और 1,50,000 युवकों ने प्रदर्शन किया तथा स्वयं को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। अगले बजट अधिवेशन में हम उन युवकों को यहां प्रदर्शन के लिये संसद भवन के समीप भी लायेंगे। लाखों युवक यहां आयेंगे और सरकार को अपनी नीतियां बदलने की मांग के समर्थन में नारे लगायेंगे। वे सब सरकार की नीतियों में परिवर्तन कराने के लिये संघर्ष करने को तैयार हैं। सरकार को प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिये।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव (बेल्लारी) : सामान्यतया मैं सरकार की आलोचना नहीं करता परन्तु मुझे खेद है कि इतने महत्त्वपूर्ण विषय संबंधी गैर-सरकारी संकल्प पर चर्चा के समय सरकारी बैंच भी प्रायः खाली पड़े हैं।

बेरोज़गारी की समस्या तो है परन्तु अभी वह किसी बड़े संकट की संज्ञा पाने की सीमा तक नहीं बढ़ी है जिसके लिये कि मोर्चे, हड़तालें, बन्ध या लाठी चार्ज और गोलीकांड की गतिविधियां करनी पड़ें।

यह सच है कि बेरोज़गारों की संख्या गत 10 वर्ष से निरन्तर बढ़ती ही जा रही है और इससे पहले कि यह समस्या कोई खतरनाक रूप कारण कर ले सरकार को चाहिये कि वह तुरन्त ही ऐसे उपाय करे जो वह अब तक नहीं कर पाई है। मैं जानता हूं कि इस संबंध में अनेक समितियां गठित की गई हैं परन्तु केवल समितियां गठित कर देने से समस्या हल नहीं हो जाती। यह एक बड़ी समस्या है और इसे हल करने के लिये शासकीय दल विपक्ष तथा स्वयं सरकार का भी दृढ़ निश्चय तथा सच्ची भावना प्रकट होनी चाहिये। मुझे भय है कि भाषा, वर्ण तथा जाति संबंधी समस्याओं की भांति यह समस्या भी विकट रूप धारण कर गई तो इसका हल किया जाना बहुत दुष्कर हो जायेगा। स्थानीय नागरिकों को रोज़गार में प्राथमिकता देने की मांग भी बेरोज़गारी की समस्या के कारण ही प्रबल हुई है। यह समस्या एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है।

मैं बेरोजगारी की संख्या संबंधी दलील में नहीं पड़ना चाहता, परन्तु फिर यह बात मेरे विश्वास में नहीं आती कि इस समय देश में 6 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं। देश में कुल बेरोज़गारों की संख्या का पता लगा सकना बड़ा मुश्किल काम है। रोज़गार कार्यालयों में दर्ज संख्या भी अपने-आप में बहुत बड़ी है और यह बुरी बात है कि हमारे यहां इतने लोग बेरोज़गार हैं। तथापि गलत आंकड़े देकर हम अपनी बात का प्रभाव घटा ही लेते हैं, बढ़ा नहीं सकते। मेरे विचार से यही कहना पर्याप्त है कि देश में बेरोज़गारी की समस्या बड़ी गंभीर समस्या है और इसे तुरन्त ही हल करने के लिये कुछ-न-कुछ किया जाना चाहिये।

इसको हल करने का एक रामबाण उपाय है : आर्थिक विकास करना। केवल कुछ विशिष्ट कार्यक्रम बना लेने से यह समस्या हल नहीं हो सकती। रोज़गार देने की क्षमता विकास की गति के साथ-साथ बढ़ती है और फिर इसमें एक उचित नीति के अनुसरण में अधिकाधिक लोगों को रोज़गार देने की वृत्ति अपनायी जानी चाहिये। इस समस्या को जब योजना आयोग तथा सरकार केवल कुछ विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा हल करने की बात कहते हैं तो इससे उनकी प्रतिष्ठा कुछ घटती ही है। हमें तो इसके लिये अपनी पूंजी-निवेश नीति का पुनरीक्षण करना चाहिये और उसे इस प्रकार गठित किया जाये कि रोज़गार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध हों। विकास कार्यों में वृद्धि तथा आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना ही इस समस्या का हल है। मैं पूंजीवाद और समाजवाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। यदि हम अपनी रोज़गार क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपने आर्थिक विकास की गति तेज करनी होगी। मुझे प्रसन्नता है कि योजना आयोग इस दिशा में यथोचित ज़ोर डाल रहा है। आर्थिक विकास की दर बढ़ाने का अर्थ है बचतों में वृद्धि तथा निवेश संबंधी नीति को सही दिशा देना। हमारी बचत की दर बहुत कम है, परिणामतः आर्थिक विकास की दर भी कम है। यदि आप आर्थिक विकास की दर को 7.8 या 9 प्रतिशत तक लाना चाहते हैं तो बचत की दर भी 16, 17 या 20 प्रतिशत करनी होगी। इसकी प्राप्ति के लिये केवल दो उपाय हैं। एक तो यह है कि हम समाजवादी हो जायें तथा अपनी सामाजिक स्वाधीनताओं तथा अपने परम्परागत जीवन का गला घोंट दें। मैं समझता हूं देश इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा।

दूसरा मार्ग है बचतों में वृद्धि करने का। व्यय को घटाने का। मुझे यह समाचार सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि रेल मंत्री ने एक भाषण में कहा कि हमें न केवल शहरी सम्पत्ति की ही अन्तिम सीमा निर्धारित करनी चाहिये बल्कि 750 वर्ग फुट से अधिक भूमि पर मकान का निर्माण करने की भी अनुमति नहीं देनी चाहिये। यह प्रश्न 750 या 1000 या 2000 वर्ग फुट का नहीं है बल्कि बचत करने का है और वह उन लोगों द्वारा जिनकी आय 1000 रुपये मासिक से अधिक है। साथ ही सरकार को अपने अनेक खर्चों पर भी अंकुश लगाना चाहिये। अतः मेरा सुझाव है कि सरकारी, गैर-सरकारी तथा हर क्षेत्र में अधिकाधिक बचत की जानी चाहिये।

पूंजी-निवेश के संबंध में, मैं दो-तीन सिद्धान्त अपनाने का सुझाव दूंगा। रोज़गार पर आधारित विशिष्ट कार्यक्रमों के स्थान पर हमें विभिन्न तकनीकी संबंधी लाभप्रद सिद्धांत अपनाने चाहियें। इस्पात आदि कुछ विशिष्ट मदों को छोड़कर, अनेक ऐसी मदें हैं जिनका उत्पादन या निर्माण हम भिन्न-भिन्न तकनीकों से कर सकते हैं और हमें ऐसे तकनीक ही अपनाने चाहिये जिनमें लागत-पूंजी के हिसाब से रोज़गार के अधिकतम अवसर दिये जा सकते हैं। अर्थात् ऐसा

तकनीक अपनायें जिससे कि अधिकाधिक लोगों को रोज़गार मिल सके। तदनुसार ही हमें अपनी नई औद्योगिक नीति में परिवर्तन या संशोधन करने चाहियें।

हमें ऐसी नीति अपनानी चाहिए कि पूंजी लगाने के बाद शीघ्र उत्पादन सामने आये। मैं जानता हूँ कि हमारे पास 200 लाख मीटरी टन इस्पात होना चाहिए तथा हम अन्य कई चीजें भी चाहते हैं। लेकिन आर्थिक बुद्धिमत्ता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम क्या चाहते हैं बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम आज क्या चाहते हैं और कल, परसों अथवा उसके बाद के लिए क्या चाहेंगे। किसी की मांगों की सन्तुष्टि के लिए समय निर्धारण आर्थिक आयोजना का सार है। हमारे पास पूँजी कम है और हमें उसका इस प्रकार निवेश करना चाहिए कि परिणाम शीघ्र सामने आये। हमें अपनी पूँजी लम्बी अवधि में लाभ देने वाले उद्यमों में नहीं लगानी चाहिए क्योंकि बीच की अवधि में मुद्रा-स्फीति बढ़ेगी, धन आय तथा व्यय में वृद्धि होगी और उससे बेरोजगारी की समस्या में सुधार नहीं होगा, इसलिए हमें कम पूँजी वाली परियोजनायें चलानी चाहिए जिनसे परिणाम भी शीघ्र सामने आते हैं, आगामी दो या तीन वर्षों तक हमें उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन, लघु उद्योगों, कम पूँजी वाली परियोजनाओं और क्षमता के पूर्ण उपयोग की ओर ध्यान देना चाहिए। कुछ समय के लिए लम्बी अवधि वाली परियोजनाओं को स्थगित कर देना चाहिए जिनका परिणाम 10 या 15 वर्ष बाद प्राप्त होता है। आर्थिक स्थिति पर काबू पाने के बाद हम लम्बी अवधि वाली परियोजनाओं को आरम्भ कर सकते हैं।

बेरोजगारी की समस्या के दो रूप हैं—ग्रामीण तथा शहरी। ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या तथा शहरी बेरोजगारी की समस्या में बहुत बड़ा अन्तर है। ग्रामीण बेरोजगारी कम उत्पादकता का मामला है और शहरी बेरोजगारी नौकरी न पाने वाले लोगों का मामला है। इसलिए हमारी नीति दोनों मामलों में एक-सी नहीं होनी चाहिए। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में जल, सिंचाई, खाद आदि के रूप में काफी निवेश किया जाये तो बेरोजगारी की समस्या कम होगी। कृषि उत्पादकता के बढ़ने पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि स्वतः ही हो जायेगी। ग्रामीण बेरोजगारी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पूँजी निवेश का व्यापक कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है, इस निवेश को प्रत्येक गांव में एक व्यक्ति को एक नौकरी देने, प्रत्येक परिवार में एक वयस्क को एक नौकरी देने आदि जैसे विचारों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। उर्वरकों, जल, सिंचाई आदि के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश करने से अपेक्षित और वांछित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

ग्रामीण बेरोजगारी के सिलसिले में, मैं भूमि सुधार के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा, कृषि-आर्थिक केन्द्रों द्वारा किए गए कृषि-आर्थिक सर्वेक्षणों से पता चला है कि कृषि में जोत के आकार तथा प्रति एकड़ उत्पादकता का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके विपरीत, यह पता चला है कि छोटी जोतें प्रति एकड़ अधिक उत्पादकता तथा रोजगार देते हैं। इसलिए यह मेरा सुझाव है कि छोटी जोतें देश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। अतः भूमि सुधार करते समय इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

सहकारी आन्दोलन से छोटी जोत वालों को लाभ नहीं पहुंचता, बड़ी और मध्यम जोत वालों को इसका अधिक लाभ पहुंचता है। मेरा एक सुझाव है कि सहकारी वित्त छोटी जोत वालों के लिए आरक्षित कर दिया जाये। बड़ी जोत वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों से मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं।

मैं नहीं सोचता कि मैं शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षा पद्धति आदि के बारे में बहुत कुछ कह सकता हूं। मेरे पास इतना समय नहीं है। लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 50,000 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे, मैंने अन्दाजन हिसाब लगाया है। मान लीजिए एक व्यक्ति को रोजगार पर लगाने के लिए 5,000 रुपयों की आवश्यकता है। इस हिसाब से पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 10 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार मिलना चाहिए अर्थात् प्रतिवर्ष 2 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि पांचवीं योजना के पेपर जब सभा में चर्चा के लिए पेश किये जायेंगे तब क्या इसमें केवल कुछ विशिष्ट रोजगार प्रधान योजनाओं के आंकड़े होंगे अथवा अधिक व्यापक योजनाओं का विवरण होगा और क्या रोजगार पहलू को ध्यान में रखते हुए पूर्ण निवेश तथा सभी परियोजनाओं पर चर्चा होगी ? क्या वे यह भी बता सकेंगे कि क्या 50,000 करोड़ रुपये निवेश करने पर प्रतिवर्ष 2 करोड़ व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे ?

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि संसद में एक और ऐसी परामर्शदात्री समिति होनी चाहिए जो केवल रोजगार से सम्बन्धित हो और जिसे प्रत्येक मंत्रालय अपने दृष्टिकोण, निदेश, कार्यक्रम और इस प्रकार की सूचना दे सकें कि उनकी नीति रोजगार के पहलू को ध्यान में रखकर बनाई गई है और जहां हम सरकार से पूछताछ करके इस बात का पता लगा सकें कि रोजगार के सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है। इसे दलगत विषय न बनाकर हमें इसके प्रति एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह समिति हमारे लिए एक ऐसा फोरम तैयार करेगी जहां हम सरकार तथा अन्य लोगों के साथ बेरोजगारी के सम्बन्ध में चर्चा कर सकते हैं और अधिकतम रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कार्यक्रम बनाया जा सकता है।

***श्री जे० माता गौडर** (नीलगिरि) : कांग्रेस दल गत दो दशकों में लगातार सत्तारूढ़ रहा है और इसी दल ने देश में आयोजना के युग का सूत्रपात किया। यदि सत्तारूढ़ दल द्वारा तैयार की गयी चार पंचवर्षीय योजनाओं का परिणाम यह विकट बेरोजगारी की समस्या है, तो मेरे पास सत्तारूढ़ दल को, उसके आयोजित प्रयत्नों की असफलता के लिए उसे ही दोषी ठहराने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। यदि सत्तारूढ़ दल ने योजना बनाते समय सच्चे अर्थों में रोजगार के अवसरों का निर्धारण किया होता, तो बेरोजगारी की समस्या आज इतना भयंकर रूप धारण न करती। लेकिन आयोजना के बारे में सत्तारूढ़ दल के विचार कुछ भिन्न हैं। सत्तारूढ़ दल के लिए आयोजना एक चुनाव उपकरण बन गई। योजना दस्तावेज सत्तारूढ़ दल के चुनाव घोषणापत्र बन गये। इसीलिए पंचवर्षीय योजनायें वांछित फल न दे पायीं।

वास्तविक समस्या यह नहीं है कि 6 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को किस प्रकार हल करने जा रही है। वर्ष 1971 में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में नौकरी के लिए प्रतीक्षा कर रहे 63816 इंजीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों के नाम रजिस्टर थे। ऐसा अनुमान है कि चौथी पंचवर्षीय योजना

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

के अन्त में 4,60,000 इंजीनियरी स्नातक कालिजों से निकलेंगे। एक शोध पत्र के अनुसार चौथी योजना के अन्त तक 3,84,000 इंजीनियरों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि चौथी योजना के अन्त में 76,000 इन्जीनियरी स्नातक बेरोजगार होंगे। यदि इंजीनियरी स्नातकों की ऐसी स्थिति रही तो ग्रामीण बेरोजगारों का क्या होगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पंचवर्षीय योजनाओं को बनाते समय रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

वर्ष 1970 में, रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में रोजगार के लिए प्रतीक्षा कर रहे 7153 कृषि स्नातकों के नाम रजिस्टर थे। ऐसा अनुमान है कि चौथी योजना के अन्त में 14,200 कृषि स्नातक बेरोजगार रहेंगे और चौथी योजना के अन्त तक कालिजों से 35,000 कृषि स्नातकों के निकलने का अनुमान है। केन्द्रीय और राज्य सरकारें केवल 20,800 कृषि स्नातकों को रोजगार दे सकेंगी। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इस समस्या को किस प्रकार हल करेगी। मैं नहीं समझता कि हजारों कृषि स्नातकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए केवल 50 लाख रुपये की व्यवस्था करके सरकार इस समस्या को हल कर सकेगी। बेरोजगार कृषि स्नातकों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार को देश में कृषि कालिजों को बन्द कर देने के प्रश्न का सामना करना पड़ सकता है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक समय था जबकि हमारे देश में जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त संख्या में डाक्टर उपलब्ध नहीं थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि चौथी योजना के अन्त तक मेडिकल कालिजों से सफलता प्राप्त कर 36,000 डाक्टर निकलेंगे और रोजगार केवल 26,000 के लिए उपलब्ध होंगे अर्थात् चौथी योजना के अन्त में 10,000 डाक्टर बेरोजगार होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम देश में जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या के समाधान के लिए डाक्टरों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा तक पहुंच गये हैं ?

जीवन के हर क्षेत्र में बेरोजगारी है और सत्तारूढ़ दल देश में इस प्रकार की अस्त-व्यस्त स्थिति पैदा करने के उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता। देश में प्रत्येक राज्य में व्यापक आन्दोलन हो रहे हैं और वे कभी-कभी उग्र रूप धारण कर लेते हैं।

शिक्षित युवकों में बेरोजगारी वर्तमान खराब स्थिति का मूल कारण है। वे कृषि क्रान्ति लाने की बात करते हैं परन्तु उन्हें समूचे देश में लाल क्रांति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा मुख्यतः सरकार की योजना में त्रुटियां होने के कारण हुआ है। सरकार को अपनी विगत की भूलों से सबक लेते हुए पांचवीं योजना बनाते समय राज्य सरकारों और विपक्षी दलों को विश्वास में लेना चाहिए। न केवल इस सम्बन्ध में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए अपितु कार्यक्रमों को भी तेजी से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

योजना को सफल बनाने के लिए पंजाब सरकार के प्रयासों की मैं प्रशंसा करता हूं। अधिकांश उद्योगों की स्थापना नागरिक क्षेत्रों में हो रही है तथा ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के बिना यहां के लोगों का जीवन स्तर

कैसे ऊँचा उठ सकता है। बड़े एकाधिकारियों को लाइसेंस दिये जा रहे हैं जबकि साथ-ही-साथ सरकार अर्थ-व्यवस्था में इनके नियंत्रण पर रोक लगा रही है। चूँकि सत्तारूढ़ दल को इन एकाधिकारियों से बड़ी मात्रा में धन मिलता है अतएव इन्हें औद्योगिक लाइसेंस दिए जा रहे हैं। सरकार को आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसके बिना आर्थिक समानता का कोई अर्थ नहीं है। सरकार को इन बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस नहीं देने चाहिए। ऐसा करने पर ही जनसाधारण में विश्वास की भावना पैदा की जा सकती है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।]
[**Mr. Deputy Speaker** in the Chair.]

कोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण करने सम्बन्धी विधेयक पर बोलते समय मैंने खान मालिकों को मुआवजा न देने की बात कही थी। यदि इनको करोड़ों रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे तो देश में रोजगार के साधन कहां से पैदा किए जाएंगे ? विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करते समय सरकार यह जानते हुए भी कि उन्होंने अपने-अपने देशों को बड़ी मात्रा में यहां से लाभ कमा कर भेजा है, उनके मालिकों को मुआवजा देने का प्रस्ताव रखती है। सरकार ने चुनावों में नरेशों और महाराजाओं को दिए जाने वाली निजी थैलियों को समाप्त करने का वायदा किया था परन्तु अब उन्हें मुआवजे के रूप में 10 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। यदि हम इस तरह सब को मुआवजा देते रहें तो देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार सुधार लाया जा सकता है ?

सरकार समस्त बुराइयों के लिए जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को जिम्मेदार ठहरा सकती है। गत पांच वर्षों से परिवार नियोजन कार्यक्रमों में तेजी लाई जा रही है। क्या ये कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना से लागू नहीं किये जा सकते थे ? परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई समान नीति नहीं है। इसमें धर्म का प्रश्न भी लाया गया है जिसका उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है।

योजना कार्यक्रम चुनाव पर आधारित होने के कारण अपेक्षित लाभ नहीं दे पाये हैं। योजना कार्यक्रमों का आधार जनसाधारण को मिलने वाला लाभ तथा देश का आर्थिक विकास नहीं बनाया गया है। सत्तारूढ़ दल ने योजना कार्यक्रम अपने राजनीतिक लाभ तथा सत्ता से चिपटे रहने के लिए बनाए हैं। सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व इंजीनियरों में बेरोजगारी को दूर करने के लिए इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिलों को सीमित कर दिया था। विश्व के किसी देश ने ऐसा प्रतिगामी कदम नहीं उठाया है। अन्य देशों में सरकारें आर्थिक नीति बनाते समय भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखती हैं। भय है कि कहीं सरकार पांचवीं योजना में शिक्षित युवकों में बेरोजगारी रोकने के लिए तकनीकी कालेजों को बन्द न कर दे।

अन्त में मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि वह अपने विगत की भूलों से सबक ले और योजना कार्यक्रमों का आधार देश की सम्पन्नता को बनाए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा करने के लिए निर्धारित समय समाप्त हो गया है चूंकि यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है और अभी अनेक सदस्यों ने इस पर बोलना है। अतएव इस पर समय को बढ़ाया जा सकता है।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : The next resolution of Shri Indrajit Gupta is an important one.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा के विचारों को ध्यान में रखना है क्योंकि इसके बाद दूसरा संकल्प पेश किया जाना है।

श्री रामावतार शास्त्री : आप इस संकल्प को प्रस्तुत कराने के लिए किसी-न-किसी तरह समय निकालिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह माननीय सदस्य का अनुरोध है। अन्य माननीय सदस्यों के भी अपने विचार हैं। इस मामले में मैं सभा के विचारों को ध्यान में रखूंगा। मैं सभा के विचारों के विरुद्ध व्यवस्था नहीं दे सकता हूं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर पूर्व) : ऐसी परम्परा रही है कि केवल असाधारण अवसरों पर अगला संकल्प प्रस्तुत किया जाता है। परन्तु यदि इस अवसर पर सभा का बहुमत किसी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर किसी संकल्प को सभा में लाना नहीं चाहता है तो यह एक अवांछनीय बात होगी। गैर-सरकारी सदस्यों वाले दिन विपक्षी सदस्यों को अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आपको इस विषय पर स्वयं निर्णय करना चाहिए।

श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे (बेतूल) : हमारी अगले संकल्प में भी रुचि है और हम इसे टालना नहीं चाहते हैं परन्तु ये राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हैं। हमारी इस विषय पर रुचि है क्योंकि यह महत्त्वपूर्ण है।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : That resolution should be allowed to be moved. This has happened in the past also.

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई मध्य) : मेरा सुझाव है कि आधे घण्टे की चर्चा अगले दिन के लिए स्थगित कर दी जाये ताकि हमें इस विषय पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

श्री जगन्नाथराव जोशी : ऐसा पहले भी हुआ है कि प्रस्तावक को अगला प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा पहले हुआ है तो यह नियमों के अनुसार नहीं हुआ है। नियम यह है कि जब तक पहले संकल्प पर चर्चा समाप्त नहीं हो जाती तब तक अगला संकल्प नहीं लाया जा सकता है।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : यह एक महत्त्वपूर्ण संकल्प है जिसको किसी-न-किसी रूप में सभा में लाया जाता रहा है। मुझे भी इस विषय पर बोलने के लिए पर्याप्त समय चाहिए अन्यथा माननीय सदस्यों को संतुष्ट नहीं किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में सभा इस विषय पर आगे चर्चा जारी रखना चाहती है। श्री दरबारा सिंह।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : We are discussing a very important subject. Although the next resolution is not less important in comparison to this but we should have thread bare discussion on it.

Not only India but the whole world is confronted with this problem. Talking of revolution and other things will not solve the problem. There must be constructive criticism. There are no two opinions that unemployment has increased. The question is what measures we should adopt to mitigate the problem. In countries like U.S.A., U. K., France a large number of persons are unemployed. But we should not cite this example to defend our contention regarding unemployment. If we go into the reasons of student unrest, lockout, strike etc. then we will find that these are all due to lack of employment opportunities.

The Government should not depend on statistics of Employment Exchanges regarding unemployment. There are a large number of persons who have not got their names registered in the Employment Exchanges. Taking this into consideration the survey should be conducted on state level so that we may know the correct position regarding unemployed persons in every districts. Many foreign returned engineers are having no jobs. The same case is with a large number of technical hands and Post Graduates. I understand that there are reasons like increase in population behind this problem. We are doing a lot for urban population at the cost of rural population. Eighty per cent of the population live in villages and the problem of unemployment is also there. The Government should keep this in mind.

The Bangla Desh crisis has affected our economy. The students agitation and other sort of agitations are taking place. There is unrest among students due to bleak prospects of employment. We should create jobs for them.

These problems are not without a solution. All the job opportunities should be synchronized with national development and growth of population. This can be done through short term and long term measures. In long term measures big factories, heavy industries etc. can be set up but we should take short term measures which may produce results in a shorter period. The rate of investment and the rate of saving have not shown good progress. We should find out measures to increase our resources. The public sector and the private sector play an important role in the industrial growth. We should encourage nationalisation. The mill owners should be compelled to disclose their black money.

The structure of Primary Education needs change and a large number of teachers will have to be appointed. In the same way much work cannot be done without electrification. It is good that you have provided Rs. 150 crores for the crash programme but it has not been spent on productive work. Had it been spent on setting up small scale industries then it would have provided employment to a number of poor people.

Nothing has been done for rural industries. The nationalised banks are not helpful in providing loans to poor people. They have cumbersome rules. Loans are provided to poor people at high rate of interest whereas big industrialists are provided loans at a lesser rate of interest. This discrimination must end. Ancillary industries should be set up around villages so that rural people may get jobs.

Stress is being laid on setting up big industries costing crores of rupees in big cities. This tendency of centralisation should be replaced by decentralisation so that rural people may get the benefits. The co-operative societies must keep the poor and rural people in mind while providing loans.

The condition of marginal farmers is entremely miserable. They are denied loans. Voices are raised to give them lands, houses etc. but nothing materialise. The Government have created such complexity that they cannot desire benefits. Concentration of wealth in urban areas is no solution. This should go to rural areas also.

Our agricultural sector does not have a sound basis. Farmers do not get like water, electricity in sufficient quantities. Big landlords do not allow the poor farmers to avail of such benefits. Taking all these into consideration I may submit that the planning system must be changed so as to the demands of the society.

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : देश में यह धारणा बनती जा रही है कि संसद में केवल भाषण ही होता है अथवा यह एक सर्कस का रूप अख्तियार कर रही है। सरकार यहां पर होने वाली चर्चाओं के प्रति गम्भीर नहीं है और मंत्री महोदय महत्त्वपूर्ण विषयों पर होने वाली चर्चाओं के समय अनुपस्थित रहते हैं।

हम निर्धनता को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, प्रधान मंत्री जी ने तीन वर्ष के अन्दर इस सम्बन्ध में ठोस उपलब्धि प्राप्त करने की बात कही है। इस समय 22 करोड़ 50 लाख व्यक्ति निर्धनता स्तर से भी नीचे हैं। डा० राम मनोहर लोहिया ने हस सम्बन्ध में यहां बताया था कि अधिकांश लोगों की प्रति व्यक्ति आय 3 आना है। हम जानते हैं कि गांवों की 40 प्रतिशत जनसंख्या में प्रति व्यक्ति आय प्रति महीने 20 रुपये है।

यहां बनने वाली योजना की विफलता के कारण जन-शाक्ति का उपयोग नहीं हो पा रहा है। प्रत्येक योजना के पश्चात् बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 1974 तक बेरोजगारों की संख्या में 2 करोड़ 70 लाख तक वृद्धि हो जाएगी। यही स्थिति जनसंख्या की भी है। परिवार नियोजन कार्यक्रम असफल रहा है।

बेरोजगार इंजीनियरों की संख्या चौथी योजना तक बढ़कर 100,000 हो जाएगी। रोजगार कार्यालयों में दर्ज नामों की संख्या 1971 में 53 लाख हो गई थी। 1961 से सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में केवल 45 लाख रोजगार अवसरों की वृद्धि हुई है। ये दोनों क्षेत्र एक वर्ष में 300,000 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकते हैं।

पश्चिम बंगाल जैसे कतिपय राज्यों में बेरोजगारी की समस्या उग्र है। यहां बेरोजगारों में वृद्धि प्रति वर्ष 100,000 की संख्या में हो रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में एक

योजना तैयार की थी। यह पता नहीं है कि उस पर आगे क्या कार्यवाही हुई है। सरकार इस सम्बन्ध में केवल मौखिक सहानुभूति ही दिखाती है।

देश में यह धारणा बन रही है कि सरकार नारों से ही रोजगार पैदा करने में विश्वास करती है। एक सुदृढ़ अर्थ-व्यवस्था ही रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से हम अर्थ व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण और लघु उद्योगों की स्थापना की बातें करते रहे हैं, पर कार्यरूप में कुछ नहीं हुआ है। मध्यवर्ती औद्योगिकी, जो अनेक देशों में विकसित हुई है तथा जिसने बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया है, हमारे देश में भी अपनायी जानी चाहिए। जापान ने मध्यवर्ती औद्योगिकी अपनाकर बेरोजगारी की समस्या को दूर किया है। हम यहां भी इसे अपनाकर लघु उद्योगों को बड़ी संख्या में विकसित कर सकते हैं। सामाजिक न्याय के लिए अर्थ-व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण अपेक्षित है।

हमारे नए योजना मंत्री (बैंक टू नेहरू) का नारा दे रहे हैं। इस देश की जनता का नेहरू के साथ भावनात्मक लगाव रहा है। परन्तु आज यदि नेहरूजी जीवित होते तो वे पीछे चलने के बजाए आगे बढ़ने की सलाह देते। समूची योजना रोजगार प्रधान होनी चाहिए।

आज ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या बड़ी विकट है। इसको दूर करने के लिए पांचवीं योजना में बड़े पैमाने पर सड़क-निर्माण, स्कूल भवन का निर्माण, गृह-निर्माण कार्य आदि जैसे ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों को अपनाया जाना चाहिए।

विश्व के किसी भी देश की सरकार सब व्यक्तियों को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कर सकी है। आप यहां सब-कुछ करके भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार के साधन जुटा नहीं सकते हैं। इसलिए स्वयं रोजगार पैदा करने की योजना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

आज देश की जनता की आंखें प्रधान मंत्री की ओर लगी हुई हैं। वही उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कर सकती हैं। परन्तु उनकी दिलचस्पी इस ओर न होकर पराजित राजनीतिज्ञों को ही कहीं लगाने में है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने हेतु योजना अथवा नीति बनाने में सरकार रुचि नहीं दिखा रही है।

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई मध्य) : आज बेरोजगारी की समस्या सरकार के लिए भारी परेशानी का कारण बन गई है। यह समस्या विकट रूप धारण करती जा रही है। रोजगार कार्यालयों में वर्ष 1950 में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 3,30,743 थी। जहां तक रोजगार कार्यालयों में दर्ज व्यक्तियों की संख्या का सम्बन्ध है.....

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण बाद में जारी रख सकते हैं.....

---

*चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण
NATIONALISATION OF SUGAR INDUSTRY

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सहमत हों तो आधे घण्टे की चर्चा को किसी और दिन के लिए स्थगित कर दिया जाये।

---

*आधे घण्टे की चर्चा
Half-an-hour discussion.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इस पर आज ही चर्चा की जानी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आधे घण्टे की चर्चा आरम्भ होती है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : देश में इस समय चीनी की इतनी अधिक कमी है जितनी पहले कभी नहीं हुई । प्रधान मंत्री का सुझाव है कि चीनी खाना बन्द कर दिया जाय । क्या समस्या का यही समाधान है ? चीनी मिलों ने चीनी की खुले बाजार में बिक्री से लगभग 200 करोड़ रुपये कमाये हैं । लोगों के मन में शंका है कि ऐसा अधिकारियों की सांठगांठ से हो रहा है ।

[**श्री आर० डी० भण्डारे** पीठासीन हुए ।]
[**Shri R. D. Bhandare** in the Chair.]

चीनी उद्योग एक ओर सरकार का तथा दूसरी ओर लोगों का शोषण कर रहा है । गन्ने के मूल्यों में 1967-68 से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । चीनी मिलों के मालिक उत्पादन शुल्क इन्स्पेक्टरों से मिल जाते हैं और गन्ने से चीनी की कम वसूली दिखाते हैं । ऐसा अनुमान है कि इन्स्पेक्टरों को 2000 प्रति मास दिये जाते हैं । क्या कारण है कि गन्ने में चीनी की वसूली 10.4 प्रतिशत से कम होकर 9.4 प्रतिशत रह गई है जब कि गुड़ और खण्डसारी के मामले में ऐसा नहीं हुआ है । संसद सदस्यों के एक दल को मौके पर जाकर यह देखना चाहिए कि गन्ने से चीनी की कितनी वास्तविक वसूली होती है ।

रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन से पता लगता है कि गन्ने की लागत में वृद्धि हो गई है और गन्ने की खेती आकर्षक नहीं रही ।

चीनी मिलों की ओर गन्ना उत्पादकों का लगभग 40 करोड़ रुपया बकाया है । केवल उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की ओर लगभग 16 करोड़ रुपये बकाया हैं । 1961 में चीनी मिलों को 5.50 करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी । 1967 में यह राज सहायता बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दी गई थी । चीनी मिलों ने 1970-71 के पांच वर्षों में 152.60 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में ली है । इसी दौरान इनकी आस्तियां 160.14 करोड़ रुपये से बढ़कर 1970-71 में 290.44 करोड़ रुपये की हो गई हैं । इसी प्रकार उनकी कुल आय भी 1965-66 में 104.71 करोड़ रुपये से बढ़कर 154.12 करोड़ रुपये हो गई है । मैनेजरों तथा निदेशकों के वेतन आदि में भी बहुत वृद्धि हुई है ।

जनवरी, 1972 के नेशनल हैराल्ड में यह छपा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है । यह भी बताया गया है कि सप्लाई के लिए 48.50 लाख टन चीनी उपलब्ध होगी । यह भी लिखा गया है कि सरकार को मूल्यों में वृद्धि की रोकथाम के लिए तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए । चीनी के बदले बैंक के अग्रिम धन में पांचवें बार परिवर्तन किया गया है । अब इसको बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है ।

चीनी उद्योग की लाइसेंस प्राप्त क्षमता 53 लाख टन है परन्तु इसकी अधिष्ठापित क्षमता 39 लाख टन है । अतः यह जानबूझकर चीनी का आवश्यक उत्पादन नहीं कर रहे हैं ।

कांग्रेस के एक संसद सदस्य श्री सूर्यनारायण ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में एक बार कहा था कि आंध्र प्रदेश में चीनी मिलों की आस्तियां कुल 14.48 करोड़ हैं जबकि उनका लाभ 10.75 करोड़ रुपये है। इसमें काला धन शामिल नहीं है। डा० रंगनैयर ने हाल में एक लेख में कहा है कि चीनी मिलों के अनेक लाइसेंसधारियों ने स्वीकृत क्षमता स्थापित नहीं की है। स्वीकृत क्षमता 53.7 लाख टन है जबकि अधिष्ठापित क्षमता केवल 39 लाख टन है।

भार्गव आयोग ने अभी तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है हालांकि उसको अपना प्रतिवेदन सत्र शुरू होने से पूर्व दे देना चाहिए था। मैं जानना चाहता हूं कि आयोग द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम प्रतिवेदन को सभापटल पर न रखे जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अनेक बार चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में कहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

चीनी एक अत्यावश्यक वस्तु है। मिल मालिकों ने गत 20 वर्षों में उद्योग के आधुनिकीकरण तथा इसकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। वित्त संस्थाओं द्वारा दी गई राशि का गलत प्रयोग किया गया है। गन्ने की किस्म को सुधारने के लिए भी इस उद्योग ने कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया है। सरकार लगभग 200 करोड़ रुपये अग्रिम धन के रूप में इन मिलों को दे चुकी है। अत: सरकार को इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए।

जहां तक मुआवजे की राशि का सम्बन्ध है, संसद इसकी दर निर्धारित कर सकती है।

एक मंत्री विशेष ने इन मिलों से चन्दा लिया है। करोड़ों रुपये एकत्रित किए गये हैं।

सभापति महोदय : आप आरोप लगा रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : *मैं कहता हूं कि उन्होंने 8.64 करोड़ रुपये एकत्रित किये हैं। उन्होंने इन मिल मालिकों से रुपये एकत्र किये हैं और इसका बोझ उपभोक्ताओं को सहन करना पड़ता है।

सभापति महोदय : नाम को रिकार्ड से निकाल दिया जाये। बाद में कही गई सभी बातों को रिकार्ड से निकाल दिया जाये।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : इससे बड़ी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। उनके द्वारा सरकार पर लगाये गये आरोपों को रिकार्ड से नहीं निकाला जा सकता।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यदि मैं कुछ व्यक्तियों के नाम लूं तो क्या उनको भी रिकार्ड से निकाल दिया जायेगा।

सभापति महोदय : जी हां।

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ । परन्तु उनके विरुद्ध आरोप लगाये जाते हैं और वह उनका खण्डन कर सकते हैं ।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : *

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं केवल ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ जिसको हर समय सभा में उपस्थित रहना चाहिए ।**

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा । यदि आप ऐसा आरोप लगाना चाहते थे तो आपको लिखित रूप में नोटिस देना चाहिए था । इस बारे में नियम बिल्कुल स्पष्ट है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

सभापति महोदय : आप मेरे निर्णय को चुनौती न दें ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने एक ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी कि केन्द्रीय सरकार के दो मंत्री बिड़ला बन्धुओं की सेवा में थे और उनसे वेतन आदि लेते थे । एक मंत्री ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था । उन्होंने कहा था कि मंत्री बनने के पश्चात् उन्होंने बिड़ला की नौकरी छोड़ दी थी । मैं उनका सम्मान करता हूँ ।**

सभापति महोदय : आप बिना नोटिस दिये आरोप नहीं लगा सकते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 353 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इसमें कहा गया है कि संसद सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपमानजनक आरोप नहीं लगाये जाने चाहिएं । आप किसी व्यक्ति की क्या परिभाषा देंगे ।** उनको सभा में उपस्थित रहना चाहिए । वह आरोपों का खण्डन भी कर सकते हैं । अत: आप इसको कार्यवाही वृत्तान्त से नहीं निकाल सकते । आप ऐसा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कर रहे हैं । मैं यह कहता रहूँगा कि उन्होंने** चीनी उद्योग** से 8.64 करोड़ रुपये एकत्र किये हैं ।

सभापति महोदय : आप मेरे निर्णय को चुनौती न दें ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या सरकार ने कांग्रेस पार्टी की विभिन्न बैठकों में पारित संकल्पों के आधार पर चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया था ? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की थी ? क्या बिहार सरकार ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किये थे ? माननीय मंत्री ने अब तक यह कहा है कि एक समिति बनाई गयी है और जब तक उस समिति का प्रतिवेदन नहीं मिल जाता तब तक सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती । अब मुझे पता लगा है कि उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

*Not recorded.

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

**Expunged as ordered by the Chair.

को प्रस्तुत कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि चीनी के मूल्यों में वृद्धि किये जाने के क्या कारण हैं ? चीनी के राष्ट्रीयकरण के बारे में अब तक कोई निर्णय न लिये जाने के क्या कारण हैं ? इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : People are demanding the nationalisation of sugar industry. I want to know the recommendations made by the committee which was set up to look into the affairs of the sugar industry ?

May I know the basis on which the Uttar Pradesh Government have recommended the nationalisation of sugar industry ?

May I know whether several sugar mills have their own sugarcane farms and whether their profits are more as compared to other mills ?

May I also know whether all the parties including Congress having faith in capitalistic system of society are getting donations from the mill owners and that is the reason that these mills are not being nationalised ? I would also like to know whether Government have made any comparative study of the cost of production of sugar and profit earned therefrom ? May I also know whether Government is considering of imposing any special tax on the mill owners keeping in view the huge profits earned by them ?

May I know as to how much the mill owners due to the cane growers till to-date ?

Dr. Laxminarayan Pandeya (Mandsaur) : The hon. Minister had himself admitted on the 14th November that different prices are paid for sugarcane in different states. May I know as to why the price of sugarcane has been raised ! May I know the action Government propose to take to remove the disparity of prices being paid to farmers for sugarcane in different states ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : इसमें सन्देह नहीं कि चीनी मिलों ने मुनाफा कमाया है। हम उन पर विशेष कर लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं। चीनी तथा गन्ना दोनों की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। गन्ने के न्यूनतम मूल्य को 7.37 रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये कर दिया गया है। गन्ने से चीनी की वसूली को 9.4 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इस बात की जांच करने के लिए कि गन्ने से कितनी चीनी वसूल हुई है हम कुछ अन्य व्यवस्था करने पर विचार कर रहे हैं। जहां तक बकाया राशि का प्रश्न है, वह केवल 3,75,00,000 रुपये है। यह आंकड़े बिल्कुल ठीक हैं। हमने इनकी पुष्टि कर ली है। इस वर्ष कुल 45 लाख टन चीनी उपलब्ध थी। कुल उत्पादन 31.12 लाख टन हुआ। कुल खपत 39 लाख टन हुई। हमारे पास 30 सितम्बर को, जबकि नया सीजन आरम्भ हुआ, 5.8 लाख टन चीनी थी।

चीनी की लाइसेंस प्राप्त क्षमता 53 लाख टन है जबकि इसकी अधिष्ठापित क्षमता केवल 39 लाख टन ही है। नये लाइसेंस केवल सहकारी क्षेत्र को ही जारी किये गए हैं। इस्पात की कमी के कारण मशीनों के निर्माण में विलम्ब हुआ है और इस कारण मिलों की स्थापना में भी

विलम्ब हुआ है। हमने इस मामले को इस्पात मंत्रालय के साथ उठाया है। भार्गव समिति ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की कोई सिफारिश नहीं की है। इस बारे में उन्होंने अपना प्रतिवेदन अभी नहीं दिया है। मुनाफे के बांटने तथा गन्ने के मूल्यों के बारे में समिति ने सिफारिशें की हैं और हम उनकी जांच कर रहे हैं। जैसे ही इसकी जांच कर ली जायेगी प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

जहां तक राज्यों का प्रश्न है वे चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वह मिलों का मुआवजा देने की स्थिति में नहीं है। क्या बिना मुआवजा दिये वह चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं ?

श्री नरसिंह नारायण पांडे (गोरखपुर) : मैं जानना चाहता हूँ कि वह राष्ट्रीयकरण के बारे में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री एम० एस० बनर्जी : सरकार चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहती। सरकार मिल मालिकों से मिली हुई है। हम विरोधस्वरूप सभा से बाहर जाते हैं।

इसके पश्चात् श्री एस० एम० बनर्जी, श्री रामावतार शास्त्री और श्री सी० के० चन्द्रप्पन सभा भवन से बाहर चले गए।

Shri S. M. Banerjee, Shri Ramavatar Shastri and Shri C. K. Chandrappan then left the House.

प्रो० शेर सिंह : 28 फरवरी, 1973 तक हमें आयोग का प्रतिवेदन मिल जायेगा। इसके पश्चात् राष्ट्रीयकरण के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने कहा था कि मिलों को अधिकांश राशि सरकारी वित्त संस्थाओं तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से मिली हुई है। फिर सरकार इस प्रश्न में टालमटोल क्यों कर रही है ? वास्तव में 8.64 करोड़ रुपये की राशि सारा काम कर रही है।* मैं ऐसी बोगस कहानियां नहीं सुन सकता।

सभापति-महोदय : यह शब्द गैर-संसदीय है। इसको निकाल दिया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने दल की ओर से मिल मालिकों से काफी चन्दा लिया है। ** मैं इस सब से घृणा करता हूँ। मैं सभा से बाहर जाता हूँ।

नौवहन और परिवहन तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजबहादुर) : इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

सभापति महोदय : इसको कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाए।

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

*Expunged as ordered by the Chair.

इसके बाद श्री ज्योतिर्मय बसु सभा भवन से बाहर चले गये ।
Shri Jyotirmoy Bosu then left the House.

Shri Krishna Chandra Pandey (Ubalilabad) : I have come to know from a reliable source that he himself went to the mill owners for collecting donation but the mill owners refused to give him anything.**

Dr. Laxminarayan Pandeya : The Government has failed to pursue a correct policy in this regard. I am not prepared to accept this statement.

इसके पश्चात् डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय सभा भवन से बाहर चले गये ।
Dr. Laxminarayan Pandeya then left the House.

Shri Ishwar Chaudhry (Gaya)* :

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा ।

इसके पश्चात् श्री ईश्वर चौधरी सभा भवन से बाहर चले गये ।
Shri Ishwar Chaudhry then left the House.

Prof. Sher Singh : We have taken care of these things while formulating our policy. Firstly, that the farmers may get more money for their produce. According to my knowledge, the farmers are now getting more price for their produce. Secondly, the consumers will also have to pay less for levy sugar. Mill owners are paying at the rate of 11.25 rupees and 12.25 rupees per quintal. That is why we have to raise the price of levy sugar by 20 paise. There is need of strengthening the distribution machinery in some states. Thirdly the production has also increased. So we have achieved these objectives in this policy.

कार्य मंत्रणा समिति—19वां प्रतिवेदन
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 19वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार 27 **नवम्बर**, 1972/6 **अग्रहायण**, 1894 (**शक**)
के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।
The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday,
November 27, 1972/ Agrahayana 6, 1894 (Saka)

* * अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।
**Expunged as ordered by the Chair.
* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
*Not recorded.

मद्रक : शाहदरा प्रिंटिंग प्रेस, के-18, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 23-11-72/1490